DEVELOPMENT PLANNING OF A BACKWARD REGION CHUNAR TAHSIL (UTTAR PRADESH) : A CASE STUDY

पिछड़े प्रदेश का विकास-नियोजन
चुनार तहसील (उत्तर प्रदेश) : एक विशेष अध्ययन

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी॰ फिल्॰ उपाधि-हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

निर्देशक
डॉ॰ आर॰ एन॰ सिंह, एम॰ ए॰, डी॰ फिल॰
रीडर, भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय

प्रस्तुत कर्ता
अशोक कुमार सिंह, एम॰ ए॰
भूगोल विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

1993

दो शब्द

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से विकासात्मक प्रक्रिया प्रारम्भ हुई । शुरू में इसका लक्ष्य विकास की प्राचीन अवधारणाओं के अनुरूप आत्मनिर्भरता एवं आर्थिक सम्पन्नता प्राप्त करना ही था । किन्तु शनैः शनैः विकास के बदलते आयाम के साथ विकास-नियोजन अपने व्यापक अर्थो में प्रयुक्त होने लगा । अतः राष्ट्र के चतुर्मुखी विकास के लिए यह आवश्यक समझा गया कि उसके प्रत्येक क्षेत्र (*Region*) को यथासम्भव विकसित किया जाना चाहिए । साथ ही विकास की बदलती परिभाषा के अन्तर्गत इससे आशय आर्थिक विकास के साथ - साथ सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक विकास से भी लगाया जाने लगा । फलस्वरूप उक्त लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भारत में बहुस्तरीय प्रादेशिक, नियोजन पद्धति अपनायी गयी । इस परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत मध्ययन में चुनार तहसील के समन्वित विकास हेतु तहसील स्तरीय नियोजन का युक्तियुक्त विवेचन प्रस्तुत है ।

अध्ययन के लिए चयनित क्षेत्र चुनार तहसील एक पिछड़े प्रदेश का प्रतिरूप है । अतः किसी भी नियोजक के मस्तिष्क का इस ओर आकर्षित होना स्वाभाविक है। दूसरे, उक्त प्रदेश शोधकर्ता का गृह प्रदेश होने के कारण उसे उसके विकास के प्रति लगाव के साथ ही उसके पिछड़ेपन के कारणों की जानकारी तथा व्यवहारिक समस्याओं का अनुभव था । साथ ही प्रदेश में नियोजन से सम्बन्धित आकड़ों के एकत्रीकरण में भी अपेक्षाकृत सरलता एवं आसानी थी । तहसील की धरातलीय बनावट एवं संरचना इस प्रकार की है कि अध्ययनकर्ता को एक साथ पहाड़ी, पठारी एवं मैदानी क्षेत्र की आर्थिक संरचना के अध्ययन का सुअवसर प्राप्त हो जाता है ।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही किस्मों के आकड़ें का प्रयोग हुआ है । द्वितीयक आकड़े सांख्यिकीय पत्रिका, मिर्जापुर जनपद, 1990, गजेटियर्स, मिर्जापुर जनपद, 1977, तहसील हस्तलिखित प्रारम्भिक जनगणना पुस्तिका 1991, जिला उद्योग निर्देशिका, मिर्जापुर जनपद, 1990 एवं जिला जनगणना हस्तपुस्तिका आदि स्रोतों से प्राप्त किये गये हैं । प्राथमिक आकडों में कुछ तो व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित हैं तथा कुछ अन्य ग्राम पंचायतों, न्याय पंचायतों, विकास-खण्डों, तहसील एवं जिला मुख्यालयों से विचार-विनिमय द्वारा उपलब्ध

हो सके हैं । द्वितीयक आकड़ों की पुष्टीकरण के लिए प्रत्येक विकास खण्ड के एक-एक ग्राम का व्यापक सर्वेक्षण किया गया है । ये ग्राम विकास खण्ड जमालपुर में मिल्की, नरायनपुर में जलालपुर माफी, राजगढ़ में बकियाबाद एवं सीखड़ में विदापुर हैं । इन ग्रामों से सम्बन्धित आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं का अलग से विवरण नहीं दिया गया है, वरन् इसे मूल अध्ययन में ही यथा स्थान समाहित कर लिया गया है ।

यद्यपि अध्ययन का सामान्य प्रतिरूप विवरणात्मक ही है तथापि सांख्यिकी विश्लेषण को भी संभव सीमा तक स्थान देने का प्रयास किया गया है । विषय की सरल एवं तर्कसंगत व्याख्या प्रस्तुत करने के लिए यथास्थान मानचित्रों, आरेखों एवं तालिकाओं को भी व्यवहार में लाया गया है ।

विकास के बहुआयामी स्वरूप के अन्तर्गत प्रदेश के समन्वित विकास- हेतु शोधग्रन्थ को विषयानुसार कुल सात अध्यायों में संगठित किया गया है । प्रथम अध्याय में विकास की संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि के अन्तर्गत विकास का भौगोलिक स्वरूप, प्रक्रिया, निर्धारक कारक, नियोजन के स्तर, पिछड़े प्रदेश का स्वरूप तथा उसके निर्धारण की युक्तिपरक व्याख्या की गयी है । अध्याय दो में प्रदेश की स्थिति, विस्तार आकृति एवं परिमाण की सामान्य जानकारी के साथ ही उसका प्राकृतिक (उच्चावच, संरचना, अपवाह, जलवायु, मिट्टी एवं वनस्पति) तथा सांस्कृतिक (जनसंख्या-वृद्धि, वितरण, घनत्व, संरचना, बस्ती प्रतिरूप, कृषि, उद्योग एवं परिवहन) पक्ष प्रस्तुत करके उसके स्वरूप को उभारा गया है जो अगले अध्यायों के लिए आधारशिला तैयार करता है । प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक विकास-हेतु प्रस्तुत नियोजन में विकास केन्द्रों को आधार बनाया गया है । अतः अध्याय तीन के अन्तर्गत क्षेत्र में विकास/सेवा कार्यों एवं उनके केन्द्रों के निर्धारण, केन्द्रीयता मापन, उनके पद सोपान, सेवित प्रदेश तथा जनसंख्या का सम्यक् विश्लेषणोपरान्त नये कार्यों एवं केन्द्रों की प्रस्तावना की गयी है । अध्याय चार में प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण कार्य कृषि को स्थान प्रदान किया गया है । इसके अन्तर्गत भूमि-उपयोग, फसल प्रतिरूप, कोटि एवं फसल संयोजन, गहनता, सिंचाई तथा पशुपालन आदि के वर्तमान प्रतिरूप की समीक्षा करते हुए तत्सम्बन्धित समस्याओं के

के आलोक में कृषि-विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किया गया है । पाँचवे, अध्याय में वर्तमान औद्योगिक प्रतिरूप का अध्ययन कर उपलब्ध औद्योगिक संसाधनों के आधार पर प्रदेश में औद्योगिक विकास हेतु कुछ नवीन उद्योग एवं इकाइयों के अवस्थापन की संस्तुति की गयी है । इसी प्रकार अध्याय छः में परिवहन एवं संचार तथा अध्याय सात में शिक्षा और स्वास्थ्य के वर्तमान प्रतिरूप तथा समस्याओं का अध्ययन कर प्रदेश में इन सुविधाओं के सम्यक् विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत किया गया है । शोध ग्रन्थ का समापन दो परिशिष्टियों में होता है । प्रथम परिशिष्टि में पारिभाषिक शब्दावली एवं द्वितीय में ग्रन्थ-सूची दी गयी है । शोध ग्रन्थ में उल्लिखित सन्दर्भो को प्रत्येक अध्याय के अन्त में क्रमानुसार दिया गया है ।

सर्वप्रथम मैं अपने श्रद्धेय गुरू डॉ0 आर0 एन0 सिंह, रीडर, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चरण-स्पर्श करता हूँ, जिन्होनें न केवल अपने सुयोग्य निर्देशन में शोध-कार्य सम्पन्न करने का सुअवसर प्रदान किया वरन् विद्वतापूर्ण सुझावों द्वारा निरन्तर मार्ग दर्शन किया । मैं डॉ0 सविन्द्र सिंह, वर्तमान अध्यक्ष, भूगोल विभाग के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जिन्होनें शोध कार्य हेतु उपयुक्त वातावरण प्रदान किया तथा विभिन्न अवसरों पर महत्वपूर्ण सुझाव देकर शोध-प्रबन्ध पूरा करने में सहयोग दिया मैं डॉ0 आर0 सी0 तिवारी, डॉ0 कुम-कुम राय, डॉ0 बी0 एन0 मिश्र, डॉ0 मनोरमा सिनहा, डॉ0 एस0 एस0 ओझा एवं डॉ0 बी0 एन0 सिंह, भूगोल विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय तथा डॉ0 कात्यायनी सिंह, पत्राचार पाठ्यक्रम एवं सतत् शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ जिन्होनें शोध-कार्य के दौरान अपेक्षित सहयोग प्रोत्साहन प्रदान किया । पूज्य पिता श्री कान्ता प्रसाद सिंह एवं माता श्रीमती कमला देबी का मैं आजीवन ऋणी रहूँगा जिन्होनें वह आधार प्रदान किया जिस पर चलकर मैं शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने योग्य बन पाया हूँ ।

शोध-कार्य में विविध प्रकार के सहयोग एवं सुझाव के लिए मैं डॉ0 राम केश यादव, डॉ0 रंजना दास, कु0 पूनम श्रीवास्तव (डिप्टी एस0पी0 कानपुर), डॉ0 रमा शंकर मौर्य, श्री ओम प्रकार राय, डॉ0 राम दुलारे पाण्डेय, श्री धर्मवीर सिंह, श्री महेन्द्र विक्रम सिंह,

श्री अजय प्रकाश सिंह (फैजाबाद), एवं श्री क्षमा शंकर सिंह (जलालपुर माफी, चुनार) का बहुत आभारी हूँ । मैं डॉ0 राजमणि त्रिपाठी, शोध सहायक, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद के प्रति विशेष रूप से आभारी हूँ जिन्होंने शोध-प्रबन्ध में समाहित कुछ जटिल मानचित्रों के निर्माण में सहयोग किया । इसके अतिरिक्त मैं श्री श्याम प्यारे तिवारी (ग्राम-प्रधान - विदापुर), श्री राम लाल सिंह (ग्राम-प्रधान - जलालपुर माफी), श्री काशी प्रसाद (ग्राम-प्रधान - मिल्की), श्री लालता प्रसाद (ग्राम-प्रधान - बकियाबाद) तथा श्री श्याम सूरत सिंह एवं श्री लालसा सिंह (बकियाबाद), श्री विश्राम सिंह (विदापुर), श्री गया प्रसाद सिंह (जलालपुर माफी) के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने सन्दर्भित ग्रामों के सर्वेक्षण में पूर्ण सहयोग दिया । मैं उन सभी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों के प्रति भी आभारी हूँ, जिन्होंने आकड़ों के एकत्रीकरण तथा सम्बन्धित क्षेत्र की जानकारी प्राप्त करने में पर्याप्त मदद की । अन्त में मैं श्री राम नाथ सिंह एवं श्री गोविन्द दास को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शोध सम्बन्धी सम्पूर्ण पाण्डुलिपि के इलेक्ट्रानिक टंकण का कार्य द्रुतगति से सकुशल सम्पन्न किया ।

भूगोल विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद,
कार्तिक पूर्णिमा,
नवम्बर 29, 1993

AKsingh
(अशोक कुमार सिंह)

विषय-सूची

LIST OF MAPS AND DIAGRAMS

मानचित्रों एवं आरेखों की सूची

******

तालिका - विवरण

****

अध्याय एक

संकल्पनात्मक पृष्ठभूमि

1.1 प्रस्तावना

भू-तल की विविधता उसका एक सामान्य लक्षण है । प्रारम्भ से ही किसी प्रदेश के कुछ भाग विशेष आकषर्ण के केन्द्र रहे और कुछ भाग उपेक्षित । इसके लिए प्रकृति प्रदत्त अनुकूल एवं प्रतिकूल दशाएँ ही मुख्यत: उत्तरदायी रही हैं । किन्तु हम केवल इसी आधार पर किसी प्रदेश को विकसित या अविकसित नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें मानवीय क्रियाओं (*Human Actions*) का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है । ग्रिफिथ टेलर ने भी अपने 'रूको और जाओ निश्चयवाद' सिद्धान्त में यह विचार व्यक्त किया कि 'प्रकृति कार्य-क्रमों की रूपरेखा तैयार करती है तथा शेष सभी कुछ मनुष्य द्वारा निर्धारित होता है '।[1] वास्तव में भू-तल पर स्थानों के विकास में प्रकृति एवं मानव के सहवास की प्रक्रिया के माध्यम से हुए परिवर्तनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । अत: आज विश्व समाज जब अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित, अविकसित एवं विकासशील राष्ट्रों के रूप में विभक्त हो चुका है और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएँ इन असमानताओं को दूर करने में असफल रही हैं, पिछड़े राष्ट्रों का नियोजित विकास की ओर अग्रसर होना स्वाभाविक है । पिछड़े प्रदेशों का विकास अपेक्षित एवं न्यायपरक है, किन्तु इससे जुटे अनेक ऐसे प्रश्न हैं जिनकी तर्कसंगत एवं युक्ति-युक्त व्याख्या अपेक्षित है । इन प्रदेशों के पिछड़े होने का मापदण्ड क्या है ? और उनका निर्धारण कैसे हो ? किस सीमा तक विकास कर लेने के उपरान्त ये देश अथवा प्रदेश विकसित प्रदेशों के श्रेणी में आ सकेंगे ? और साथ ही इनके विकास की प्रक्रिया क्या हो ? नियोजन एवं विकास-नियोजन के अर्थ क्या हैं ? इत्यादि ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं, जिन्हें इस परिप्रेक्ष्य में समझना आवश्यक प्रतीत होता है और यही प्रस्तुत अध्याय का मूल उद्देश्य है ।

1.2 विकास - एक भौगोलिक दृष्टिकोण

यद्यपि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु जीव-जन्तु तथा मानव विकासशील हैं तथापि मानव में अधिक सक्रियता का गुण होने के कारण वह ही अध्ययन का विशेष केन्द्र-बिन्दु बनता है ।[2] मानव अध्ययन के अनेकानेक पहलू हैं , किन्तु उसकी सभी क्रियाओं में आर्थिक क्रिया-कलाप सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इसी के आधार पर उसके सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनैतिक

सम्बन्ध भी निर्धारित होते हैं ।

वास्तव में विकास की उक्त धारणा उसके प्रारम्भिक स्वरूप को ही अभिव्यक्त करती है । प्रारम्भ में विकास का अभिप्राय आर्थिक विकास अथवा मात्रात्मक सम्वृद्धि से था । इस भौतिकवादी दृष्टिकोण के अन्तर्गत् विकास का तात्पर्य अधिक उत्पादन एवं अधिक आय से है । इसमें राष्ट्रीय आय या प्रतिव्यक्ति आय में निरन्तर वृद्धि को प्रदर्शित किया जाता है । इस सन्दर्भ में चार्ल्स पी0 किन्डल बर्गर और ब्रूस हेरिक का यह कथन महत्वपूर्ण है कि आर्थिक विकास से अभिप्राय लोगों के भौतिक कल्याण में सुधार से है ।[3] इस प्रकार विकास की अवधारणा प्रारम्भ में बहुत संकुचित थी ।

किन्तु वर्तमान में विकास एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें समग्र विकास की भावना अन्तर्निहित है । इसके अन्तर्गत न केवल आर्थिक विकास अपितु सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनैतिक 'सुधार एवं सम्वृद्धि आदि भी समाहित हैं । संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट (प्रतिवेदन) के अनुसार, 'विकास मानव की केवल भौतिक आवश्यकताओं से ही नहीं वरन् उसके जीवन की सामाजिक दशाओं की उन्नति से भी सम्बन्धित होता है। विकास का आशय केवल आर्थिक अभिवृद्धि ही नहीं है, बल्कि इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक, संस्थागत तथा आर्थिक परिवर्तन भी शामिल हैं ।'

विकास एक गत्यात्मक संकल्पना है जिसमें समय के सन्दर्भ में निरन्तर संशोधन अपेक्षित है । इसमें हम निश्चित रूप से यह नहीं कह सकते कि इस स्तर तक विकास हो जाने के बाद विकास-कार्य पूर्ण हो जायेगा, वरन यह सतत् चलने वाली प्रक्रिया है । इतिहास इस बात का साक्षी है कि मानव सभ्यता के प्रारम्भ से आज तक मानव विकास की प्रक्रिया निरन्तर जारी है और भविष्य में भी चलती रहेगी । विकास के अन्तर्गत केवल मात्रात्मक अभिवृद्धि का ही आंकलन नहीं किया जाता बल्कि इसमें विचारात्मक, भावनात्माक एवं संस्कारात्मक गुणात्मकता में अभिवृद्धि भी शामिल है । इस प्रकार इसमें समग्र के विकास की भावना निहित है । यह निश्चित है कि मानव के सभी क्रिया कलापों में उसका आर्थिक कार्य महत्वपूर्ण है किन्तु उसके सामाजिक एवं सांस्कृतिक पक्षों की अवहेलना नहीं की जा

सकती । व्यवहार में ऐसा देखा गया है कि एक सुसंस्कृत सामान्य परिवार का रहन - सहन अपेक्षाकृत आर्थिक दृष्टि से उच्च किन्तु अशिक्षित परिवार की अपेक्षा सुव्यवस्थित होता है । अतः इस आधार पर उक्त सुसंस्कृत परिवार, दूसरे परिवार की अपेक्षा विकसित माना जायेगा । निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि विकास एक बहुविमिय दृष्टि है जिसमें स्थान एवं समय दोनों ही सन्दर्भों में मानव से सम्बन्धित उसके सभी पक्षों का विकास समाहित है ।

1.3 विकास की प्रक्रिया एवं निर्धारक तत्व

किसी भी प्रदेश अथवा क्षेत्र में सामाजिक या आर्थिक विकास की दर एवं उसका स्थानिक वितरण सदैव ही असमान रहा है । यह असमानता समय एवं दूरी दोनों ही सन्दर्भो में परिलक्षित होती है । विकास की प्रवृत्ति हमेशा केन्द्रीकरण की ओर उन्मुख होती है । कुछ प्रदेश चाहे बड़े हों अथवा छोटे अन्य की तुलना में अधिक विकसित या अविकसित होते हैं । इस प्रकार मानवीय क्रियाओं के स्थानिक वितरण में दो विरोधी शक्तियां परिलक्षित होती हैं - केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति एवं प्रसरण की प्रवृत्ति । 'केन्द्रीकरण' जहाँ दो या दो से अधिक- विकसित केन्द्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र को जन्म देता है, वहीं प्रसरण की प्रक्रिया विकास की शक्तियों को उन संक्रमण क्षेत्रों तक ले जाने में सहायक होती है । इस प्रकार इनकी अन्तः क्रियाओं के फलस्वरूप दो प्रकार के क्षेत्रीय प्रतिरूप जन्म लेते हैं । यदि प्रसरण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत कमजोर है तो अधिकांश विकास केन्द्रित अथवा केन्द्रीकरण के रूप में उभरता है और यदि प्रसार की प्रक्रिया अपेक्षाकृत बलवती होती है तो विकास विकेन्द्रित केन्द्रीकरण को जन्म देता है । इन दोनों ही दशाओं में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति सदैव वर्तमान एवं सक्रिय रहती है, किन्तु विकेन्द्रित केन्द्रीकरण में विकास केन्द्र अपेक्षाकृत अधिक होते हैं और संक्रमण क्षेत्र के संक्रमित होते रहने की पर्याप्त संभावना रहती है । अतः जहाँ प्रसरण की प्रक्रिया अधिक शक्तिशाली होती है, वहाँ गतिशीलता अधिक होती है और छोटे विकास केन्द्र अपेक्षाकृत् बड़े होने लगते हैं । इस प्रकार संक्रमण क्षेत्र को भी विकसित होने का सुअवसर प्राप्त हो जाता है ।

इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि किसी भी प्रदेश के सामाजिक

एवं आर्थिक विकास के लिए कुछ चुने हुए केन्द्रों पर विकास पहली शर्त है । अतः प्रादेशिक नियोजन से कभी भी समान केन्द्रों के निर्माण का आशय नहीं लिया जाता । उद्देश्य होता है विकास के केन्द्रीकरण को संभव सीमा तक विकेन्द्रित करना, जिससे अधिक केन्द्रों का जन्म हो सके और जहाँ से विकास रिस-रिस (*Trickle Down*) कर पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर सके ।

विकास-प्रक्रिया की उपर्युक्त अवधारणा प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पेराक्स[4] के 'विकास ध्रुव सिद्धान्त' पर आधारित है । पेराक्स ने सम्पूर्ण 'इकनामिक स्पेस' पर विभिन्न प्रकार के विकास को प्रसरित (*Diffuse*) कराने का प्रयास किया है, उन्होंने कहीं भी भौगोलिक स्पेस' के विचार को स्पष्ट नहीं किया । इस सिद्धान्त को 'भौगोलिक स्पेस' के आयाम में रखकर उसकी उपयोगिता की जाँच सर्वप्रथम 1961 ई० में फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता बाउडविले[5] ने की । इन्होंने विकास-केन्द्रों को उन बस्ती केन्द्रों के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया जिसमें प्रत्येक केन्द्र अपने से छोटे केन्द्रों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और उसे प्रभावित करता है । इस प्रक्रिया में अन्ततः सबसे छोटे केन्द्र बड़े केन्द्रों से लाभ उठाते हैं और सम्पूर्ण प्रदेश विकास से प्रभावित होने लगता है । बाउडविले ने इस सिद्धान्त को दूसरे सिद्धान्तों से जोड़कर यह बतलाने का प्रयास किया है कि विकास ध्रुव सिद्धान्त अपने से पूर्व प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है । यह क्रिस्ट्रालर[6] के केन्द्र-स्थल सिद्धान्त द्वारा प्रतिपादित केन्द्रों के पद-सोपान को आत्मसात् कर उसके माध्यम से ही आगे बढ़ता है । साथ ही, यह हैगर स्ट्रैण्ड[7] के नवीनताओं के 'प्रसारण सिद्धान्त' एवं हर्षमैन के 'आर्थिक विकास संचरण सिद्धान्त' की मदद लेता है, जो केन्द्रों से किसी भी प्रकार की नवीनता या विकास के संक्रमण क्षेत्रों की ओर बढ़ते जाने की व्याख्या करता है ।

प्राकृतिक संसाधन, प्राविधिकी और संस्थागत कारक विकास के तीन प्रधान चालक हैं । जेकब वाइनर[8] के अनुसार, 'आर्थिक विकास बहुत कुछ इसी बात पर निर्भर करता है कि भौतिक पर्यावरण उत्पादन की दृष्टि से क्या है ? प्रतिकूल भौतिक पर्यावरण विकास में एक प्रमुख बाधा बन सकता है तथा अनुकूल पर्यावरण विकास में सहायक हो सकता है। सर्वप्रथम गंगा घाटी में मानव सभ्यता का विकास वहाँ भूमि एवं जल संसाधन की सुलभता

के कारण हुआ । महाराष्ट्र में कपास के विस्तृत खेती का विकास वहाँ विस्तृत ज्वालामुखी उद्भेदन से निकले उपजाऊ काली मिट्टी के फलस्वरूप । इसके विपरीत कलकत्ता में सूती वस्त्र उद्योग का प्रथम प्रयास कपास उत्पादक भूमि संसाधन के निकटवर्ती क्षेत्रों में अभाव के कारण असफल रहा ।

जिम्मरमैन एवं मिचेल[9] के अनुसार मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है । क्योंकि वातावरण के तत्व विभिन्न मानवीय विशेषताओं - विविध ज्ञान, सामाजिक राजनैतिक संगठन आदि के चलते ही संसाधन हो पाते हैं । मानवीय ज्ञान एवं क्षमता की सीमा यही है कि वह स्वयं तत्व या ऊर्जा का सृजन नहीं कर सकती । वास्तव में वातावरण में बहुत सी वस्तुएँ अवस्थित है किन्तु वे सभी मनुष्य के लिए संसाधन नहीं हैं । व्यक्ति जब इनमें से किसी वस्तु का प्रयोग अपने हित में करने लगता है तो यह उसके लिए संसाधन बन जाती है, इसीलिए कहा गया है कि संसाधन होते नहीं वरन् बनते हैं । संसाधनों का विस्तार पूर्णतया मानव ज्ञान तथा प्राविधिकी पर निर्भर है। प्राविधिकी के विकास ने दुर्लभ से दुर्लभ संसाधनों का सृजन किया है । परमाणविक शक्ति इसका ज्वलन्त प्रमाण है । आधुनिक समाज में ऐसा देखा जा रहा है कि जिस देश के पास प्राविधिकी का विकास जितना ही अधिक हुआ है वह उतना ही विकसित देश है । संयुक्त राज्य अमरीका, जापान इसके ज्वलंत उदाहरण हैं । निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है किसी प्रदेश के विकास के लिए संसाधन आवश्यक है और संसाधन के लिए प्राविधिकी । अतः इस रूप में प्राविधिकी विकास का नियन्त्रक है ।

विकास की दृष्टि से संस्थागत कारकों का महत्व भी कम नहीं है । कभी-कभी तो पिछड़े प्रदेश जब तक अपनी संस्थागत ढाँचे में परिवर्तन नहीं करते तब तक उनके लिए विकास की दिशा में बहुत आगे बढ़ना संभव नहीं हो पाता । उदाहरणस्वरूप सांस्कृतिक विकास के लिए साक्षरता आवश्यक है, और साक्षरता के लिए विद्यालयों की अपेक्षित संख्या एवं उसमें गुणात्मक सुधार । इसी प्रकार आर्थिक विकास हेतु आवश्यक पूँजी निवेश के लिए वित्त/ऋण की आवश्यकता पड़ती है और यह सरल एवं सस्ता ऋण प्रदान करने वाले बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं के प्रादेशिक वितरण पर निर्भर करता है ।

1.4 प्रादेशिक विकास एवं नियोजन

प्रादेशिक विकास की संकल्पना नियोजन के क्षेत्र में बहुत प्राचीन नहीं है वरन् बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में इसका विकास हुआ है ।[10] प्रादेशिक विकास की अवधारणा किसी भी प्रदेश अथवा क्षेत्र का समग्र विकास करने के उद्देश्य की पूर्ति करती है । यदि किसी क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना है तो प्रादेशिक विकास अवधारणा के अनुसार उस क्षेत्र में प्रत्येक आवश्यक आवश्यकता पर ही व्यय करने की नीति निर्धारित होनी चाहिए ताकि अपेक्षित उपलब्धियाँ प्राप्त की जा सकें । दूसरे किसी क्षेत्र अथवा प्रदेश का विकास वहां पर पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों की किस्म, मात्रा एवं वितरण-प्रतिरूप के अनुकूल होना चाहिए ।

प्रादेशिक विकास की अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य प्रदेशों के विकास हेतु कुछ तथ्यों का प्रकरणात्मक समाकलन (*Integration*) करना है ।[11] यह समाकलन दो प्रकार का होता है - कर्मोपलक्षी (*Functional*) एवं स्थानिक (*Spatial*) । कर्मोपलक्षी समाकलन से तात्पर्य है कि प्रदेश के समुचित विकास हेतु उनकी आवश्यकताओं की सूची के आधार पर वहां की सामाजिक एवं आर्थिक सुविधाओं का प्रसार करके उनमें समन्वय स्थापित किया जाय । अतः कर्मोपलक्षी समाकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न कार्यों एवं सुविधाओं की स्थापना इस प्रकार की जाती है कि वे एक दूसरे के सम्पूरक - (*Complimentary*) बनकर क्षेत्र के विकास में सार्थक योगदान प्रस्तुत कर सकें । किसी प्रदेश में मानव अधिवासों का आकार व कार्यों के आधार पर वितरण तथा उनके वितरण तथा उनके वितरण प्रतिरूप आदि का निर्धारण करना तत्पश्चात् आवश्यकतानुसार नयी सुविधाओं, सेवाओं की स्थापना के लिए नवीन अवस्थितियों का निर्धारण करना ही स्थानिक समाकलन कहलाता है ।

'नियोजन' प्रादेशिक विकास की एक प्रविधि अथवा साधन है जो मानवीय हस्तक्षेप के द्वारा संभव होता है । सामान्यतः नियोजन से तात्पर्य एक विशिष्ट समयावधि में आवश्यकता के अनुरूप संसाधनों के समुचित वितरण एवं दोहन से है । हिलहोर्स्ट [12] के अनुसार,' नियोजन निर्णय प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी क्षेत्र विशेष में व्याप्त अनेक क्रियाओं

के मध्य आदर्श समन्वय स्थापित करना है ।' वस्तुतः नियोजन विकास की एक तकनीक है जिसे वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश अपने सामाजिक, आर्थिक विकास के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं । इसका उद्देश्य भौतिक एवं आर्थिक दोनों संसाधनों को सामान्य ढाँचे में लाकर किसी नीति का निर्धारण इस रूप में करना है कि इसे सरलतापूर्वक कार्यरूप में परिणित किया जा सके । आर० एन० सिंह[13] एवं अवधेश कुमार के मतानुसार, 'नियोजन से तात्पर्य किसी कार्य को सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु सुव्यवस्थित पद्धति के निर्माण करने की प्रक्रिया से है । फ्रीडमैन [14] ने नियोजन की परिभाषा करते हुए लिखा है कि, 'यह सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं पर विचार करने का भविष्य पर आधारित एक मार्ग है, जिसमें समस्याओं के सामूहिक निर्णय के उद्देश्यों को नीतिगत कार्य-क्रमों द्वारा प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ।' वास्तव में नियोजन विज्ञान तथा व्यवहारिक समस्याओं के बीच की दूरी कम करने का एक व्यवस्थित उपाय है ।[15] निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि नियोजन के अन्तर्गत किसी प्रदेश अथवा समाज में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर उसकी समीक्षा की जाती है, तदुपरान्त इन समस्याओं के समाधान-हेतु प्राथमिकताओं, प्रविधिओं और नीतियों का परीक्षण कर समन्वित निर्णय लिया जाता है, जिसके क्रियान्वयन से उस प्रदेश एवं समाज का विकास संभव हो सके ।

प्रादेशिक नियोजन की विचारधारा प्रादेशिक भिन्नताओं तथा उनके सन्तुलित विकास की आवश्यकताओं की देन है । प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक भिन्नताओं के आधार पर किसी प्रदेश विशेष की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विकासात्मक योजना का ढाँचा (*Fram-Work*) प्रस्तुत करता है । किसी प्रदेश में उपलब्ध स्थान और संसाधनों का उपयोग किस प्रकार किया जाय कि सम्पूर्ण प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो सके ? यह तथ्य ही प्रादेशिक नियोजन का मूलाधार है । लेविस मम्फोर्ड के अनुसार, 'प्रादेशिक नियोजन उन समस्त क्रिया-कलापों का चेतन, निर्देशन तथा सामूहिक समाकलन है जो पृथ्वी के स्थान संसाधन तथा संरचना के उपयोग पर आधारित है ।[16] पी० सेन गुप्ता ने प्रादेशिक नियोजन का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, ' प्रदेश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों के पूर्णरूप से विकास करने के लिए यह एक सुनियोजित प्रयास है ।'[17] अतः स्पष्ट है कि 'प्रादेशिक नियोजन'

का उद्देश्य प्रदेश में सभी लोगों के लिए मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग, संरक्षण और विकास करना है । प्रादेशिक विकास वह युक्ति है जिसमें क्षेत्रीय संसाधनों की क्षमता एवं क्षेत्र की आवश्यकताओं का आकलन करते हुए तथा विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक कारकों के सभी उपलब्ध स्वरूपों के वितरण प्रतिरूप का निर्धारण करके क्षेत्र में विकास की ऐसी योजना प्रस्तुत करना है, जिससे क्षेत्रों के मध्य वितरण विषमता की दशा समाप्त हो जाय और परिणाम स्वरूप प्रत्येक क्षेत्र अपने में एक स्वतन्त्र इकाई के रूप में भी बना रहे । प्रादेशिक विकास के अन्तर्गत किसी प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र तथा मानव से सम्बन्धित सभी पक्षों के विकास की भावना अन्तर्निहित है । नियोजन एक साधन है जिसके माध्यम से उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है ।

1.5 नियोजन के स्तर

विकास के प्रारम्भ में नियोजन प्रायः एक स्तरीय ही था । किन्तु जब विकास का बहुविमीय (*MultiDiementional*) स्वरूप मुखरित होने लगा, तब किसी राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए बहुल स्तरीय नियोजन की संकल्पना का जन्म हुआ। एकल नियोजन (*Central Planning*) में सम्पूर्ण प्रदेश के एक साथ विकास की अवधारणा अन्तर्निहित होती है जिसमें विकास किरणों केन्द्र से प्रस्फुटित होकर सीमान्त की ओर उन्मुख होती हैं । नियोजन की इस प्रक्रिया में विकास की गति अपेक्षाकृत मन्द तथा दीर्घकालिक होती है, क्योंकि विकास किरणों के अपेक्षाकृत दूर से आने के कारण उनकी तीव्रता में निरन्तर ह्रास होता जाता है । भारत की पंचवर्षीय योजनाएँ एकल या केन्द्रीय नियोजन का ही उदाहरण हैं । बहुल स्तरीय नियोजन किसी प्रदेश के एकल नियोजन का ही विस्तृत रूप हैं, किन्तु इनमें लघु स्तर के क्षेत्रीय नियोजन का निर्माण किया जाता है और इनके माध्यम से उक्त प्रदेश के विकास की योजना प्रस्तुत की जाती है । आर0 पी0 मिश्र[19] ने राष्ट्र के एकल (केन्द्रीय) स्तरीय नियोजन के अतिरिक्त कुछ स्थानिक स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक नियोजनों के निर्माण को 'बहुस्तरीय नियोजन' कहा है । बहुस्तरीय नियोजन में 'उच्च स्तरीय प्रादेशिक नियोजन', निम्न स्तरीय नियोजन के लिए आधार प्रस्तुत करता है । सारतः बहुल स्तरीय नियोजन में नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण होता है । इसमें विकास की गति तीव्र तथा द्रुतगामी होती है ।

वर्तमान में सामाजिक एवं आर्थिक विषमता पाये जाने के कारण विश्व के सभी राष्ट्रों के लिए एक समान प्रादेशिक योजना नहीं प्रस्तुत की जा सकती । अतः सामान्य रूप से एक राष्ट्र के प्रादेशिक योजनाओं के स्तरों में दूसरे राष्ट्र के नियोजन स्तरों की अपेक्षा भिन्नता पायी जाती है । तथापि प्रत्येक राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक विकास की प्रादेशिक योजनाओं को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य नियोजन स्तरों की कल्पना की जा सकती है । अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर नियोजन के निम्नलिखित तीन स्तर सामान्यतः सभी देशों में प्रचलित हैं - वृहद स्तर (Macro Level), मध्यम स्तर (Meso - Level) एवं सूक्ष्म स्तर (Micro - Level) । इसे राष्ट्रीय स्तर, प्रादेशिक स्तर तथा स्थानिक स्तर के रूप में भी समझा जा सकता है ।

राष्ट्रीय (केन्द्रीय) स्तर की योजनाओं का निर्माण कोई राष्ट्र अपने आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास हेतु करता है । कभी - कभी किन्हीं राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में उनके हितैषी दो-चार राष्ट्रों का भी योगदान रहता है । प्रादेशिक योजनाओं का निर्माण विकास के बहुआयामी स्वरूप के तहत राष्ट्र के भिन्न-भिन्न प्रदशों के विकास हेतु किया जाता है किन्तु प्रादेशिक योजनाएँ राष्ट्रीय योजनाओं के ही अंग होना चाहिए स्थानिक योजनाएँ प्रदेश के उन क्षेत्रों की योजनाएँ होती हैं जो अपने लघु क्षेत्रीय विकास के लिए ही निर्मित की जाती हैं , ये क्षेत्रीय योजनाएँ प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय योजनाओं की नीति का ही पालन करती हैं तथा उससे सम्बद्ध होती हैं ।

भारतीय नियोजन के सन्दर्भ में निम्नलिखित पाँच सापेक्षिक स्तर महत्वपूर्ण हैं -

(1) केन्दीय स्तर (राष्ट्रीय स्तर)

(2) प्रादेशिक स्तर (राज्य स्तर)

(3) क्षेत्रीय स्तर (जिला स्तर)

(4) स्थानीय स्तर (तहसील/विकास खण्ड स्तर)

(5) आधार स्तर (ग्राम स्तर)

स्मरणीय है कि राष्ट्रीय स्तर के नियोजन में विकास प्रक्रिया केन्द्र से प्रारम्भ होकर ग्राम (*Top to Bottom*) तक पहुँचती है, परिणाम स्वरूप गाँवों तक विकास किरणों के पहुँचने में उसकी तीव्रता में कमी आ जाने के कारण गाँवों का विकास सीमित ही हो पाता है । इसके विपरीत आधार स्तर के नियोजन में विकास प्रक्रिया गाँवों से होकर गाँवों से होकर केन्द्र की ओर (*Bottom to Top*) उन्मुख होती है । इस प्रकार के नियोजन से गाँवों का विकास तीव्र एवं द्रुतगामी होता है । किन्तु भारत जैसे विशाल देश में ग्राम स्तर पर नियोजन बड़ा दुष्कर कार्य है । अतः यहाँ क्षेत्रीय एवं स्थानीय नियोजन आदर्शपरक हो सकती है ।

1.6 भारत में आयोजन के चार दशक

विश्व में (पूर्व) सोवियत संघ ही वह प्रथम राष्ट्र था, जिसने योजनाबद्ध ढंग से विकास करने का प्रयास किया । इससे प्रभावित होकर एम0 विशेश्वरैया ने सर्वप्रथम भारत के लिए योजनाबद्ध विकास के तरीके का सुझाव दिया और तत्सम्बन्धित मूल संकल्पनाओं को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'प्लान्ड इकनामि फॉर इंडिया' के माध्यम से प्रस्तुत किया । वर्ष 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय नियोजन समिति' का गठन किया गया और आगे चलकर 1944 में दलाल के संरक्षण में 'नियोजन और विकास विभाग' का सूत्रपात हुआ । 1946 के अन्तरिम सरकार के अधीन 'नियोजन सलाहकार परिषद' का गठन किया गया तथा 1947 में नेहरू की अध्यक्षता में नियोजन के लिए आर्थिक कार्य-क्रम समिति की नियुक्ति की गयी । अन्ततः स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद देश की जर्जरित सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 1950 में नेहरू की अध्यक्षता में 'योजना आयोग' का गठन किया गया फलतः 1 अप्रैल, 1951 से भारत में नियोजन का शुभारम्भ हो गया ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1951 से 31 मार्च, 1956) का मुख्य उद्देश्य कृषि को प्राथमिकता देना तथा अर्थव्यवस्था में सुधार लाना था । इस योजनावधि में आशा के अनुरूप सफलता प्राप्तु हुई । फलतः 1 अप्रैल, 1956 से औद्योगिक विकास को प्राथमिकता देने वाली द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू की गयी । इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण भारत का पुनर्निमाण करना, औद्योगिक प्रगति की आधारशिलाएँ रखना तथा अल्प-सुविधा प्राप्त

वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम सीमा तक सुअवसरों को प्राप्त कराना था इस योजना का विशाल उद्देश्य कल्याणकारी राज्य में 'समाज के समाजवादी ढाँचे' की स्थापना करना था । यह योजना अपने उद्देश्यों में महत्वाकांक्षी एवं परिव्ययों में साहसिक थी । किन्तु उक्त योजना पूर्णतः सफल नहीं हो सकी, क्योंकि इस काल में अर्थव्यवस्था कठिनाइयों के दौर से गुजरी । इस योजना की मुख्य कठिनाई कीमतों में वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा की कमी थी। देश भर में खाद्यान्नों की कीमतों में वृद्धि हुई । इस अवधि में विश्व में फैली हुई स्फीतिकारी प्रवृत्तियों ने विकास परियोजनाओं के लिए आवश्यक मशीनों तथा अन्य सामानों की कीमतों को बढ़ा दिया । फिर भी औद्योगिक विकास के लक्ष्य में सन्तोषजनक सफलता मिली । यह योजना 31 मार्च, 1961 को समाप्त हो गयी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1961 - 31 मार्च, 1966) में इस बात पर बल दिया गया कि द्वितीय योजना के अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ही साथ जहाँ तक संभव हो सके, कृषि उत्पादन का विस्तार किया जाय और कृषि पर से जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास किया जाय । युद्ध एवं अकाल की स्थिति के कारण तृतीय योजना के अधिकांश उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी । योजना आयोग के अनुसार, 'वित्तीय दृष्टिकोण से तो योजना के उद्देश्य पूरे हो गये किन्तु उत्पादन तथा क्षमता के सम्बन्ध में कई मौलिक लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके ।'

विषम परिस्थितियों (युद्ध एवं अकाल) के कारण तृतीय योजना के उपरान्त पंचवर्षीय योजनाओं की कड़ी बाधित हो गयी । अतः 1 अप्रैल, 1966 से 31 मार्च, 1967 तक, 1 अप्रैल, 1967 से 31 मार्च, 1968 तक, तथा 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक तीन अलग-अलग एक वर्षीय तदर्थ योजनाएँ क्रियान्वित की गयीं ।

अर्थव्यवस्था में कुछ स्थायित्व एवं विषम परिस्थितियों में सुधार आने पर 1 अप्रैल, 1969 को 'आत्मनिर्भरता तथा स्थायित्व के साथ विकास' के लक्ष्य को लेकर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना लागू की गयी । योजना आयोग के प्रलेख के अनुसार इस योजना का मूल उद्देश्य था आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय एवं आर्थिक प्रजातंत्रवाद की स्थापना । 31 मार्च

1974 को निर्धारित समय पर यह योजना सन्तोषजनक रूप से समाप्त हो गयी । इस योजना में आयात परिसीमन व खाद्यान्नों के आयात को कम करने तथा निर्यात प्रोत्साहन की नीति के परिणामस्वरूप वर्ष 1972-73 में पहली बार देश का व्यापार सन्तुलन अनुकूल हुआ ।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1974 से 31 मार्च 1979) का प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में आत्म निर्भरता प्राप्त करना रखा गया इस योजना के लक्ष्यों का विस्तार अधिक होने के कारण इसके उद्देश्यों की प्राप्ति सामान्य बात नहीं थी । अभी तक इस योजना की ठोस प्रगति का प्रमाण नहीं मिल पाया है । हाँ, इस योजना में निर्यात प्रोत्साहन नीति के कारण वर्ष 1976-77 में दूसरी बार व्यापार सन्तुलन अनुकूल रहा । यह योजना केन्द्रीय सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन के कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और एक वर्ष पूर्व ही (मार्च 31, 1978) समाप्त कर दी गयी ।

जनता सरकार ने 1 अप्रैल, 1978 से 31 मार्च, 1980 तक दो एक वर्षीय योजनाओं (Rolling Plans) का क्रियान्वयन किया । इस दौरान पुनः सत्ता परिवर्तन हुआ, परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 1980 को छठी योजना लागू की गयी । इसका उद्देश्य क्षेत्रीय योजनाओं द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास था । यह योजना सन्तोषजनक रूप से 31 मार्च, 1985 को समाप्त हो गयी ।

सातवीं योजना 1 अप्रैल, 1985 से प्रारम्भ हुई । इसमें ऊर्जा को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी । सातवीं योजना की रणनीति-निर्धनता, बेरोजगारी और असमानता पर प्रहार करना था । यह योजना 31 मार्च, 1990 को समाप्त हो गयी । सातवीं योजना की समाप्ति के बाद एक बार फिर सरकार के नेतृत्व में परिवर्तन के कारण आठवीं योजना समय से कार्यान्वित नहीं की जा सकी । दो वर्ष विलम्ब से आठवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल, 1992 -31 मार्च 1997) प्रारम्भ हो गयी है, जिसका प्रमुख लक्ष्य इस शताब्दी के अन्त तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करना है ।

1.7 पिछड़ा प्रदेश : स्वरूप एवं निर्धारण

पिछड़े प्रदेश का स्वरूप क्या है ? ज्ञात करना बड़ा दुष्कर है । एक तो यह निकटवर्ती प्रदेशों की तुलना में पिछड़ा हो सकता है, दूसरे वर्तमान समाज के सामान्य जीवन स्तर की तुलना में । वर्तमान में कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने सम्पूर्ण विश्व को विकसित , विकासशील एवं अविकसित तीन प्रकार के प्रदेशों में विभक्त करने हेतु कुछ मापदण्ड निर्धारित किये हैं इसी आधार पर भारत के सन्दर्भ में योजना आयोग ने पिछड़े प्रदेशों के निर्धारण हेतु कुछ मापदण्ड अपना रखा है । सामान्यतः पिछड़े प्रदेश से किसी प्रदेश की उस दशा का बोध होता है, जिसमें समाज का एक भाग अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाता है । प्रदेश के पिछड़ेपन की तीव्रता का अनुमान ऐसे लोगों, जिनकी न्यूनतम आवश्यकताएँ भी पूरी नहीं हो पातीं - की संख्या पर निर्भर करता है । ऐसी दशा प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि एवं उद्योग धन्धों के पिछड़ेपन तथा सामाजिक संस्थाओं के अभाव तथा दुर्व्यवस्था के कारण होती है । यह पिछड़ापन भौतिक एवं सांस्कृतिक संसाधनों के अविकसित तथा पिछड़े होने का परिणाम भी कहा जा सकता है । अतः इस रूप में कोई प्रदेश भौतिक, सांस्कृतिक अथवा भौतिक - सांस्कृतिक रूप से पिछड़ा हो सकता है ।

भौतिक रूप से पिछड़े प्रदेशों से तात्पर्य ऐसे प्रदेशों से है, जहाँ उच्चावच, संरचना विषम होने के कारण कृषि की दृष्टि से भूमि अनुपयुक्त होता है, जलवायु मानव स्वास्थ्य और व्यवसाय की दशाओं के प्रतिकूल होती है तथा जल, वन एवं खनिज संसाधन का सर्वथा अभाव होता है । सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेश से अभिप्राय उन प्रदेशों से है जहाँ भौतिक दशाएँ तो अनुकूल होती हैं, किन्तु मानवीय संसाधन एवं उनके प्रबन्धन के अभाव के कारण ये प्रदेश पिछड़े होते हैं । इन प्रदेशों का विकास अपेक्षाकृत दीर्घकाल में मानवीय प्रयास से संभव हो पाता है । भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से पिछड़े प्रदेशों के अन्तर्गत उन क्षेत्रों को समाहित किया जाता है, जहाँ भौतिक एवं मानवीय दोनों संसाधनों का अभाव है और उनका विकास अपेक्षाकृत कठिन है, यथा - जनजातीय प्रदेश ।

किसी पिछड़े प्रदेश का सही निर्धारण वहाँ की भौतिक तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों के आधार पर ही संभव है । सामान्यतः आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारकों प्राकृतिक कारकों

के ही परिणाम होते हैं । प्रति व्यक्ति निम्न आय, प्रति व्यक्ति कम उत्पादन, कृषि पर अधिक निर्भरता, औद्योगिक/प्रौद्योगिक पिछड़ापन, उपभोग की अधिकतम दर, बचत की कमी, पूँजी का अभाव, जनसंख्या का अत्यधिक दबाव, बेरोजगारी किसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था के निर्धारक कारक माने जाते हैं ।

किसी भी प्रदेश के उसके वातावरणीय दशाओं में सभी क्रियाओं के विकसित होने की एक निश्चित संभाव्यता होती है । किन्तु पहले तो किसी कार्य की निश्चित संभाव्यता आकलन का कोई ठोस आधार नहीं है । दूसरे यदि संभाव्यता का आकलन कर भी लिया जाय तो फिर कुल संभाव्यता के कितने प्रतिशत विकसित किये जाने को पिछड़ेपन का आधार माना जाय ? निश्चित नहीं है । सामान्यतः किसी कार्य की 50 प्रतिशत से कम विकसित होने पर पिछड़ा, 50 से 75 प्रतिशत तक विकासशील तथा 75 प्रतिशत से अधिक विकसित होने पर विकसित प्रदेश की संज्ञा दे दी जाती है ।

सामान्यतया किसी प्रदेश के पिछड़ेपन का निर्धारण निम्नलिखित तथ्यों से सन्दर्भित रहा है[20]:-

(1) प्रति व्यक्ति आय

(2) कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का अनुपात

(3) कृषि-योग्य भूमि एवं जनसंख्या का अनुपात

(4)कृषि में संलग्न जनसंख्या का प्रतिशत

(5) ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या अनुपात

(6) परिवहन, संचार तथा अन्य सुविधाओं की उपलब्धता

(7) जल, विद्युत एवं अन्य सुविधाएँ

(8) साक्षरता का स्तर तथा स्वास्थ्य सुविधाएँ

अध्ययन प्रदेश (चुनार तहसील) प्राकृतिक संरचना एवं उच्चावच की दृष्टि से बड़ा विषम है । तहसील की सम्पूर्ण क्षेत्रफल का मात्र 36.68 प्रतिशत भाग ही समतल मैदान है । शेष 63.32 प्रतिशत भाग पठार एवं पहाड़ी के रूप में हैं। परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का सर्वथा अभाव है । वर्ष 1988-89 के आकड़ों के अनुसार यहाँ कुल क्षेत्रफल का केवल 60.28 प्रतिशत ही कृषि योग्य भूमि है और 53.28 प्रतिशत भाग पर शुद्ध कृषि की जाती है । तहसील में औसत जोत आकार 1.11 हेक्टेअर प्रति व्यक्ति है और इसमें भी उत्तरी मैदान में जोत आकार का औसत एक हेक्टेअर से भी कम है । प्रदेश की जनसंख्या का 91.16 प्रतिशत भाग किसी न किसी रूप में कृषि कार्यो में ही संलग्न है ।

वर्ष 1991 की प्रारम्भिक जनगणनानुसार, अध्ययन प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व 471 व्यक्ति/किमी है जो उच्चतर ही कहा जा सकता है । प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर 1981 के आधार पर 1991 में 2.54 प्रतिशत वार्षिक है । वर्ष 1991 के प्रारम्भिक आकड़ों के अनुसार तहसील की कुल जनसंख्या 5,28,448 है, जो प्रदेश पर जनसंख्या के अधिक दबाव का प्रतीक है । प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत क्रमशः 18.99 एवं 0.04 है । तहसील में नगरीय जनसंख्या अत्यल्प मात्र 8.85 प्रतिशत है । प्रदेश में कुल 35.78 प्रतिशत लोग ही शिक्षित है, जिसमें पुरूष तथा महिलाओं की शिक्षा का अनुपात क्रमशः 47.51 तथा 22.61 प्रतिशत ही है । प्रदेश में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात मात्र 33.52 प्रतिशत ही है ।

औद्योगिक दृष्टिकोण से प्रदेश अभी शैशवावस्था में है । एक सीमेन्ट कारखाने के अतिरिक्त अन्य सभी उद्योग गृह उद्योग के रूप में ही विद्यमान हैं । वर्ष 1990 के आकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 6.7 प्रतिशत लोग ही गृह उद्योगों में कार्यरत हैं । चुनार तहसील में परिवहन एवं संचार व्यवस्था का भी समुचित विकास नहीं हो पाया है । प्रदेश के दक्षिणी एवं दक्षिणी-पश्चिमी भागों में जहाँ सड़कों का अभाव है वहीं पूर्वी भाग में रेलमार्गो का । प्रदेश में सड़कों का औसत घनत्व केवल 31.80/100 किमी^{2} तथा रेलमार्गो का औसत घनत्व 4.73/100 किमी^{2} । तहसील में

संचार व्यवस्था का नितान्त अभाव है । अतः यहाँ लोगों को सूचना एवं सम्प्रेषण हेतु लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है । उत्तरी भाग में लगभग 5 किमी चलने पर संचार की सुविधा प्राप्त भी हो जाती है किन्तु दक्षिणी भाग में काफी दूर-दूर तक इसकी कहीं कोई सुविधा सुलभ नहीं है । जल तथा विद्युत व्यवस्था की दृष्टि से भी केवल उत्तरी भाग ही कुछ हद तक आत्मनिर्भर है, दक्षिणी अंचल में इन दोनों ही संसाधनों का अभाव है । प्रदेश में डाकघर एवं बैंकिंग जैसी सेवाओं के लिए अब भी 3 किमी से अधिक दूरी तय करना पड़ता है । यहाँ कुल 18 राष्ट्रीयकृत बैंक, 10 ग्रामीण बैंक, 5 जिला सहकारी बैंक और मात्र भूमि विकास बैंक ही कार्यरत हैं । तहसील में ब्रांच सहित कुल डाकघरों की संख्या मात्र 63 हैं । प्रदेश में उच्च शिक्षा एवं महिला शिक्षा का एक भी संस्थान नहीं है । परिणाम स्वरूव यहाँ के छात्रों को हायर सेकेण्डरी के बाद शिक्षा प्राप्त करने हेतु मिर्जापुर अथवा वाराणसी नगरों का आश्रय लेना पड़ता है । यहाँ कुल 337 प्राथमिक स्कूल, 71 जूनियर हाई स्कूल, 36 हाई स्कूल, 20 इन्टर कालेज एवं 1 उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र ही कार्यरत हैं। चुनार तहसील में स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था नहीं हैं । प्रदेश में कुल छोटे-बड़े 18 अस्पताल, 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 92 मुख्य एवं उप मातृ शिशु कल्याण केन्द्र कार्यरत, किन्तु किसी भी केन्द्र पर आवश्यक सुविधाओं का उचित प्रबन्ध नहीं है।

आंकड़ों के अभाव में उपर्युक्त सभी मापदण्डों के आधार पर अध्ययन प्रदेश का पिछड़े प्रदेश के रूप में सही पहचान करना कुछ कठिन अवश्य है तथापि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अध्ययन प्रदेश एक पिछड़े प्रदेश का प्रतिरूप है । इसकी पुष्टि योजना आयोग [21] तथा राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक परिषद[22] के विभिन्न सर्वेक्षण प्रतिवेदनों से भी होती है । इनके द्वारा प्रयुक्त मापदण्डों के अनुसार सम्पूर्ण पूर्वी उत्तर प्रदेश में स्थित चुनार तहसील भी एक पिछड़े प्रदेश का प्रतिनिधि क्षेत्र है ।

सन्दर्भ

1. ***Taylor, Griffith*** : *Geography in The Twentieth Cuntury, 1951, 3rd edition, 1957, Introduction, pp.13-14.*

2. ***Smith, D.M.*** : *Human Geography.- A welfare Apporach, Arnald Heine Mann, London, 1984.*

3. **Charles P. Kindle Berger and Bruce Herrick :** *Economic Development (New York, 1977), p.1.*

4. **Perraux, F :** *La Nation De Croiggancè, Economiqus Alliques Nos. 1&2, 1955.*

5. **BauddeVille, T.R. :** *Problems of Regional Economic Planning, Edinburgh University Press, 1966.*

6. **Christaller, W.:** *Die Zentralen orte in Suddent Sefeland, Jenna G. Fisher, 1933, Translated by C.W. Baskin Englewool Cliffes, N.J. 1966.*

7. **Haggerstand, T. :** *On Mante Carlo Simulation of Diffussion William Gerrision (ed) quantitative Geography North Western University Press, 1967.*

8. **Jacab Viner :** *Economics of Development, in A.N. Agrawala and S.P. Singh (eds.) Economics of Under development (New York, 1963), p.16.*

9. **सिंह काशी नाथ एवं जगदीश :** आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, वसुन्धरा प्रकाशन गोरखपुर, पंचम संस्करण, 1984, पृ0 23.

10. **Sharma R.C. :** *A Conceptual, Chronalogical and Attributive Treatment to the Approach of Integrated Area Development, Indian Journal of Regional Science, Vol XII, No.2 1980, pp. 157-167.*

11. **त्रिपाठी एवं विरले :** भौगोलिक चिन्तन का इतिहास एवं विधितन्त्र, चतुर्थ संस्करण, किताबघर, आचार्य नगर, कानपुर-2, पृ0 458.

12. **Hill Horst, J.G.M :** *Regional Planning : A Systems Approach, Rotterdam University Press, 1971.*

13. सिंह, आर0एन0 एवं कुमार, ए0 : भारतीय नियोजन प्रणाली एवं ग्रामीण विकास : एक समीक्षा, भू-संगम, 2(1), इलाहाबाद ज्योग्राफिकल सोसायटी इलाहाबाद 1944, पृ0 17-24.

14. Friedman, J. : *The Concept of Planning Regions, The Evalution of an Idia in the United states : Reprinted in J. Fridman and W. Alango (ed.), Regional Development and Planning, A Reader, The M.I.T. Press, 1956.*

15. पूर्वोक्त सन्दर्भ 11, पृ0 433.

16. वही, पृ0 434.

17. वही,

18. O.E.C.D. : *Multi-Disciplinary Aspects of Regional Development, organization of European Community, Development, Paris, 1969, p. 21.*

19. Myrdal, G. : *Economic Theory and Under development, London, 1957.*

20. Chand, M. And Puri, V.K. : *Regional Planning in India, Allied Publishers Ltd., New Delhi, 1983, p.331.*

21. A Government of India, Planning Commission : *Report of Joint study teem on Uttar Pradesh (Estern Districts) Manager of Publications, Delhi, 1964.*

21. B Government of India, Planning Commission : *Report of the working Group on Indentfication of Backward Areas, New Delhi, 1969.*

22. National Council of Applied Economic Research : *Techno - Economic Survey of Uttar Pradesh, New Delhi, 1965.*

****

अध्याय दो

अध्ययन-क्षेत्र का भौगोलिक परिदृश्य

2.1 प्रस्तावना

किसी भी प्रदेश के विकास का बीजारोपण उस प्रदेश के भौगोलिक गर्भ में होता है और वहां का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक ढांचा काफी हद तक उसके भौगोलिक परिवेश के अनुरूप ही बनता है। इस आशय से ही उक्त अध्याय में अध्ययन क्षेत्र की सामान्य भौगोलिक रूप रेखा प्रस्तुत की गयी है।

अध्ययन क्षेत्र (चुनार तहसील) का सम्पूर्ण भू-भाग भौगोलिक दृष्टिकोण से अत्यधिक विषम है। संरचनात्मक विभिन्नता के परिणाम स्वरूप सामान्य रूप से यहां तीनों ही प्रकार के उच्चावच (पहाड़ी, पठार, मैदान) का आविर्भाव हुआ है, जिसका प्रभाव सम्यक् रूप से यहां के अपवाह प्रतिरूप, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, उद्योग एवं परिवहन-मार्गों आदि पर पड़ा है। अध्ययन क्षेत्र का पशिमोत्तर भाग मध्यवर्ती गंगा मैदान-क्रम में होने के कारण जहां समतल भूमि एवं अपेक्षाकृत उच्च अर्थव्यवस्था प्रतीक है, वहीं दक्षिणी भाग छोटी-छोटी पहाड़ियों से आच्छादित है जो निम्न अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। निःसन्देह अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध जनसंख्या एवं सांस्कृतिक विकास से होने के कारण उत्तर-दक्षिण संस्कृतियों में पर्याप्त भिन्नता है। सामान्य रूप से दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर क्रमशः जनसंख्या - वृद्धि एवं सांस्कृतिक विकास की झलक मिलती है। यह अलग बात है कि इस क्रम में अपवाद स्वरूप बीच -बीच में व्यवधान आ गया है।

2.2 स्थिति, विस्तार, आकृति एवं परिमाण

चुनार तहसील उत्तर प्रदेश के वाराणसी संभाग में मिर्जापुर जनपद के उत्तरी-पूर्वी भाग में विस्तृत है। इसका अक्षांशीय विस्तार $24^0 47'$ 47" उत्तर से 25^0 15' उत्तर तथा देशान्तरीय विस्तार 82^0 43' 5" पूर्व से 83^0 10' 47" पूर्व के बीच है।[1] यह उत्तर दिशा में गंगा नदी द्वारा आबद्ध है जो इस तहसील को वाराणसी जनपद से अलग करती है। अध्ययन क्षेत्र की पूर्वी एवं पूर्वोत्तर सीमा भी वाराणसी जनपद द्वारा ही निर्धारित होती है और इस प्रकार इसकी सम्पूर्ण सीमा रेखा का लगभग 50% भाग किसी न किसी रूप में वाराणसी जनपद द्वारा सम्बद्ध है। चुनार तहसील की पश्चिमी सीमा मिर्जापुर जनपद की मिर्जापुर तहसील तथा दक्षिणी पश्चिमी

LOCATION MAP
U.P.
STUDY AREA
INDIA
175 0 175 525
Km
TAHSIL CHUNAR
DISTRICT MIRZAPUR
ADMINISTRATIVE DIVISONS
N
DISTRICT VARANASI
GANGA RIVER
TAHSIL MIRZAPUR
TAHSIL MARIHAN
DIST. SONBHADRA
Baraipur
Rerupur
Sherpur
Chandapur
Sultanpur
Baghi
Niyamat pur Kalan
Tendua
Jaipatti Kalan
Jamalpur
Bahuar
Dohari
Dhanaita
Sikhar
Bagaha
Hansipur
Pachewara
Naraianpur
CHUNAR
Jalalpur Madahan
Merya
Sikhar
Dewariya
Garauri
Ori
Dhelwaspur
Kakrahi
Kolana
Hajipur
Bhulli Khas
Sarai Tekaur
Khanjadipur
Lathia Sahjani
Ghatampur
Patihata
Chak-Sariya
Roshnahar
Madapur-Dokhi
Tendua Kalan
Rampur Suketes Garh
Wantara
DISTRICT BOUNDARY
TAHSIL BOUNDARY
VIKASH KHAND BOUNDARY
NYAYA PANCHAYAT BOUNDARY
TAHSIL H.Q.
VIKAS KHAND H.Q.
NYAYA PANCHAYAT H.Q.
3 0 3 6 9
Km

Fig.2·1

सीमा उक्त जनपद के मड़िहान तहसील द्वारा सीमांकित है जो इसकी सम्पूर्ण सीमा-रेखा का क्रमश: बीस एवं अठारह प्रतिशत है। अध्ययन-क्षेत्र की सुदूर दक्षिणी सीमा नव-निर्मित सोनभद्र जनपद द्वारा निर्धारित होती है जो इस तहसील की सम्पूर्ण सीमा-रेखा का लगभग बारह प्रतिशत है (चित्र 2.7) ।

चुनार - तहसील की उत्तर-दक्षिण अधिकतम लम्बाई 83^0 3' पूर्वी देशान्तर पर लगभग 42.5 किलोमीटर है। किन्तु 83^0 पूर्व देशान्तर पर यह एकाएक घटकर मात्र 26 किलोमीटर रह जाती है और पश्चिमी सीमा तक निरन्तर बीस से पचीस किलोमीटर के बीच बनी रहती है। तहसील का उत्तरी भाग अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। यहां पूर्व-पश्चिम अधिकतम चौड़ाई 25^0 50' उत्तरी अक्षांश के पास लगभग 38.67 किलोमीटर प्राप्त होती है। उत्तर से दक्षिण जाने पर चौड़ाई अनियमित रूप से घटती - बढ़ती है, जो 25^0 4' उत्तरी अक्षांश के पास लगभग 23 किमलोमीटर, 25^0 उत्तरी अक्षांश के पास 29 किलोमीटर तथा सुदूर दक्षिण में मात्र 10 किलोमीटर मिलती है। इस प्रकार चुनार तहसील का पूर्वी भाग अत्यधिक लम्बा है फिर भी कुल मिलाकर इसकी आकृति चतुभुर्जाकार ही है।

अध्ययन-प्रदेश मिर्जापुर जनपद की एक छोटी तहसील है। इसमें चार विकास-खण्ड (सीखड़, नरायनपुर, जमालपुर एवं राजगढ़), दो नगर पालिका (चुनार एवं अहरौरा), अड़तीस न्यायपंचायतें तथा छ: सौ बयालिस राजस्व गांव (पांच सौ सैंतालिस आबाद, पनचानबे गैर आबाद) हैं। जनवरी 1990 में निकटवर्ती मड़िहान तहसील बन जाने के कारण विकास-खण्ड-राजगढ़ के छ: न्यायपंचायत (खनजादीपुर, पटिहटा, चकसरिया, तेन्दुआ कला, रामपुर-शक्तेशगढ़ और वटवन्तरा) ही चुनार तहसील के अन्तर्गत समाहित हैं और इसमें भी शक्तेशगढ़ न्याय-पंचायत के दो राजस्व-गांव (सरसों एवं सेमरी) मड़िहान तहसील में शामिल हैं। उक्त प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 1123.04 वर्ग किलोमीटर है जिसमें विकास - खण्ड राजगढ़ 499.61 - वर्ग किलोमीटर, जमालपुर-264.62 वर्ग किलोमीटर, नरायनपुर-230.52 वर्ग किलोमीटर और सीखड़ 115.80 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं। दोनों नगर-पालिकाओं - चुनार एवं अहरौरा का क्षेत्रफल क्रमश: 1014 एवं 234 वर्ग किलोमीटर है।[2] अध्ययन-क्षेत्र का मुख्यालय चुनार है। यह नैनागढ़ (चुनार-दुर्ग) के उत्तर में गंगा तट पर 25^0 7' उत्तरी

अक्षांश एवं 80^0 55' पूर्वी देशान्तर पर स्थित है । प्राचीन अवधारणाओं के अनुसार भगवान बावन (*Bawan*) ने ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में राजा बलि से तीन पग भूमि गांगा था । इस तीन पग भूमि मापन के सन्दर्भ में भगवान बावन ने एक पैर (फर्स्ट-स्टेप) चुनार पहाड़ी पर ही रखा था । तद्नुसार यह पहाड़ी चरन-आदि के रूप में जानी जाने लगी और कालान्तर में इसका संशोधित रूप चुनार हो गया ।[3]

2.3 भौतिक-लक्षण

भौतिक लक्षणों में उच्चावच, संरचना, अपवाह-प्रतिरूप, जलवायु मिट्टी एवं खनिज तथा प्राकृतिक वनस्पति आदि को सम्मिलित किया गया है ।

2.3.1 उच्चावच, संरचना तथा भ्वाकृतिक प्रदेश

अध्ययन-क्षेत्र को सामान्यतः दो प्राकृतिक विभागों में विभक्त किया जा सकता है-

(अ) उत्तरी जलोढ़ मैदान, तथा

(ब) दक्षिण पठारी भाग

(अ) उत्तरी जलोढ़ मैदान - अध्ययन क्षेत्र का यह भू-भाग चुनार पहाड़ी के चरण-बिन्दु के निकट से प्रारम्भ होकर उत्तर में वाराणसी जनपद तक लगभग 411.93 वर्ग किमी क्षेत्रफल में विस्तृत है । इस मैदान की पूर्व-पश्चिम अधिकतम लम्बाई 31.5 किमी तथा उत्तर-दक्षिण अधिकतम चौड़ाई लगभग 17.5 किमी है । गंगा नदी इस मैदान को दो भागों - पश्चिमी गंगा का मैदान तथा पूर्वी गंगा का मैदान में विभक्त करती है । पश्चिमी भाग का विस्तार लगभग 11.58 वर्ग किमी क्षेत्र में है । यह कृषि की दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है । इस भू-भाग की समुद्र-तल से औसत ऊँचाई 180 से 200 मीटर के बीच है । उर्वरता के दृष्टिकोण से यह विभिन्न भागों में क्षेत्रीय विभन्नता लिए हुए है । यह सम्पूर्ण मैदानी क्षेत्र गंगा के मध्यवर्ती मैदान-क्रम के अन्तर्गत आता है (चित्र 2.2.) ।

उत्तरी जलोढ़ मैदान गंगा नदी द्वारा लाये गये अवसादों से निर्मित है । इसमें सूक्ष्मकणों वाली चिकनी मिट्टी से लेकर बालू, शिल्ट और कहीं-कहीं बड़े-बड़े गोलाश्म पाये

जाते हैं । निक्षेप की स्थित तथा रचना के आधार पर उपर्युक्त भू-क्षेत्र को निम्नलिखित दो उप-विभागों में विभक्त किया जा सकता है -

(1) नवीन जलोढ़ द्वारा निर्मित गंगा का पश्चिमोत्तर प्रदेश जिसे 'खादर भूमि' के नाम से जाना जाता है, तथा

(2) प्राचीन जलोढ़ द्वारा निर्मित गंगा नदी का पूर्वी भू-भाग जिसे 'बांगर भूमि' के नाम से अभिहित किया जाता है ।

नवीन जलोढ़ का निर्माण अध्ययन-क्षेत्र के उन नीचले भू-भागों में हुआ है जहाँ गंगा नदी के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँच जाता है । विकास-खण्ड - सीखड़ का सम्पूर्ण भू-क्षेत्र तथा विकास-खण्ड - नरायनपुर का सुदूर पश्चिमी एक संकरी भू-पट्टी (गंगा का पूर्वी तटवर्ती भाग) 'खादर भूमि' के अन्तर्गत आता है । सामान्यतः नवीन जलोढ़ प्रदेश का निर्माण गंगा की जलधाराओं द्वारा प्राचीन जलोढ़ को अपरदित करके हुआ है और प्रत्येक वर्ष सूक्ष्म-कणों से युक्त पदार्थ इस प्रदेश में निक्षेपित किया जाता है ।

प्राचीन जलोढ़ शैल अत्यन्त नूतन युग में निक्षेपित पदार्थ द्वारा निर्मित हुआ है सामान्यतः निक्षेपण की यह क्रिया उस समय घटित हुई जब गंगा की जलधारा अपेक्षाकृत उच्चतर तल पर बहती थी तथा उसमें अधिक अवसाद परिवहन करने की क्षमता थी । यह अवस्था विगत दस लाख वर्षो के हिमयुग के प्लूवियल काल में थी ।[4] प्राचीन जलोढ़ शैलों में मुख्यतः बालू, चिकनी मिट्टी और उसका मिश्रित रूप पाया जाता है । मेडलीकाट [5] के अनुसार प्राचीन जलोढ़ का निर्माण रक्ताभ भूरे रंग की संस्थूल चिकनी मिट्टी से हुआ है पर कंकड़ पदार्थ का प्रकीर्णन होने पर हवा के सानिध्य में कहीं-कहीं इसका रंग पीला हो गया है ।

(ब) दक्षिणी पठारी प्रदेश - अध्ययन-क्षेत्र का यह पठारी प्रदेश उत्तर में चुनार पहाड़ी द्वारा उत्तरी जलोढ़ मैदान से पृथक होता है । इस प्रदेश के अन्तर्गत विकास-खण्ड - राजगढ़ का लगभग सम्पूर्ण भू-भाग, विकास-खण्ड - जमालपुर का दक्षिणी भाग तथा विकास-खण्ड - नरायनपुर का एक संक्षिप्त भाग (न्याय-पंचायत - सराय टेकौर) शामिल है । इस पठारी प्रदेश की पूर्व-पश्चिम अधिकतम लम्बाई लगभग 30 किमी, उत्तर-दक्षिण अधिकतम चौड़ाई लगभग

TAHSIL CHUNAR
PHYSICAL DIVISION & DRAINAGE
N
GANGA RIVER
KHADAR
BANGAR
NORTHERN
PLAIN
GARAI NADI
KALKALIYA R.
U.A.
JARGOR
CHUNAR HILLS
SOUTH
PLATEAU
SAKTESHGARH HILLS
KHADIHA N.
HEIGHT IN METRES
180 - 200
200 - 300
ABOVE 300
RIVER
HILLS
3 0 3 6 9
Km

Fig. 2.2

29.38 किमी तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल लगभग 711.11 वर्ग किमी है (चित्र 2.2) ।

उच्चावच की दृष्टि से यह भू-भाग अत्यन्त विषम है । छोटी-छोटी पहाड़ियों के बीच अनेक सपाट पठारी भू-क्षेत्रों का आविर्भाव हुआ है जो कहीं-कहीं कृषि के लिए भी अनुकूल है । चुनार तथा शक्तेशगढ़ पहाड़ियों के मध्य एवं शक्तेशगढ़ तथा सरसो-सेमरी पहाड़ियों के मध्य दो विस्तृत सपाट पठारी भू-क्षेत्र हैं । सामान्यतः इस प्रदेश की औसत ऊँचाई लगभग 300 से 600 मीटर है पर कहीं-कहीं यकायक इसकी ऊँचाई घटती-बढ़ती है । उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने पर इसकी ऊँचाई में निरन्तर वृद्धि होती जाती है, फलतः इस सम्पूर्ण पठारी प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है ।

अध्ययन-क्षेत्र का यह भू-भाग ऊपरी विन्ध्यन-क्रम के अन्तर्गत आता है, जिसकी रचना टरिडोनियन काल (पुराण-महाकल्प का उत्तर काल) की मानी जाती है । इसकी संरचना में बालूकामय निक्षेपों की प्रधानता है और समानान्तर क्षैतिज स्तर पाये जाते हैं ।[6] समानान्तर क्षैतिज संस्तर पाये जाने का सामान्य कारण यह है कि यह वलन से अप्रभावित क्षेत्र है । दुर्गाखोह (चुनार) एवं सिद्धनाथ देवस्थली (शक्तेशगढ़) में काफी गहराई तक नग्न संस्तरों के निरीक्षण से इस भू-भाग की भू-वैज्ञानिक विन्यास की सूचना मिलती है । क्षैतिज एवं समानान्तर संस्तरों के पाये जाने के कारण यहाँ गृह-निर्माण में प्रयुक्त होने वाले प्रस्तरों की बहुलता है ।

2.3.2 अपवाह-प्रतिरूप

किसी भी प्रदेश की अपवाह-व्यवस्था उस प्रदेश की संरचना, उच्चावच एवं नति की दिशा पर आधारित होती है । अध्ययन-क्षेत्र का पश्चिमोत्तर गंगा का मैदानी भाग सामान्यतया समतल होने के कारण यहाँ किसी भी प्रकार के नदी अथवा नाले का सर्वथा अभाव है । इसके विपरीत दक्षिण पठारी भाग का धरातल काफी विषम है और इसका ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है । परिणाम-स्वरूप यहाँ पर अनेक मौसमी जलधाराओं का विकास हुआ है, जो इस प्रदेश के विषम संरचनाओं में बलखाती हुई उत्तर की ओर उन्मुख होती हैं । इनमें कुछ तो रास्ते में ही सूख जाती हैं, कुछ अपेक्षाकृत बड़ी जलधाराओं द्वारा आत्मसात् कर ली जाती हैं और कुछ अपनी सहायक जलधाराओं को आत्मसात् कर गंगा नदी में जाकर मिलती है (चित्र 2.2)। अध्ययन-प्रदेश में मुख्यतः तीन नदियाँ महत्वपूर्ण हैं -

(अ) गड़ई नदी - यह अध्ययन-प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो दक्षिणी पठार में अवस्थित खोराडीह पहाड़ी से निकलकर वोमिया, अहरौरा और जमालपुर होते हुए वाराणसी जनपद में प्रवेश करती है । इस नदी की अधिकतम लम्बाई लगभग 85 किमी है, जिसमें लगभग 60 किमी विकास-खण्ड जमालपुर में तथा शेष 15 किमी विकास-खण्ड राजगढ़ के अन्तर्गत आती है । गड़ई नदी का अपवाह-क्षेत्र लगभग 100 वर्ग किमी है । इस नदी पर वोमिया तथा अहरौरा में जलाशय बनाकर निकटवर्ती प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की गयी है ।

(ब) जरगो नदी - यह नदी सरसोग्राम पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई रामपुर-शक्तेशगढ़, चौकिया ग्राम, बकियाबाद, चुनार, जलालपुर, बगही होकर गांगपुर के पूर्व में गंगा नदी से मिल जाती है इस नदी की कुल लम्बाई लगभग 65 किमी है तथा अपवाह-क्षेत्र लगभग 95 वर्ग किमी है । चौकिया ग्राम के ऊपर इस नदी पर 'जरगो' नामक एक बाँध बनाया गया है जो विकास-खण्ड - नरायनपुर के अधिकांश क्षेत्रों की सिंचाई का एक मात्र साधन है ।

(स) **कल-कलिया नदी** - यह नदी दक्षिण में शेखवाँ पहाड़ी से निकलकर शेखवाँ, पंचेगड़ा और शिवराजपुर होती हुई कैलहट के पास जरगो नदी में मिल जाती है । इस नदी की कुल लम्बाई लगभग 35 किमी है तथा अपवाह-क्षेत्र लगभग 50 वर्ग किमी है ।

2.3.3 जलवायु

अध्ययन-क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध में स्थित है । मौसमी विभिन्नता के आधार पर यहाँ चार ऋतुओं का आविर्भाव होता है, यथा - शीत ऋतु (दिसम्बर से फरवरी तक), ग्रीष्म ऋतु (मार्च से मध्य जून तक), वर्षा ऋतु (मध्य जून से सितम्बर तक) और शरद् ऋतु (सितम्बर से नवम्बर तक) । अध्ययन-प्रदेश की जलवायु-विषयक विशेषताओं के सन्दर्भ में तापमान, वायु (हवाएँ) आर्द्रता एवं वर्षा पर ध्यान आकृष्ट किया गया है ।

(अ) तापमान - मार्च के प्रारम्भ से सूर्य की स्थिति उत्तरायण में होने के कारण सूर्य की किरणें

अध्ययन-प्रदेश पर सीधी पड़ने लगती हैं जिसके परिणामस्वरूप इस समय तापमान में तेजी से वृद्धि होने लगती है और मई काफी गर्म महीना होता है । इस समय दिन का औसत अधिकतम तापमान 41^0 सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 26^0 सेन्टीग्रेड होता है । जून के आरम्भ में मानसून आगमन के पूर्व गर्मी काफी तीक्ष्ण होती है जब कुछ दिनों का औसत अधिकतम तापमान 46^0 सेन्टीग्रेड तक पहुँच जाता है । जब इस प्रदेश में 15-20 जून के लगभग मानसून का आगमन होता है तो दिन के तापमान में गिरावट आने लगती है पर रात्रि के तापमान में कोई अन्तर नहीं होता । जुलाई एवं अगस्त के महीनों में जब कभी वर्षा रूक जाती है तो दिन का तापमान 40^0 सेन्टीग्रेड तक पहुँच जाता है । अक्टूबर माह में जब दक्षिणी-पश्चिमी मानसून विखण्डित हो जाता है तो भी वातावरण में पर्याप्त आर्द्रता होने के कारण दिन के तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता किन्तु रात्रि अपेक्षाकृत आसमान स्वच्छ होने के कारण ठंडी होती है । माह अक्टूबर के बाद सूर्य की दक्षिणायन स्थिति के कारण दिन और रात्रि दोनों का तापमान जनवरी तक गिरता जाता है । जनवरी वर्ष का सबसे ठंडा महीना होता है । और इस समय अधिकतम दैनिक तापमान 23^0 सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम तापमान 9^0 सेन्टीग्रेड होता है ।

अध्ययन-क्षेत्र की स्थलीय बनावट में पर्याप्त विभिन्नता के कारण तापमान में स्थानीय विषमता भी दृष्टिगत होता है । गर्मी के दिनों में दक्षिणी पठारी भाग, उत्तरी मैदान की अपेक्षा कुछ अधिक गर्म हो जाता है । इसी प्रकार जनवरी में पठारी भाग, मैदानी भाग से अपेक्षाकृत अधिक ठंडा रहता है । दक्षिणी पठार में स्थित 'रामपुर - शक्तेशगढ़' एवं मैदान में स्थित 'नरायनपुर' के तापमान में 5^0-10^0 डिग्री-सेन्टीग्रेड का अन्तर होता है ।

(ब) हवाएँ - सामान्यतः अध्ययन क्षेत्र में पूरे वर्ष भर दोपहर बाद मन्द वायु चला करती है । गैर-मानसूनी महीनों में हवाओं की दिशा उत्तर-पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम होती है, किन्तु मई में हवाओं की दिशा उत्तरी-पूर्वी एवं दक्षिणी-पूर्वी हो जाती है । जून के पूर्वार्द्ध में पश्चिम से धूल भरी आँधियाँ चला करती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में 'लू' कहते हैं।[7] मानसून के आने पर हवाओं की दिशा बदलकर दक्षिणी-पश्चिमी हो जाती है ।

(स) आर्द्रता एवं मेघाच्छादनता - आर्द्रता मुख्यरूप से मानसून-काल में अधिकतम सत्तर प्रतिशत होती है । मानसून-काल के बाद हवाएँ शुष्क हो जाती हैं और ग्रीष्मकाल में सापेक्ष आर्द्रता

बहुत कम होती है ।

मानसून काल एवं शरदकाल में कुछ समयों में जब पश्चिमी चक्रवातों का आगमन होता है तो आकाश में बादल होते हैं । शेष समय में आकाश साफ रहता है ।

(द) वर्षा - प्रदेश में लगभग 1129.9 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है।[8] सम्पूर्ण वार्षिक वर्षा का 80 प्रतिशत भाग यहाँ दक्षिणी-पश्चिमी मानसून द्वारा जून से सितम्बर के मध्य प्राप्त

तालिका 2.1

चुनार तहसील में वर्षा का कालिक वितरण

मास	सामान्य वर्षा (मिलीमीटर)	वर्षा के औसत दिन
(1)	(2)	(3)
जनवरी	21.8	1.9
फरवरी	21.3	1.9
मार्च	11.7	1.0
अप्रैल	6.1	0.6
मई	11.2	0.8
जून	95.0	5.1
जुलाई	326.1	14.5
अगस्त	341.4	14.8
सितम्बर	204.7	8.7
अक्टूबर	42.4	2.2
नवम्बर	7.0	0.6
दिसम्बर	6.1	0.5

नोट: वर्षा से सम्बन्धित दिनों में उन्हीं दिनों को गिना गया है जिनकी वर्षा 2.5 मिलीमीटर या इससे अधिक होती है ।

TAHSIL CHUNAR
TEMPORAL TREND OF RAINFALL
RAINFALL
NO. OF RAINY DAYS
NORMAL RAINFALL IN mm
AVERAGE NUMBER OF RAINY DAYS
375
350
325
300
275
250
225
200
175
150
125
100
75
50
25
0
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
J F M A M J J A S O N D
MONTHS

Fig.2.3

होती है । यहाँ अगस्त सर्वाधिक वर्षा वाला महीना होता है । शीत ऋतु के कुछ समयों में पश्चिमी चक्रवातों के आगमन पर भी कुछ वर्षा हो जाती है जो इस प्रदेश के रबी की फसल के लिए बहुत लाभकर होती है । परन्तु कभी-कभी वर्षा के साथ ओलावृष्टि होने के कारण फसलों के नुकसान होने का भी भय बना रहता है । शीत ऋतु में उत्तर-पश्चिम की अपेक्षा दक्षिण पूर्व में वर्षा कम होती है । इसका कारण चक्रवातों का पश्चिम की ओर से आगमन है । इसके विपरीत मानसून काल में उत्तरी-पश्चिमी भाग की अपेक्षा दक्षिणी-पूर्वी भाग अधिक वर्षा प्राप्त करता है । इसका कारण लौटती मानसून द्वारा वर्षा होना है । औसतन सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र में 56 वर्षा के दिन होते हैं पर विभिन्न केन्द्रों पर इसमें विभिन्नता होती है, यथा- अहरौरा में 51 दिन वर्षा के होते हैं । तालिका 2.1- एवं चित्र 2.3 से वर्षा कालिक-वितरण के सम्बन्ध में सामान्य जानकारी मिलती है ।

2.3.4 मिट्टी तथा खनिज

यद्यपि चुनार तहसील में विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ पायी जाती हैं किन्तु सामान्य रूप से उत्तरी मैदान में - जलोढ़ मिट्टी, चुनार एवं शक्तेशगढ़ पहाड़ी पर उप-पर्वतीय मिट्टी तथा शेष दक्षिणी पठार में - लाल मिट्टी मिलती है। तहसील के उत्तरी मैदानी भाग में मिर्जापुर वाराणसी मार्ग के पश्चिमोत्तर गंगा के दोनों तटवर्ती-क्षेत्रों में लगभग 155.80 वर्ग किमी क्षेत्र पर नवीन जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है । गंगा नदी के दोनों किनारों पर लगभग एक किमी चौड़ी बलुई-मिट्टी की भू-पट्टी पायी जाती है किन्तु कहीं-कहीं इसकी चौड़ाई अनियमित रूप से घटती बढ़ती है । गंगा के दाहिने किनारे पर पायी जाने वाली यह भू-पट्टी बगही-गांगपुर के पास लगभग 3 किमी तक विस्तृत हो गयी है । गंगा नदी के बायें किनारे का नवीन जलोढ़ क्षेत्र करइल (काली), बलुई-दोमट मिट्टी की भू-पट्टियों में विभाजित हैं । ये भू-पट्टियां पूर्व-पश्चिम में विस्तृत हैं तथा दक्षिण से उत्तर चलने पर क्रमशः करइल फिर दोमट के रूप में आती हैं । मिर्जापुर - वाराणसी मार्ग के पूर्व, जमुई-अहरौरा मार्ग के उत्तर

इमलिया-अदलहाट मार्ग के पश्चिम तथा अदलहाट-शेखवां मार्ग के उत्तर वाराणसी सीमा तक दोमट मिट्टी का एक विस्तृत क्षेत्र है जो चावल की खेती के लिए मशहूर है । इसे यदि चुनार तहसील की 'धान की खत्ती' या 'छत्तीसगढ़' कहा जाय तो संभवतः कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । यह क्षेत्र 254.62 वर्ग किमी में विस्तृत है तथा नरायनपुर एवं जमालपुर विकास-खण्ड के अन्तर्गत आता है । दक्षिणी पठार के अधिकांश भागों में लाल मिट्टी का बाहुल्य है, पर जहाँ कहीं भी पहाड़ियों के बीच समतल भू-भाग है, पहाड़ी से अपरदित मिट्टी, पहाड़ी के वनों के जीवाश्मों से मिलकर दोमट मिट्टी में रूपान्तरित हो गयी है, जिसका एक पतला आवरण इस पर छा गया है, यथा - बरगाँवा एवं भेड़ी की धान की भूमि यत्र-तत्र फैले लघु पहाड़ियों पर उपवर्तीय मिट्टी पायी जाती है ।

पूरे प्रदेश में खनिजों का अभाव है । इस भू-भाग में पाये जाने वाले खनिजों में गृह-निर्माण योग्य प्रस्तर, बालू एवं बजरी का नामोल्लेख किया जा सकता है । दक्षिणी पठारी भाग की संरचना क्षैतिज एवं समानान्तर बालू का प्रस्तरों से होने के कारण चुनार एवं शक्तेशगढ़ पहाड़ियों के विभिन्न केन्द्रों पर इसके खदान खुले हुए हैं । यहाँ क्षैतिज एवं समानान्तर संस्तरों के पाये जाने के कारण जहाँ लम्बे, चौड़े तथा सपाट पत्थर निकलते हैं, वहीं बालूका पत्थर के अपेक्षाकृत कम कठोर होने के कारण इसकी कटाई-छँटाई में आसानी रहती है । प्रस्तर खदानों के विभिन्न केन्द्र रामपुर-शक्तेशगढ़, भेड़ी, जमती, घाटमपुर, अहरौरा एवं शेखवाँ आदि में हैं किन्तु उच्च-कोटि के प्रस्तरों एवं उनके उत्पादन दोनों दृष्टिकोण से रामपुर-शक्तेशगढ़ प्रथम स्थान पर है । यहाँ का 'रो' पत्थर सफद व पीले रंग का होता है, जो अत्यधिक चमकीला एवं आकर्षक है । उपर्युक्त सभी स्थानों पर कटाई-छँटाई के समय टूटे पत्थरों को तोड़कर 'बजरी' बनाया जाता है जो सड़क एवं भवन-निर्माण में प्रयुक्त होता है । चुनार तहसील की अन्य प्रकार की खनिजों में 'बालू' का स्थान है । गंगा एवं जरगो नदी में स्थान-स्थान पर स्थानीय पूर्ति के लिए बालू का संग्रह किया जाता है, किन्तु यहाँ का बालू घटिया किस्म का होने के कारण भवन-निर्माण के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है।

2.3.5 प्राकृतिक वनस्पति

प्राकृतिक वनस्पति के अन्तर्गत वन एवं घास के क्षेत्रों को समाहित किया गया है । वन के रूप में यहाँ कंटीली झाड़िया एवं यत्र-तत्र विखरे वृक्षों के झुरमुट ही विद्यमान

हैं जो आर्थिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण नहीं हैं । सम्प्रति सम्पूर्ण अध्ययन-क्षेत्र के लगभग 307.70 वर्ग किमी क्षेत्र पर वनों का विस्तार है जो अध्ययन क्षेत्र के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 27.70 प्रतिशत है । वनों का यह प्रतिशत, उत्तर-प्रदेश के वनों के प्रतिशत (16.6) से तो अधिक है किन्तु पर्यावरण विज्ञानियों द्वारा अपेक्षित एक-तिहाई वन से कम है । इस प्रदेश के सभी भागों में वनों का वितरण समान नहीं है । विकास-खण्ड - राजगढ़ में जहाँ वनों का प्रतिशत सर्वाधिक 53.46 है, वहीं विकास-खण्ड - सीखड़ में यह न्यूनतम मात्र 0.04 प्रतिशत है । जमालपुर एवं नरायनपुर विकास-खण्डों में वनों का प्रतिशत क्रमशः 13.03 एवं 2.18 है । वर्तमान में ईंधन के लिए वृक्षों एवं झाड़ियों की अबाध रूप से कटाई के कारण तहसील में वनों का क्षेत्र सिमटता जा रहा है । सन् 1975 में चुनार के निकट 'कजरहट' नामक स्थान पर सीमेन्ट का कारखाना स्थापित हो जाने के कारण इससे निकले धूलि-कण निकटवर्ती वनस्पतियों को प्रभावित कर रहे हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रदेश में प्रस्तर विनिर्माण उद्योग तथा ईंट-निर्माण उद्योग का विकास भी यहाँ के वनों के लिए अहितकर सिद्ध हो रहा है ।

क्षेत्र के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की वनस्पतियाँ पायी जाती हैं । विकास-खण्ड - राजगढ़ तथा जमालपुर के दक्षिणी भागों में प्रायः कंटीली झाड़ियों एवं छोटे वृक्षों का बाहुल्य है जिसमें यत्र-तत्र बड़े वृक्ष भी दृष्टिगत होते हैं । यहाँ पायी जाने वाली वनस्पतियों में आसन, सिद्ध घौहा, खैर तेन्दु, जिगना, महुआ, पलास, मकोय, ककोर, करौंदा, जंगली बांस एवं सेमल आदि वृक्षों की प्रचुरता है । दक्षिणी पठार के सीमान्त में पहाड़ियों की घाटियों में यत्र-तत्र ताड़ एवं खजूर के वृक्ष भी उगे हुए हैं । विकास-खण्ड - नरायनपुर के पूर्वी भाग (वाराणसी-मिर्जापुर रोड के पूर्व) में एवं जमालपुर के उत्तरी भाग (अदलहाट-शेरवाँ मार्ग के उत्तर) में वृहदकार वृक्ष पाये जाते हैं, किन्तु इनकी संख्या अत्यन्त विरल है । इस भू-भाग में मुख्यतः नीम बरगद एवं पीपल के वृक्ष उगे हुए हैं । शेष विकास-खण्ड- नरायनपुर एवं सीखड़ में बबूल, नीम एवं बांस का बर्चस्व है ।

तहसील को सम्पूर्ण भू-क्षेत्र के लगभग 1.44 वर्ग किमी क्षेत्र पर छप्पर की घासें पायी जाती हैं जिसमें सरपत (मूज) एवं कास ही प्रमुख हैं । इनका वितरण अनियमित एवं असमान है । सामान्यतः यह दक्षिणी पठार में मेड़ो पर तथा सड़कों एवं रेलवे-लाइनों के

किनारे उगी हुई हैं । सीमेन्ट कारखाने के निकट मूज का एक बड़ा क्षेत्र है जो कारखाने से पूर्णतया प्रभावित है ।

2.4 सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में मानव एवं उसकी क्रियाशीलता का सर्वोपरि महत्व है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण के अनुसार अपने कार्यो में अनुकूलन करता है और साथ ही पर्यावरण में परिष्करण कर उसके साथ समायोजन भी स्थापित करता है । विख्यात फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता एवं समाजशास्त्री मैक्स सौरे ने मानव एवं उसकी क्रियाशीलता के अध्ययन पर बल दिया है ।[9] मानव का विकास आदिकाल से ही एक सक्रिय समंजनकर्ता के रूप में हुआ है । इसी सक्रियता के कारण मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन कर सांस्कृतिक पर्यावरण (गृह, कृषि, उद्योग एवं परिवहन आदि) का सृजन किया है ।

2.4.1 जनांककीय लक्षण

जनांककीय लक्षण के अन्तर्गत-जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व एवं संरचना आदि को समाहित किया गया है ।

(अ) **जनसंख्या-वृद्धि** - जनसंख्या वृद्धि की संकल्पना एक विशिष्ट समय में, एक स्थान पर जनसंख्या में परिवर्तन से सम्बन्धित है, जो हमें अपने संसाधनों के यथोचित विकास की प्रेरणा देती है ।

क्षेत्र की सम्पूर्ण जनसंख्या सन् 1971 की जनगणनानुसार 3, 33, 239 थी जो 1981 एवं 1991 में बढ़कर क्रमशः 4,21,553 एवं 5,28,448 हो गयी । अतः 1981 में 26.5 एवं 1991 में 25.36 प्रतिशत की वृद्धि हुई । यह वृद्धि दर इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि अध्ययन क्षेत्र जनसांख्यिकी-संक्रमण की अवस्था के अन्तिम चरण में पहुँच चुका है । ग्रामीण-क्षेत्रों में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर विकास-खण्ड - राजगढ़ की सन् 1981 में 35.2 एवं 1991 में 30.39 प्रतिशत थी । यह वृद्धि दर अपेक्षाकृत पिछड़े-प्रदेश एवं पिछड़ी-अर्थव्यवस्था का द्योतक है । नगरीय-क्षेत्र के अन्तर्गत सन् 1971 में चुनार नगरपालिका की जनसंख्या (10,222) अहरौरा नगरपालिका की जनसंख्या (14,345) से कम थी, किन्तु

TAHSIL CHUNAR
POPULATION GROWTH
1971-2001
RURAL-URBAN POPULATION
1971-2001
A
B
TOTAL
Jamalpur
Narayanpur
Rajgarh
Sikhar
RURAL POPULATION
URBAN POPULATION
PROJECTED POPULATION
POPULATION IN ,000
YEARS
1971
1981
1991
2001
700
650
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50

Fig. 2.4

इसमें सन् 1981 में 97.48 एवं 1991 में 39.34 प्रतिशत वृद्धि हो जाने के कारण यह 1981 में अहरौरा नगरपालिका से अधिक हो गयी । सन् 1981 में चुनार नगरपालिका की जनसंख्या में 92.48 प्रतिशत वृद्धि होने का कारण 'कजरहट' नामक स्थान पर सीमेन्ट का कारखाना लग जाने के कारण विकास-खण्ड - नरायनपुर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का चुनार नगरपालिका के अन्तर्गत शामिल होना है तथा 1991 में अधिक जनसंख्या वृद्धि दर का कारण इन नवीन क्षेत्रों में व्यवसायिक विकास है । जनसंख्या वृद्धि सम्बन्धित अन्य सूचनाएँ तालिका 2.2 एवं चित्र 2.4 से स्पष्ट है ।

तालिका 2.2

चुनार तहसील में जनसंख्या-वृद्धि

क्षेत्रोंके नाम	1971		1981		1991	
	जनसंख्या	दशक जनसंख्या वृद्धि (% में)	जनसंख्या	दशक जनसंख्या वृद्धि(%में)	जनसंख्या	दशक जनसंख्या वृद्धि(%में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तहसील चुनार	3,33,239	-	4,21,553	26.50	5,28,448	25.36
विकास-खण्ड-जमालपुर	1,06,728	-	1,31,203	22.93	1,63,571	24.67
नरायनपुर	1,00,556	-	1,21,232	20.56	1,47,028	21.28
राजगढ़	57,339	-	77,523	35.20	1,01,085	30.39
सीखड़	47,123	-	57,026	21.02	70,023	22.79
चुनार	10,240	-	20,222	97.48	28,189	39.34
अहरौरा	11,453	-	14,345	25.25	18,552	29.33

स्त्रोत : जनसंख्या (1971) - जिला जनगणना हस्तपुस्तिका, मिर्जापुर जनपद, 1971
जनसंख्या (1981) - सांख्यिकी पत्रिका, जनपद मिर्जापुर, 1990
जनसंख्या (1991) - तहसील प्रारम्भिक हस्तलिखित जनगणना पुस्तिका, 1991

TAHSIL CHUNAR
DISTRIBUTION OF POPULATION
1991
N
GANGA RIVER
GANGA RIVER
ONE DOT SHOWS 100 PERSONS
URBAN POPULATION
28189
18500
3 0 3 6 9
Km

Fig. 2·5

(ब) जनसंख्या-वितरण - जनसंख्या वितरण का सम्बन्ध क्षेत्रतीय प्रारूप से है, जिसमें जनसंख्या-वितरण प्रतिरूप रैखिक, विकीर्ण, केन्द्रक अथवा जमघट आदि के रूप में हो सकता है । चुनार तहसील में जनसंख्या का वितरण अत्यधिक असमान है । इस असमानता का कारण यहाँ की विषम भौगोलिक दशाएँ हैं । जहाँ एक ओर उत्तरी गंगा के मैदान में सम्पूर्ण अध्ययन क्षेत्र के लगभग पचास प्रतिशत क्षेत्रफल पर कुल जनसंख्या का लगभग पचहत्तर प्रतिशत भाग निवास करता है वहीं दूसरी ओर तहसील के शेष पचास प्रतिशत भाग पर मात्र पचीस प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है । दक्षिणी पठार का एक वृहद भाग प्राकृतिक वनस्पतियों के अन्तर्गत होने के कारण लगभग जन-शून्य है । यद्यपि तहसील में जनसंख्या का सबसे बड़ा सकेन्द्रण चुनार (28,189) में है । किन्तु अहरौरा (18522), मधुपुर (5900), बकियावाद (4773) एवं आ० ला० सुल्तानपुर (4095) में भी जनसंख्या रूपी लघु द्वीपपुंज दृष्टगत होते हैं । जनसंख्या-वितरण सम्बन्धित विशेषताएँ तालिका 2.3 एवं मानचित्र 2.5 से स्पष्ट हैं ।

(स) जनसंख्या घनत्व - डेमको[10] के अनुसार किसी क्षेत्र के मनुष्य और भूमि दो महत्वपूर्ण तथ्य है । फलतः जनसंख्या विश्लेषण के लिए इन दोनों तथ्यों का पारस्परिक अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है । सामान्यतः कुल जनसंख्या और कुल क्षेत्र के अनुपात को (जिसे प्रति इकाई क्षेत्र में रहने वाले मनुष्यों की संख्या कहा जा सकता है) गणितीय या सामान्य घनत्व कहा जाता है । तहसील की जनसंख्या विश्लेषण में गणितीय घनत्व ही व्यवहार में लाया गया है।

चुनार तहसील में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक विषम है । उक्त प्रदेश की औसत जनसंख्या घनत्व 471 है जो उत्तर-प्रदेश की जनसंख्या घनत्व के बराबर है । साधारतः दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ने पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जाता है । सुदूर दक्षिणी न्याय पंचायतो वटवन्तरा, पटिहटा, एवं रामपुर-शक्तेशगढ़ का जनसंख्या घनत्व क्रमशः 288, 98 तथा 134 प्रति वर्ग किमी है । तहसील के मध्य में स्थित न्याय पंचायतों जलालपुर मैदान, कोलना देवरिया तथा पचेवरा का जनसंख्या घनत्व क्रमश 605, 473, 715 एवं 628 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है जो सामान्यतः दक्षिणी न्याय-पंचायतों से अधिक है । सुदूर उत्तरी न्याय-पंचायतों शेरपुर चन्दापुर तथा आ० ला० सुल्तानपुर का जनसंख्या घनत्व क्रमशः 1132, 740 एवं 944 व्यक्ति प्रतिवर्ग किमी है जो मध्य में स्थित न्याय-पंचायतों की जनसंख्या घनत्व से

तालिका 2.3

चुनार तहसील में जनसंख्या-घनत्व, 1991

	न्याय-पंचायत	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	कुलजनसंख्या	जनसंख्या-घनत्व (प्रति वर्ग किमी)
	(1)	(2)	(3)	(4)
1.	चकसरिया	41.89	13,000	310
2.	पटिहटा	116.48	11,382	98
3.	खनजादीपुर	32.41	15,638	483
4.	तेन्दुआकला	94.86	16,981	179
5.	शक्तेशगढ़	116.45	15,612	134
6.	वट-वन्तरा	98.87	28,472	288
7.	बगहाँ	21.16	11,411	537
8.	सीखड़	19.84	15,240	768
9.	मेड़ियाँ	21.73	11,735	540
10.	धनैता	30.63	9,908	323
11.	हांसीपुर	7.37	7,594	1030
12.	आ0ला0 सुल्तानपुर	14.97	14,135	944
13.	सराय टेकौर	23.62	5,917	251
14.	जलालपुर मैदान	23.45	14,197	605
15.	पचेवरा	20.60	12,932	628
16.	नियामतपुर कला	12.32	8,147	661
17.	चन्दापुर	8.02	5,933	740
18.	शेरपुर	13.51	15,291	1132
19.	वगहीं	17.16	8,918	520
20	टेडुआ	16.62	15,045	905

क्रमशः

22.	कोलना	25.28	11,957	473
23.	गरौड़ी	16.46	14,228	864
24.	घाटमपुर	13.66	9,213	674
25.	लालपुर अधवार	18.59	10,069	542
26.	बरईपुर	18.21	14,699	807
27.	रेरूपुर	15.53	13,511	870
28.	जयपट्टी कला	23.50	15,702	668
29.	जमालपुर	17.27	14,186	821
30.	ओड़ी	15.85	12,922	815
31.	बहुआर	20.84	12,060	579
32.	हाजीपुर	11.15	11,973	1074
33.	डोहरी	21.77	14,887	684
34.	रोशनहर	47.66	7,928	166
35.	भुइलीखास	16.95	14,794	873
36.	ढेलवासपुर-ककराहीं	6.93	6,098	880
37.	लठिया सहजनी	21.50	12,729	592
38.	मदापुर-डकही	17.46	12,082	440
	ग्रामीण क्षेत्र	1110.56	4,81,707	434
	नगर-पालिका चुनार	10.14	28,189	2780
	नगर-पालिका अहरौरा	2.34	18,552	7928
	नगरीय क्षेत्र	12.48	46,741	3745
	तहसील चुनार	1123.04	5,28,448	471
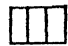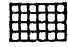
• **स्रोत** : तहसील प्रारम्भिक हस्तलिखित जनगणना पत्रिका, 1991 से संगणित ।

TAHSIL CHUNAR
DENSITY OF POPULATION
1991
N
DENSITY PER Km2
< 200
200 - 400
400 - 600
600 - 800
800 - 1000
> 1000
3 0 3 6 9
Km

Fig. 2·6

भी अधिक है । तहसील के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग में साधारणतः जनसंख्या-घनत्व का प्रतिरूप लगभग समान ही है । सम्पूर्ण तहसील में न्यूनतम जन-घनत्व न्याय-पंचायत पटिहटा (विकास-खण्ड - राजगढ़) में 98 तथा अधिकतम जनसंख्या घनत्व न्याय-पंचायत शेरपुर (विकास-खण्ड - नरायनपुर) में 1132 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी प्राप्त होता है । जनसंख्या-घनत्व सम्बन्धित विवरण तालिका 2.3 एवं चित्र 2.6 से स्पष्ट है ।

(द) जनसंख्या-संघटन

जनसंख्या-संघटन के अन्तर्गत लिंगानुपात, साक्षरता, अनुसूचित-जाति/ अनुसूचित-जनजाति, नगरीय/ग्रामीण जनसंख्या एवं व्यावसायिक संरचना को लिया गया है ।

(1) **लिंगानुपात** - किसी समुदाय का लिंग-सन्तुलन उसके सामाजिक एवं आर्थिक दशाओं पर भारी प्रभाव डालता है । फ्रैंकलिन [11] ने ठीक ही कहा है कि लिंगानुपात किसी क्षेत्र की आर्थिक स्थिति का सुन्दर सूचक है और यह प्रादेशिक विश्लेषण में अधिक उपादेय है साधारणतः लिंगानुपात से आशय प्रति हजार पुरूष पर स्त्रियों की संख्या से है । चुनार तहसील में लिंगानुपात 892 प्रति हजार है जो उत्तर - प्रदेश के लिंगानुपात (882) से थोड़ा अधिक है । सम्पूर्ण प्रदेश में अधिकतम लिंगानुपात न्याय-पंचायत लठिया सहजनी में 965 प्रति हजार है तत्पश्चात सराय टेकौर (945), हांसीपुर (941), मेडियाँ (930) का स्थान आता है । न्यूनतम लिंगानुपात न्याय-पंचायत बहुआर में 857 प्रति हजार है । तहसील के पन्द्रह न्याय-पंचायतों में लिंगानुपात 900 प्रति हजार से अधिक है । अध्यय-प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात 872 और ग्रामीण क्षेत्र में 893 प्रति हजार है । स्मरणीय है कि अधिकतम एवं न्यूनतम लिंगानुपात की दोनों न्याय-पंचायतें विकास-खण्ड जमालपुर में गड़ई नदी के तटवर्ती भागों में अवस्थित हैं । लिंगानुपात सम्बन्धित अन्य तथ्य तालिका 2.4 से स्पष्ट है ।

तालिका 2.4

चुनार तहसील में जनसंख्या-संघटन, 1991

न्याय-पंचायत	कुल जनसंख्या	जनसंख्या पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात	अनुसूचित-जाति अनुसूचित जाति (प्रतिशत)	अनुसूचित जानजाति (प्रतिशत)	कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	स्त्री साक्षरता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. चकसरिया	13,000	6856	6144	896	21.38	-	33.78	44.92	21.34
2. पटिहटा	11,382	6089	5293	869	31.18	-	26.59	37.60	13.91
3. खनजादीपुर	15,638	8374	7264	867	17.05	-	50.72	61.38	38.42
4. तेन्दुआ कला	16,981	8925	8056	903	37.98	0.04	21.65	31.22	11.05
5. शक्तेशगढ़	15,612	8361	7251	867	34.74	0.06	21.68	32.63	9.09
6. वट-कन्तरा	28,472	15050	1342	892	27.99	-	27.95	39.77	14.69
7. बगहा	11,411	5953	5458	917	21.98	-	46.30	58.93	32.52
8. सीखड़	15,240	8066	7174	889	17.98	-	43.95	55.85	30.57
9. मेडिया	11,735	6081	5654	930	21.64	-	52.09	64.84	38.38
10. धनैता	9,908	5225	4683	896	20.96	-	37.47	51.29	22.06
11. हांसीपुर	7,594	3912	3682	941	21.95	-	48.22	61.66	33.94
12. आ0ला0सुल्तानपुर	14,135	7357	6778	921	22.23	-	32.16	46.35	16.76
13. सराय टेकोर	5,917	3047	2870	945	15.19	-	23.61	36.89	12.65
14. जलालपुर मैदान	14,197	7556	6641	878	23.56	-	37.56	48.46	25.15
15. पचेवरा	12,932	6886	6046	878	11.62	-	48.93	60.83	35.38
16. नियामतपुर कला	8,147	4308	3839	891	9.71	0.52	44.73	56.91	31.05
17. चन्दापुर	5,933	3141	2792	889	14.19	-	46.89	60.01	32.70
18. शेरपुर	15,291	8167	7125	872	17.43	-	40.62	53.47	26.02
19. बगही	8,918	4685	4233	903	19.97	-	63.16	87.64	36.07
20. टेड़ुआ	15,045	7931	7114	897	14.76	-	30.74	43.53	16.46
21. देवरिया	15,181	8030	7151	891	17.28	-	36.60	46.90	25.03

क्रमश:

22.	कोलना	11,957	6261	5696	910	18.23	-	43.18	54.05	31.23
23.	गरोड़ी	14,228	7476	6752	903	16.14	0.11	38.54	48.65	27.34
24.	घाटमपुर	9,213	4920	4293	872	19.61	-	34.34	46.50	20.41
25.	लालपुर अधवानी	10,069	5260	4809	914	19.00	-	40.16	50.97	28.23
26.	बरईपुर	14,699	7557	6842	871	22.21	0.04	31.73	43.52	17.76
27.	रेरूपुर	13,511	7165	6346	886	12.55	-	33.52	46.70	18.64
28.	जयपट्टी कला	15,702	8333	7369	884	10.78	-	33.13	46.49	18.02
29.	जमालपुर	14,186	7522	6664	885	10.17	-	27.32	36.96	16.45
30.	ओड़ी	12,922	6746	6175	916	7.68	-	27.23	36.41	17.21
31.	बहुआर	12,060	6493	5567	857	10.95	-	26.09	33.93	16.96
32.	हाजीपुर	11,973	6247	5726	917	14.77	-	38.10	54.06	20.70
33.	डोहरी	14,887	7851	7036	896	13.84	-	29.90	39.33	18.83
34.	रोशनहर	7,928	4233	3695	873	28.92	-	20.23	29.27	9.88
35.	भुइलीखास	14,794	7774	7020	903	12.10	-	27.23	41.01	11.98
36.	ढेलवासपुर ककराही	6,098	3207	2891	901	7.2	-	33.72	43.04	23.41
37.	लठिया सहजनी	12,729	6632	6097	965	14.59	-	26.94	35.62	17.50
38.	मदारपुर-डकही	12,082	6440	5642	876	22.11	-	26.81	39.25	12.60
	ग्रामीण क्षेत्र	4,81,707	254467	227240	893	19.07		34.90	46.65	21.75
	नगरीय क्षेत्र	46,741	24963	21778	872	9.85		44.77	56.19	31.69
	तहसील चुनार	5,28,448	279430	249018	892	18.69	0.04	35.78	47.51	22.61

(2) **साक्षरता** - सन् 1991 की प्रारम्भिक जनगणनानुसार, चुनार तहसील में साक्षरता 35.78 प्रतिशत है जो उत्तर-प्रदेश की साक्षरता 47.71 हो काफी कम है। तहसील में कुल 47.51 प्रतिशत पुरूष और 22.61 प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित हैं। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का अनुपात क्रमश 44.77 एवं 34.90 प्रतिशत है। अधिकतम साक्षरता अनुपात न्याय-पंचायत बगही में 63.16 प्रतिशत है जहां 87.64 प्रतिशत पुरूष तथा 36.07 प्रतिशत स्त्रियां शिक्षित हैं। न्यूनतम साक्षरता न्याय-पंचायत रोशनहर में 20.23 प्रतिशत है। यहां कुल 29.27 प्रतिशत पुरूष एवं 9.88 प्रतिशत स्त्रियां साक्षर हैं। न्याय-पंचायत बगही के पश्चात अधिक साक्षरता अनुपात न्याय-पंचायत मेड़ियां, खनजादीपुर एवं पचेवरा में क्रमशः 52.09 50.77 तथा 48.93 प्रतिशत है। कुल ग्यारह न्याय-पंचायतों में साक्षरता का अनुपात उत्तर प्रदेश की साक्षरता अनुपात से अधिक है। स्मरणीय है कि विकास-खण्ड - जमालपुर अपेक्षाकृत राजगढ़ से सम्पन्न क्षेत्र होने पर भी इस प्रदेश में साक्षरता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इसका मुख्य कारण यहां हथकरघा एवं कालीन उद्योग का विकास है, जिसमें छोटे उम्र के बच्चों की एक बड़ी संख्या कार्यरत है। तहसील में साक्षरता से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी तालिका 2.4 से स्पष्ट है ।

(3) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति** - जनगणना 1981 के अनुसार उस व्यक्ति की गणना अनुसूचित जाति या जन-जाति में की गयी है जिसकी जाति या उपजाति राज्य की अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सूची में सम्मिलित है। अनुसूचित जाति केवल हिन्दू अथवा सिक्ख धर्म को मानने वाले हो सकते हैं जबकि अनुसूचित जनजाति किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं।[12] प्रारम्भिक जनगणना 1991 के अनुसार चुनार तहसील में कुल जनसंख्या का 18.99 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति के अन्तर्गत समाहित है। इसमें पुरूषों का प्रतिशत 10.09 तथा स्त्रियों का 8.90 है। तहसील के ग्रामीण क्षेत्र में इनका प्रतिशत 19.07 तथा नगरीय क्षेत्र में 18.20 है(तालिका 2.4)।

चुनार तहसील में अनुसूचित जन-जातियों की जनसंख्या का प्रतिशत मात्र 0.04 है। यहां अनुसूचित जन-जातियों के लोग भेड़ी (न्याय पंचायत शक्तिगढ़), मड़फा (तेन्दुआ कला), फत्तेपुर (नियामतपुर कला), हांसापुर (गरोड़ी), और देवरिया (बरईपुर) आदि ग्रामों

में बसे हुए हैं ।

(4) **नगरीय/ग्रामीण जनसंख्या** - जनगणना 1991 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार, चुनार तहसील में नगरीय जनसंख्या 46,741 है जो सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 8.85 प्रतिशत है। शेष 91.15 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है । तहसील में 8.93 प्रतिशत पुरूष एवं 8.74 प्रतिशत स्त्रियाँ नगर में रहते हैं । नगर में रहने वाली जनसंख्या में पुरूषों-स्त्रियों का अनुपात क्रमशः 53.40 एवं 46.60 प्रतिशत है । नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सन् 1971 में 6.51 तथा 1981 में 8.2 था । सन् 1981 में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत अधिक होने का एक कारण चुनार के निकट कजरहट में सन् 1975 में सीमेन्ट कारखाने की स्थापना थी, जिससे नगर-क्षेत्र में वृद्धि हुई। नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचनात्मक संवृद्धि चित्र 2.4 द्वारा स्पष्ट है ।

(5) **कार्यात्मक - संरचना** - आर्थिक दृष्टि से क्रियाशील मानव शक्ति वह है जो वस्तु अथवा सेवा उत्पादन में संलग्न है । इसमें पुरूष और स्त्री दोनों आते हैं। अक्रियाशील मानव शक्ति में वे लोग आते हैं जो गृहकार्य अथवा अपने सम्बन्धियों के यहाँ कार्य करते हैं, सेवा मुक्त

तालिका 2.5

चुनार तहसील में जनसंख्या की कार्यात्मक संरचना, 1981

(कुल जनसंख्या का प्रतिशत)

क्षेत्र	**कुल कर्मकारों की संख्या**	**कुल कर्मकारों का प्रतिशत**	**मुख्य कर्मियों की संख्या**	**मुख्य कर्मियों का प्रतिशत**	**सीमान्त कर्मियों की संख्या**	**सीमान्त कर्मियों का प्रतिशत**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
नगरीय क्षेत्र	1,31,115	33.88	1,26,970	32.81	4,145	1.07
ग्रामीण क्षेत्र	10,199	33.52	10,088	29.19	111	0.32
तहसील चुनार	1,41,314	33.52	1,37,058	32.51	4,256	1.01

स्रोत : जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद मिर्जापुर, 1990 से संगणित ।

हैं, संस्था के छात्र हैं, रायल्टी पर आश्रित हैं, किराया, लाभांश अथवा पेन्शन आदि पर निर्भर हैं।[13] 1981 की जनगणनानुसार, चुनार तहसील में क्रियाशील जनसंख्या का अनुपात 33.52 प्रतिशत है । सम्पूर्ण क्रियाशील जनसंख्या को मुख्य-कर्मी तथा सीमान्त-कर्मी के रूप में विभक्त किया गया है । तहसील में इनका प्रतिशत क्रमशः 32.51 तथा 1.01 है। तालिका 2.5 से स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्र में नगरीय क्षेत्र की अपेक्षा कर्मकारों का प्रतिशत कुछ अधिक है।

तालिका 2.6

चुनार तहसील में कार्यशील जनसंख्या की कार्यात्मक संरचना, 1981

	कृषक	कृषक मजदूर	गृह उद्योग में संलग्न	वृक्षारोपण/पशुपालन/ उत्खनन	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पुरूष	51.32	22.65	7.03	0.75	18.25
स्त्री	21.50	42.25	9.75	0.55	15.95
कुल	40.52	32.04	6.70	0.65	20.09

स्रोतः जिला सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद मिर्जापुर, 1990 से संगणित ।

जनगणना 1981 के अनुसार, सम्पूर्ण क्रियाशील जनसंख्या को चार क्रियात्मक वर्गों - कृषक (काश्तकार), कृषक-मजदूर, गृह-उद्योग तथा अन्य कर्मी के अन्तर्गत रखा गया है । चुनार तहसील की कुल क्रियाशील जनसंख्या में कृषक-कर्मी का प्रतिशत लगभग 40.52 है जो जिले की 37.24 प्रतिशत से अधिक है । तालिका 2.6 से स्पष्ट है कि तहसील में कृषक-कर्मियों का यह प्रतिशत अन्य कर्मियों से अधिक है । तहसील में पुरूषों की क्रियाशील जनसंख्या का 51.32 प्रतिशत भाग कृषक-कर्मी के रूप में संलग्न है जबकि स्त्रियों की क्रियाशील जनसंख्या का 42.25 भाग कृषक-मजदूर के रूप में है । महिलाओं की क्रियाशील जनसंख्या का मात्र 21.5 प्रतिशत भाग ही कृषक-कर्मी के अन्तर्गत कार्यरत है । उपर्युक्त निष्कर्षों से यह तथ्य प्रकट होता है कि अध्ययन-प्रदेश में महिलाओं की स्थिति सन्तोषजनक नहीं है। तालिका

2.6 से यह भी स्पष्ट है कि गृह उद्योग में महिलाओं का प्रतिशत पुरूषों की अपेक्षा कुछ अधिक है । यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि क्रियाशील जनसंख्या का एक वृहद भाग उपर्युक्त क्रियात्मक-वर्गों के अतिरिक्त अन्य कार्यों - ईंट निर्माण, सीमेन्ट उद्योग, पाटरी उद्योग, खनन/उत्खनन, पशुपालन और वृक्षारोपण आदि में संलग्न है ।

2.4.2 मानव-अधिवास

प्राकृतिक वातावरण के विविध संघटकों और मानव क्रियाओं के परस्परिक सहयोग से निर्मित सांस्कृतिक भू-दृश्य में मानव अधिवासों (बस्ती) का सर्वाधिक महत्व है । यद्यपि इन अधिवासों की अपनी-अपनी विशेषताएं होती हैं तथापि इनकी सामान्य विशेषताओं - आकार, प्रकार, बसाव प्रतिरूप गहनता और अन्तरालन का अध्ययन किया जा सकता है ।

तालिका 2.7

चुनार तहसील में आकारानुसार गांवों का वितरण, 1991

वर्ग	बस्तियों का आकार	बस्तियों की संख्या तहसील चुनार	राजगढ़ विकास-खण्ड	सीखड़ विकास-खण्ड	नरायनपुर विकास-खण्ड	जमालपुर विकास-खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	अतिलघु (500 से कम)	198	27	20	69	82
II.	लघु (500से 999)	186	33	23	68	62
III.	मध्यम(1000 से 1999)	113	18	12	40	43
IV.	वृहद (2000 से 4999)	49	14	11	9	15
V.	अति वृहद (5000 से अधिक)	1	1	0	0	0
कुल बस्तियां		547	93	66	186	202

स्रोत : तहसील प्रारम्भिक जनगणना हस्तलिखित पुस्तिका, 1991 द्वारा संगणित ।

TAHSIL CHUNAR
DISTRIBUTION OF SETTLEMENTS
N
POPULATION SIZE OF SETTLEMENTS
<500
500 - 999
1000 - 1999
2000 - 4999
>5000
TOWN
3 0 3 6 9
Km

Fig. 2·7

चुनार तहसील में छोटे-बड़े सभी आकार की बस्तियों की कुल संख्या 547 है। इनमें 500 से कम आबादी वाले अति लघु बस्तियों की संख्या सर्वाधिक 198 है, तत्पश्चात लघु, मध्यम एवं वृहद आकार की संख्या क्रमशः 186, 113 तथा 49 है । अति वृहद आकार की बस्ती तहसील में मात्र मधुपुर है । उपर्युक्त सभी बस्तियां ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत ही अवस्थित हैं । नगरीय-क्षेत्र के अन्तर्गत दो अति वृहद बस्तियां चुनार (28,189) तथा अहरौरा (18,552) हैं । तालिका 2.7 में विकास-खण्ड स्तर पर विविध प्रकार की बस्तियों की संख्या तथा मानचित्र 2.7 में आकारानुसार बस्तियों का प्रतिरूप प्रदर्शित है ।

साधारणतया बस्तियों को दो प्रकारों - ग्रामीण एवं नगरीय, में विभक्त किया जा सकता है । जनगणना 1991 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार तहसील की सम्पूर्ण जनसंख्या का लगभग 91.16 प्रतिशत भाग गांवों में आबाद है तथा शेष 8.84 प्रतिशत भाग चुनार एवं अहरौरा दो नगरीय बस्तियों में । यद्यपि अध्ययन प्रदेश की अधिकांश बस्तियां न्यष्टित[14] तथा पुंजित[15] प्रकार की हैं । तथापि यत्र-तत्र संयुक्त प्रकार की बस्तियां भी दृष्टगत होती हैं । स्मरणीय है कि बस्तियों के प्रकार तो किसी बस्ती में मकानों की संख्या और मकानों के बीच पारस्परिक दूरी के आधार पर निश्चित होते हैं किन्तु बस्तियों के प्रतिरूप उन बस्तियों की आकृति के अनुसार होते हैं जिन्हें मकानों और मार्गों की स्थिति के क्रम और व्यवस्था के आधार पर ही पहचाना जाता है । यद्यपि चुनार तहसील में अधिकांश बस्तियों की प्रतिरूप अनियमित प्रकार का ही है, किन्तु मैदानी भागों में कहीं-कहीं चौक पट्टी प्रतिरूप की बस्तियां भी मिलती हैं । शोध छात्र जमुई जैसे बस्तियों के प्रतिरूप को '*T*' प्रतिरूप नाम देना चाहेगा जो कि त्रिभुजाकार प्रतिरूप का प्रारम्भिक रूप है ।

बस्तियों के संदर्भ में सघनता से तात्पर्य प्रति सौ वर्ग किमी क्षेत्रफल में बस्तियों की कुल संख्या से है जबकि अन्तरालन निकटस्थ बस्तियों के बीच की दूरी प्रदर्शित करता है । सघनता (गहनता) एवं अन्तरालन के मध्य सदैव व्युतक्रमानुपातिक सम्बन्ध होता है । चुनार तहसील में बस्तियों की औसत गहनता 49 बस्ती प्रति 100 वर्ग किमी तथा औसत अन्तरालन 1.54 किमी पायी जाती है । तहसील के राजगढ़ विकास-खण्ड में

न्यूनतम सघनता (19 बस्ती/100 वर्ग किलोमीटर) तथा अधिक अन्तरालन (2.49 किलोमीटर) और नरायनपुर विकास-खण्ड में अधिकतम गहनता (81 बस्ती/100 वर्ग किलोमीटर) तथ न्यूनतम अन्तरालन (1.2 किलोमीटर) मिलता है ।

तालिका 2.8

चुनार तहसील में गांवों की सघनता एवं अन्तरालन

क्षेत्र का नाम	**क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)**	**बस्तियों की की संख्या**	**सघनता (प्रति 100 वर्ग किमी0)**	**अन्तरालन(किमी0)**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजगढ़	499.61	93	19	2.49
सीखड़	116.80	66	57	1.42
नरायनपुर	230.03	186	81	1.20
जमालपुर	264.62	202	76	1.23
तहसील चुनार	1123.04	547	49	1.54

स्रोतः तहसील प्रारम्भिक जनगणना पत्रिका हस्तलिखित 1991 से संगणित ।

बस्तियों के अन्तरालन की संगणना माथेर द्वारा प्रयुक्त नियम से की गयी है, यथा -

$$\text{बस्ती अन्तरालन} = 1.0746 \quad \frac{\text{क्षेत्रफल}}{\text{बस्तियों की संख्या}}$$

2.4.3 कृषि

कृषि चुनार तहसील की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है। तहसील की 91.16 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और इनका मुख्य व्यवसाय कृषि है। सम्पूर्ण कार्यशील जनसंख्या का लगभग 72.56 प्रतिशत भाग यहां किसी न किसी रूप में इस व्यवसाय में लगा हुआ है। वर्ष 1990-91 में तहसील के कुल भागोलिक क्षेत्रफल का 56.89 प्रतिशत क्षेत्र शुद्ध बोया गया था, जिसका 67.86 प्रतिशत भाग सिंचित था। यद्यपि मानव बढ़ती जनसंख्या दबाव से निपटने के लिए तहसील के प्रत्येक क्षेत्र में विविध प्रकार की फसलों को उगाने के लिए प्रयत्नशील है तथापि इस प्रदेश में फसलों को क्षेत्रीय विशिष्टता प्राप्त है। तहसील के पश्चिमोत्तर नीचले गंगा के मैदान में रबी की फसलें ही मुख्य हैं क्योंकि खरीफ की फसलों के समय यह भू-क्षेत्र गंगा नदी की बाढ़ के चपेट में आ जाता है। यहां कि मुख्य फसलें गेहूं, चना, मटर, मसूर, आलू, मूंगफली, लाही, अरहर एवं गन्ना आदि हैं। तहसील का पूर्वोत्तर भाग चावल प्रधान क्षेत्र है। यहां जरगो एवं अहरौरा बांध इस प्रदेश के लिए वरदान स्वरूप है - जिनसे अनेक नहरें निकालकर इस प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की गयी है। तहसील के दक्षिणी पठारी भाग में सामान्तया मिश्रित खेती होती है जिसमें अपेक्षाकृत मोटे अनाजों - निम्नस्तरीय चावल, कठोर गेहूं, जौ, जई, मक्का, बाजरा, कोदो एवं सांवा आदि की प्रमुखता है।

2.4.4 उद्योग

अध्ययन प्रदेश औद्योगिक दृष्टिकोण से बिल्कुल उदासीन नहीं है। चुनार के निकट कजरहट नामक स्थान पर सन् 1975 में एक सीमेन्ट कारखाने की स्थापना तहसील की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह कारखाना एशिया में (जापान को छोड़कर) द्वितीय सबसे बड़ा सीमेन्ट का कारखाना है जो रंगीन सीमेन्ट के लिए स्थापित है। इसकी स्थापना लागत एक अरब बीस करोड़ रूपये तथा उत्पादन क्षमता पांच हजार टन प्रतिदिन है। इस कारखाने में लगभग पन्द्रह सौ व्यक्तियों को रोजगार मिला है।

चुनार में पाटरी उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ है। यहां की चीनी मिट्टी के बर्तन आज भी भारत में अपनी साख बनाये हुए हैं। चुनार तहसील में भवन-निर्माण सामग्री के रूप में ईं-निर्माण उद्योग एवं प्रस्तर-खनन उद्योग काफी विकसित है। ईंट-निर्माण उद्योग

द्वो प्रमुख पेटी मिर्जापुर - वाराणसी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1) के दोनों ओर जमुई से नरायनपुर तक विस्तृत है। इस पेटी की लगभग सौ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 90 ईंट-भट्ठे हैं जिसके मुख्य केन्द्र कैलहट, फत्तेपुर, परतापपुर, नियामतपुर विशेषरपुर, जमुई, भरेहठा एवं पचेवरा हैं। प्रस्तर-खनन उद्योग का विकास तहसील के दक्षिणी पठारी भाग में हुआ है। इसमें प्रमुख केन्द्र रामपुर-शक्तेशगढ़, भेड़ी, जमती, अहरौरा, भुइली-खास आदि स्थानों पर हैं। यहां प्रस्तर उद्योग के विकास का प्रमुख कारण इस प्रदेश की कोमल बालूका पत्थरों की क्षैतिज एवं समानान्तर भूगर्भिक संरचना है। उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त इस प्रदेश में हथकरघा उद्योग, कालीन उद्योग एवं चर्म उद्योग का भी पर्याप्त विकास हुआ है। यद्यपि कालीन उद्योगा का विकास तहसील के सभी क्षेत्रों में छिट-पुट रूप में हुआ है किन्तु हथकरघा उद्योग विकास-खण्ड - जमालपुर में पारिवारिक उद्योग के रूप में विकसित है। चर्म उद्योग का विकास मदनपुरा और अहरौरा के अति लघु क्षेत्रों में हुआ है। स्मरणीय है कि उपर्युक्त उद्योगों में कुछ को छोड़कर अधिकांश का विकास आजीविका हेतु हुआ है ।

2.4.5 परिवहन

चुनार तहसील में परिवहन व्यवस्था का समुचित विकास नहीं हो पाया है। यद्यपि देश का प्रमुख रेलमार्ग (दिल्ली-हावड़ा मार्ग) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1 (सड़क मार्ग) इस प्रदेश से होकर गुजरता है तथापि स्थानीय कार्यों में सहायक क्षेत्रीय मार्गों का सर्वथा अभाव है। अध्ययन प्रदेश की भौगोलिक संरचना में अत्यधिक विविधता होने के कारण यहां परिवहन व्यवस्था का समुचित विकास नहीं हो सका है। तहसील के दक्षिणी पठारी भाग में उत्तरी मैदान की अपेक्षा यातायात के साधनों की नितान्त कमी है। साधारणत चुनार तहसील के परिवहन मार्गों में सड़क, रेल-लाइन एवं जल यातायात (नदी) तीनों का ही अंशतः योगदान है। तहसील में सड़कों की कुल लम्बाई लगभग 357.15 किलोमीटर तथा घनत्व 31.8/100 किलोमीटर^2 है जब कि रेल-लाइनों की कुल लम्बाई 53.1 किलोमीटर एवं घनत्व 4.73 किलोमीटर/100 किलोमीटर^2 है। जल-परिवहन के दृष्टिकोण से चुनार घाट का महत्वपूर्ण स्थान है। वर्षाकाल (जून से अक्टूबर तक) में यहां चलने वाले नाव एवं स्टीमर ही विकास-खण्ड - सीखड़ को तहसील मुख्यालय से जोड़ने के एक मात्र साधन हैं। शुष्क काल (नवम्बर से मई तक) में यहां पीपे का पुल बन जाने के कारण छोटी नावें ही यहां फेरी का कार्य करती हैं। गंगा नदी में चुनार से वाराणसी तक लगभग 35 किलोमीटर की जल-यात्रा प्रायः पालदार नावों

द्वारा होता है। यह जल-यात्रा अबाध रूप से न होकर विभिन्न चरणों (चुनार-अदलपुरा, अदलपुरा-गांगपुर, गांगपुर-शेरपुर, एवं शेरपुर - वाराणसी) में पूरी होती है। छोटे पैमाने पर फेरी का कार्य गांगपुर एवं शेरपुर में भी सम्पन्न होता है। यहां से हरी सब्जी एवं दूध की आपूर्ति वाराणसी महानगर को की जाती है। स्मरणीय है कि वर्तमान युग में द्रुतगामी वाहनों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण मन्द गति से चलने वाली नौकाएं अब फेरी के कार्यों तक ही सीमित हो गयी हैं ।

सन्दर्भ

1. **Mishra,P.N.:***Uttar Pradesh District Gazetteers, Mirzapur, Govt. of U.P. Lucknow, 1979.*

2. सांख्यिकीय पत्रिका, जनपद मिर्जापुर, 1990.

3. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 1, पृष्ठ 289.

4. ***Ginsberg,N.(ed.)****Pattern of Asia(London,1958)p.437.*

5. ***Medlieot, H.B. and Blanford, W.T.*** *A Manual of Geology of India, Part I, revised by R.D. Oldham p.431.*

6. ***Mukherjee, P.K.*** *A text Book of Geology, 3rd edition (Calcutta, 1966), p. 330.*

7. ***Maurya R.*** *' Development planning of a Backward Economy' A case study of Tanda Tahsil Uttar Pradesh, Unpubished D.Phil. thesis, Allahabad University, p. 32.*

8. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 1.

9. **जैन एवं वोहरा,** 'विश्व का सांस्कृतिक भूगोल' अकैडमिक पब्लिशर्स 1983, पृष्ठ 2.

10. **चांदना आर0सी0** : जनसंख्या भूगोल, कल्यानी पब्लिशर्स नयी दिल्ली- लुधियाना, प्रथम संस्करण, 1987.

11. वही

12. वही

13. पूर्वोक्त संन्दर्भ संख्या 7, पृष्ठ 45.

14. *Frinch, Trewartha, Rabinson and Hammond: Elements of Geography: Physical and Cultural, 1957, p. 548.*

15. ***Vidal** De **la** Blanche: Principle of Human Geography, 1959, p. 289.*

****

अध्याय तीन

विकास-केन्द्रों का स्थानिक कार्यात्मक संगठन एवं नियोजन

3.1 प्रस्तावना

भारत गावों का देश है और इसकी अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित है।[1] परिणामस्वरूप यहाँ की आर्थिक सामाजिक अधःसंरचना *(Infra-structure)* नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा निम्नस्तरीय है । इनके पिछड़ेपन के कारण ही वृहद् पैमाने पर कार्यशील जनसंख्या का द्रुतगति से प्रवास हो रहा है जो वर्तमान में जनसंख्या की एक प्रमुख समस्या है । जनसंख्या-स्थानान्तरण की इस समस्या का निराकरण ग्रामीण क्षेत्रों की उन बस्तियों को विकसित करके किया जा सकता है । जिनमें आधुनिक विकास की आधारभूत् आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं का केन्द्रीकरण हुआ हो तथा जो अपने सेवा-क्षेत्रों से परिवहन एवं संचार माध्यमों द्वारा भली-भाँति जुड़े हुए हों । अतः इस अध्याय का उद्देश्य अध्ययन-प्रदेश में सेवा-केन्द्रों का चुनाव तथा उनकी अपर्याप्तता को देखते हुए नवीन सेवा-क्षेत्रों को प्रस्तावित करना है ।

3.2 विकास-केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्यों की संकल्पना

ऐसी अवस्थिति जो अपने चतुर्दिक् सहायक क्षेत्रों को वस्तुएँ एवं सेवाएं प्रदान करती है, सामान्यतः विकास केन्द्र/सेवा केन्द्र अथवा केन्द्रीय स्थान के रूप में जानी जाती है वस्तुतः केन्द्रीय स्थान का महत्व संसाधनों की पर्याप्तता तथा अपनी विशिष्ट अवस्थिति के आधार पर उस स्थान पर कुछ कार्यों की उपलब्धता के कारण होता है । सर्वप्रथम मार्क जैफसरन[2] ने इस प्रकार की बस्तियों की पहचान केन्द्र-स्थल के रूप में किया । तत्पश्चात् क्रिस्ट्रालर[3] ने अपने केन्द्र-स्थल सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । किसी प्रदेश में अनेक सेवा-केन्द्र हो सकते हैं जो वितरण-विन्दुओं का कार्य करते हैं तथा प्रत्येक वितरण-बिन्दु अपने समीपवर्ती क्षेत्र को सेवाएँ प्रदान करता है । ऐसी सेवाएँ किसी कस्बे की हो सकती है या किसी ग्रामीण-क्षेत्र में स्थित स्थान (बस्ती) की । साधारणतः प्रदेश के विभिन्न विकास-केन्द्रों के कार्यो की मात्रा एवं गुणवत्ता में कोई आनुपातिक सम्बन्ध नहीं होता तथापि ऐसा मान लिया जाता है कि जिस बस्ती पर अधिक कार्यो का सकेन्द्रण होता है उसके द्वारा सम्पादित कार्यों का स्तर भी अपेक्षाकृत् ऊँचा होता है ।

केन्द्रीय-स्थल एवं सेवा केन्द्रों पर अनेक कार्य अवस्थित होते हैं - इनमें कुछ कार्य केवल अपनी जनसंख्या के लिए सम्पादित होते हैं तथा कुछ निकटवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या-हेतु । किसी सेवा केन्द्र द्वारा जो कार्य केवल अपनी जनसंख्या हेतु सम्पादित किया जाता है उसे, उस सेवा केन्द्र का सामान्य कार्य (*Non-BasicFunction*), तथा जो उसके द्वारा निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए किया जाता है उसे उसका आधारभूत् कार्य (*Basic Function*) कहते हैं। सामान्य कार्य तो लगभग सभी बस्तियों में विद्यमान होते हैं किन्तु आधारभूत् कार्य कुछ विशिष्ट बस्तियों में ही अवस्थित होता है । क्रिस्ट्रालर [4] ने इन्हीं आधारभूत् कार्यों को केन्द्रीय-कार्य (*Central Function*) कहा है । वस्तुतः केन्द्रीय कार्य वे कार्य हैं जिनमें सेवा केन्द्र तथा सेवा क्षेत्र दोनों के ही विकास की संभावनाएँ निहित होती हैं । किसी कार्य का केन्द्रीय होना पूर्णतः इस बात पर निर्भर करता है कि इस कार्य का तत्सम्बन्धित क्षेत्र में महत्व क्या है? इस प्रकार यह सेवा केन्द्रों द्वारा सम्पादित कार्यों तथा सेवित-क्षेत्र के निवासियों हेतु इन कार्यों की आवश्यकता के बीच अनुपात का द्योतक है । केन्द्रीय कार्यों का महत्व स्वयं के तथा निकटवर्ती क्षेत्रों के विकास में सन्निहित है । यह विकास कार्य निकटवर्ती क्षेत्रों में सेवा केन्द्र द्वारा सृजित सेवाओं के माध्यम से तथा केन्द्र-स्थल में सेवा क्षेत्रों द्वारा प्राप्त आय के माध्यम से प्रतिफलित होता है । संक्षेप में केन्द्रीय कार्यों का प्रमुख उद्देश्य तत्सम्बन्धित सेवा केन्द्र एवं सेवा क्षेत्रों का विकास करना है, अतः इन्हें केन्द्रीय-विकास कार्य (*Central GrowthFunction*) कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है । प्रस्तुत अध्ययन में प्रशासनिक, कृषि एवं पशुपालन, उद्योग - वाणिज्य, व्यापार-वित्त, परिवहन-संचार, शिक्षा-मनोरंजन तथा स्वास्थ्य सम्बन्धित कुल 38 केन्द्रीय कार्यों का अवलोकन एवं आंकलन किया गया है जिनकी प्रवेशी-जनसंख्या, विशिष्ट-जनसंख्या तथा कार्याधार-जनसंख्या तालिका 3.1 में प्रदर्शित की गयी है ।

तालिका 3.1

केन्द्रीय विकास कार्य

केन्द्रीय कार्य	केन्द्रीय कार्यो की संख्या	प्रवेशी जनसंख्या	विशिष्ट जनसंख्या	कार्याधार जनसंख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) प्रशासनिक कार्य				
1. तहसील मुख्यालय	1	28189	28189	28189
2. नगर पालिका/टाउन एरिया	2	18552	18552	18552
3. विकास खण्ड केन्द्र	3	1978	28189	15083
4. न्याय पंचायत केन्द्र	38	238	4095	2166
5. पुलिस स्टेशन	4	1165	18552	9858
6. पुलिस चौकी	9	534	4773	2653
(ख) कृषि तथा पशुपालन				
7. भूमि सर्वेक्षण केन्द्र	1	28189	28189	28189
8. शीत भंडार	3	635	868	751
9. पशु अस्पताल	9	635	18552	9593
10. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	10	635	18552	9593
11. बीज एवं उर्वरक केन्द्र	40	238	5900	3969
(ग) उद्योग/वाणिज्य/खनिज				
12. पाटरी उद्योग केन्द्र	10	28189	28189	28189
13. सीमेण्ट उद्योग केन्द्र	1	4773	4773	4773
14. ईंट निर्माण केन्द्र	121	168	4095	2131
15. प्रस्तर विनिर्माण केन्द्र	11	495	18552	9523
16. थोक व्यापार केन्द्र	5	635	18552	9593
17. फुटकर व्यापार केन्द्र	31	524	2591	1557

क्रमशः

(घ) वित्तीय कार्य				
18. राष्ट्रीयकृत बैंक	18	635	18552	9593
19. भूमि विकास बैंक	1	28189	28189	28189
20. जिला सहकारी बैंक	5	524	28189	14356
21. ग्रामीण बैंक	10	868	5900	3384
22. सहकारी समितियाँ	37	341	18552	9446
(ड.) परिवहन /संचार				
23. बस स्टेशन	8	635	5900	3267
24. बस स्टाप	19	524	3876	2200
25. रेलवे स्टेशन	6	635	28189	14412
26. फेरी घाट	4	238	28189	14213
27. डाकघर	63	128	3256	1692
28. दूरभाष/दूरसंचार	10	524	18552	9538
(च) शिक्षा/मनोरंजन				
29. प्राथमिक स्कूल	337	168	732	450
30. जूनियर हाई स्कूल	71	297	5900	3098
31. हाईस्कूल	36	654	4773	2713
32. इण्टरमीडिएट कालेज	20	741	5900	3320
33. उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	1	2591	2591	2591
34. छविगृह	4	3228	18552	10890
(छ) स्वास्थ्य				
35. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	10	1122	5900	3511
36. मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	39	473	4773	2623
37. परिवार नियोजन केन्द्र	3	2498	28189	15343
38. अस्पताल	18	1165	4773	2969

नोट : (1) पाटरी उद्योग में केवल कारखानों की संख्या ही समाहित है जिनमें चीनी मिट्टी के बर्तन एवं मूर्तिया पकायी जाती हैं ।

3.3 केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम

सामान्यतः केन्द्रीय कार्यों का स्तर उनके महत्व का सूचक है। अतः केन्द्रीय कार्यों का पदानुक्रम निर्धारित करना आवश्यक प्रतीत होता है। केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम- निर्धारण से तात्पर्य सेवा क्षेत्र में उनके तुलनात्मक महत्व से है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित दो तथ्य विचारणीय हैं -

(अ) सेवा केन्द्रों पर केन्द्रीय कार्यों की संख्या में वृद्धि उच्च स्तरीय केन्द्रीय कार्यों को जन्म देगा, तथा,

(ब) दो भिन्न सेवा केन्द्रों में क्रमशः उच्च-स्तरीय एवं निम्न स्तरीय केन्द्रीय कार्यों की समान मात्रा का जमाव होने पर उच्च-स्तरीय केन्द्रीय कार्य से युक्त सेवा केन्द्र अपेक्षाकृत अधिक जनसंख्या को सेवा प्रदान करेगा ।

केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम निर्धारण में कतिपय विद्वानों ने प्रवेशी जनसंख्या को आधार बनाया है। किन्तु प्रक्षेपी-जनसंख्या राजनैतिक एवं ऐतिहासिक कारणों से अधिक प्रभावित होने के कारण पदानुक्रम की उपयुक्त स्थिति में विचलन पैदा कर देती है। अतः केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम-निर्धारण में प्रवेशी-जनसंख्या का आधार बनाना तर्कसंगत नहीं है। प्रस्तुत अध्ययन में प्रवेशी जनसंख्या एवं विशिष्ट जनसंख्या के औसत पर आधारित कार्यभार जनसंख्या को पदानुक्रम निर्धारण का आधार बनाया गया है जो सेवा केन्द्र पर किसी कार्य को स्थापित होने के लिए आवश्यक जनसंख्या का सूचक है। प्रवेशी-जनसंख्या किसी प्रदेश में किसी कार्य से सम्बन्धित वह न्यूनतम जनसंख्या है जिस पर किसी बस्ती में वह कार्य अवस्थित होता है और विशिष्ट-जनसंख्या वह जनसंख्या आकार है जिसके ऊपर कोई कार्य सर्वगत (*Ubiquitous*) हो जाता है।[5] अर्थात इस जनसंख्या आकार के ऊपर स्थित प्रदेश की सभी बस्तियों में यह कार्य सम्पादित होता है। कार्याधार जनसंख्या की संगणना रीडमुंच[6] विधि द्वारा की गयी है। तत्पश्चात न्यूनतम कार्याधार-जनसंख्या से सभी केन्द्रीय कार्यों की कार्याधार-जनसंख्या को विभाजित कर उनकी कार्याधार सूचकांक प्राप्त की गयी है। पुनः कार्याधार सूचकांक के अलगाव-बिन्दु के आधार पर केन्द्रीय कार्यों के पदानुक्रम निर्धारित किये गये हैं। तालिका 3.2 में केन्द्रीय कार्य, कार्याधार-जनसंख्या, एवं कार्याधार जनसंख्या सूचकांक तथा तालिका 3.3 में

कार्याधार-जनसंख्या सूचकांक के आधार पर पदानुक्रम का विवरण प्रस्तुत है।

तालिका 3.2

केन्द्रीय कार्य तथा केन्द्रीय कार्याधार जनसंख्या सूचकांक

केन्द्रीय कार्य		केन्द्रीय कार्याधार जनसंख्या	केन्द्रीय कार्याधार जनसंख्या सूचकांक
(1)		(2)	(3)
1.	तहसील मुख्यालय	28189	62.64
2.	भूमि-सर्वेक्षण केन्द्र	28189	62.64
3.	पाटरी उद्योग केन्द्र	28189	62.64
4.	भूमि-विकास बैंक	28189	62.64
5.	नगर पालिका/टाउन एरिया	18552	41.23
6.	परिवार नियोजन केन्द्र	15343	34.10
7.	विकास खण्ड केन्द्र	15083	33.52
8.	रेलवे स्टेशन	14412	32.03
9.	जिला सहकारी बैंक	14356	31.90
10.	फेरी घाट	14213	31.58
11.	छवि-गृह	10890	24.20
12.	पुलिस स्टेशन	9858	21.91
13.	पशु-अस्पताल	9593	21.32
14.	कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	9593	21.32
15.	थोक व्यापार केन्द्र	9593	21.32
16.	राष्ट्रीय कृत बैंक	9593	21.32
17.	दूरभाष/दूर संचार	9538	21.20
18.	प्रस्तर विनिर्माण केन्द्र	9523	21.16
19.	सहकारी समितियां	9446	20.99

क्रमशः

20.	सीमेन्ट उद्योग केन्द्र	4773	10.61
21.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3511	7.80
22.	ग्रामीण बैंक	3384	7.52
23.	इन्टरमीडिएट कालेज	3320	7.38
24.	बस स्टेशन	3267	7.26
25.	जूनियर हाई स्कूल	3098	6.88
26.	बीज एवं उर्वरक केन्द्र	3069	6.82
27.	अस्पताल	2969	6.60
28.	हाई स्कूल	2713	6.03
29.	पुलिस चौकी	2653	5.90
30.	मातृ शिशु कल्याण केन्द्र	2623	5.83
31.	उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	2591	5.76
32.	बस स्टाप	2200	4.89
33.	न्याय पंचायत केन्द्र	2166	4.81
34.	ईंट निर्माण केन्द्र	2131	4.74
35.	डाकघर	1692	3.76
36.	फुटकर व्यापार केन्द्र	1557	3.46
37.	शीत भण्डार	751	1.67
38.	प्राथमिक स्कूल	450	1.00

तालिका 3.3

कार्यों का पदानुक्रम

प्रदेश में कार्यों का स्तर (वर्ग)	कार्याधार जनसंख्या सूचकांक	कार्यों की संख्या
प्रथम	41.23 से अधिक	4
द्वितीय	31.58-41.23	6
तृतीय	20.99 - 24.20	9
चतुर्थ	1.00 - 10.61	19

3.4 विकास-केन्द्रों का निर्धारण

भारत में वर्तमान विकास केन्द्रों का प्रतिरूप ऐतिहासिक सांस्कृतिक शक्तियों तथा आर्थिक, राजनैतिक आवश्यकता का परिणाम है।[7] किसी प्रदेश में विकास केन्द्रों के निर्धारण से तात्पर्य प्रदेश में विकीर्ण बस्तियों में से उन बस्तियों की तलाश करना है जो विकास-केन्द्र के रूप में कार्यरत हैं।

3.4.1 विगत अध्ययनों का पुनरीक्षण

विकास केन्द्रों के निर्धारण की प्रक्रिया नियोजन की आवश्यकता के अनुरूप ही विकसित होती आयी है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में जब योजनाबद्ध विकास की नीति अपनायी गयी तो क्षेत्रीय-विकास नियोजन को बल मिला और अनेक भारतीय विद्वानों ने विभिन्न आधारों पर विकास केन्द्रों अथवा सेवा केन्द्रों के निर्धारण का प्रयास किया। सुधीर वनमाली,[8] सेन,[9] कुमार एवं शर्मा,[10] एस0वी0सिंह[11], आदि विद्वानों ने कार्यो के सकेन्द्रण तथा औसत कार्याधार-जनसंख्या के आधार पर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया है। पाठक[12] तथा भट्ट[13] ने बस्तियों की केन्द्रियता को विकास केन्द्रों के निर्धारण का आधार बनाया है। दत्ता[14] ने अपने अध्ययन में परिवहन के सूचकांक के आधार पर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया है। आलम ने जहां विकास केन्द्रों का निर्धारण में केवल जनसंख्या को आधार बनाया है वहीं जगदीश सिंह[15] ने जनसंख्या-आकार के साथ-साथ कार्यो का सकेन्द्रण के आधार पर विकास केन्द्रों का निर्धारण किया है। रमाशंकर मौर्य[16] ने टांडा तहसील के अध्ययन में केन्द्रीय कार्यो की अवस्थिति, औसत कार्याधार-जनसंख्या तथा परिवहन द्वारा बस्तियों की परस्पर सम्बद्धता के आधार पर सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया है।

3.4.2 निर्धारण की समस्याएं - सेवा केन्द्रों का निर्धारण एक जटिल प्रकिया है। अध्ययन-कर्ता को सेवा केन्द्रों का निर्धारण करते समय अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सर्वप्रमुख एवं प्राथमिक समस्या यह है कि किसी प्रदेश में अवस्थित बस्तियों की संख्या के किस अनुपात में सेवा केन्द्रों का निर्धारण किया जाय ? सेवा केन्द्रों के निर्धारण की दूसरी समस्या वांछित आंकड़ों की अनुपलब्धता है। वांछित आंकड़ों की अनुपस्थिति मेंपरिमाणात्मक

विश्लेषण नहीं हो पाता, परिणामस्वरूप सेवा केन्द्रों का सही निर्धारण असंभव हो जाता है । तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण समस्या प्रशासनिक दृष्टिकोण से विभाजित एवं परिभाषित इकाइयों की है । कभी-कभी किसी राजस्व ग्राम की सीमा में स्थित कोई ऐसा सेवा केन्द्र होता है जिसका नाम उस केन्द्र पर सुविधाओं के अत्यधिक सकेन्द्रण के कारण राजस्व-ग्राम के नाम से अधिक चर्चित होता है । ऐसी स्थिति में यह समस्या उत्पन्न होती है कि उक्त सेवा केन्द्र को क्या नाम दिया जाय ? अध्ययन प्रदेश में सहसपुरा राजस्व ग्राम के अन्तर्गत परसोधा एक चर्चित सेवा केन्द्र है, समस्या यह है कि इस सेवा केन्द्र का नाम सहसपुरा हो या परसोधा । कई सेवा केन्द्र ऐसे होते हैं जो कई प्रशासनिक इकाइयों में विभक्त होते हैं और उनका नाम किसी भी प्रशासनिक इकाई के नाम से भिन्न होता हे । ऐसी स्थिति में कठिनाई यह होती है कि उक्त सेवा केन्द्र को किस प्रशासनिक इकाई में रखा जाय और उसे क्या नाम दिया जाय ? अध्ययन प्रदेश में अदलहाट एवं नरायनपुर सेवा केन्द्र कई राजस्व ग्रामों में विस्तृत है और उनका नाम किसी भी राजस्व ग्राम से भिन्न है । ऐसा भी देखा गया है कि यदि किसी राजस्व ग्राम के सीमान्त पर किसी कारखाने की स्थापना होती है तो निकटवर्ती दूसरे राजस्व ग्राम के सीमान्त में आबादी का विकास हो जाता है और यहाँ अनेक सुविधाओं का सकेन्द्रण होने लगता है । ऐसी स्थिति में समस्या यह होती है कि सेवा केन्द्र उस राजस्व ग्राम को माना जाय जहाँ कारखाने की स्थापना हुई है अथवा उसे जहाँ आबादी का विकास एवं सुविधाओं का सकेन्द्रण हुआ है ।

3.4.3 विकास केन्द्रों का निर्धारण में प्रयुक्त विधि - यद्यपि सेवा-केन्द्रों के निर्धारण की विधि अध्ययन-कर्ता के मस्तिष्क की उपज है तथापि विगत अध्ययनों में प्रयुक्त विधियों का अवलोकन आवश्यक है । प्रस्तुत अध्ययन में विकास केन्द्रों के निर्धारण हेतु निम्नलिखित शर्तो को आधार बनाया गया है -

(1) केन्द्रीय कार्यों को रखने वाली बस्तियों में वह बस्ती ही सेवा केन्द्र मानी जायेगी जिसकी जनसंख्या तत्सम्बन्धित कार्यो की कार्याधार जनसंख्या से ऊपर है ।

(2) तीन अथवा तीन से अधिक केन्द्रीय कार्यों को सम्पादित करने वाली बस्ती ही सेवा केन्द्र होगी । तथा ,

तालिका 3.4

तहसील में निर्धारित सेवा-केन्द्र

सेवा-केन्द्रों के नाम		जनसंख्या(1991)	सम्पादित केन्द्रीय कार्यों की संख्या
(1)		(2)	(3)
1.	चुनार	28,189	57
2.	अहरौरा	18.552	32
3.	जमालपुर	3,228	22
4.	पथरौरा	1,165	22
5.	नरायनपुर	635	17
6.	कैलहट	2,591	17
7.	सीखड़	2,498	14
8.	भुइली	3,576	13
9.	मधुपुर	5,900	12
10.	हांसीपुर	1,978	12
11.	शेरवा	1,248	11
12.	इमिलिया कला	524	11
13.	रामपुर-शक्तेशगढ़	2,684	9
14.	बकियाबाद	4.773	9
15.	कोलना	2,783	9
16.	मेड़िया	1,716	9
17.	बहुआर	1,935	8
18.	आ0ला0सुल्तानुपर	4,095	8
19.	ओड़ी	2,194	8

क्रमश.

20.	छोटा मिर्जापुर	3,203	8
21.	घाटमपुर	909	8
22.	सरिया	3,163	7
23.	मंगरहा.	2,067	7
24.	बरईपुर	984	7
25.	जलालपुर माफी	3,256	7
26.	जमुहार	2,973	7
27.	मठना	3,167	6
28.	गांगपुर	2,895	6
29.	गरौड़ी	1,122	6
30.	पटिहटा	2,352	6
31.	सहसपुरा	2,346	6
32.	जमुई	868	5
33.	सुरहा	1,881	5
34.	बगहां	2,528	5
35.	रामगढ़ कला	2,553	5
36.	भदावल	1,785	5
37.	पिड़खिर	2,352	5
38.	बगही	1,725	5
39.	सुकुरूत	2,750	5
40.	विदापुर	3,775	4
41.	रूदौली	3,867	4
42.	लठिया सहजनी	2,749	3

TAHSIL CHUNAR
SERVICE CENTRES
N
Mirzapur-Khurd
Baraipur
Mathana
Pirkhir
Rudauli
Gangpur
NARAINPUR
Araji Line
Sultanpur
Baghi
Sahaspura
Bidapur
Bagaha
Hansipur
Jalalpur
Maphi
Mangaraha
KALAHAT
Bahuar
JAMALPUR
Meriya
CHUNAR
Ori
Ramgarh
Kalan
Sikhar
Jamuie
Garauri
PATHRAURA
Kolana
Jamuhar
BAKIYABAD
Bhuili Khas
Lathia-Sahjani
Sherawa
Imalia
Ghatmpur
Suraha
Patihata
Sariya
AHRAURA
Rampur Suktes
Garh
Sukurut
MADHUPUR
SERVICE CENTRES
Ist ORDER
IInd ORDER
IIIrd ORDER
IVth ORDER
3 0 3 6 9
Km

Fig-3-1

(3) वे ही बस्ती सेवा केन्द्र माने जायेंगे जो परिवहन साधनों द्वारा अन्य बस्तियों से जुड़े हों अथवा परिवहन साधनों से अधिकतम तीन किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित हों।

उपर्युक्त शर्तों के आधार पर चुनार एवं अहरौरा दो नगरीय बस्तियों को मिलाकर अध्ययन प्रदेश में कुल 42 सेवा केन्द्रों का चयन किया गया है। तालिका 3.4 में इन सेवा केन्द्रों के नाम, जनसंख्या आकार तथा सम्पादित होने वाले केन्द्रीय कार्यों की संख्या का विवरण दिया गया है और चित्र 3.1 में उपर्युक्त सेवा केन्द्रों की स्थिति प्रदर्शित है ।

3.5 केन्द्रीयता एवं मान-निर्धारण

सेवा-केन्द्रों के अध्ययन में केन्द्रीयता की संकल्पना महत्वपूर्ण है। सामान्यतः केन्द्रियता से तात्पर्य सेवा केन्द्रों पर अवस्थित केन्द्रीय कार्यों के प्रादेशिक महत्व से है। क्रिस्टालर के अनुसार, केन्द्रीयता, विकास-केन्द्र द्वारा प्रदत्त सेवाओं और वहां के निवासियों की आवश्यकता के बीच आनुपातिक सम्बन्ध की द्योतक है।[17] भट्ट ने इसके गतिशील स्वरूप को स्वीकार करते हुए केन्द्रीय कार्यों की मात्रा (*Quantity*) और गुणवत्ता (*Quality*) के साथ-साथ उसकी संभाव्यता को केन्द्रीयता कहा है।

क्रिस्टालर[18] महोदय ने सर्वप्रथम 1933 में जर्मनी के नगरों में टेलीफोन के आंकड़ों को संकलित करते हुए 'केन्द्रीयता' को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया था। भारतीय अध्ययनों में केन्द्रीय कार्यों की संख्या को केन्द्रीयता-मापन में अधिक महत्व प्रदान किया गया है, जिसमें ओ0पी0 सिंह[19], जगदीश सिंह[20] विश्वनाथ [21] और प्रकाश राव[22] का कार्य उल्लेखनीय है। जैन [23] एवं ओ0पी0 सिंह ने केन्द्रीयता -मापन में परिवहन साधनों की सम्बद्धता को प्रमुखतः आधार बनाया है।

प्रदेश में केन्द्रीय कार्यों के आधार पर मान-निर्धारण केन्द्रीयता मापन की सामान्य प्रकिया है। साधारणतः प्रदेश में केन्द्रीय कार्यों की संख्या एवं वितरण-प्रतिरूप को दृष्टिगत करते हुए स्वविवेकानुसार, उनका मान 1, 2, 3, ... निर्धारित कर दिया जाता है।

विभिन्न कार्यों का महत्वानुसार मान

केन्द्रीय कार्य	प्रदेश में केन्द्रीय कार्यो की संख्या	प्रदेश में कार्यो का महत्व	प्रति इकाई कार्यो का महत्व
(1)	(2)	(3)	(4)
1. तहसील मुख्यालय	1	100	100
2. नगरपालिका/टाउन एरिया	2	100	50
3. विकासखण्ड केन्द्र	3	100	33.33
4. न्याय पंचायत केन्द्र	38	100	2.63
5. पुलिस स्टेशन	4	100	33.33
6. पुलिस चौकी	9	100	11.11
7. भूमि सर्वेक्षण केन्द्र	1	100	100.00
8. शीत भंडार	3	100	33.33
9. पशु अस्पताल	9	100	11.11
10. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र	10	100	10.00
11. बीज एवं उर्वरक केन्द्र	40	100	2.50
12. पाटरी उद्योग केन्द्र	10	100	10.00
13. सीमेन्ट उद्योग केन्द्र	1	100	100.00
14. ईंट निर्माण केन्द्र	121	100	0.83
15. प्रस्तर खनन केन्द्र	11	100	9.09
16. थोक व्यापार केन्द्र	5	100	20.00
17. फुटकर व्यापार केन्द्र	31	100	3.26
18. राष्ट्रीयकृत बैंक	18	100	5.56
19. भूमि विकास बैंक	1	100	100.00
20. जिला सहकारी बैंक	5	100	20.00
21. ग्रामीण बैंक	10	100	10.00

क्रमशः

22. सहकारी समितियाँ	37	100	2.70
23. बस स्टेशन	18	100	12.50
24. बस स्टाप	19	100	4.00
25. रेलवे स्टेशन	6	100	16.67
26. फेरी घाट	4	100	25.00
27. डाकघर	63	100	1.59
28. दूरभाष/दूर संचार	10	100	10.00
29. प्राथमिक स्कूल	337	100	0.30
30. जूनियर हाईस्कूल	71	100	1.41
31. हाई स्कूल	36	100	2.78
32. इण्टरमीडिएट कालेज	20	100	5.00
33. उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र	1	100	100.00
34. छविगृह	4	100	25.00
35. मातृशिशु कल्याण केन्द्र	10	100	1.12
36. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	39	100	10.00
37. परिवार नियोजन केन्द्र	3	100	33.33
38. अस्पताल	18	100	5.56

यह मान कार्यों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है । रमाशंकर मौर्य ने [24] टांडा तहसील के अध्ययन में केन्द्रीय कार्यों के सापेक्षिक महत्व को अधिक स्पष्ट करने के लिए सभी कार्यों को बराबर महत्व का माना है तथा प्रत्येक कार्य के लिए 100 अंक निर्धारित किया है । तत्पश्चात् इसे तत्सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यों की संख्या से विभाजित कर उस कार्य की प्रति इकाई महत्व को निर्धारित किया है । किन्तु यह स्मरणीय है कि सभी केन्द्रीय कार्यों का प्रादेशिक महत्व एक समान कदापि नहीं होता वरन् यह कार्यों की आवश्यकता एवं प्रादेशिक मांग पर आधारित होता है । अतः केन्द्रीय कार्यों के मान-निर्धारण में उसकी प्रादेशिक आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए ।

प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीय कार्यों के मान-निर्धारण के सन्दर्भ में मौर्य द्वारा बतलायी गयी विधि ही प्रयुक्त है । आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण कार्यों के प्रादेशिक आवश्यकता को व्यवहार में नहीं लाया जा सका है। इस प्रक्रिया में प्रदेश के सभी 38 केन्द्रीय कार्यों के मान-निर्धारण का विवरण तालिका 3.5 द्वारा प्रस्तुत है ।

विगत अध्ययनों में केन्द्रीयता निर्धारण में कार्यों के महत्व पर ही ध्यान केन्द्रित रहा है, किन्तु उनका सेवा-क्षेत्र जिसका प्रतिनिधित्व सेवित जनसंख्या द्वारा होता है भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । साधारणतः उच्चस्तरीय सेवा-केन्द्र एवं केन्दीय कार्यों का सेवा क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे एवं निम्नस्तरीय कार्यों के सेवा क्षेत्रों से बड़ा होता है ।[25] अतः प्रस्तुत अध्ययन में केन्द्रीयता मापन के सन्दर्भ में कार्यो के महत्व की तीव्रता एवं सेवित जनसंख्या को भी ध्यान में रखा गया है केन्द्रीय कार्यो की तीव्रता की माप सेवा केन्द्रों पर सम्पादित होने वाले सम्पूर्ण कार्यों के महत्व को जोड़कर प्राप्त किया गया है और इसे कार्यात्मक अंक नाम दिया गया है । तत्पश्चात् न्यूनतम कार्यात्मक अंक से प्रदेश के सभी सेवा-केन्द्रों के कार्यात्मक अंकों को विभाजित कर प्रत्येक सेवा केन्द्र का कार्यात्मक सूचकांक प्राप्त किया गया है जो केन्द्रों के सापेक्षिक महत्व को अधिक तर्कसंगत ढंग से प्रदर्शित करने में सक्षम है ।

इसी प्रकार न्यूनतम सेवित जनसंख्या से प्रत्येक सेवा केन्द्रों की सेवित जनसंख्या को विभाजित कर सेवा केन्द्रों की सेवित जनसंख्या सूचकांक प्राप्त किया गया है पुनः प्रत्येक सेवा केन्द्र के कार्यात्मक सूचकांक एवं सेवित जनसंख्या सूचकांक का योग करके केन्द्रीयता अंक प्राप्त किया गया है और अन्त में पूर्वोक्त प्रक्रिया द्वारा केन्द्रीयता सूचकांक का परिकलन किया गया है । तालिका 3.6 में सेवा केन्द्रों के केन्द्रीयता सूचकांक का विवरण प्रस्तुत किया गया है ।

तालिका 3.6

सेवा केन्द्रों का केन्द्रीयता सूचकांक

सेवा केन्द्र	केन्द्रीय कार्यो की संख्या	कार्यालय अंक	कार्यालय सूचकांक	सेवित जनसंख्या	सेवित जनसंख्या सूचकांक	केन्द्रीयता अंक	केन्द्रीयता सूचकांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(7)
1. चुनार	57	864.37	309.68	49,322	28.66	338.34	157.37
2. अहरौरा	32	294.42	105.53	42,554	24.73	130.25	60.58
3. जमालपुर	22	225.80	80.93	25,376	14.75	95.68	44.50
4. पथरौरा	22	137.87	49.42	5,409	3.14	52.56	24.45
5. नरायनपुर	17	173.15	62.06	24,102	14.01	76.07	35.38
6. कैलहट	17	145.01	51.98	8,311	4.83	56.81	26.42
7. सीखड़	14	103.11	36.96	13,035	7.57	44.53	20.71
8. भुइली	13	41.11	14.74	14,236	8.27	23.01	10.70
9. मधुपुर	12	95.18	34.12	19,785	11.50	65.62	30.52
10. हांसीपुर	12	87.87	31.50	3,692	2.15	33.65	15.65
11. शेरवॉ	11	61.50	22.04	1,721	1.00	23.04	10.72
12. इमलियॉ कला	11	73.70	26.42	4,669	2.71	29.13	13.35
13. रामपुर शक्तेशगढ़	9	65.39	23.44	24,589	14.29	37.73	17.55
14. बकियाबाद	9	132.68	47.56	13,056	7.59	55.15	25.65
15. कोलना	9	37.91	13.59	26,237	15.25	28.84	13.41
16. मेड़िया	9	25.30	9.10	6,112	3.55	12.65	5.88
17. बहुआर	8	29.85	10.70	13,187	7.66	18.36	8.54
18. ओड़ी	8	13.74	4.93	8,773	5.10	10.03	4.67

क्रमश:

19. छोटा मिर्जापुर	8	21.11	7.57	5,713	3.32	10.89	5.07
20. घाटमपुर	8	49.94	17.90	12,298	7.15	25.05	11.65
21. आ0ला0 सुल्तानपुर	8	13.33	4.78	12,777	7.42	12.20	9.81
22. सरिया	7	39.86	14.29	11,677	6.79	21.08	5.46
23. मगरहा	7	30.10	10.79	4,915	2.86	13.65	4.79
24. बरईपुर	7	20.55	7.37	5,045	2.93	10.30	9.93
25. जलालपुर माफी	7	52.11	18.68	4,570	2.66	21.34	4.52
26. जमुहार	7	15.83	5.67	6,973	4.05	9.72	5.67
27. मठना	6	30.50	10.93	17,134	9.96	20.89	9.72
28. गांगपुर	6	43.01	15.42	10,281	5.97	21.39	9.95
29. गरौडी	6	11.00	3.94	22,642	13.16	17.10	7.95
30. पटिहटा	6	39.27	14.08	14,105	8.20	22.28	10.36
31. सहसपुरा	6	22.76	8.16	12,985	7.55	15.71	7.31
32. जमुई	5	50.89	18.24	2,473	1.44	19.68	9.15
33. सुरहा	5	13.60	4.88	6,890	4.00	8.88	4.13
34. बगहा	5	7.52	2.70	7,320	4.25	6.95	3.23
35. रामगढ कला	5	13.60	4.88	5,229	3.04	7.92	3.68
36. भदावल	5	6.39	2.29	6,694	3.89	6.18	2.87
37. पिड़खिर	5	7.68	2.75	10,784	6.27	9.02	4.20
38. बगही	5	6.23	2.23	3,226	1.88	4.11	1.91
39. सुकुरूत	5	42.48	15.23	8,657	5.04	20.27	9.43
40. विदापुर	4	7.03	2.52	12,814	7.45	9.97	4.34
41. रूदौली	4	2.79	1.00	1,977	1.15	2.15	1.00
42. लठिया-सहजनी	3	6.19	2.22	16,103	9.36	11.58	5.39

3.6 विकास-केन्द्रों का पदानुक्रम

बस्तियों के आकारों, कार्यों तथा अन्तरालन के आधार पर उनके पारस्परिक सम्बन्धों का निर्माण होता है तथा कार्यों एवं सम्बन्धों के अनुसार ही उनका एक पदानुक्रम होता है। यद्यपि सभी प्रकार की बस्तियों का पदानुक्रम षटकोण ढांचे में ही विकसित होता है[26] तथापि क्षेत्रीय विषमता के कारण उनकी आकृति विरूपित हो जाती है । क्रिस्टालर ने एक पदानुक्रम में सेवा केन्द्रों की स्थिति समान विशेषताओं से युक्त माना है, किन्तु यह केवल सैद्धान्तिक दृष्टिकोण ही है, सामान्यतौर पर इन सेवा केन्द्रों के कार्य एवं व्यवहार में पर्याप्त अन्तर भी हो सकता है । प्रायः यह माना जाता है कि उच्चस्तरीय सेवाएँ बड़े सेवा केन्द्रों पर ही उपलब्ध होती हैं । तथापि यह सदैव आवश्यक नहीं है । कभी-कभी छोटे सेवा केन्द्र भी उच्च स्तरीय सेवाएँ प्रदान करते हैं । क्रिस्टालर के अनुसार उच्च सेवा केन्द्रों पर केन्द्रीय कार्यो की अधिकता तथा उच्च गुणवत्ता के कारण सेवाओं का निकटवर्ती लघु सेवा केन्द्रों की ओर प्रवाह होता है।[27] फलस्वरूप समीपवर्ती लघु सेवा केन्द्रों की सेवाओं की संख्या एवं गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होती है और इन सेवा केन्द्रों का उत्तरोत्तर विकास होता जाता है । किन्तु कभी-कभी ऐतिहासिक एवं राजनैतिक कारणों से अथवा परिवहन-साधनों की सुलभता तथा प्रादेशिक आवश्यकता के अनुरूप भी किसी सेवा केन्द्र पर किसी भी प्रकार की सेवाएँ आरोपित हो सकती हैं ।

प्रस्तुत अध्ययन में कार्यों की केन्द्रीयता सूचकांक के अलगाव बिन्दुओं के आधार पर सेवा केन्द्रों का पदानुक्रम निर्धारित किया गया है । तालिका 3.6 से स्पष्ट है कि केन्द्रीयता सूचकांक के तीन अलगाव बिन्दुओं के आधार पर सेवा केन्द्रों के चार पदानुक्रम बनाये गये हैं।(चित्र 3.2)

प्रथम पदानुक्रम का केन्द्रीयता सूचकांक 60.58 से अधिक है । इसके अन्तर्गत एक मात्र नगरीय सेवा केन्द्र चुनार अवस्थित है । चुनार का केन्द्रीयता सूचकांक 157.37 है जो इस बात का सूचक है कि यहाँ केन्द्रीय कार्यों की संख्या में अधिकता के साथ-साथ उच्चस्तरीय सेवाओं का भी सकेन्द्रण है तथा इसके द्वारा एक वृहद् जनसंख्या को सेवा प्रदान की जाती है । इस सेवा केन्द्र द्वारा नगर क्षेत्र के अतिरिक्त 28 आबाद बस्तियों को सेवा प्राप्त होती है जिसकी सेवित जनसंख्या 49,322 है । सर्वप्रथम इस केन्द्र का विकास धार्मिक एवं राजनैतिक कारणों से हुआ । तत्पश्चात् प्रशासनिक रूप में तहसील का मुख्यालय होने तथा

परिवहन मार्गों का संगम-बिन्दु होने के कारण अनेक कार्य अध्यारोपित होते गये । अभी कुछ वर्ष पूर्व (1975 में) कजरहट में सीमेन्ट-कारखाने की स्थापना से अप्रत्यक्षतः चुनार भी प्रभावित हुआ है ।

द्वितीय पदानुक्रम का केन्द्रीयता सूचकांक 44.5 से 60.58 के बीच है । चुनार तहसील में इस पदानुक्रम के अन्तर्गत दो सेवा केन्द्र अहरौरा एवं जमालपुर अवस्थित हैं जिनका केन्द्रीयता सूचकांक क्रमशः 60.58 तथा 44.5 है । अहरौरा एक नगरीय सेवा केन्द्र है जो नगर क्षेत्र के अतिरिक्त 43 आबाद बस्तियों को सेवा प्रदान करता है, जिसकी कुल सेवित जनसंख्या आकार लगभग 42,554 है । स्मरणीय है कि अहरौरा द्वारा सेवित बस्तियों की संख्या चुनार की अपेक्षा अधिक है किन्तु सेवित जनसंख्या चुनार की अपेक्षा कम है । इसका कारण एक तो यह है कि चुनार सेवा केन्द्र द्वारा एक बड़े नगरीय जनसंख्या को सेवा प्रदान किया जाता है । दूसरे, चुनार द्वारा सेवित बस्तियों का जनसंख्या आकार अहरौरा की अपेक्षा बड़ा है । जमालपुर सेवा केन्द्र द्वारा कुल 25 ग्रामीण बस्तियों को सेवा प्राप्त होती है, जिसकी सेवित जनसंख्या आकार 25,376 है ।

तृतीय पदानुक्रम का केन्द्रीयता सूचकांक 24.45 से 35.38 के बीच है । प्रदेश में इस पदानुक्रम के अन्तर्गत कुल पाँच सेवा केन्द्र - नरायनपुर, मधुपुर, बकियाबाद, कैलहट एवं पथरौरा अवस्थित है और इनका केन्द्रीयता सूचकांक क्रमशः 35.38, 30.52, 25.65 26.42 एवं 24.45 है । नरायनपुर द्वारा सेवित बस्तियों की संख्या 27, बकियाबाद 11, मधुपुर 14, कैलहट 9, एवं पथरौरा 6 है, जिनका सेवित जनसंख्या आकार क्रमशः 24,102, 13056 19,785, 8,311 एवं 5,409 है ।

चतुर्थ पदानुक्रम का केन्द्रीयता सूचकांक 1 से 20.71 के बीच है । इसके अन्तर्गत तहसील के 34 सेवा केन्द्र अवस्थित हैं जो उपर्युक्त सेवा केन्द्रों से अपेक्षाकृत छोटे हैं । इन सेवा केन्द्रों से सम्बन्धित अन्य विवरण तालिका 3.7 से स्पष्ट है ।

HIERARCHICAL LEVEL OF SERVICE CENTRES
CENTRALITY INDEX
160
150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
I
II
III
IV
200
400
600
800
1000
2000
4000
6000
8000
10 000
20 000
30 000
POPULATION SIZE

Fig. 3·2

तालिका 3.7

केन्द्र स्थलों की पदानुक्रमीय व्यवस्था

सेवा/विकास केन्द्रों का स्तर (वर्ग)	केन्द्रीयता का सूचकांक	सेवा/विकास केन्द्रों की संख्या
(1)	(2)	(3)
प्रथम	60.58 से अधिक	1
द्वितीय	44.5 - 60.58	2
तृतीय	24.45 - 35.38	5
चतुर्थ	1.00 - 20.71	34

3.7 विकास केन्द्रों का स्थानिक विवरण

क्रिस्ट्रालर की यह विचारधारा कि सेवा केन्द्रों का विकास एक षटकोण ढांचे में विकसित होता है उनकी इस मान्यता पर आधारित हे कि अध्ययन प्रदेश एक समतल मैदानी कृषि क्षेत्र है [28] और वहां सेवा केन्द्रों के विकास के लिए समान अवसर प्राप्त है । किन्तु वास्तवकि जगत में ऐसे आदर्श प्रदेश की संकल्पना कपोल कल्पित है । संरचना एवं उच्चावच सम्बन्धित विभिन्नताओं के कारण सामान्यतः कृषि-घनत्व में पर्याप्त अन्तर स्थापित हो जाता जो एक कृषि प्रधान देश की अर्थव्यवस्था का अधार स्तम्भ है । कृषि घनत्व में विविधता के कारण जनसंख्या एवं बस्तियों के घनत्व में भी विषमता स्थापित हो जाती है । परिणामस्वरूप परिवहन मार्गो का विकास भी इसी के अनुरूप होता है । यह निर्विवाद तथ्य है कि जनसंख्या, बस्तियों एवं परिवहन मार्गों का घनत्व ही विकास केन्द्रों के प्रादुर्भाव के मूलाधार है ।[29] अतः विकास केन्द्रों के स्थानिक वितरण में असुन्तल स्थापित होना स्वाभाविक ही है ।

चुनार तहसील के पश्चिमोत्तर गंगा नदी के पूर्व-पश्चिम समतल मैदानी भागों में सेवा केन्द्रों का वितरण लगभग समान है । यहाँ चुनार के अतिरिक्त अन्य सेवा केन्द्र अपेक्षाकृत छोटे हैं जो चतुर्थ पदानुक्रम के अन्तर्गत अवस्थित हैं । मिर्जापुर-वाराणसी रोड के पूर्व जमुई अहरौरा रोड के उत्तर, इमिलिया - अदलहाट तथा नरायनपुर-अरौरा रोड के पश्चिम एक वृहद क्षेत्र सेवा केन्द्रों से रिक्त है । यहाँ एक मात्र सेवा केन्द्र कोलना अवस्थित है । यही कारण है कि यह सेवा केन्द्र चतुर्थ पदानुक्रम में होने के बाद भी 34 बस्तियों को सेवा प्रदान करता है जिसकी सेवित जनसंख्या आकर 26,237 है । एक समतल एवं सघन कृषि प्रदेश होने के बाद भी यहाँ सेवा केन्द्रों का अभाव इस बात का द्योतक है कि इस प्रदेश में जोताकार छोटा एवं कीमती होने के कारण क्षेत्रीय परिवहन मार्गों का समुचित विकास नहीं हो पाया है । इसी प्रकार विकास खण्ड - जमालपुर के उत्तरी भाग में गड़ई नदी के पूर्व सेवा केन्द्रों का सर्वथा अभाव है । यहाँ मात्र तीन सेवा केन्द्र ओड़ी, लठिया, सहजनी एवं शेरवाँ कार्यरत हैं । अध्ययन प्रदेश का सुदूर दक्षिणी भाग एक पठारी प्रदेश है जिसके कारण यहाँ बस्तियों एवं परिवहन मार्गो का घनत्व बहुत कम है । परिणामस्वरूप इस प्रदेश में मात्र तीन सेवा केन्द्र रामपुर-शक्तेशगढ़, सुकुरूत एवं मधुपुर ही अवस्थित हैं । इन सेवा केन्द्रों पर प्राय: निम्न स्तरीय सेवाओं के ही सम्पादन होने तथा आवश्यक केन्द्रीय कार्यों का अभाव होने के कारण यहाँ के लोग 20-25 किमी दूर स्थित विकास-केन्द्र चुनार एवं अहरौरा पर आश्रित रहते हैं । चित्र 3.1 में सेवा केन्द्रों का स्थानिक प्रतिरूप प्रदर्शित है ।

3.8 विकास-केन्द्र एवं सेवा-क्षेत्र

सेवा-क्षेत्र अथवा सेवा प्रदेश किसी विकास केन्द्र के चतुर्दिक उस निकटवर्ती क्षेत्र को कहते हैं जो अपने सामाजिक, आर्थिक एवं अन्य आवश्यक कार्यो के लिए उसी स्तर के समीपवर्ती दूसरे सेवा केन्द्र की अपेक्षा इस केन्द्र पर अधिक निर्भर रहता है । किसी भी विकास केन्द्र अथवा सेवा केन्द्र पर स्थापित प्रत्येक केन्द्रीय कार्यो का अपना अलग-अलग सेवा क्षेत्र होता है जो विकास केन्द्र के चतुर्दिक सकेन्द्रीय वलयों के रूप में होता है । अत: विकास केन्द्रों के सेवा क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन तो बड़ा दुष्कर है तथापि साधारणत: एक सेवा केन्द्र पर अध्यारोपित विभिन्न केन्द्रीय कार्यो के सामान्य सेवा क्षेत्र को उस सेवा केन्द्र का सेवा क्षेत्र

मान लिया जाता है । इस सन्दर्भ में अनेक विदेशी एवं भारतीय विद्वानों ने अपने अध्ययनों में सेवा केन्द्रों के सेवा क्षेत्र अथवा प्रभाव प्रदेश का निर्धारण अपने-अपने ढंग से किया है । इसे वैचारिक स्तर पर आनुभाविक एवं सैद्धान्तिक दो वर्ग समूहों में रखा जा सकता है । आनुभविक विधियाँ वास्तविक अनुभव, क्षेत्र अध्ययन तथा अन्य व्यावहारिक विश्लेषण पर आधारित होती है।[30] इसके अन्तर्गत किसी विकास केन्द्र से सम्बन्धित परिवहन एवं संचार के साधनों, बैंक खातों, समाचार पत्रों, फुटकर एवं थोक व्यापार, वस्तुओं की पूर्ति तथा लोगों की स्थानिक अधिमान्यता के आधार पर उसके प्रभाव प्रदेश का सीमांकन किया जाता है । इसके विपरीत एवं सांख्यिकी विधियाँ तार्किक एवं विश्लेषणात्मक आधारों पर विकसित होती है जिनमें अनेक प्रकार के आकड़ों का प्रयोग प्रतीकात्मक अथवा गणितीय माडलों के रूप में करके प्रभाव प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है ।

सर्वप्रथम 1858-59 में कैरी[31] महोदय ने बस्तियों के अन्योन्य-क्रिया के निर्धारण में गणितीय एवं सैद्धान्तिक विधि का प्रयोग किया । उनके द्वारा प्रदत्त माडल को गुरूत्व माडल (*Gravity Model*) या अन्योन्यक्रिया माडल (*Interaction Model*) के नाम से जाना जाता है जो न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण नियम पर आधारित है । इस माडल का प्रयोग कुछ सुधारों के साथ प्रभाव प्रदेशों के निर्धारण में किया गया है । डब्ल्यू0 जे0 रैली[32] द्वारा 1931 में प्रतिपादित फुटकर व्यापार का गुरूत्वाकर्षण का नियम (*Law of Retail Gravitation*) इसी का एक संशोधित रूप है । इस नियम के अनुसार, किसी दिये हुए स्थान के द्वारा किसी केन्द्र से प्राप्त किये गये फुटकर व्यापार की मात्रा उस केन्द्र की जनसंख्या के प्रत्यक्ष अनुपात में तथा उस स्थान और केन्द्र के बीच की दूरी के वर्ग के विपरीत अनुपात में होती है, यथा-

$$\frac{T_x}{T_y} = \left(\frac{P_x}{P_y}\right) \left(\frac{D_y}{D_x}\right)^2$$

T_x T_y = x, y केन्द्रों के आपेक्षिक फुटकर विक्रय जो किसी मध्यस्थ स्थान को प्राप्त होते हैं ।

P_x P_y = x, y केन्द्रों की जनसंख्या

रैली[33] महोदय के उपर्युक्त नियम में सर्वप्रमुख परिवर्तन पी0डी0 कन्वर्स ने 1949 में प्रस्तुत किया जिसे अलगाव बिन्दु संकल्पना (*Breaking point Concept*) के नाम से जाना जाता है । दो सेवा-केन्द्रों के मध्य वह बिन्दु जहाँ से विभिन्न आवश्यकताओं के लिए लोगों का प्रवाह दोनों केन्द्रों की ओर होता है, अलगाव बिन्दु कहलाता है । अलगाव बिन्दु संकल्पना को निम्नलिखित माडल के रूप में व्यक्त किया जाता है -

$$B2 = \frac{DXY}{\sqrt{1 + Px/Py}}$$

$B2$ = विच्छेदन बिन्दु से दूसरे केंन्द्र (Y) की दूरी

Dxy = x, y केन्द्रों के बीच की दूरी

Px = X केन्द्र की जनसंख्या

Py = y केन्द्र की जनसंख्या

उपर्युक्त गुरूत्व माडलों की आलोचना करते हुए रमाशंकर मौर्य ने बतलाया है कि इनमें प्रयुक्त दो मुख्य कारकों भार एवं दूरी का सही अर्थों में प्रयोग नहीं हो पाया है।[34] यहाँ सेवा-केन्द्रों की जनसंख्या को ही उनका भार मान लिया गया है यद्यपि कि किसी केन्द्र का कार्यात्मक आकार उसकी जनसंख्या नहीं होती । किस्ट्रालर ने भी कहा है कि किसी केन्द्र की केन्द्रीयता न तो उसकी जनसंख्या से और न ही उसके भौतिक विस्तार से प्रभावित होती है । इसी प्रकार दो केन्द्रों के बीच की दूरी परम्परागत रूप से सामान्यतः सीधी रेखा के रूप में मानी जाती है। बुंगी[35] ने अलगाव बिन्दु के निर्धारण में इस तरह के मापन को गलत बताया है किन्तु यीस्ट[36] ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इसे उपयुक्त बताया है । रमाशंकर ने सुझाव दिया है कि सीधी रेखा के रूप में दूरी मापने के अतिरिक्त इसे आने-जाने में लगने वाले समय, परिवहन व्यय, सामाजिक अधिमान्यता एवं स्तर आदि के रूप में मापा जा सकता है । किन्तु जहाँ परिवहन के अनेक साधन उपलब्ध हों वहाँ यथोचित ढंग से विभिन्न साधनों को अलग-अलग मान प्रदान करके मापा जा सकता है ।[37]

रमाशंकर मौर्य ने टांडा तहसील के अध्ययन में सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों के सीमांकन के लिए भार के प्रतीक जनसंख्या के स्थान पर केन्द्रीयता अंक को अधिक उपयुक्त

माना है । किन्तु इन्होंने अंक का निर्धारण जिस ढंग से किया है वह तर्कसंगत नहीं है । केन्द्रीयता मापन की यह विधि मुख्यतया सेवा केन्द्रों के कार्यात्मक अंक एवं सेवित जनसंख्या पर आधारित है । स्मरणीय है कि कार्यात्मक अंकों के निर्धारण में मौर्य ने सभी कार्यों को समान महत्व का माना है जिसमें केवल उनकी (केन्द्रीय कार्यों की) प्रादेशिक संख्या ही उनका वास्तविक मूल्य निर्धारित करती है । किन्तु न तो सभी कार्य समान महत्व के होते हैं और न ही उनकी मात्र प्रादेशिक संख्या ही उनका मूल्य निर्धारित करती है वरन् कार्यों का महत्व उनकी प्रादेशिक संख्या तथा प्रादेशिक मांग अथवा आवश्यकता के द्वारा निर्धारित होता है । इसी प्रकार मौर्य द्वारा सेवित जनसंख्या सम्बन्धित प्रयोग विरोधाभासी है । एक ओर केन्द्रीयता अंक के निर्धारण में जहाँ सेवित जनसंख्या को महत्वपूर्ण बताया गया है, दूसरी ओर प्रभाव प्रदेशों की परिभाषा करते समय इसे उसका पर्याय मान लिया गया है । फिर सर्वाधिक आश्चर्यजनक बात तो यह है कि बिना प्रभाव प्रदेशों को सीमांकित किये किसी सेवा केन्द्र द्वारा सेवित बस्तियों अथवा सेवित जनसंख्या की कल्पना ही नहीं की जा सकती और ऐसी स्थिति में कार्यात्मक अंकों का भी निर्धारण नहीं हो सकता । इस प्रकार केन्द्रीयता अंक के निर्धारण के वे आधार ही समाप्त हो जाते हैं । जिसे मौर्य ने सेवा क्षेत्र / प्रभाव प्रदेश के निर्धारण में महत्वपूर्ण आधार माना है ।

विकास केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों का सीमांकन एक नवीन सूत्र के माध्यम से भी किया जा सकता है जो न्यूटन के गुरूत्वाकर्षण नियम पर आधारित है और इसमें सेवा केन्द्रों की जनसंख्या के स्थान पर कार्यशील जनसंख्या को अधिक महत्व प्रदान किया गया है । यहाँ कार्यशील जनसंख्या स्वतः केन्द्रीय कार्यो के सकेन्द्रण का परिणाम है । अतः इस रूप में केन्द्रीय कार्यों को स्वयमेव अप्रत्यक्ष रूप से महत्व प्राप्त हो जाता है । प्रस्तावित सूत्र निम्नवत् है-

$$Bx = (Dxy - Bx) \cdot \sqrt{Wx/Wy}$$

Bx = अलगवाव बिन्दु से बड़े केन्द्र x की दूरी

Dxy = x, y केन्द्रों के बीच की दूरी

Wx, Wy = xy केन्द्रों की कार्यशील जनसंख्या

तालिका 3.8

विकास केन्द्र एवं सेवित जनसंख्या आकार, 1991

सेवा/विकास केन्द्र		सेवित बस्तियों की संख्या	सेवित जनसंख्या	सेवित जनसंख्या का प्रतिशत
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	चुनार	28	49,322	9.33
2.	अहरौरा	43	42,554	8.05
3.	जमालपुर	25	25,376	4.80
4.	पथरौरा	6	5,409	1.02
5.	नरायनपुर	27	24,102	4.56
6.	कैलहट	9	8,311	1.57
7.	सीखड़	17	13,035	2.47
8.	भुइली	24	14,236	2.69
9.	मधुपुर	14	19,785	3.74
10.	हांसीपुर	3	3,692	0.70
11.	शेरवॉ	4	1,721	0.33
12.	इमलियॉ कला	7	4,669	0.88
13.	रामपुर-शक्तेशगढ़	30	24,589	4.65
14.	बकियाबाद	11	13,056	2.47
15.	कोलना	34	26,237	4.97
16.	मेडिया	8	6,112	1.16
17.	आ0ला0 सुल्तानपुर	9	12,777	2.42
18.	बहुआर	17	13,187	2.50
19.	ओड़ी	7	8,773	1.66
20.	छोटा मिर्जापुर	4	5,713	1.08

क्रमश:

21.	घाटमपुर	14	12,298	2.33
22.	सरिया	9	11,677	2.21
23.	मगरहा	8	4,915	0.92
24.	बरईपुर	10	5,045	0.96
25.	जलालपुर माफी	3	4,570	0.87
26.	जमुहार	8	6,973	1.32
27.	मठना	21	17,134	3.24
28.	गांगपुर	7	10,281	1.95
29.	गरौड़ी	28	22,642	4.29
30.	पटिहटा	14	14,105	2.67
31.	सहसपुरा	15	12,985	2.46
32.	जमुई	6	2,473	0.47
33.	सुरहा	5	6,890	1.30
34.	बगहा	5	7,320	1.38
35.	रामगढ़ कला	5	5,229	0.98
36.	भदावल	6	6,694	1.27
37.	पिड़खिर	12	10,784	2.04
38.	बगहीं	2	3,226	0.61
39.	सुकुरूत	5	8,657	1.64
40.	विदापुर	10	12,814	2.43
41.	रूदौली	1	1,977	0.37
42.	लठिया सहजनी	26	16,103	3.04
	चुनार तहसील	547 *	42,84,48	100.00

* आबाद ग्राम

TAHSIL CHUNAR
COMPLEMENTARY REGIONS OF SERVICE CENTRES
N
Mirzapur Khurd
Baraipur
Mathana
Pirkhir
Rudauli
Gangpur
Narainpur
Bidapur
Bagaha
Araji Line
Baghi
Sahaspura
Jalalpur Maghi
Hansipur
Mangar-aha
Kalahat
Jamalpur
Bahuar
Ramgarh Kalan
Sikhar
Meriya
Chunar
Ori
Jamuie
Garauri
Pathraura
Jamuhar
Kolana
Bhuili Khas
Lathia Sahjani
Bakiyabad
Shirawa
Imalia
Ghatmpur
Suraha
Patihata
Sariya
Ahraura
Rampur Suktes Garh
Sukurut
Madhupur
3 0 3 6 9
Km
Fig. 3·3

प्रस्तुत अध्ययन में सेवा केन्द्रों की जनगणना 1991 की कार्यशील जनसंख्या के आँकड़े उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रस्तावित विधि का क्रियान्वयन नहीं किया जा सका है । चुनार तहसील के विभिन्न सेवा केन्द्रों के प्रभाव प्रदेशों के निर्धारण में कन्वर्स की अलगाव बिन्दु संकल्पना ही प्रयुक्त है । किन्तु इसमें सेवित बस्तियों की सीमाओं का भी यथासंभव ध्यान रखा गया है । तालिका 3.8 में सेवित बस्तियों की संख्या तथा सेवित जनसंख्या आकार और चित्र 3.3 में सेवा क्षेत्रों का आकार प्रतिरूप प्रदर्शित है ।

3.9 प्रस्तावित विकास-केन्द्र एवं केन्द्रीय कार्य

किसी प्रदेश के सन्तुलित एवं तीव्र विकास हेतु विकास केन्द्रों की अधिक संख्या एवं उनका समुचित वितरण आवश्यक है । तालिका 3.4 एवं चित्र 3.1 से स्पष्ट है कि अध्ययन प्रदेश में उपर्युक्त दोनों कारकों का सर्वथा अभाव है । सघन क्षेत्र में उपस्थित चतुर्थ पदानुक्रम का सेवा केन्द्र कोलना समीपस्थ अन्य सेवा केन्द्रों के अभाव में 34 ग्रामीण बस्तियों को सेवा प्रदान करता है जब कि द्वितीय पदानुक्रम का सेवा केन्द्र जमालपुर मात्र 25 बस्तियों को सेवा प्रदान करता है । अतः चुनार तहसील के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ नवीन सेवा केन्द्रों का सृजन आवश्यक जान पड़ता है । प्रस्तुत अध्ययन में इसी उद्देश्य को लेकर कतिपय नवीन सेवा केन्द्रों के सृजन का सुझाव दिया गया है इनका नाम एवं जनसंख्या आकार तालिका 3.9 एवं स्थिति चित्र 3.4 में प्रदर्शित की गयी है । इन सेवा केन्द्रों के चुनाव में बस्तियों की जनसंख्या आकार, कार्यात्मक संभाव्यता, अधिगम्यता, परिवहन मार्गों की सुलभता और परिवहन साधनों के किस्म को अपेक्षित महत्व प्रदान किया गया है ।

उपर्युक्त सभी केन्द्रों का विकास सन् 2001 तक अपेक्षित है । इनमें 9 सेवा केन्द्रों - अदलपुरा, भेड़ी, तेन्दुआ कला, लोहरा, वट, रूपौधा, डौफ, पसही एवं अधवार का विकास प्रथम चरण के रूप में सन् 1995-96 तक किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर कुछ केन्द्रीय कार्यों का सकेन्द्रण पहले से ही है किन्तु ये कार्य निम्नस्तरीय हैं । अतः इन केन्द्रों पर यदि एक दो उच्चस्तरीय कार्य स्थापित कर दिये जायें तो ये बस्तियाँ सेवा केन्द्र के रूप में परिवर्तित हो जायेंगी । इन केन्द्रों से सम्बन्धित केन्द्रीय कार्यों की सूची तालिका 3.10 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.9

प्रस्तावित विकास केन्द्र एवं उनकी जनसंख्या

	प्रस्तावित विकास केन्द्र	जनसंख्या (1991)
1.	लोहरा	3876
2.	डौफ	3156
3.	वन इमिलिया	2465
4.	पसही	2400
5.	नागनार हरैया	2198
6.	वट	2070
7.	धनैता	2032
8.	खानपुर	1800
9.	रूपौधा	1727
10.	भेड़ी	1546
11.	खजुरौल	1527
12.	डोहरी	1524
13.	अदलपुरा	1406
14.	देवरिया	1218
15.	अधवार	1184
16.	मनई	1100
17.	जयपट्टी कला	978
18.	मदारपुर	852
19.	विशेषरपुर आफशेरपुर	741
20.	खनजादीपुर	732
21.	रोशनहर	661
22.	तेन्दुआ कला	612

शेष अन्य बस्तियों को विकास केन्द्र के रूप में परिणत करने में कार्यधार जनसंख्या तथा परिवहन-मार्ग सम्बन्धित व्यवधान भी आ सकता है। अतः इन्हें द्वितीय चरण में विकास केन्द्र के रूप में सृजित किया जा सकता है।

TAHSIL CHUNAR
PROPOSED GROWTH CENTRES
N
BISHESARPUR OF SHERPUR
ADALPURA
DHANAITA
KHANPUR
RUPAUNDHA
JAIPATTIKALAN
DAUPH
DOHARI
PASAHI
DEWARIYA
MANAI
KHAN JADIPUR
ADHWAR
BHERI
ROSHNAHARI
MADAPUR
TENDUA KALAN
BANIMILIYA
LOHARA
WAT
NAG NATH HARAIA
PROPOSED GROWTH CENTRES
3 0 3 6 9
Km

Fig-3-4

तालिका 3.10

वर्तमान एवं प्रस्तावित सेवा/विकास केन्द्रों पर प्रस्तावित सुविधाएं/कार्य

सेवाकेन्द्र	वर्तमान सेवाएं/कार्य	प्रस्तावित सेवाएं/कार्य
(1)	(2)	(3)
(अ) वर्तमान सेवा केन्द्र		
1. चुनार	त0मु0, न0पा0, वि0ख0, पु0स्टे0, पु0चौ0, भू0स0के0 प0अ0, कृ0ग0के0, बी0उ0के0, पा0उ0, थो0व्या0, फु0व्या0, रा0वै0, जि0स0बैं0, भू0वि0बैं0, सह0स0, ब0स्टे0, ब0स्टा0, रे0स्टे0, न0घा0, पो0आ0, दू0भा0, दू0सं0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0, सिने0गृ0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0, प0नि0के0, पं0अ0 ।	डी0का0
2. अहरौरा	न0पो0, पु0स्टे0, पु0चौ0, भू0स0के0, प0अ0, कृ0ग0के0, वी0उ0के0, प्र010के0, थो0व्या0, फु0व्या0, रा0बैं0, सह0स0, ब0स्टे0, ब0स्टा0, पो0आ0, दू0भा0, दू0सं0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, हा0स्कू0, इ0का0, सिने0 गृ0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0, प0नि0के0, पं0अ0 ।	डी0का0 . . . उ0प्र0के0
3. जमालपुर	वि0ख0के0, न्या0पं0के0, पु0स्टे0, प0अ0, कृ0ग0के0 वी0उ0के0, ई0नि0के0, थो0व्या0, फु0व्या0, रा0बैं0 सह0स0, ब0स्टे0, पो0आ0, दू0सं0के0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0, सिने0गृ0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0, प0नि0के0 ।	पं0अ0 चा0मि0
4. पथरौरा	पु0स्टे0, कृ0ग0के0, बी0उ0के0, ई0नि0के0, थो0व्या0 फु0व्या0, रा0बैं0, जि0स0बैं0, सह0स0, ब0स्टे0, पो0आ0, दू0सं0के0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, हा0स्कू0,	इ0का0 प0अ0 दू0भा0के0

क्रमशः

		मा0शि0क0के0, पं0अ0 ।	सिने0गृ0
5.	नरायनपुर	पु0चौ0, शी0भ0, प0अ0, कृ0ग0के0, ई0नि0के0, थो0व्या0, फु0व्या0, रा0बैं0, ब0स्टा0, रे0स्टे0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0, पं0अ0 ।	पु0स्टे0 इ0का0
6.	सीखड़	न्या0पं0के0, बी0उ0के0, फु0व्या0के0, ग्रा0बैं0, सह0स0, फे0घाट, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0के0, प0नि0के0, पं0अ0 ।	पो0आ0 पु0चौ0 वि0ख0के0
7.	भुइलीखास	न्या0पं0के0, बी0उ0के0, प्र0उ0के0, ग्रा0बैं0, सह0स0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, मा0शिं0क0के0 ।	इ0का0
8.	कैलहट	इ0नि0के0, फु0व्या0के0, रा0बैं0, सह0स0, ब0स्टा0, रे0स्टे0, प्रा0सकू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0, उ0प्र0के0।	पो0आ0,पु0चौ0, दू0भा0,पं0अ0
9.	मधुपुर	पु0स्टे0, बी0उ0के0, फु0व्या0के0, ग्रा0बैं0, ब0स्टे0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0, मा0शि0क0के0, पं0अ0 ।	न्या0पं0के0 प0अ0
10.	हांसीपुर	वि0ख0के0, न्या0पं0के0, पु0चौ0, प0अ0, कृ0ग0के0, बी0उ0के0, बी0उ0के0, फु0व्या0के0, रा0बैं0, सह0स0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0 ।	थो0व्या0के0 शी0गृ0
11.	शेरवां	प0अ0, कृ0ग0के0, प्र0उ0के0, फु0व्या0के0,रा0बैं0, ब0स्टे0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, मा0शि0क0के0, पं0अ0 ।	इ0का0
12.	इमिलिया कला	पु0चौ0, प0अ0, बी0उ0के0, फु0व्या0के0, जि0स0बैं0, ब0स्टा0, इ0स0के0, प्रा0स्कू0, मा0शि0क0के0।	पो0आ0, हा0स्कू0
13.	रामपुर शक्तेशगढ़	न्या0प0के0, प0अ0, प्र0उ0के0, ग्रा0बैं0, ब0स्टा0, रे0स्टे0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, प्रा0स्वा0के0 ।	पु0चौ0, जू0हा0स्कू0 बी0उ0के0
14.	बकियाबाद	पु0चौ0, सी0उ0के0, फु0व्या0के0, रा0बैं0, पो0आ0 प्रा0स्कू0, इ0का0, पं0अ0।	ब0स्टा0, बी0उ0के0,

क्रमश:

		प0नि0के0
15. कोलना	न्या0पं0के0, रा0बैं0, जि0स0बैं0, पो0आ0, प्रा0स्कू0,	प0अ0,
	जू0हा0स्कू0, इ0का0, मा0शि0क0के0 ।	बी0उ0के0
16. मेड़िया	न्या0पं0कें0, बी0उ0के0, सह0स0, ब0स्टे0, पो0आ0,	इ0का0
	प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0।	फु0व्या0के0,
		मा0शि0क0के0
17. बहुआर	न्या0पं0के0, बी0उ0के0, जि0स0बैं0, पो0आ0, प्रा0स्कू0,	हा0स्कू0,प0अ0
	जू0हा0स्कू0, मा0शि0क0के0।	फु0व्या0के0
18. ओड़ी	न्या0पं0के0, बी0उ0के, सह0स0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0,	पो0आ0,पं0अ0,
	हा0स्कू0, मा0शि0के0 ।	ग्रा0बैं0
19. छोटा मिर्जापुर	इ0नि0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, प्रा0स्वा0के0,	ब0स्टा0,
	मा0शि0क0के0, पं0अ0।	हा0स्कू0,
		बी0उ0के0
20. घाटमपुर	न्या0पं0के0, रा0बैं0, ब0स्टा0, पो0आ0, प्रा0स्कू0,	पु0चौ0,इ0का0,
	जू0हा0स्कू0, मा0शि0के0, प0नि0के0।	प0अ0,
		फु0व्या0के0
21. चकसरिया	न्या0प0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0,जू0हा0स्कू0,	बी0उ0के0,
	मा0शि0क0के0 ।	ग्रा0बैं0,इ0का0
22. मंगरहा	बी0/उ0के0, जि0स0बैं0, ब0स्टा0, पो0आ0,	फु0व्या0के0,
	प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	इ0का0,
		मा0शि0क0के0
23. बरईपुर	न्या0पं0के0,बी/उ0के0,इ0नि0के0, ग्रा0बैं0, पो0आ0,	जू0हा0स्कू0,
	प्रा0स्कू0 ।	ब0स्टा0
24. जलालपुर माफी	सह0स0, पो0आ0, प्रा0सकू0, जू0हा0स्कू0, हा0स्कू0,	न्या0के0,
	प्रा0स्वा0के0, प0नि0के0।	इ0का0बी0/
		उ0के0,पं0अ0

क्रमशः

25. जमुहार	पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0 ।	ब0स्टा0, बी0/उ0के0 न्या0पं0के0
26. आ0ला0सुल्तानपुर	न्या0पं0के0, बी0/उ0के0, इ0नि0के0, सह0स0, ब0स्टा0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	इ0का0, पं0अ0
27. मठना	कृ0ग0के0, बी0/उ0के0, सह0स0, प्रा0स्कू0, इ0का0, प्रा0स्वा0के0 ।	पो0आ0, जू0हा0स्कू0, न्या0पं0के0
28. गांगपुर	फे0घा0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, इ0का0, प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0 ।	बी0उ0के0, जू0हा0स्कू0
29. गरौड़ी	न्या0पं0के0, इ0नि0के0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, इ0का0 ।	पो0आ0,बी0/उ0के0, मा0शि0क0के0
30. पटिहटा	न्या0पं0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, मा0शि0क0के0, प0नि0के0 ।	बी0/उ0के0, जू0हा0स्कू0
31. सहसपुरा	बी0उ0के0, फु0व्या0के0, ग्रा0बैं0, सह0स0, ब0स्टा0, प्रा0स्कू0, दू0सं0 ।	जू0हा0सकू0, पो0आ0
32. जमुई	शी0भ0, फु0व्या0के0, ई0नि0के0, ग्रा0बैं0, ब0स्टा0, प्रा0स्कू0, चा0मि0 ।	बी0/उ0के0, पो0आ0, पु0चौ0,इ0का0, प0 अस्प0
33. सुरहा	पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, प्रा0स्वा0के0 ।	बी0/उ0के0, प0नि0के0
34. बगहा	न्या0प0के0, सह0स0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0।	बी0/उ0के0, मा0शि0क0के0

क्रमशः

35. रामगढ़ कला	ग्रा0बैं0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	सह0स0, हा0स्कू0, मा0शि0क0के0
36. भदावल	फु0व्या0के0, प्रा0सकू0, जू0हा0स्कू0, मा0शि0क0के0 ।	पो0आ0, कृ0ग0के0बी0/उ0के0
37. पिड़खिर	फु0व्या0के0, प्रा0सकू0, जू0हा0स्कू0, मा0शि0क0के0 ।	सह0स0,पो0आ0 बी0/उ0के0
38. बगही	न्या0पं0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0।	सह0स0, पु0चौ0, प्रा0स्वा0के0
39. सुकुरूत	बी0/उ0के0,फु0व्या0के0, ग्रा0बैं0, ब0स्टा0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, प0नि0के0।	बी0उ0के0, ग्रा0बैं0, इ0का0
40. विदापुर	ब0स्टा0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	बी0उ0के0, इ0का0, मा0शि0क0के0 ग्रा0बैं0
41. रूदौली	इ0नि0के0, प्रा0स्कू0 ।	पो0आ0,बी0उ0 के0,जू0हा0स्कू0, मा0शि0क0के0
42. लठिया सहजनी	न्या0प0के0, फु0व्या0के0, प्रा0स्कू0 ।	सह0स0, जू0हा0स्कू0 पो0आ0, प्रा0स्वा0के0,

क्रमशः

(ब) प्रस्तावित सेवा केन्द्र

43. लोहरा	पो0आ0,प्रा0स्कू0, ।	सह0स0,बी0/उ0के0, मा0शि0के0, इ0का0, ब0स्टा0, जू0हा0स्कू0
44. डौफ	पु0चौ0, प्रा0स्कू0,मा0शि0क0के0 ।	न्या0पं0के0, प0अ0बी0/उ0के0, पो0आ0, हा0स्कू0, जू0हा0स्कू0
45. वन इमिलिया	प्रा0स्कू0, फु0व्या0के0 ।	प0अ0, जू0हा0स्कू0, पो0आ0, मा0शि0क0के0, बी0/उ0के0
46. पसहीं	पो0आ0, प्रा0सकू0, मा0शि0क0के0 ।	सह0स0, बी0/उ0के0, ग्रा0बैं0, कृ0ग0के0, जू0हा0स्कू0, पं0अ0
47. नागनाथ हरैया	प्रा0स्कू0, मा0शि0क0के0 ।	जू0हा0स्कू0, बी0/उ0के0, कृ0ग0के0, पो0आ0, फु0व्या0के0
48. वट	न्या0प0के0, प्रा0स्कू0 ।	सह0स0, बी0/उ0के0, पो0आ0, जू0हा0स्कू0, मा0शि0क0के0, प0नि0के0
49. धनैता	न्या0प0के0, सह0स0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	बी0/उ0के0, इ0का0, पो0आ0, मा0शि0क0के0, फु0व्या0
50. खानपुर	ब0स्टा0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	ग्रा0बैं0, सह0स0, फु0व्या0के0, बी0/उ0के0, प0नि0के0
51. रूपौधा	पो0आ0, प्रा0स्कू0,जू0हा0स्कू0 इ0का0, मा0शि0क0के0 ।	सह0स0, बी0/उ0के0, प0अ0
52. भेड़ी	प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0, प्रा0स्वा0के0 ।	प0अ0, ग्रा0बैं0, सह0स0, इ0का0, पु0चौ0
53. खजुरौल	पो0आ0, प्रा0स्कू0, इ0का0, मा0शि0क0के0 ।	बी0/उ0के0, जू0हा0स्कू0, कृ0ग0के0
54. डोहरी	न्या0पं0के0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0,	पो0आ0, सह0स0, बी0/उ0के0

क्रमशः

55. अदलपुरा	पु0चौ0, इ0नि0के0, रा0बैं0, फु0व्या0बैं0, ब0स्टा0, प्रा0स्कू0 ।	बी0/उ0के0, पो0आ0, प0नि0के0
56. जैपट्टी कला	न्या0पं0के0, बी0/उ0के0, इ0नि0के0 सह0स0, पो0आ0, प्रा0स्कू0 ।	जू0हा0स्कू0, फु0व्या0के0, मा0शि0क0के0
57. देवरिया	न्या0पं0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0	सह0स0, बी0/उ0के0, जू0हा0स्कू0 प्रा0स्वा0के0, मा0शि0क0के0
58. अधवार	न्या0पं0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, इ0का0, मा0शि0क0के0 ।	बी0/उ0के0, जू0हा0स्कू0, चा0मि0, प0नि0के0
59. मनई	प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	सह0स0, बी0उ0के0, पो0आ0, मा0शि0क0के0
60. मदारपुर	न्या0प0के0	प्रा0स्कू0, पो0आ0,बी0/उ0के0, मा0शि0क0के0
61. विशेषरपुर ऑफ शेरपुर	इ0नि0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, इ0का0 ।	ग्रा0बैं0, बी0/उ0के0, जू0हा0, स्कू0, मा0शि0क0के0
62. खनजादीपुर	न्या0पं0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, जू0हा0स्कू0 ।	बी0/उ0के0, मा0शि0क0के0 .
3 . रोशनहर	न्या0प0के0	बी0/उ0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, मा0शि0क0के0
64. तेन्दुआ कला	न्या0प0के0, पो0आ0, प्रा0स्कू0, पं0अ0 ।	सह0स0, बी0/उ0के0, प0अ0, पु0चौ0, मा0शि0क0के0

त0मु0	तहसील-मुख्यालय
न0पा0	नगर-पालिका
वि0ख0के0	विकास-खण्ड केन्द्र

पु0स्टे0	पुलिस-स्टेशन
पु0चौ0	पुलिस-चौकी
भू0स0के0	भूमि-सर्वेक्षण केन्द्र
शी0भ0	शीत-भण्डार केन्द्र
प0अ0	पशु-अस्पताल
कृ0ग0के0	कृत्रिम-गर्भाधान केन्द्र
बी0/उ0के0	बीज/उर्वरक केन्द्र
पा0उ0के0	पाटरी उद्योग केन्द्र
सी0उ0के0	सीमेन्ट उद्योग केन्द्र
ई0नि0के0	ईंट निर्माण केन्द्र
प्र0उ0के0	प्रस्तर उद्योग केन्द्र
थो0व्या0के0	थोक व्यापार केन्द्र
फु0व्या0के0	फुटकर व्यापार केन्द्र
रा0बैं0	राष्ट्रीय कृत बैंक
भू0वि0बैं0	भूमि-विकास बैंक
जि0स0बैं0	जिला-सहकारी बैंक
ग्रा0बैं0	ग्रामीण बैंक
सह0स0	सहकारी समिति
ब0स्टे0	बस स्टेशन
ब0स्टा0	बस स्टाप
रे0स्टे0	रेलवे स्टेशन
फे0घा0	फेरी घाट
पो0आ0	पोस्ट आफिस
दू0भा0के0	दूरभाष केन्द्र
दू0सं0के0	दूरसंचार केन्द्र

क्रमश:

प्रा0स्कू0	प्राथमिक स्कूल
उ0प्र0के0	उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र
सिने0गृ0	छवि-गृह
प्रा0स्वा0के0	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
मा0शि0क0के0	मातृ-शिशु-कल्याण केन्द्र
पं0अ0	पंजीकृत-अस्पताल
चा0मि0	चावल-मिल

सन्दर्भ

1. डी0आर0 खुल्लर, 'सीनियर सेकेण्डरी भूगोल' सरस्वती हाउस (प्रा0) लि0 दिल्ली, तृतीय संस्करण 1992, पृ0 85.

2. *Jefferson, M.: The Distribution of World City Folks. Geographicla Review, Vol. XXI, P. 453.*

3. ***Christaller, W.:*** *Die Zentralen Orte in Suddent Schland Jena, G.Fisher, 1993, Tranlated by C.W. Baskin, Englewod Cliffs, N.J. 1966.*

4. *Op.cit., fn. 3.*

5. ***Pathak,*** *R.K.: Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publications, Allahabad, 1990, p. 54.*

6. ***Haggett,*** *P.* ***et*** *al: Determination of Population Thereshold for Settlement functions by Read Muench Method', Professional Geographer, Vol. 16, 1954, pp. 6-9.*

7. ***Ray,*** *P.* ***and*** *Patil,* ***B.R.*** *(eds): Manual for Block-*

8. **Wanmali,** S.: *Regional Planning for Social Facilities A case study of Estern Maharastra: NIGC, Hyderabad, 1970, p. 19.*

9. Sen, L.K.: *'Planning of Rural Growth Centres for Intergrated Area Development - A Study in Miryalguda Taluka', Hyderabad, 1971, p. 92.*

10. Kumar, A. **and** Sharma, N.: *Rural Centres of Services', Geographical review of India, Vol. 39. 1, 1977, pp. 19-29.*

11. Singh, S.B.: *'Spatial Organisation of settlement systems', National Geographer, Vol. XI No.2, 1976, pp. 130-140.*

12. *Op.Cit., fn. 5, p.61.*

13. Bhat, L.S.: *Micro-level Plannint - A Case study of Karnal Area, Haryana, India,Vikas, New Delhi, 1976, p.45.*

14. Dutta, **A.K.**: *'Transportation Index in West Bengal A Means to Determine Central Place hierarchy', National Geographical Journal of India, Vol. 16, No. 3 & 4, 1970, pp. 199-207.*

15. **Singh, J.:** *Central places and spatial organization in a Backward Economy - Gorakhpur Region - A case study Integrated Regional Development, Uttar Bharat Boogal Parishad, Gorakhpur, 1979.*

16. Maurya, R.: *Development Planning of a Backward Economy - A case studyof Tanda Tahsil, Uttar Pradesh, 1992, pp. 60-64.*

17. भौगोलिक चिन्तन का विकास एवं विधि तन्त्र, चतुर्थ संशोधित संस्करण, किताबघर, आचार्यनगर कानपुर - 2, पृ0 417

18. *Op.cit. fn. 3.*

19. *Singh, **O.P.**: 'Towards Determining Heirarchy of Service Centres - A Methodology for Central Place Studies, N.G.J.L. Vol. XVII (4) 1971, pp. 165-177.*

20. *Singh, J.: Model Aecessiblity and Central Place Hierarchy- A case study in Gorakhpur Region', National Geographer, Vol. XI (2), 1976, pp. 101-112.*

21. *Vishwanath, M.S.: A Geographical Analysis of Rural Markets and Urban Centres in Mysore, Ph.D. Thesis, B.H.U. Varanasi.*

22. *Rao, V.L.S.P.: Planning for An Agricultural Region', in R.P. Mishra et al, Regional Development Planning in India - New Strategy, Vikas, New Delhi, 1974.*

23. *Jain, N.G.: 'Urban Hierarchy and Telephone Services in Vidarbh (Maharashtra)', N G JL., Vol. XVII (2 &3) 1971, pp. 134-37.*

24. *Op.Cit., fn. 16, pp. 66-70.*

25. *Babu, R.: Micro-lavel Planning - A case study of Chhibramau Tahsil (Farrukhabad District, U.P.), Unpublished Thesis, Geography Department, Allahabad University, 1981.*

26. *Op.cit., fn. 17, p.422.*

27. *Op.cit., Fn. 3.*

28. *Op. cit., fn. 17, p. 421.*

Desert: K.B.P., New Delhi, 1972, p.180.

30. Northam, M.R.: Urban Geography, John Weley and Sons, New York, 1975, p.111.

31. Carey, H.C.: Principles of Social Services Philadophia, Lippincott, 1958-59.

32. Rcilly, W.J.: Law of Retail Granitation, New York, 1961.

33. Converse, P.D.: 'New Law of Retail Gravitation', Journal of Marketing, Vol. 14, 1949.

34. Wanmali, S.: 'Zone of Influence', Behavioural Sciences and Community Development, Vol. 6 (11), 1967, p.2.

35. Bunge, W.: Theoretical Geography, Lund, 1962, p. 52.

36. Yeast, M.: 'Hinterland Determination - A Distance Minimizing Approach, Professional Geographer, vol. 15, 1963, pp. 7-10.

37. Hamis, C.D.: 'The Market as a Factor in the Locations of Industry in the United States: A.A.A. Vol. 44, 1954, pp. 315-348.

38. Op.Cit., Fn. 16, pp. 78-82.

****

अध्याय चार

कृषि एवं कृषि-विकास नियोजन

4.1 प्रस्तावना

कृष्य भूमि तहसील की विशाल एवं विविध सम्पदाओं में से एक है और कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मेरूदण्ड है । उत्कृष्ट भौगोलिक स्थिति, समतल प्राकृतिक धरातल, उर्वरा मिट्टी, मानसूनी जलवायु, जल की पर्याप्त पूर्ति आदि दशाओं ने तहसील के उत्तरी मैदान को अत्यधिक कृषि-संसाधन सम्पन्न क्षेत्र बनाया है । दक्षिणी पठार भी अपनी उदरपूर्ति हेतु परम्परिक व्यवसाय कृषि पर अवलम्बित रहा है । कृषि के अन्तर्गत न केवल विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती वरन् पशुपालन के सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है ।[1] स्वतन्त्रता के बाद कृषि-क्षेत्र में सरकारी तौर पर किये गये प्रयासों का स्पष्ट प्रभाव तहसील के उत्तरी क्षेत्र में दृष्टिगत होता है किन्तु दक्षिणी भाग आज भी अपनी पुरातन कृषि पद्धति में संलग्न है । उत्तरी मैदान में भी क्षमता का पर्याप्त दोहन नहीं हो सका है और यहाँ कृषि सम्बन्धित अनेक समस्याएँ हैं । तहसील की बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए लोगों को जीविका प्रदान करने, उनके जीवन-स्तर को सुधारने तथा उन्हें सन्तुलित आहार प्रदान करने हेतु कृषि का सन्तुलित एवं समुचित विकास नितान्त आवश्यक है । चूँकि यह विकास किसी योजनाबद्ध तरीके से ही अधिक संभव है, अतः इसी अभिप्राय से प्रस्तुत अध्याय में कृषि-नियोजन का विवेचन किया गया है ।

4.2 सामान्य भूमि-उपयोग

भूमि उपयोग से आशय यह है कि किसी प्रदेश की कुल भूमि मानवीय क्रिया-कलापों के किस-किस रूप में प्रयुक्त है । किसी भी प्रदेश की आर्थिक संरचना, मानव-व्यवसाय स्वरूप और वृहद् स्तर पर परिस्थितिकी व्यवस्था का स्पष्ट सूचक है । यह प्रतिरूप प्रकृति द्वारा प्रस्तुत संसाधन और वहाँ की जनसंख्या की आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षमता के पारस्परिक सम्बन्धों का प्रतिफल है ।[2]

वर्ष 1988-89 के आँकड़ों के अनुसार तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 60.26% भाग कृषि-योग्य भूमि तथा 20.84 प्रतिशत भाग कृषि के अतिरक्त अन्य उपयोगों में लायी

तालिका 4.1

चुनार तहसील में कृषि-योग्य भूमि

	न्याय पंचायत	कृषि-योग्य भूमि का प्रतिशत
1.	चकसरिया	67.49
2.	पटिहटा	25.10
3.	खनजादीपुर	71.89
4.	तेन्दुआ कला	38.94
5.	रामपुर-शक्तेशगढ़	34.71
6.	वट-वन्तरा	51.41
7.	बगहा	72.72
8.	सीखड़	74.19
9.	मेड़िया	75.88
10.	धनैता	78.19
11.	हांसीपुर	84.80
12.	आ0ला0 सुल्तानपुर	80.29
13.	सराय टेकौर	72.23
14.	जलालपुर मैदान	85.07
15.	पचेवरा	82.18
16.	नियामतपुर कला	83.52
17.	चन्दापुर	82.17
18.	शेरपुर	76.46
19.	बगहीं	84.79
20.	टेड़ुआ	72.92
21.	देवरिया	89.19

क्रमश:

23.	गरौड़ी	69.20
24.	घाटमपुर	75.99
25.	लालपुर अधवार	79.72
26.	बरईपुर	63.70
27.	रेरूपुर	64.36
28.	जयपट्टी कला	83.32
29.	जमालपुर	90.50
30.	ओड़ी	86.81
31.	बहुआर	84.55
32.	हाजीपुर	76.32
33.	डोहरी	69.78
34.	रोशनहर	45.32
35.	भुइली खास	76.34
36.	ढेलवासपुर ककराहीं	65.67
37.	लठिया सहजनी	75.44
38.	मदापुर डकहीं	64.42
	चुनार	60.28

स्रोत: तहसील खसरा मिलान 1990-91 से संगणित ।

गयी भूमि के अन्तर्गत समाहित है । शेष 14.30 प्रतिशत पर वन, 0.59 प्रतिशत पर उद्यान है तथा 4.01 प्रतिशत भूमि कृषि अयोग्य ऊसर के अन्तर्गत है ।

4.2.1 कृषि-योग्य भूमि - कृषि योग्य भूमि के अन्तर्गत शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, कृषि योग्य बंजर भूमि, पुरानी परती एवं वर्तमान परती भूमि समाहित हैं । तहसील में इनका प्रतिशत क्रमश: 53.28, 1.36, 2.35 एवं 3.29 है । इस प्रकार तहसील में कुल 60.28 प्रतिशत

TAHSIL CHUNAR
NET SOWN AREA
1988-89
N
PERCENTAGE OF NET SOWN AREA
< 20
20 - 40
40 - 60
60 - 80
> 80
3 0 3 6 9
Km

Fig. 4.1

TAHSIL CHUNAR
MULTI CROPPING REGIONS
1988-89
N
PERCENTAGE OF MULTI
CROPPING REGIONS
< 30
30 - 50
50 - 70
> 70
3 0 3 6 9
Km

Fig 4·2

(67.683 हेक्टेअर) कृषि-योग्य भूमि है । तालिका 4.1 से स्पष्ट है कि तहसील में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि न्याय-पंचायत कोलना एवं देवरिया में क्रमशः 89.32 एवं 89.19 प्रतिशत है । सबसे कम कृषि योग्य भूमि न्याय पंचायत पटिहटा में 25.10 प्रतिशत है । तत्पश्चात रामपुर-शक्तेशगढ़ (34.71) एवं तेन्दुआ कला (38.94) का स्थान है ।

4.2.2 शुद्ध बोया गया क्षेत्र - शुद्ध बोये गये क्षेत्र से अभिप्राय उस भूमि क्षेत्र से है जिस पर वर्ष में कम से कम एक बार अथवा एक से अधिक बार फसल अवश्य उगायी जाती हो । स्मरणीय है कि इस क्षेत्र में बहुफसली क्षेत्रों का अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ता वरन् मूल कृषि क्षेत्र ही इसमें समाविष्ट होता है । वर्ष 1988-89 के ऑकड़ों के आधार पर तहसील में कुल 59832 हेक्टअर भूमि पर शुद्ध कृषि की जाती है जो तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का 53.28 प्रतिशत है । प्रदेश में सर्वाधिक शुद्ध कृषि क्षेत्र न्याय पंचायत कोलना एवं देवरिया में क्रमशः 87.22 तथा 85.59 प्रतिशत तथा न्यूनतम न्याय पंचायत पटिहटा में 15.87 प्रतिशत है (चित्र 4.1) ।

4.2.3 एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र - यह वह क्षेत्र है जिसमें वर्ष में एक से अधिक बार फसलें उगायी जाती हैं । ये फसलें अलग-अलग अथवा एक ही हो सकती है । नगर के निकटवर्ती क्षेत्रों में वर्ष भर सब्जी की खेती होती है किन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में चावल के बाद गेहूँ और तत्पश्चात् सब्जी अथवा चारे की खेती होती है । तहसील में कुल 35,457 हेक्टेअर भूमि पर वर्ष में एक से अधिक बार फसलें उगायी जाती है जो कुल शुद्ध कृषि भूमि का 59.26 प्रतिशत है । इस प्रकार की भूमि का अधिकतम प्रतिशत न्याय पंचायत, जमालपुर में (87.49) तथा न्यूनतम रामपुर-शक्तेशगढ़ में (28.93) है (चित्र 4.2) ।

4.3 फसल प्रतिरूप

तहसील में विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलों की कृषि की जाती है । इन फसलों को मौसम के आधार पर सामान्यतः तीन वर्गो में वर्गीकृत किया जाता है - खरीफ, रबी और जायद की फसल ।

4.3.1 खरीफ की फसल - चुनार तहसील में कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के 72.99 प्रतिशत भाग पर खरीफ की खेती होती है । खरीफ के अन्तर्गत मुख्यतः धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, उर्द, मूंग, अरहर, गन्ना, तिल एवं मूंगफली आदि की कृषि की जाती है । इनका संरचनात्मक प्रतिशत तालिका 4.2 से स्पष्ट है । ये फसलें सामान्यतः तीन प्रकार की हैं - अनाज, दलहन एवं तिलहन ।

तालिका 4.2

चुनार तहसील में खरीफ के अन्तर्गत फसलों की स्थिति, 1991

	फसल	कृषित क्षेत्रफल(हेक्टेअर में)	खरीफ के अन्तर्गत संरचनात्मक प्रतिशत
	(1)	(2)	(3)
1.	धान	37356	75.62
2.	मक्का	799	1.62
3.	बाजरा	435	0.88
4.	ज्वार	394	0.80
5.	बाजरा-अरहर	2968	6.01
6.	ज्वार-अरहर	1084	2.19
7.	अरहर	1140	2.31
8.	उर्द	234	0.47
9.	मूंग	202	0.41
10.	मूंगफली	1618	3.28
11.	तिल	269	0.55
12.	गन्ना	1108	2.24
	अन्य	1793	3.62

TAHSIL CHUNAR
KHARIF CROPPING PATTERN
1991-92
N
A
RICE
B.
ARHAR
PERCENTAGE OF GROSS
SOWN AREA UNDER
RICE
NIL
< 50
50 - 70
70 - 90
> 90
3 0 3 6 9 12 15
Km
PERCENTAGE OF
GROSS SOWN AREA
UNDER ARHAR
< 2
2 - 5
> 5

Fig. 4·3

(अ) **अनाज** - तहसील में अनाज के अन्तर्गत, सामान्यतः धान, ज्वार, बाजरा मक्का आदि की कृषि की जाती है । धान की फसल कुल खरीफ क्षेत्रफल के लगभग 75.62 प्रतिशत भूमि पर बोयी जाती है । चुनार तहसील में विकासखण्ड - सीखड़ एवं नरायनपुर के बगहीं एवं चन्दापुर न्याय पंचायत को छोड़कर यह लगभग सर्वत्र उगायी जाती है (चित्र 4.3 (अ) । पूर्वी नरायनपुर, उत्तरी मध्य जमालपुर एवं विकास-खण्ड राजगढ़ के उत्तर सीमान्त का एक वृहद भू-भाग चावल का प्रधान क्षेत्र है । इसे 'धान की खत्ती' अथवा 'चुनार का छत्तीसगढ़' कहा जाय तो सम्भवतः कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । यहाँ बौनी(छोटी) एवं उन्नतिशील किस्म के बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग के कारण प्रति हेक्टेअर उपज बहुत अधिक है । इस क्षेत्र में धान की कृषि के लिए जरगो एवं अहरौरा बांध वरदान स्वरूप हैं। इनसे नहरें निकालकर इस प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था की गयी है । इन जलाशयों में जलश्रोतों की क्षमता पर्याप्त होने के कारण यहां अल्पकालिक सूखों का प्रभाव नहीं पड़ पाता । इस क्षेत्र की एक विशेषता यह है कि जहाँ पश्चिमी भाग में अधिक उपज देने वाली मोटे चावल की कृषि की जाती है । वहीं पूर्वी भाग में महीन एवं उच्चस्तरीय चावल की प्रधानता है । इस क्षेत्र के सभी न्यायपंचायतों में कुल खरीफ क्षेत्र के लगभग 75 प्रतिशत से अधिक भाग पर चावल की कृषि की जाती है । कोलना, अधवार, देवरिया, गरौड़ी, जयपट्टी कला, जमालपुर, ओड़ी एवं भुइली-खास न्यायपंचायतों में तो कुल खरीफ क्षेत्र के 90 प्रतिशत से भी अधिक भाग पर चावल की खेती होती है । तहसील का दक्षिणी भाग एक दूसरा चावल प्रधान क्षेत्र है । यहाँ खरीफ भूमि के 60 प्रतिशत से अधिक भाग पर चावल की कृषि होती है । इस प्रदेश में चावल की कृषि की दो समस्याएँ हैं - प्रथमतः कृषि-कार्य के परम्परागत ढंग से होने तथा भूमि के न्यून उत्पादक एवं असमतल होने के कारण प्रति एकड़ उपज बहुत कम है । दूसरे, इस क्षेत्र में सिंचाई की उचित व्यवस्था न हो पाने के कारण अधिकांश फसल बीच में ही सूख जाती है अथवा किसी न किसी रूप में सूखे से प्रभावित हो जाती है ।

तहसील में मुख्य चावल क्षेत्र के अतिरिक्त लगभग सभी भागों में ज्वार, बाजरा एवं मक्के की खेती की जाती है किन्तु यह व्यावसायिक स्तर पर न होकर घरेलू उपयोग तक ही सीमित है । तहसील में चन्दापुर, बगहीं, नियामतपुर, पचेवरा, जलालपुर मैदान, सरायटेकौर, खनजादीपुर, बगहा, धनैता, सीखड़ एवं मेड़िया न्यायपंचायत मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं । इस सभी

न्याय पंचायतों में खरीफ क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक भाग पर ज्वार-बाजरा तथा 5 प्रतिशत से अधिक भाग पर मक्के की खेती होती है। बाजरा एवं मक्का दोनों के ही उत्पादन में न्याय पंचायत बगही का प्रथम स्थान है। यहां कुल खरीफ क्षेत्र के 20.5 प्रतिशत पर बाजरा एवं 9.5 प्रतिशत भाग पर मक्के की कृषि होती है ।

(ब) **दलहन-** तहसील में खरीफ के अन्तर्गत अरहर, उर्द एवं मूंग की दलहन खेती की जाती है। इन फसलों का खरीफ के अन्तर्गत संरचनात्मक प्रतिशत क्रमशः 2.31, 0.47 एवं 0.41 है। वास्तव में इनका उत्पादक क्षेत्र वही है जो ज्वार, बाजरा एवं मक्का का, कहीं-कहीं तो अरहर एवं बाजरे की मिश्रित कृषि भी होती है। विकास खण्ड - सीखड़, नरायनपुर के बगहीं, चन्दापुर, शेरपुर, नियामतपुर, पचेवरा, जलालपुर मैदान, सरांय टैकोर, राजगढ़ में खनजादीपुर तथा जमालपुर के रोशनहर एवं मदापुर डकहीं न्यायपंचायत प्रमुख अरहर उत्पादक क्षेत्र है चित्र 4.3(ब)। यहां खरीफ क्षेत्र के 5 प्रतिशत से अधिक भाग पर अरहर की कृषि की जाती है। बगहीं, बगहा एवं धनैता न्यायपंचायतों में तो 10 प्रतिशत से भी अधिक भाग पर अरहर की खेती होती है। उर्द एवं मूंग की खेती न्याय पंचायत हांसीपुर, सीखड़, मिंड़िया, आ0ला0 सुल्तानपुर, खनजादीपुर, नियामतपुर, पचेवरा, सरांय टेकोर, जलालपुर मैदान, तेन्दुआकला एवं रामपुर शक्तेशगढ़ तथा पटिहटा के पठारी भागों पर की जाती है किन्तु कहीं भी यह खरीफ क्षेत्र के 5 प्रतिशंत से अधिक भाग पर नहीं उगायी जाती। तहसील में न्याय पंचायत खनजादीपुर में यह सर्वाधिक 7.5 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है।

(स) **तिलहन** - चुनार तहसील में खरीफ के अन्तर्गत मुख्यतः तिल एवं मूंगफली की कृषि की जाती है । इसमें तिल खरीफ क्षेत्र के 0.53 प्रतिशत एवं मूंगफली 3.28 प्रतिशत भाग पर बोयी जाती है। तिल मुख्य धान क्षेत्र को छोड़कर मैदान से लेकर पठार तक तहसील के प्रत्येक क्षेत्र में छिटपुट रूप में उगायी जाती है किन्तु यह किसी भी न्याय पंचायत के 5 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र से अधिक भूमि पर नहीं बोयी जाती। न्याय पंचायत बगहीं में यह सबसे अधिक 8.6 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र पर उत्पन्न की जाती है। मूंगफली की कृषि में बगहीं न्याय पंचायत तहसील में प्रथम एवं चन्दापुर द्वितीय स्थान पर है। इन दोनों न्याय पंचायतों में क्रमशः 29.5 एवं 25.56 प्रतिशत भाग पर मूंगफली की खेती होती है। इसके अतिरिक्त हांसीपुर,

TAHSIL CHUNAR
KHARIF CROPPING PATTERN
1991-92
N
GROUNDNUT
A
SUGARCANE
B
PERCENTAGE OF GROSS SOWN AREA UNDER GROUNDNUT
NIL
< 5
5 - 10
10 - 15
> 15
3 0 3 6 9 12 15
Km
PERCENTAGE OF GROSS SOWN AREA UNDER SUGARCANE
< 1
1 - 2
2 - 3
3 - 4
> 4

Fig. 4·4

बगहा एवं धनैता दूसरे बड़े मूंगफली उत्पादक क्षेत्र हैं। इन न्याय पंचायतों में क्रमशः 18.99, 7.14 एवं 5.26 प्रतिशत से अधिक खरीफ क्षेत्र पर इसकी खेती होती है। इसके अतिरिक्त खनजादीपुर, जलालपुर मैदान, नियामतपुर एवं पचेवरा में भी मूंगफली की खेती लघु क्षेत्रों में होती है (चित्र 4.4 अ) ।

(द) **अन्य फसलें** - तहसील में उपर्युक्त फसलों के अतिरिक्त गन्ना, मिर्चा, सनई एवं चारे की कृषि होती है । प्रदेश में 2.24 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है। गन्ना का प्रधान क्षेत्र विकास खण्ड सीखड़ है। यहां गन्ना लगभग प्रत्येक न्याय पंचायतों में पैदा किया जाता है किन्तु पश्चिम की तरफ इसके क्षेत्र में वृद्धि होती जाती है इस क्षेत्र के लगभग सभी न्याय पंचायतों में 3 प्रतिशत से अधिक खरीफ क्षेत्र में गन्ने की कृषि की जाती है। न्यायपंचायत हांसीपुर में सर्वाधिक 4.24 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है। इस क्षेत्र के अतिरिक्त तहसील के सभी न्याय पंचायतों में घरेलू आवश्यकताओं के अनुरूप गन्ने की खेती होती है, किन्तु यह 1-2 प्रतिशत शुद्ध खरीफ क्षेत्र तक ही सीमित है (चित्र 4.4 ब)। तहसील के 3.62 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र पर मिर्चा, सनई एवं चारे की कृषि की जाती है। इनमें मिर्चा सर्वाधिक आ0ला0 सुल्तानपुर न्याय पंचायत में 5.7 प्रतिशत खरीफ क्षेत्र पर उत्पन्न किया जाता है। सनई एवं चारे की खेती मुख्यतः विकास खण्ड सीखड़ एवं पश्चिम नरायनपुर में की जाती है किन्तु किसी भी न्याय पंचायत में यह एक प्रतिशत से अधिक क्षेत्र पर नहीं बोयी जाती ।

4.3.2 रबी की फसल -

वर्ष 1990-91 के आंकड़ों के अनुसार चुनार तहसील में कुल 50342 हेक्टेयर भूमि पर रबी की फसल उगायी जाती है जो कुल कृषि योग्य भूमि का 74.38 प्रतिशत है। तहसील में रबी के अन्तर्गत मुख्यतः गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, आलू एवं सरसों आदि की कृषि की जाती है। खरीफ के अन्तर्गत इनका संरचनात्मक प्रतिशत तालिका 4.3 में अंकित है।

तालिका 4.3

चुनार तहसील में रबी के अन्तर्गत फसलों की स्थिति, 1990-91

फसल	कृषित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	रबी के अन्तर्गत संरचनात्मक प्रतिशत
(1)	(2)	(3)
1. गेहूं	33076	65.70
2. जौ	463	0.92
3. बेझड़	1968	3.91
4. गोचना	107	0.21
5. मसूर	3481	6.91
6. चना	3214	6.38
7. मटर	1203	2.39
8. लाही	2015	4.00
9. सरसों	313	0.62
10. आलू	1068	2.12
11. टमाटर	115	0.23
12. प्याज	90	0.18
अन्य	3229	6.43
चुनार तहसील	50,342	100

स्रोतः लेखपाल का रबी उपज ब्यौरा, चुनार तहसील फसली वर्ष 1399 (1991-92) से संगणित ।

(अ) **अनाज** - अनाज के अन्तर्गत तहसील में मुख्य रूप से गेहूं एवं जो की कृषि की जाती है। गेहूं सामान्यतः तहसील के सभी न्याय पंचायतों में उगाया जाता है किन्तु इसका प्रमुख क्षेत्र उत्तरी मैदान ही है। दक्षिणी पठार में सिंचाई की उत्तम व्यवस्था न हो पाने के कारण गेहूं केवल घरेलू उपयोग के लिए पैदा किया जाता है। वर्ष 1990-91 के आंकड़ों के अनुसार तहसील में कुल 33076 हेक्टेयर भूमि पर गेहूं की खेती की जाती है जो रबी क्षेत्र का 65.70 प्रतिशत है। तहसील के पूर्वी भाग में विशेषकर धान प्रदेश में गेहूं का क्षेत्र विस्तृत है। यहां लगभग सभी न्याय पंचायतों में रबी क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। न्याय पंचायत जमालपुर में सर्वाधिक 65.41 प्रतिशत क्षेत्र पर गेहूं की कृषि की जाती है। तत्पश्चात लठिया सहजनी (63.53 प्रतिशत) एवं देवरिया (60.81 प्रतिशत) का स्थान है। यद्यपि गेहूं क्षेत्र का प्रतिशत तहसील के पूर्वी न्याय पंचायतों में अधिक है किन्तु गेहूं धान की फसल के तुरन्त बाद उगाये जाने के कारण पश्चिमी क्षेत्र (विकास खण्ड सीखड़ एवं पश्चिमी नरायनपुर) की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उपज कम होती है। तहसील के पश्चिमी मैदान में लगभग सभी न्याय पंचायतों में रबी क्षेत्र के 30 प्रतिशत से अधिक भाग पर गेहूं की खेती की जाती है। इस भाग में गेहूं के क्षेत्र का प्रतिशत कम होने का कारण यहां आलू, मटर, चना, सरसों एवं गन्ना के फसलों को पर्याप्त महत्व प्राप्त होना है। दक्षिणी पठार में रबी क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक भाग गेहूं की कृषि की जाती है किन्तु यहां प्रति हेक्टेयर उपज बहुत कम है (चित्र 4.5 अ)।

चुनार तहसील में रबी फसल के 0.92 प्रतिशत भाग पर जौ की खेती होती है। जौ की खेती प्रायः तहसील के उन हिस्सों में होती है जहां सिंचाई की सुविधा तथा उपजाऊ एवं समतल मिट्टी का अभाव है। विकासखण्ड राजगढ़ के सभी न्याय पंचायतों, नरायनपुर के सराय टेकौर एवं जमालपुर के रोशनहर एवं मदापुर डकही न्याय पंचायतों में जौ की कृषि की जाती है। उक्त सभी न्याय पंचायतों में रबी फसल के 3 प्रतिशत से अधिक भाग पर इसकी खेती होती है। तेन्दुआ कला में यह सर्वाधिक रबी फसल के 5-2 प्रतिशत से अधिक भाग पर जौ की कृषि होती है। पिछले कई वर्षों से जौ की खेती में काफी गिरावट आयी है।

TAHSIL CHUNAR
RABI CROPPING PATTERN
1990-91
N
WHEAT
A
GRAM
B
PERCENTAGE OF GROSS SOWN AREA UNDER WHEAT
< 40
40 - 50
50 - 60
60 - 70
> 70
3 0 3 6 9 12 15
Km
PERCENTAGE OF GROSS SOWN AREA UNDER GRAM
< 5
5 - 10
10 - 15
> 15

Fig. 4.5

(ब) **दलहन** - रबी के अन्तर्गत मसूर, चना एवं मटर की दलहन कृषि की जाती है। ये फसलें कुल रबी क्षेत्र के क्रमशः 6.91, 6.38, 2.39 प्रतिशत भाग पर उगायी जाती है। यद्यपि तहसील की प्रत्येक न्याय पंचायत में थोड़ी बहुत मात्रा में इनकी खेती होती है किन्तु इनका प्रधान क्षेत्र विकास खण्ड सीखड़ एवं नरायनपुर के शेरपुर, बगही, चन्दापुर, नियामतपुर, पचेवरा, न्यायपंचायत है। बगहा, हांसीपुर, सीखड़, धनैता एवं मेड़िया न्याय पंचायतों में अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र पर मटर की खेती होती है। न्याय पंचायत धनैता एवं हांसीपुर इनमें अग्रणी है। यहां रबी फसल के क्रमशः 15 एवं 13 प्रतिशत भूमि पर इसकी खेती व्यावसायिक रूप में की जाती है। शेष न्याय पंचायतों के 5-10 प्रतिशत भाग पर यह उत्पन्न की जाती है। चने का सर्वाधिक विस्तृत क्षेत्र न्याय पंचायत तेन्दुआ कला में है। यहां रबी फसल के 22.5 प्रतिशत भाग पर चने की खेती होती है। इसके बाद चने की कृषि में मेड़िया एवं सीखड़ का स्थान है। इन दोनों न्याय पंचायतों में रबी फसल के क्रमशः 13.5 एवं 11.2 प्रतिशत भू-क्षेत्र पर उक्त फसल की कृषि होती है (चित्र 4.5 ब)। मसूर की खेती धनैता, बगहा आ0ला0 सुल्तानपुर, नियामतपुर, पचेवरा, वटवन्तरा, चकसरिया, रोशनहर, मदापुर-डकही, ढेलवासपुर - ककराहीं, लठिया सहजनी, जमालपुर न्याय पंचायतों में की जाती है। उक्त सभी न्याय पंचायतों के 8 प्रतिशत से अधिक रबी क्षेत्र पर पैदा की जाती है (चित्र 4.6 अ)।

(स) **तिलहन** - तिलहन के अन्तर्गत प्रदेश में लाही एवं सरसों की कृषि होती है। यह रबी फसल के कुल 4.62 प्रतिशत पर बोयी जाती है। यद्यपि यह घरेलू उपयोग हेतु तहसील के सभी न्याय पंचायतों में थोड़ा बहुत उगाया जाता है किन्तु गंगा के तराई क्षेत्रों में इसकी प्रधानता है। यहां मिट्टी की उर्वरता, एवं सिंचाई की सुलभता एवं भूमि की अपेक्षाकृत कमी होने के कारण गेहूं के पूर्व लाही की एक फसल ली जाती है। मेड़िया, सीखड़, आ0ला0 सुल्तानपुर, बगही, पचेवरा, नियामतपुर, जलालपुर मैदान, शेरपुर, रामपुर शक्तेशगढ़, खनजादीपुर, पटिहटा, चकसरिया एवं रोशनहर न्यायपंचायत में रबी फसल के 5 प्रतिशत से अधिक भाग पर सरसों एवं लाही की कृषि की जाती है। इनमें खनजादीपुर में सर्वाधिक 8.5 प्रतिशत भाग पर इनकी खेती होती है (चित्र 4.6 ब) ।

(द) **सब्जियां** - इसके अन्तर्गत तहसील में आलू, टमाटर, एवं प्याज की कृषि

TAHSIL CHUNAR
RABI CROPPING PATTERN
1991-92
LENTIL
MUSTARD
A
B
N
PERCENTAGE OF GROSS
SOWN AREA UNDER
LENTIL
< 3
3 - 5
5 - 8
> 8
PERENTAGE OF GROSS
SOWN AREA UNDER
MUSTARD
< 2
2 - 5
> 5
3 0 3 6 9 12 15
Km

Fig. 4·6

की जाती है। प्रदेश में आलू रबी क्षेत्र के 2.12 प्रतिशत भूमि पर बोया जाता है। यह मुख्यतः विकास-खण्ड सीखड़, नरायनपुर के चन्दापुर, बगही, नियामतपुर, पचेवरा, जलालपुर मैदान राजगढ़ के खनजादीपुर न्याय पंचायतों में उगाया जाता है। आलू की खेती में न्याय पंचायत हांसीपुर का प्रथम, चन्दापुर का द्वितीय एवं बगहीं का तृतीय स्थान है। इन न्याय पंचायतों में क्रमशः रबी फसल के 10.42, 8.38 एवं 6.09 प्रतिशत भाग आलू की कृषि की जाती है टमाटर मुख्यतः सीखड़, मेड़िया, जलालपुर मैदान बगहीं, चन्दापुर एवं पचेवरा न्याय पंचायतों में पैदा किया जाता है। इन न्याय पंचायतों के क्रमशः 1.50, 1.60, 1.75, 1.50 एवं 0.95 रबी क्षेत्र में इसकी खेती होती है। प्याज का क्षेत्र तहसील में अत्यन्त बिखरा हुआ है। यह मुख्यतः जलालपुर मैदान, बगही, चन्दापुर, खनजादीपुर एवं वटवन्तरा में उत्पन्न की जाती है। तसहील में प्याज किसी भी न्याय पंचायत में एक प्रतिशत से अधिक भाग पर नहीं बोयी जाती ।

(य) **अन्य फसलें** - तहसील के लगभग 6.43 प्रतिशत रबी क्षेत्र पर अलसी बरसीम आदि अन्य फसलों की कृषि होती है। इसमें अलसी पठारी भागों के अनुपजाऊ एवं असिंचित भूमि पर 1-2 प्रतिशत क्षेत्र में उत्पन्न की जाती है। इसमें रोशनहर, पटिहटा, वटवन्तरा, रामपुर शक्तेशगढ़, तेन्दुआकला एवं खनजादीपुर एवं रोशनहर में उत्पन्न की जाती है किन्तु यहां भी इनका प्रतिशत 2 से अधिक नहीं है ।

4.3.3 जायद की फसल

चुनार तहसील मे कुल 955 हेक्टेयर पर जायद की फसलें उगायी जाती है जो शुद्ध कृषि क्षेत्र का लगभग 1.6 प्रतिशत है। जायद के अन्तर्गत खरबूज, तरबूज, ककड़ी, सब्जी एवं चारे की कृषि होती है। ये फसलें जायद कृषि क्षेत्र के क्रमशः 20.21, 0.50, 54.55 एवं 4.28 प्रतिशत भूमि पर उत्पन्न की जाती है। उक्त फसलों में खरबूज-तरबूज गंगा के तटवर्ती न्याय पंचायतों - मेड़िया, धनैता, सीखड़, आ0ला0 सुल्तानपुर, जलालपुर मैदान, बगही एवं चन्दापुर तथा चुनार नगर के क्षेत्र के पश्चिमी किनारे रेतीले भागों में बोयी जाती है अन्य फसलें सिंचाई के साधनों के अनुसार लगभग सभी न्याय पंचायतों में बोयी जाती है किन्तु किसी भी न्याय पंचायत में इसका प्रतिशत 2 से अधिक नहीं है। सामान्य तौर पर तहसील के पश्चिमोत्तरी

न्याय पंचायतों - हांसीपुर, सीखड़, मेड़िया, बगही, चन्दापुर, जलालपुर मैदान एवं पचेवरा में इन फसलों को अधिक महत्व प्राप्त है। जायद की फसलों के उत्पादन में नगरीय क्षेत्र को अधिक योगदान है क्योंकि इस समय नगर के बाहरी छोरों पर नगर के दैनिक आपूर्ति हेतु विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगायी जाती हैं।

4.4 फसल संयोजन

फसल संयोजक से तात्पर्य किसी क्षेत्र विशेष में वर्ष के अन्तर्गत उगायी जाने वाली फसलों के समूह से है। पी0कुमार तथा एस0के0 शर्मा के अनुसार किसी इकाई क्षेत्र में उत्पन्न की जाने वाली प्रमुख फसलों के समूह को फसल संयोजन कहते हैं, जो वहां की प्राकृतिक, आर्थिक दशाओं तथा कृषक की सामाजिक एवं वैयक्तिक गुणों के अन्योन्यक्रिया का परिणाम होता है। फसल संयोजन से मिट्टी की उर्वरता एवं विभिन्न फसलों के उत्पादन की क्षमता की सूचना मिलती है, क्योंकि इसी आधार पर फसलों को क्षेत्रीय विशिष्टता प्राप्त होती है।

4.4.1 **फसल-कोटि निर्धारण** - फसल-कोटि से तात्पर्य फसलों के सापेक्षिक महत्व से है। इसका निर्धारण सकल बोये गये क्षेत्र के सन्दर्भ में किया जाता है। प्रस्तुत अध्ययन के फसल-कोटि निर्धारण में, सकल बोये गये क्षेत्र से तहसील के सभी फसलों से आच्छादित क्षेत्रफल का अलग-अलग प्रतिशत ज्ञात किया गया है। पुनः इन्हें अवरोही क्रम में रखकर प्रत्येक न्याय पंचायत में फसलों की तीन कोटियां निर्धारित की गयी हैं (देखिये तालिका 4.4)।

तालिका 4.4 से स्पष्ट है कि तहसील में प्रथम कोटि की फसल चावल है। यह सकल बोये गये क्षेत्र के 37.09 प्रतिशत भूमि पर उत्पन्न किया जाता है। चावल के बाद द्वितीय एवं तृतीय कोटि की फसल क्रमशः गेहूं (32.85) तथा मसूर (3.46) है। न्याय पंचायत स्तर पर फसलों की कोटियों में पर्याप्त फेर बदल हो गया है। तहसील के कुल 26 न्याय पंचायतों में प्रथम कोटि की फसल चावल तथा शेष 12 न्याय पंचायतों में गेहूं है। द्वितीय कोटि के अन्तर्गत 26 न्याय पंचायतों में गेहूं, 5 न्याय पंचायतों में चावल, 5 न्याय पंचायतों में मूंगफली तथा 2 न्याय पंचायतों में चना निर्धारित है। तृतीय कोटि के अन्तर्गत 18 न्याय पंचायतों में मसूर 10 न्याय पंचायतों में चना 4 न्याय पंचायतों में आलू तथा 2-2 न्याय

तालिका 4.4

चुनार तहसील में फसलों की कोटियां, 1991-92

न्याय पंचायत		फसल कोटि एवं उनका सकल बोये गये क्षेत्र से प्रतिशत		
		I	II	III
1.	चकसरिया	R- 37.05	W- 35.03	G- 5.62
2.	पटिहटा	R- 41.28	W- 21.25	G- 9.51
3.	खनजादीपुर	W- 39.22	R- 34.35	Po 3.07
4.	तेन्दुआ कला	R- 31.56	W- 26.68	G- 9.08
5.	रामपुर-शक्तेशगढ़	R- 32.32	W- 27.34	G- 3.81
6.	वट-वन्तरा	R- 53.36	W- 28.87	G- 2.12
7.	बगहा	W- 40.91	G- 11.40	P- 11.33
8.	सीखड़	W- 29.22	Gn- 10.88	G- 8.48
9.	मेड़िया	W- 37.68	Gn- 9.09	P- 7.94
10.	धनैता	W- 55.08	Gn- 13.45	P- 10.61
11.	हांसीपुर	W- 26.22	Gn- 17.91	Po- 9.59
12.	आ0ला0सुल्तानपुर	W- 42.18	R- 9.49	G- 8.45
13.	सराय टैकोर	R- 36.89	W- 33.07	G- 3.82
14.	जलालपुर मैदान	R- 43.52	W- 29.74	Po- 3.62
15.	पचेवरा	W- 47.12	R- 13.44	L- 6.14
16.	नियामतपुर कला	W- 43.14	R- 12.76	Po- 6.35
17.	चन्दापुर	W- 34.77	P- 15.81	Po- 6.09
18.	शेरपुर	W- 40.74	R- 24.26	L- 6.14
19.	बगहीं	W- 46.66	P- 16.23	Po- 5.4
20.	टेडुआ	R- 45.10	W- 44.91	Sc- 2.48
21.	देवरिया	R- 56.91	W- 37.43	L- 2.68
22.	कोलना	R- 61.11	W- 35.46	L- 1.03

क्रमशः

23.	गरौड़ी	R- 51.00	W-	38.64	L-	2.00
24.	घाटमपुर	R- 49.78	W-	32.43	L-	3.15
25.	लालपुर अधवार	R- 57.49	W-	28.10	SC-	3.89
26.	बरईपुर	R- 45.96	W-	44.53	L-	5.16
27.	रेरूपुर	R- 46.53	W-	35.57	L-	7.55
28.	जयपट्टी कला	R- 55.49	W-	38.14	L-	4.68
29.	जमालपुर	R- 51.13	W-	36.36	L-	3.92
30.	ओड़ी	R- 54.19	W-	32.89	L-	7.04
31.	बहुआर	R- 49.65	W-	36.56	L-	5.44
32.	हाजीपुर	R- 45.87	W-	33.87	L-	4.5
33.	डोहरी	R- 50.47	W-	35.87	L-	6.64
34.	रोशनहर	R- 50.01	W-	37.34	L-	4.76
35.	भुइली	R- 50.89	W-	35.64	L-	7.48
36.	ढेलवासपुर ककराही	R- 51.30	W-	35.31	L-	5.38
37.	लठिया सहजनी	R- 52.11	W-	36.24	L-	3.96
38.	मदापुर-डकहीं	R- 48.36	W-	42.11	R-	1.45
	चुनार तहसील	R- 37.09	W-	32.85	L-	3.46

स्रोतः चुनार तहसील - लेखपाल का खरीफ, रबी तथा जायद उपज ब्यौरा, फसली वर्ष, 1399 (1991-92) से संगणित ।

R-	चावल	S-	गन्ना
Po-	आलू	W-	गेहूं
Gr-	चना	P-	मटर
L-	मसूर	Gn-	मूंगफली

पंचायतों में मूंगफली, गन्ना एवं मटर समाहित हैं।

4.4.2 फसल-सयोजन प्रदेश - फसल-संयोजन प्रदेश निर्धारित करने के लिए अनेक भारतीय एवं विदेशी विद्वानों ने समय-समय पर विभिन्न सांख्यिकीय विधियों को व्यवहृत किया है। इसमें बीवर[4] थामस[5] कपाक[6], दोई[7] एवं अय्यर आदि का नाम महत्वपूर्ण है। किन्तु प्रस्तुत अध्ययन में फसलों के क्षेत्र प्रतिशतता को देखते हुए तर्कसंगत फसल-संयोजन प्रदेश के निर्धारण में एक अलग विधि प्रयुक्त की गयी है। इस विधि के अनुसार -

1. यदि कोई फसल सकल बोये गये क्षेत्र के 50 प्रतिशत या उससे अधिक क्षेत्र पर आच्छादित है तो वह एक 'एक फसली क्षेत्र' कहलायेगा।
2. यदि ऊपर से अवरोही क्रम में, कोई दो फसलें सकल बोए गए क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक भाग पर उगायी जाती हैं तो वह क्षेत्र द्विफसली संयोजन प्रदेश कहा जायेगा।
3. फसल संयोजन के निर्धारण में उतने ही फसलों को समाहित किया गया है जिनके क्षेत्रों का योग 80 प्रतिशत तक है।

उक्त विधि के आधार पर तहसील की कुल 14 न्याय पंचायतें एक फसली क्षेत्र के अन्तर्गत समाहित हैं। इनमें धनैता एवं बटवन्तरा दो न्याय पंचायतों को छोड़कर अन्य सभी मुख्य चावल की पेटी में आती हैं। धनैता पश्चिमोत्तर में और वटवन्तरा दक्षिणपूर्व में अवस्थित हैं जिनका प्रमुख फसल क्रमशः गेहूं एवं धान है। एक फसली क्षेत्र के बाद तहसील में दो फसली क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। तहसील के कुल 7 न्याय पंचायतों में दो फसलें धान व गेहूं प्रमुखतया उगायी जाती है। स्मरणीय है कि दो फसली क्षेत्र भी लगभग प्रमुख चावल क्षेत्र के अन्तर्गत ही समाहित है किन्तु यहां चावल के अतिरिक्त गेहूं की खेती भी महत्वपूर्ण है। तीन फसली एवं चार फसली क्षेत्र तहसील के दक्षिण में एक ही विकास खण्ड राजगढ़ में समाविष्ट हैं। इनमें प्रथम, केवल एक न्याय पंचायत चकसरिया तथा द्वितीय पट्हिटा एवं खनजादीपुर दो न्याय पंचायतों के अन्तर्गत छः फसली क्षेत्र प्रमुखतया गंगा पार्श्ववर्ती भागों में विस्तृत है। इसके अन्तर्गत तहसील के पांच न्याय पंचायतों समाहित हैं। सात फसली क्षेत्र तहसील के 5 न्याय पंचायतों एवं आठ फसली क्षेत्र 3 न्याय पंचायतों में समाविष्ट है। स्पष्ट है कि तहसील

TAHSIL CHUNAR
CROP COMBINATION REGIONS
1991-92
N
W
WGGnPSPo
WGnGPPoSMiA
WRGCGnSA
WGnPoMiAS
WGnPoMi
SAM
WRLPoMiA
RW
WRLPoAMi
RWPoAMMi
RWGMiAPo
R
RWGM
RWGMABL
RWG
RWGBMMiA
CROP COMBINATION REGIONS
ONE CROP
TWO CROP
THREE CROP
FOUR CROP
FIVE CROP
SIX CROP
SEVEN CROP
EIGHT CROP
C Chilly
G Gram
Gn Groundnut
L Lentil
M Mustard
Mi Millets
Me Melon
B Barley
A Arhar
P Peas
Po Potato
R Rice
S Sugarcane
W Wheat
3 0 3 6
Km

Fig. 4.7

में द्विफसली क्षेत्र के बाद छः फसली एवं सात फसली क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं (देखिए चित्र 4.7)।

4.5 शस्य गहनता

फसल-गहनता से अभिप्राय यह है कि एक कृषि वर्ष में किसी क्षेत्र विशेष में कुल कितनी फसलें उगायी जाती हैं । यदि वर्ष में पूरे क्षेत्र पर केवल एक फसल उगायी जाती है तो उस फसल का सूचकांक 100 है और यदि दो फसलें उगायी जाती हैं तो यह 200 होगा। जितना भी यह अंक कम होगा उतनी ही भूमि उपयोग की क्षमता भी कम होगी । [9] यह देखा गया है कि फसलों के उत्पादन के लिए वास्तविक बोये जाने वाले क्षेत्र का विस्तार, मनुष्य के रीतिरिवाजों, सिंचाई के प्राकृतिक तथा कृत्रिम साधनों की संभावनाओं अथवा शुष्क कृषि की विधियों पर निर्भर करता है ।[10] बहुत से वास्तविक कृषि क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें सिंचाई के साधनों की सुविधाएं सीमित रहती है तथा बहुत से कुछ अवधि तक जलमग्न या बाढ़ग्रस्त रहते हैं । अतः ऐसे क्षेत्रों के उपजाऊ होते हुए भी हम उनसे अपेक्षित लाभ नहीं उठा सकते ।

प्रस्तुत अध्ययन में शस्यगहनता के निर्धारण में निम्नलिखित सूत्र को व्यवहार में लाया गया है -
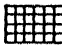
$$\text{शस्य गहनता सूचकांक} = \frac{\text{शकल बोया गया क्षेत्र}}{\text{शुद्ध बोया गया क्षेत्र}} \times 100$$

उक्त आधार पर तहसील की शस्यगहनता सूचकांक 168.30 है । फसलों की सर्वाधिक सघनता तहसील के पूर्वोत्तर भाग में मिलती है जहाँ बोयी जाने वाली फसलों की संख्या तो कम है किन्तु ये फसलें लगभग पूरे कृषित क्षेत्र पर उगायी जाती हैं । शस्य गहनता की दृष्टि से तहसील में न्याय पंचायत कोलना प्रथम, रेरूपुर द्वितीय एवं जमालपुर तृतीय स्थान पर हैं । इनका शस्य गहनता सूचकांक क्रमशः 190.70, 190.66 एवं 187.40 है । तहसील में न्यूनतम शस्य गहनता पश्चिमोत्तर भाग में प्राप्त होती है । यहाँ अपेक्षाकृत अधिक फसलों की कृषि की जाती है, किन्तु इनका क्षेत्र छोटा तथा भिन्न-भिन्न होता है । बाढ़-प्रभावित होने के कारण यहाँ रबी की फसल ही मुख्य है । तहसील में न्यूनतम शस्य गहनता सूचकांक (129.58) न्याय पंचायत सराय टेकौर में मिलता है, तत्पश्चात् मेड़िया (130.53) का स्थान

TAHSIL CHUNAR
CROPPING INTENSITY
1991-92
N
CROPPING INTENSITY
>190 VERY HIGH
170 - 190 HIGH
150 - 170 MEDIUM
130 - 150 LOW
<130 VERY LOW
3 0 3 6 9
Km

Fig.4.8

है । सामान्य शस्य गहनता विकास खण्ड नरायनपुर के पश्चिमी न्यायपंचायतों तथा विकासखण्ड राजगढ़ में मिलता है । (देखिए चित्र 4.8)।

4.6 सिंचाई

फसलों के उत्पादन में सिंचाई का महत्व प्राचीनकाल से ही रहा है किन्तु वर्तमान में वर्षा की अनिश्चितता एवं उच्च उत्पादकता वाली फसलों की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण इसका महत्व बढ़ता जा रहा है । शुष्क भागों में कृषि कार्य प्रारम्भ करने के लिए अर्द्धशुष्क भागों में कृषि की सफलता के लिए और पर्याप्त किन्तु अनियमित जल वर्षा वाले भागों में कृषि की प्रगति के लिए मानव द्वारा विभिन्न प्रकार के जलस्रोतों से भिन्न-भिन्न विधियों द्वारा खेतों में पानी पहुँचाना सिंचाई कहलाता है ।[11]

तहसील में सिंचाई का सम्यक् रूप से विकास नहीं हो सका है । तहसील के सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि का लगभग 64.96 प्रतिशत भाग सिंचित है । इसमें विकासखण्ड जमालपुर में सिंचित क्षेत्रफल सर्वाधिक 86.62 तथा सीखड़ में न्यूनतम 39.79 प्रतिशत है नरायनपुर एवं राजगढ़ में सिंचित भू-भाग का प्रतिशत क्रमशः 71.31 तथा 50.39 प्रतिशत है ।

चुनार तहसील के सिचिंत क्षेत्रफल में 82.4 प्रतिशत नहर, 13.05 प्रतिशत नलकूप 1.94 प्रतिशत कूप, 0.25 प्रतिशत तालाब तथा 2.36 प्रतिशत अन्य साधनों से सिंचाई होती है । तहसील में सीखड़ को छोड़कर शेष तीनों विकासखण्डों में सिंचाई का प्रमुख साधन नहर ही है । नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत जमालपुर में सर्वाधिक 94.91 है जबकि नरायनपुर एवं राजगढ़ में क्रमशः 78.49 एवं 89.78 है । नरायनपुर में नहर द्वारा सिंचाई पूर्वी भागों में ही होती है । यहाँ जरगो बांध से नहरें निकालकर सिंचाई की व्यवस्था की गयी है। जमालपुर में सिंचाई मुख्यतः अहरौरा बांध द्वारा होती है । नरायनपुर के पश्चिमी भागों तथा विकास खण्ड सीखड़ में सिंचाई का प्रमुख साधन नलकूप है । नरायनपुर में सिंचित भूमि का 19.34 प्रतिशत भाग तथा सीखड़ में 81.80 प्रतिशत भाग नलकूपों द्वारा सींचा जाता है।

विकासखण्ड सीखड़ में सिंचाई का दूसरा प्रमुख साधन नहर है । यहाँ 17.87 प्रतिशत भाग नहर द्वारा सींचा जाता है।

तालिका 4.5

चुनार तहसील में विभिन्न सिंचाई सुविधाओं का प्रतिशत

	विकास खण्ड	सिंचाई के साधन				
		नहर	नलकूप	कूप	तालाब	अन्य साधन
1.	जमालपुर	94.91	0.48	1.20	-	3.41
2.	नरायनपुर	78.49	19.34	1.26	-	0.91
3.	सीखड़	17.87	81.80	0.22	-	0.11
4.	राजगढ़	89.78	1.37	4.49	1.04	3.32
	चुनार तहसील *	82.40	13.05	1.94	0.25	2.36

* ग्रामीण क्षेत्र

स्रोत : जनपद सांख्यिकी पत्रिका,मिर्जापुर, 1990 से संगणित ।

4.7 जोत-आकार

जोत का आशय उस समग्र भूमि से है जिसके कुल या आंशिक भाग पर कृषि उत्पादन एक तकनीकी इकाई के तहत केवल एक व्यक्ति या कुछ अन्य व्यक्तियों के साथ किया जाता है ।[12] तकनीकी इकाई से तात्पर्य उत्पादन के अन्य साधन तथा उनके प्रबन्धन से है । किसी क्षेत्र के जोतों के आकार से उसके भूमि- मानव सम्बन्धों की स्पष्ट झलक मिलती है ।[13]

चुनार तहसील में कुल 61,839 जोत हैं जिनमें कुल 66,226 हेक्टेअर भूमि समाहित है । प्रदेश में एक हेक्टेअर से कम क्षेत्रफल के जोतों की संख्या सबसे अधिक (41,392) तथा 5

हेक्टेअर से अधिक के जोतों की संख्या न्यूनतम (1904) है । तालिका 4.6 से स्पष्ट है कि जोत आकार में वृद्धि के साथ-साथ जोतों की संख्या घटती जाती है । किन्तु उनके अन्तर्गत समाहित कुल क्षेत्रफल में सामान्य रूप से वृद्धि होती जाती है । तहसील में 1 से कम, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 एवं 5 हेक्टेअर से अधिक आकार के जोतों की संख्या क्रमशः 41, 392, 11642, 2856 एवं 1904 है । प्रदेश में 1 हेक्टेअर से लघु जोतों के अन्तर्गत कुल जोत क्षेत्रफल का 20.30 प्रतिशत समाहित है जबकि 1 से 2 एवं 5 हेक्टेअर से अधिक के जोतों के अन्तर्गत क्रमशः 22.70 एवं 24.39 प्रतिशत । किन्तु 2 से 3 एवं 3 से 5 हेक्टेअर के जोतों के अन्तर्गत कुल जोत क्षेत्रफल का केवल 14.82 एवं 17.79 प्रतिशत भूमि ही शामिल है ।

तालिका 4.6

चुनार तहसील में विभिन्न जोताकारों की संख्या एवं उनके अन्तर्गत समाहित भू-क्षेत्र का प्रतिशत, 1981

विकासखण्ड	जोत आकार (हेक्टेअर में)									
	1 से कम		1-2		2-3		3-5		5 से अधिक	
	जोत	क्षेत्रफल	जोत	क्षेत्रफल	जोत	क्षेत्रफल	जोत	क्षेत्रफल	जोत	क्षेत्रफल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1. जमालपुर	12,793	20.10	2,781	21.14	1246	16.20	941	20.96	461	21.60
2. नरायनपुर	12,538	24.10	4,769	26.17	1163	12.78	801	15.97	603	20.98
3. राजगढ़	9,554	13.86	2,805	21.09	1105	15.35	802	18.48	647	31.22
4. सीखड़	6,507	24.92	1,287	21.09	531	15.68	312	14.08	193	24.23
चुनार तहसील *	41,392	20.30	11,642	22.70	4045	14.82	2856	17.79	1904	24.39

* ग्रामीण क्षेत्र

स्रोत : जनपद सांख्यिकी पत्रिका, मिर्जापुर 1990 से संगणित ।

4.8 कृषि की नवीन उपनतियां

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा किये गये प्रयासों एवं कृषक जागरूकता के परिणामस्वरूप कृषि कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। भूमि-सुधार के अन्तर्गत चकबन्दी के माध्यम से अति लघु जोतो को एकत्रित करने तथा उन पर आवागमन हेतु अपेक्षित चकरोटों की व्यवस्था किये जाने से खेतों पर बीज उर्वरक एवं अनाज आदि लाने ले जाने में पर्याप्त मदद मिल रही है। तहसील में सिंचाई की सुविधाओं के विकास का निरन्तर प्रयास हो रहा है। जरगों एवं अहरौरा जलाशय क्रमशः जमालपुर एवं नरायनपुर विकास खण्डों के लिए वरदान सिद्ध हो रहे हैं। तहसील के पश्चिमोत्तर भाग में सिंचाई हेतु नलकूपों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकेपरिणाम स्वरूप सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि होने के कारण कुल (सकल) बोये गये क्षेत्रफल में भी अभिवृद्धि होने की आशा है। कृषि कार्यों में सुविधा एवं अपेक्षित लाभ हेतु उसका यन्त्रीकरण होता जा रहा है। पहले कृषि-कार्य सामान्य हल-बैलों द्वारा किया जाता था जिससे भूमि के समतलीकरण, बुआई योग्य मिट्टी को तैयार करने तथा फसलों की मड़ाई आदि कार्यों में कठिनाई होती थी तथा उनमें अधिक समय भी लगता था। किन्तु आज कृषि में यन्त्रों के प्रयोग से फसल बोने से लेकर काटने तक के सभी कार्य आसान हो गये हैं। वर्ष 1981 के आंकड़ों के अनुसार तहसील में 471 लोहे के हल, 685 हैरो तथा कल्टीवेटर 564 स्पेयर, 6811 उन्नतिशील बोआई यन्त्र तथा 764 ट्रैक्टर कार्यरत हैं।[14] कृषि के यन्त्रीकरण में विकास खण्ड सीखड़ सबसे आगे है जबकि नरायनपुर का तहसील में द्वितीय स्थान है। .फसलों के अधिक उत्पादन तथा कीटाणुओं एवं रोगों से उपचार हेतु कृषि में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों एवं दवाओं का प्रयोग होने लगा है। वर्ष 1988-89 के दौरान तहसील में 5294 टन नाइट्रोजन, 1928 टन फास्फोरस एवं 642 टन पोटाश का वितरण किया गया।[15] इनकी प्राप्ति हेतु तहसील में 21 उर्वरक भण्डार एवं 3 कीटनाशक डिपो अवस्थित हैं। तहसील में उच्च उत्पादकता एवं बौनी किस्मों की फसलों में वृद्धि होती जा रही है। धान (चावल) के अन्तर्गत साकेत-4 आई0आर0 8, पन्त-4, बौनी मंसूरी, सीता, पूसा-33, गोविन्द सरजू-52 तथा गेहूं के अन्तर्गत के0-65, के0 78, यू0पी0 2003, मालवीय - 12 एवं 52 तथा एच0पी0 1102 आदि फसलों की खेती बहुलता से होने लगी है। बीजों के वितरण-हेतु. पंजीकृत 21 बीज गोदाम तथा 48 ग्रामीण गोदाम संचालित हैं तहसील की कृषि पद्दति में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। पहले प्रायः छिटुवा विधि द्वारा फसलें बोयी जाती थी किन्तु वर्तमान में धान 'रोपाई विधि' तथा गेहूं कूंड़ (नाली) विधि द्वारा ही अधिक बोया जा रहा है।

4.9 पशुपालन एवं मत्स्य पालन

तहसील की मानसूनी जलवायु दशाओं में वृहद व्यावसायिक स्तर पर पशुपालन के लिए अधिक अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां उपलब्ध नहीं हैं, फिर भी कृषि अर्थव्यवस्था में शक्ति साधन, भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने हेतु गोबर की प्राप्ति और दुग्ध, मांस, चमड़ा, ऊन आदि के लिए घरेलू पर विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं।

तालिका 4.7

चुनार तहसील में पशुओं की संख्यात्मक स्थिति, 1988

विकास-खण्ड	पशुओं की संख्या						
	गो जातीय	महिष जातीय	बकरा/ बकरी	भेड़	सूअर	मुर्गियां	कुक्कुट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. सीखड़	8,528	3,619	2,869	980	102	3,635	3,637
2. नरायनपुर	48,861	21,914	11,275	3,294	1,505	24,314	25,484
3. जमालपुर	48,945	23,437	15,035	3,280	3,187	26,213	27,873
4. राजगढ़	34,217	8,017	8,968	2,511	439	7,437	15,683
चुनार तहसील *	1,40,551	56,987	38,147	10,065	5,233	61,599	72,677

* ग्रामीण क्षेत्र

स्रोतः जनपद सांख्यिकी पत्रिका, मिर्जापुर, 1990.

तहसील में पशुपालन का कोई विशेष क्षेत्र नहीं है, वरन् सम्पूर्ण प्रदेश में घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पशुपालन का कार्य होता है। तालिका 4.7 से स्पष्ट है कि प्रदेश में पशुओं के वितरण पर जनसंख्या एवं क्षेत्रफल दोनों का प्रभाव सम्यक रूप से पड़ा है। वर्ष 1989-90 के आंकड़ों के अनुसार तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 140551 गो जातीय पशु 56987 महिषवंशीय पशु, 10065 भेड़ें, 38147 बकरे-बकरियां, 5233 सूअर, 61599

मुर्गियां एवं 72677 कुक्कुट पाले गये थे। पशुपालन की दृष्टि से विकास खण्ड जमालपुर का तहसील में प्रथम तथा नरायनपुर का द्वितीय स्थान है (तालिका 4.7) ।

तहसील में पशुओं की अधिकांश संख्या देशी किस्म की है तथा क्रास बीड पशुओं का सर्वथा अभाव है। इससे प्रदेश की कृषि शक्ति एवं दुग्ध उत्पादकता की संसूचना मिलती है जो मानव-स्वास्थ्य एवं उदरपूर्ति हेतु अत्यावश्यक है। तहसील में 33.28 प्रतिशत गोजातीय एवं 60.95 प्रतिशत महिषजातीय मादा 3 वर्ष के ऊपर के हैं और यहीं इस प्रदेश के दुग्ध उत्पादन का आधार है। प्रदेश में 3 वर्ष से ऊपर के गोजातीय परपशुओं का प्रतिशत 41.13 है, जो कि तहसील के कृषि शक्ति का परिचायक है।

तहसील के मत्स्य पालन नगण्य है। यहां केवल विकास खण्ड जमालपुर के अहरौरा एवं राजगढ़ के जरगो जलाशयों में मत्स्य पालन का कार्य होता है। वर्ष 1989-90 के आंकड़ों के अनुसार उक्त वर्ष में इन दोनों जलाशयों में क्रमशः 55.00 एवं 15.06 कुन्तल मछलियां पकड़ी गयीं। [16]

4.10 कृषिगत समस्याएं

चुनार तहसील में कृषि की सामान्यतः वहीं समस्याएं हैं जो किसी भी मानसूनी प्रदेश की होती हैं। साधारणतः इन्हें निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है -

(1) तहसील का दक्षिणी भाग अत्यधिक उबड़-खाबड़ एवं अनुपजाऊ होने तथा उत्तरी भाग में गंगा नदी का विस्तार होने के कारण कृषि योग्य भूमि की अपेक्षाकृत कमी है। प्रदेश में कुल 67,683 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है जो तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 60.26 प्रतिशत है ।

(2) तहसील का पश्चिमोत्तरी भाग गंगा का बाढ़ क्षेत्र होने के कारण कृषक यहां खरीफ फसल को महत्व नहीं देते। अधिकांश भूमि परती छोड़ दी जाती है, कुछ ही भागों पर ज्वार-बाजरा मक्का आदि मोटे अनाजों की कृषि होती है। इसी प्रकार तहसील का दक्षिणी भाग सिंचाई के अभाव में सूखा ग्रस्त क्षेत्र होने के कारण कृषक अपनी क्षमता का प्रयोग नहीं कर

पाते और फसल मिलने के अनिश्चितता होने से अपेक्षित पूंजी लगाने में हिचकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि तहसील में सकल बोया गया क्षेत्र कम होता है।

(3) गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में एक प्राकृतिक समस्या यह है कि बाढ़ के समय किस क्षेत्र में मिट्टी का जमाव होगा और किस क्षेत्र में रेत का यह प्रायः अनिचित रहता है और इसी आधार पर कृषकों को कृषि कार्य में सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस समस्या से न्यायपंचायत बगहीं, चन्दापुर, मेड़ियां, सीखड़ एवं धनैता विशेष प्रभावित हैं।

(4) तहसील के उत्तरी भागों में जोत-आकार अति लघु होने के कारण कृषकों को अपनी भूमि तक पहुंचने तथा यन्त्रों के प्रयोग में बहुत कठिनाई होती है। चकबन्दी के माध्यम से छोटे जोतों के एकत्रीकरण तथा उन तक पहुंचने वाले रास्तों (चखरोटों) की व्यवस्था समय-समय पर सरकार द्वारा होती रही है किन्तु यह अभी तक अपर्याप्त है। दूसरे, अतिक्रमण के कारण इनका अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

(5) कृषि के प्रति सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति, अधिक कृषि-लागत, अधिक श्रम-शक्ति एवं कम लाभ को देखते हुए लोग व्यावसायिक स्तर पर कृषि को अन्तिम वरीयता देने लगे हैं। इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ा सा भी जागरूक कृषक कृषि-कर्म से पलायन कर जाता है। क्षेत्रीय सर्वेक्षण के दौरान देखा गया है कि अनेक सम्पन्न कृषक कृषि से अलग होकर ईंट भट्ठों एवं पत्थर खदानों में लग गये हैं। पलायन की इस प्रवृत्ति से कृषि क्षेत्र में वे लोग ही बच रहते हैं जिनके पास न कृषिगत पूंजी है और न तकनीक ।

(6) तहसील में कृषि-प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ऋणदायी संस्थाओं का सर्वथा अभाव है। इसके अतिरिक्त कृषकों का अधिकांश हिस्सा अशिक्षित होने के कारण इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता है।

(7) सरकार द्वारा नीलगायों को संरक्षण दिये जाने के कारण गंगा के तटवर्ती भागों में इनकी संख्या बढ़ती जा रही है जो यहां की फसलों के लिए एक समस्या बन गयी है। इस

क्षेत्र में अरहर की फसल इनसे सर्वाधिक प्रभावित है। नीलगायों के अतिक्रमण के कारण अरहर की उपज सुरक्षित न मिल पाने के कारण इसकी खेती अब समाप्त प्राय होने लगी है। इसी प्रकार विकास-खण्ड राजगढ़ में खनजादीपुर न्याय पंचायत के पश्चिमी भागों में 'मड़ईपर' के यादवों ने बकियाबाद, चुनार, सोनउर, पिरल्लीपुर, गोसाईगंज, गायघाट एवं जमुहार आदि ग्राम सभाओं में चराई का आतंक मचा रखा है। ये यादव अपने गाय-भैसों के साथ कबिलों की तरह टहलते हैं और अपने पशुओं को स्वतन्त्र छोड़कर एक जगह बैठकर गप्पें (अनर्गल बातें) मारा करते हैं। कृषकों द्वारा इन पशुओं से नुकसान क्षति के शिकायत करने पर वे उसे स्वीकार नहीं करते बल्कि इसके विपरीत मार-पीट के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी स्त्रियां इन क्षेत्रों में घास काटने आती हैं और कृषकों की अनुपस्थिति में फसलों को भी क्षति पहुंचाती हैं।

(8) रासायनिक उर्वरकों के बढ़ते प्रयोग देशी खादों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार से मिट्टी को प्राकृतिक उर्वरता निरन्तर कम होती जा रही है। यदि समय रहते इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया गया तो उपजाऊ क्षेत्र भी 'उसर' में परिवर्तित हो जायेगा।

(9) सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि कृषकों ने अपनी भूमि पर प्रत्येक फसल का स्थान सुनिश्चित कर लिया है और प्रति वर्ष वह फसल उसी स्थान पर बोयी जाती है। इस प्रकार समय के सन्दर्भ में भले ही फसलों में हेर-फेर हो जाता हो किन्तु क्षेत्रीय अथवा स्थानीय रूप में नहीं हो पाता ।

(10) चुनार के निकट स्थित सीमेन्ट कारखाने एवं कैलहट के समीप विस्तृत ईंट भट्ठों से निकले धूलिकण (*Dust*) तथा धुओं से क्षेत्रीय फसल प्रभावित हो रहा है। नुआंव, चौकिया, सोनउर गंज, बकियाबाद एवं पिरल्लीपुर आदि ग्राम सभाओं में सीमेन्ट के धूलिकणों के जमाव के कारण मिट्टी क उर्वरता विनष्ट होती जा रही है।

(11) तहसील के पश्चिमोत्तरी हिस्से में व्यावसायिक फसलों की खेती का प्रयास हो रहा है किन्तु अपेक्षित मांग एवं निश्चित बाजार न मिल पाने के कारण कृषकों को हतोत्साहित

होना पड़ता है। परिणामस्वरूप अगले वर्ष कृषक ऐसे फसलों की खेती करने से डरते हैं। सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि विकास-खण्ड सीखड़ में वर्ष 1991-92 के दौरान कुछ उत्साही कृषकों ने भिण्डी एवं बोड़िया (बीज के लिए) की खेती की जो अन्य किसी भी फसल से 10-20 गुना लाभकर था। इस आधार पर अगले वर्ष (1992-93) सीखड़ एवं पश्चिमी नरायनपुर में वृहद स्तर पर इसकी खेती की गयी किन्तु इस वर्ष इसकी मांग नहीं रही।

(12) तहसील के पूर्वोत्तर में गन्ना की कृषि वृहद स्तर पर संभव है, किन्तु किसी गन्ना मिल के अभाव में कृषक इसकी खेती करना पसन्द नहीं करते क्योंकि वृहद स्तर पर इसकी पेराई भी एक समस्या है।

(13) तहसील के दक्षिणी भाग में अधिकांश कृषक शिक्षित एवं जागरूक न होने के कारण अपने जीविकोपार्जन हेतु प्रतिकूल परिस्थितियों (पठारी भूमि एवं सिंचाई का अभाव) में चावल की खेती करता है जबकि वह दलहन एवं तिलहन की खेती वृहद स्तर पर करके जीविकोपार्जन हेतु आवश्यक अनाज-चावल एवं गेहूं उत्तरी मैदान से मंगा सकता है।

4.11 कृषि-विकास हेतु सुझाव

भारत जैसे कृषि प्रधान देश के किसी भू-खण्ड की आर्थिक संरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु कृषि-विकास अपेक्षित है। यह विकास कृषिगत समस्याओं के निराकरण के साथ ही साथ नवीन एवं क्रांतिकारी तकनीक तथा आवश्यक सुविधाओं के द्वारा नियोजित रूप से ही संभव है। अतः कृषि क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित अवतरणों में उद्धृत है -

(1) तहसील में कुल कृषि योग्य भूमि सम्पूर्ण क्षेत्रफल का केवल 60.26 प्रतिशत है, अतः इनमें वृद्धि आवश्यक है। इस हेतु ऊसर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान कर, वनस्पतियां लगाकर तथा देशी एवं आवश्यक रसायनिक उर्वरकों का प्रयोग करके सामान्य उर्वर भूमि की श्रेणी में लाया जाना चाहिए। इस पद्धति से विकास-खण्ड राजगढ़ में कृषि योग्य भूमि में वृद्धि की संभावना अधिक है। यहां पठारी भागों के ऊसर क्षेत्रों में पशुपालन एवं

डेयरी उद्योग का कार्य भी किया जाता है जिसके लिए चारा का आधार घाटियों की उपजाऊ भूमि हो सकती है। किन्तु केवल कृषि योग्य भूमि में अभिवृद्धि से ही कृषि-विकास संभव नहीं है वरन् शुद्ध कृषि-भूमि तथा सकल बोये गये क्षेत्र में वृद्धि आवश्यक है। शुद्ध बोये गये क्षेत्र में वृद्धि हेतु सरकारी स्तर पर पंजीकृत कृषकों को अपनी भूमि पर अपने नियंत्रण में वर्ष गें कम से कम एक फसल अवश्य उगाने के लिए प्रतिबन्धित किया जाना चाहिए । इसके परिणाम स्वरूप वह भूमि भी शुद्ध कृषि क्षेत्र में समाहित हो सकेगी जो बड़े किसानों के द्वारा, अधिक भूमि होने के कारण सामान्यतः परती छोड़ दी जाती है । सकल बोये गये क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए भूमि की उर्वरता अनुसार उस पर अधिकतम फसल लेने के लिए कृषकों को अपेक्षित सुझाव एवं सहयोग दिया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त भू-स्वामित्व की अधिकतम सीमा निर्धारित किया जाना चाहिए जिससे कृषक अधिक भूमि का स्वामी बनकर उसके प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार न कर सके ।

(2) प्रदेश के कृषि-क्षेत्र में प्लेटो का न्याय सिद्धान्त अनिवार्यतः लागू किया जाना चाहिए । प्लेटो के अनुसार, 'प्रत्येक व्यक्ति को वहीं कार्य करना चाहिए, जिसे वह सबसे अच्छे ढंग से कर सकता है । यही न्याय है । इस आधार पर प्रत्येक भूमि में वे ही फसलें बोयी जानी चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त हो । इस प्रकार सामान्य रूप से विकासखण्ड सीखड़ एवं पश्चिमी नरायनपुर में गेहूँ, आलू, मूँगफली, अरहर, गन्ना, चना, मटर, सरसों, एवं ज्वार-बाजरा, जमालपुर एवं पश्चिमी नरायनपुर में चावल, गेहूँ, गन्ना, चना, मटर तथा सरसों, और राजगढ़ में दलहन एवं तिलहन फसलों के साथ चावल, गेहूँ, ज्वार-बाजरा, एवं मक्का की कृषि की जानी चाहिए ।

(3) प्रदेश में फसल-चक्र नितान्त रूप से अपनाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त मिट्टी की प्रति दूसरे-तीसरे वर्ष जॉच करवाकर अपेक्षित तत्वों की कमी को रासायनिक एवं देशी उर्वरकों द्वारा पूरा करने का प्रयास करना चाहिए । इस हेतु प्रति 5 किमी पर एक उर्वरक केन्द्र अनिवार्यतः अपेक्षित है ।

(4) कृषि में यन्त्रीकरण तथा उन्नतिशील बीजों का प्रयोग करके अत्यधिक श्रम एवं कृषि लागत को कम किया जा सकता है और लाभांश को बढ़ाया जा सकता है । इस प्रकार कृषि क्षेत्र से होने वाली विरक्ति को रोकने में पर्याप्त मदद मिल सकेगी । इसके लिए प्रत्येक विकास खण्ड में कम से कम एक स्थान पर खुले रूप में कम कीमत पर कृषि-यन्त्रों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए । विकास खण्ड सीखड़ में यह केन्द्र हांसीपुर, नरायनपुर में कैलहट, जमालपुर एवं जमालपुर एवं राजगढ़ में रामपुर-शक्तेशगढ़ तथा मधुपुर में होना चाहिए । उन्नतिशील बीजों की व्यवस्था उर्वरक केन्द्रों के साथ किया जा सकता है ।

(5) अहरौरा के समीप एक गन्ना मिल की स्थापना किया जाना चाहिए जिससे तहसील के पूर्वी भाग में भी गन्ने की कृषि को प्रोत्साहन मिल सके । इसी प्रकार विकास खण्ड के हांसीपुर ग्राम के आस-पास एक शीतगृह अपेक्षित है, जिससे उत्पादित आलू को सुरक्षित रखकर कृषक इससे अधिक लाभांश अर्जित कर सकें और इसके उत्पादन पर अधिक ध्यान दें ।

(6) अदलहाट में एक चावल मिल ओर भेड़ी के आस-पास एक दाल मिल स्थापित किया जाना चाहिए जिससे उक्त दोनों फसलों की कृषि को प्रोत्साहन मिले, क्योंकि इससे कृषकों को अपनी फसल का उचित मूल्य प्राप्त हो सकेगा ।

(7) तहसील के प्रत्येक न्याय पंचायत में कम से कम एक सहकारी समिति, एक क्रय-विक्रय तथा अनाज भण्डारण केन्द्र की स्थापना अपेक्षित है । इससे कृषक अपने अनाज का सही मूल्य प्राप्त कर सकेंगे अथवा उसे सुरक्षित रख सकेंगे ।

(8) प्रत्येक न्याय पंचायत में एक कृषि प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक ग्रामीण बैंक अवश्य होना चाहिए जिससे कृषकों को कृषि सम्बन्धित जानकारी देकर उन्हें जागरूक किया जा सके और पूंजी के अभाव में अपेक्षित ऋण प्राप्त हो सके । कृषि - प्रशिक्षण केन्द्रों पर कृषकों को कृषि-कार्यों हेतु मिलने वाले विभिन्न प्रकार के सरकारी ऋणों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी दिया जाना चाहिए । इससे वे पूँजी के अभाव में आवश्यक बीज, उर्वरक एवं कृषि यन्त्रों की खरीद कर सकेंगे ।

(9) प्रत्येक विकास-खण्ड में न्यूनतम एक भूमि सर्वेक्षण केन्द्र स्थापित होना चाहिए इससे कृषक अपनी भूमि की मिट्टी का आसानी से जाँच करा सकेंगे । क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से विकास खण्ड राजगढ़ में यह मधुपुर एवं रामपुर-शक्तेशगढ़ दो स्थानों पर होना चाहिए।

(10) भूमि-सुधार के माध्यम से बिखरे जोतों को एकल करने तथा उन पर सिंचाई हेतु पानी तथा अन्य कृषि-सामग्री को पहुँचाने के लिए यथोचित रास्तों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस कार्य हेतु जोतों को सिंचाई के साधनों तथा चकरोटों से जोड़ा जाना चाहिए । पूर्व निर्धारित मार्गों (चकरोटों) पर अतिक्रमण को नियन्त्रित करने हेतु यथोचित दण्ड की व्यवस्था की जा सकती है ।

(11) तहसील के कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 64.96 प्रतिशत भाग ही सिंचित है । अतः मानसूनी वर्षा की प्रकृति को देखते हुए 80-90 प्रतिशत करने की आवश्यकता है । इसके लिए कुछ नये नहरों के निर्माण के साथ ही साथ वर्तमान नलकूपों की संख्या में वृद्धि अपेक्षित है । तहसील के पश्चिमोत्तर भाग में कम से कम दो नहरों का निर्माण आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए । इनमें प्रथम जरगो जलाशय से निकलकर नुआँव, बकियाबाद, सरायटेकोर, चुनार तक और दूसरा सीखड़ अथवा चुनार में लिफ्ट द्वारा गंगा नहर का निर्माण किया जाना चाहिए जिससें सीखड़, हांसीपुर होते हुए विदापुर तक के क्षेत्रों की सिंचाई की जा सके । न्याय पंचायत मेडियाँ, बगहा, आ0 ला0 सुल्तानपुर, बगहीं, चन्दापुर, नियामतपुर कला, जलालपुर मैदान, पचेवरा एवं शेरपुर के प्रत्येक ग्राम सभाओं में सन् 2000 तक भू-क्षेत्रानुसार एक अथवा दो सरकारी नलकूप अवश्य लगाया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त कृषकों को व्यक्तिगत रूप से कूप खुदाई हेतु सरल एवं सस्ता ऋण प्रदान कर अपेक्षित सहयोग दिया जाय ।

(12) तहसील के दक्षिणी पठारी भागों में लघु स्तर पर पशुपालन एवं डेयरी उद्योग का कार्य किया जाना चाहिए । यहाँ पशुपालन में भेड़ एवं बकरियों को विशेष महत्व दिया जा सकता है, क्योंकि इनके लिए यहाँ विस्तृत पहाड़िया चारागाह के रूप में प्रयुक्त हो सकती हैं ।

(13) तहसील में अधिकांश पशु देशी किस्म के है जिनकी क्षमता क्रास ब्रीड पशुओं की अपेक्षा कम है । अतः कृषि-शक्ति एवं दुग्ध उत्पादकता में वृद्धि हेतु क्रास ब्रीड के पशुपालन पर विशेष बल दिया जाना चाहिए । इसके लिए प्रदेश में 10 कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र कार्यरत हैं जो अत्यल्प हैं और इसमें भी विकास-खण्ड राजगढ़ में उक्त कोई केन्द्र नहीं है । अतः तहसील में 11 अतिरिक्त केन्द्रों की व्यवस्था किया जाना चाहिए । इनमें 2 सीखड़, 3 नरायनपुर, 1 जमालपुर ओर 5 विकास-खड राजगढ़ में होना चाहिए ।

(14) प्रदेश में मानव-स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाये रखने के लिए दूध वाले पशुओं के पालने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए । घरेलू स्तर पर इस प्रकार के पशुपालन के लिए वित्तीय सहायता हेतु ग्रामीण बैंकों द्वारा सस्ता ऋण उपबन्ध कराया जाना चाहिए ।

(15) पशु-चिकित्सा हेतु तहसील में केवल 6 चिकित्सालय हैं जो अपर्याप्त है । अतः न्यूनतम दो अतिरिक्त पशु-चिकित्सालय प्रत्येक विकास-खण्ड में स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि पशुओं के अस्वस्थ होने पर शीघ्रता एवं सरलता से चिकित्सीय सुविधा प्राप्त हो सके ।

(16) मत्स्य-पालन हेतु तहसील में पर्याप्त सुविधा नहीं है । अतः जरगो एवं अहरौरा बांधों में बड़े पैमाने पर मत्स्य-पालन किया जाना चाहिए । इन जलाशयों में स्तरीय किस्म की मछलियों को पाला जाना चाहिए जिससे मत्स्य-उत्पादन अधिकतम हो सके ।

कृषि नियोजन के उपर्युक्त सभी सुझावों का समुचित ढंग से क्रियान्वयन किया जाय तो कृषि क्षेत्र में क्रान्तिकारी प्रगति संभव है । किन्तु यह सभी प्रयास एक निर्धारित समयावधि में पूर्ण होना अति आवश्यक है । इस प्रकार कृषि के विकास से हमारी अर्थव्यवस्था को भी गति मिल सकेगी और इससे मानवीय विकास के प्रयास सफल हो सकेंगे ।

सन्दर्भ

1. *Zimmerman, E.W.:"World Resaurces and Industries," Revised Edition (New York, 1975), p.143.*

2. **शर्मा राम विलास,** : भारत का भौगोलिक विवेचन, किताबघर, आचार्य नगर, कानपुर-3 जनवरी 1977, पृ0 222.

3. **कुमार, पी0 तथा शर्मा, एस0 के0,** : कृषि भूगोल, मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1985, पृ0 408.

4. ***Weaner, J.C.:*** *"Crop Combination Regions in the Middle West," Geographical Review, 44, 1954, p. 175.*

5. ***Thomas D.:*** *"Agriculture in Wales during the Nepoleanic War," Cradiff, 1963, pp. 80-81.*

6. *Coppack, J.T.: "Crop-Liuestock and Entrprises Combinations in England and Wales", Economic Geography, 40, 1964, pp. 65-81.*

7. *Doi, K. : "The Industrial Strueture of Japanese Prefecture", Proceeding of I.G.U. Regional Conference in Japan, 1957-59, pp. 310-316.*

8. *Ayyar,* ***N.P.:*** *"Crop Regions of Madhya Pradesh-A study in Methodalogy", Geographical Review of India, 31.1, 1969, pp. 1-19.*

9. **जोशी, कृष्ण लाल** :'भारत का भूगोल, संसाधन तथा प्रादेशिक विकास,' एन.सी.ई.आर.टी., प्रथम संस्करण, जुलाई 1978, पृ0 57.

10. वही

11. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 2, पृ0 334.

12. **दत्त आर0 एवं सुन्दरम, के0 पी0 एम0** :'भारतीय अर्थव्यवस्था, एस0 चन्द्र एण्ड कम्पनी प्रा0 लिमिटेड,' नयी दिल्ली, 1990, पृ0 587.

13. **मौर्य, रमाशंकर** : 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन, टाण्डा तहसील (उ0प्र0) का विशेष अध्ययन', अप्रकाशित डी0 फिल0 शोध-प्रबन्ध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1992, पृ0 122.

14. जनपद सांख्यिकी पत्रिका, मिर्जापुर, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश, 1990, पृ0 69.

15. वही

16. वही, पृ0 82.

****

अध्याय पाँच

औद्योगिक विकास हेतु नियोजन

5.1 प्रस्तावना

शाब्दिक अर्थ में किसी भी व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध कार्य को "उद्योग" कहते हैं, किन्तु भूगोल में उद्योग शब्द का प्रयोग वस्तु निर्माण के सन्दर्भ में किया जाता है । सामान्यतः मानव द्वारा अपनी बौद्धिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षमता अनुसार प्राकृतिक संसाधनों को परिवर्तित करके उपभोग योग्य बनाने की क्रिया को उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाता है ।[1] अतः यहाँ उद्योग का अर्थ प्राथमिक उत्पादन से प्राप्त कच्ची सामग्री को शारीरिक अथवा यान्त्रिक शक्ति द्वारा परिचालित औजारों की सहायता से पूर्व निर्धारित एवं नियन्त्रित प्रक्रिया द्वारा किसी इच्छित रूप, आकार अथवा विशेष गुणधर्म वाली वस्तु में परिवर्तित करना है । इसीलिये इसे द्वितीयक क्रिया की संज्ञा दी जाती है ।

वर्तमान औद्योगिक युग में उद्योग ही विकास का आधार है । विविध प्रकार की वस्तुएँ, खाद्यान्न, वस्त्र एवं आभूषण औद्योगिक प्रक्रियाओं की ही देन हैं । इस प्रकार मानवीय जीवन के विकासात्मक सोपान पर औद्योगिक महत्व अतुलनीय है । यद्यपि भारत में प्राचीन काल से ही लघु स्तर पर अनेक उद्योग-धन्धे संचालित थे किन्तु दासता की जंजीरों ने इनकी गति मन्द कर दी थी । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद इसके महत्व को पुनः समझा गया और इसे देश के विकास का आधार बनाया गया । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नेहरू के नेतृत्व में औद्योगिक विकास की जो सक्रियता दिखायी दी, वह निरन्तर जारी रहकर देश के कोने-कोने में विसरित हुई । चुनार तहसील भी जो उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जनपद का एक छोटा भू भाग है इस दिवा प्रकाश से अछूता नहीं रहा । किन्तु यहाँ एक सीमेन्ट उद्योग के अलावा अन्य उद्योग, लघु एवं गृह उद्योग के रूप में ही विकसित हो सके हैं । तहसील की जनसंख्या और क्षेत्रफल के सन्दर्भ में यहाँ उद्योगों की संख्या नगण्य ही है । तहसील का एक भाग (विकास-खण्ड सीखड़) तो औद्योगिक दृष्टिकोण से बिल्कुल शून्य है । अतः प्रदेश में अपेक्षित एवं सम्यक् औद्योगिक विकास हेतु प्रयास अत्यावश्यक है । इस दृष्टि से ही प्रस्तुत अध्याय में औद्योगिक विकास नियोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है ।

5.2 औद्योगिक संरचना

मार्च, 1990 के आँकड़ों के अनुसार तहसील में कुल 466 पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं । इनमें कुल 7220.17 लाख रूपया विनियोजित है और 3520 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।[2] प्रदेश में सीमेन्ट की एक बड़ी इकाई को छोड़कर अन्य सभी लघु उद्योगों के रूप में हैं । औद्योगिक इकाइयों की संख्या की दृष्टि से विकास-खण्ड - नरायनपुर तहसील में अग्रणी है । यहाँ कुल 306 औद्योगिक इकाइयाँ कार्यरत हैं । इस दृष्टि से सीखड़ की स्थिति सबसे दयनीय है । यहाँ केवल 24 इकाइयाँ ही औद्योगिक उत्पादन में लगी हुई हैं । विकास-खण्ड जमालपुर और राजगढ़ में क्रमश: 97 एवं 39 इकाइयाँ कार्यरत हैं ।

तालिका 5.1

चुनार तहसील में विभिन्न उद्योगों की संरचनात्मक स्थिति, 1990

उद्योग	औद्योगिक इकाइयाँ की संख्या	रोजगार में संलग्न व्यक्ति	पूंजी निवेश (लाख रूपया)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. सीमेन्ट	1	1473	*N.A.*
2. ईंट निर्माण	95	237	142.50
3. पाटरी	76	351	38.50
4. कालीन/दरी	58	457	43.42
5. फर्नीचर वर्क्स	43	211	23.11
6. खाद्य पदार्थ आधारित	42	136	30.35
7. टेक्सटाइल्स	42	194	20.19
8. आधारभूत धातु/एल्वायु वस्तु	39	151	21.68
9. मशीनरी/टूल्स	13	36	4.88
10. रासायनिक	11	35	4.78
11. इलेक्ट्रिकल मशीनरी	8	27	2.91
12. मुद्रण/प्रकाशन	7	32	4.99
13. जूता/चप्पल	4	18	1.36
14. अन्य	27	162	*N.A.*
कुल	466	3520	7220.17

N.A. उपलब्ध नहीं

स्रोत : लघु स्तरीय इकाइयों तथा बृहद एवं मध्यम उद्योगों की निर्देशिका 1990-91,

तहसील में सीमेन्ट के पश्चात ईंट निर्माण उद्योग ही सबसे बड़ा धन्धा है । यहाँ 1990 में कुल 95 पंजीकृत ईंट भट्ठे थे, जिनकी संख्या बढ़कर वर्तमान में 121 हो गयी है। इनमें कुल 142.5 लाख पूँजी विनियोजित है तथा 237 लोगों को रोजगार मिला हुआ है । पाटरी उद्योग प्रदेश का तीसरा प्रमुख उद्योग है । इसकी कुल 76 इकाइयाँ हैं तथा इनमें कुल 38.5 लाख की पूँजी निवेशित है ।

5.3 उद्योगों का स्थानिक विवरण

किसी प्रदेश अथवा क्षेत्र में उद्योगों के स्थानीकरण तथा समुचित वितरण का अत्यधिक महत्व है । समुचित वितरण का अर्थ समान वितरण नहीं है । किसी भी बड़े पैमाने अथवा क्षेत्रीय विशिष्टता पर आधारित उद्योग को सर्वत्र स्थापित नहीं किया जा सकता । प्रत्येक उद्योग के स्थानीकरण में कुछ आधारभूत तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनका किसी भी क्षेत्र में समान वितरण नहीं होता तथा सभी आवश्यक तत्व किसी स्थान पर एक साथ नहीं मिलते । दूसरे, किसी भी उद्योग के उत्पादित पदार्थ की खपत एक ही स्थान पर नहीं होती वरन् उसकी माँग का क्षेत्रीय विस्तार होता है । अतः आवश्यक तत्वों को कम से कम खर्च पर गन्तव्य स्थानों पर पहुँचाने तथा क्षेत्रीय मांग की पूर्ति के सन्दर्भ में ही उद्योगों की अवस्थापना होती है । चुनार तहसील में सीमेन्ट उद्योग, ईंट-निर्माण, प्रस्तर-विनिर्माण एवं पाटरी उद्योग क्षेत्रीय संसाधन परिवहन व्यवस्था तथा माँग पर आधारित है ।

तहसील में विभिन्न उद्योगों का वितरण बहुत असमान है, इनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है -

(1) **सीमेन्ट उद्योग** - चुनार के निकट कजरहट नामक स्थान पर तहसील का एक मात्र सीमेन्ट कारखाना स्थापित है । यह कारखाना सन् 1975 में परिवहन साधन की उपयुक्तता को देखते हुए बेरोजगारी निवारण हेतु स्थापित किया था । इसकी स्थापना लागत 1 अरब 20 करोड़ रूपये तथा उत्पादन क्षमता 5000 टन/दिन है । यहाँ कच्चे माल के रूप में स्लैग - बोकारो,, जिप्सम- राजस्थान एवं क्लिंकर-डाला से मंगाया जाता है । तैयार माल वाराणसी, गोरखपुर, मिर्जापुर, इलाहाबाद, फैजाबाद आदि निकटवर्ती क्षेत्रों के अतिरिक्त बाहरी क्षेत्रों को भी भेजा जाता है ।

(2) **ईंट-निर्माण उद्योग** - यह उद्योग तहसील के उत्तरी भाग में विस्तृत है । इसकी प्रमुख पेटी मिर्जापुर - वाराणसी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 ।) के दोनों ओर जमुई से नरायनपुर तक फैली हुई है । इस पेटी के लगभग 100 वर्ग किमी क्षेत्र में 90 ईंट भट्ठे हैं ।[3] जिसके प्रमुख केन्द्र कैलहट, फत्तेपुर, प्रतापपुर, नियामतपुर, विशेषरपुर, जमुई, बरेवाँ, भरेहठा एवं पचेवरा आदि हैं। न्याय पंचायत नियामतपुर तथा पचेवरा में सर्वाधिक, क्रमशः 39 एवं 28 भट्ठे हैं । इस मुख्य पेटी के अतिरिक्त जमालपुर बरईपुर, आ0 ला0 सुल्तानपुर न्याय पंचायतों में भी छिटपुट रूप में कुछ ईंट-भट्ठे दृष्टगत होते हैं । सामान्यतया मुख्य पेटी के ईंट उत्कृष्ट किस्म के माने जाते हैं । इनकी मांग दूर-दूर तक रेनूकूट, रावर्ट्सगंज, डाला, ओबरा तथा तहसील के दक्षिणी भागों में होती है । यहाँ ईंटों की उत्कृष्टता का प्रमुख कारण इस उद्योग के लिए उपयुक्त चिकनी मिट्टी की सुलभता है ।

(3) **प्रस्तर उद्योग** - प्रस्तर के कटाई-छटाई से सम्बन्धित उद्योग का विकास तहसील के दक्षिणी पठारी भागों में हुआ है । इसके प्रमुख केन्द्र रामपुर-शक्तेशगढ़, भेड़ी, जमती, अहरौरा, भुइलीखास, घाटमपुर एवं शेरवां आदि हैं । यहाँ प्रस्तर उद्योग के विकास का प्रमुख कारण इस प्रदेश की कोमल बालूका प्रस्तरों की क्षैतिज एवं समानान्तर भूगर्भिक संरचना है । यहाँ क्षैतिज तथा समानान्तर संस्तरों के पाये जाने के कारण जहाँ लम्बे, चोड़े तथा सपाट पत्थर निकलते हैं वहीं बालूका प्रस्तर के अपेक्षाकृत कोमल होने के कारण इनको तराशने में आसानी रहती है उत्पादन एवं गुणवत्ता दोनों ही दृष्टियों से रामपुर-शक्तेशगढ़ का तहसील में प्रथम स्थान है यहाँ का 'रो' पत्थर सफेद व पीले रंग का होता है जो देखने में अत्यधिक चमकीला एवं आकर्षक है । इसकी माँग भी काफी अधिक रहती है ।

(4) **पाटरी उद्योग** - पाटरी उद्योग का विकास अत्यधिक केन्द्रित रूप में हुआ है। इसकी लगभग सभी इकाइयाँ चुनार बाजार से चुनार स्टेशन के बीच अवस्थित हैं । वर्तमान में इसके अन्तर्गत 76 इकाइयाँ तथा 10 पकाने वाली चिमनियाँ संचालित हैं । इनमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, जार, खिलौने एवं प्लेट, प्याली आदि बर्तन बनाये जाते हैं, जिनकी माँग देश के कोने - कोने में है । मार्च, 1990 के आँकड़ों के अनुसार इनमें 38.5 लाख रूपये की पूँजी विनियोजित है तथा कुल 351 लोगों को रोजगार प्राप्त है ।

TAHSIL CHUNAR
INDUSTRIAL UNITS
N
Rudauli
Narainpur
Adalapura
Kalhat
Chunar
Adalhat
Ahraura
Rampur
Suketeshgarh
Madhupur
TYPES OF INDUSTRIES
CEMENT INDUSTRY
BRICKS INDUSTRY
STONE BASED INDUSTRY
POTTERY INDUSTRY
CARPET
LOOM
FURNITURE WORKS
DAL MILL
RICE MILL
WEAVING & CALENDERING
READYMADE GARMENTS
ALUMINIUM
PRINTING PRESS
UTENSILS
LEATHER SHOES
AYURVEDIC MEDICINES
PHENYL
WASHING SOAP
3 0 3 6 9
Km

Fig.5.1

(5) **कालीन एवं दरी उद्योग** - तहसील में यह उद्योग अत्यधिक विकीर्ण रूप में अवस्थित है। प्रदेश के लगभग सभी न्याय पंचायतों में घरेलू स्तर पर कालीन एवं दरी बनाने का कार्य होता है, किन्तु विकास खण्ड नरायनपुर एवं सीखड़ इसमें अग्रणी हैं । तहसील के कुल 51 इकाइयों में से 35 में कालीन एवं 16 में दरी बनाने का कार्य होता है । इस उद्योग में कुल 43.42 लाख की प्रादेशिक पूंजी लगी हुई है तथा 457 लोगों को रोजगार मिला हुआ है । इस उद्योग के लिए कच्चा माल मिर्जापुर, वाराणसी एवं भदोही आदि नगरों से प्राप्त किया जाता है तथा तैयार माल पुनः इन्हीं नगरों को भेज दिया जाता है ।

(6) **काष्ठ-कला उद्योग** - तहसील में फर्नीचर से सम्बन्धित कुल औद्योगिक इकाइयों की संख्या 43 है । इसमें 23.11 लाख की पूंजी विनियोजित है तथा कुल 211 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है । इसकी 17 इकाइयाँ लकड़ी के खिलौने बनाने में संलग्न है । कालीन का लूम बनाने वाली एक मात्र इकाई अदलहाट में अवस्थित है । वुडेन फर्नीचर बनाने का कार्य टेकउर, रस्तोगी तालाब, नरायनपुर, ऐवकपुर मोहाना, स्टेशन रोड एवं चुनार के 6 औद्योगिक इकाइयों में होता है । इनके अतिरिक्त अन्य इकाइयों में चौकी, दरवाजा, पलंग एवं मकान निर्माण सम्बन्धित सामग्री निर्मित होती है । ये केन्द्र भरपुर, चुनार, पचेवरा, अदलहाट, जमुई बैकुण्ठपुर, ऐबकपुर मधुपुर, अदलपुरा एवं अहरौरा में अवस्थित हैं ।

(7) **खाद्य पदार्थ सम्बन्धी उद्योग** - प्रदेश में कुल 42 खाद्य आधारित औद्योगिक इकाइयाँ संचालित है । इनमें कुल 30.35 लाख रूपये की औद्योगिक पूंजी लगी हुई है तथा 136 लोगों को रोजगार मिला हुआ है । तहसील में 27 इकाइयाँ खाद्य तेल से सम्बन्धित है जो नरायनपुर, घुरूहपुर, अदलहाट, पचेवरा, बगही, पुरूषोत्तमपुर, जमुई, अहरौरा, जमालपुर, बसारतपुर, बगहा आदि में अवस्थित है । दाल मिल कैलहट, पचेवरा एवं टेकउर में है । आटा, चावल एवं बिस्कुल प्रत्येक की दो-दो इकाई तहसील में संचालित है । आटा मिल - छोटा मिर्जापुर, अहरौरा; चावल मिल - अहरौरा, जमुई; बिस्कुट बनाने वाली इकाई भरपुर चुनार एवं अहरौरा में स्थापित है । तहसील में 5 औद्योगिक इकाइयाँ मसाला बनाने से सम्बन्धित हैं और ये मधुपुर एवं अहरौरा में अवस्थित हैं ।

(8) **वस्त्र उद्योग (टेक्सटाइल्स)** - यह उद्योग तहसील के पूर्वोत्तर भाग में विकसित है । प्रदेश में इसकी कुल 42 इकाइयाँ संचालित हैं जिनमें कुल 20.19 लाख रूपये की पूँजी लगी है तथा 194 लोगों को रोजगार प्राप्त है । यह उद्योग सामान्यतः हथकरघा उद्योग के रूप में ही है । तहसील में सहजनी बबुरी एवं अदलहट के दो इकाइयों में साड़ी छपाई का कार्य होता है । यहाँ 1 इकाई प्रिन्टिंग साड़ी (गरौड़ी) तथा 4 प्रिन्टेड वार्डरदार साड़ी (3 अदलहाट, 1 गरोड़ी) बनाने में लगी हुई है । इस उद्योग की 12 इकाई सिल्क साड़ी तथा 17 इकाई बनारसी साड़ी तथा 6 इकाई रेडीमेड गारमेन्ट्स बनाती हैं । सिल्क एवं बनारसी साड़ी की इकाइयाँ अदलहाट के आस-पास केन्द्रित हैं जबकि रेडीमेड गारमेन्ट्स की इकाइयाँ चुनार, ऐबकपुर मोहाना एवं नरायनपुर में अवस्थित हैं ।

(9) **धातु तथा अल्वाय आधारित वस्तु उद्योग** - यह उद्योग प्रदेश में चुनार, अदलहाट, जमुई, कैलहट, अहरोरा एवं नरायनपुर आदि स्थानों में अवस्थित हैं । वर्ष 1990 के आँकड़ों के अनुसार तहसील में इसकी कुल 39 इकाइयाँ कार्यरत हैं और इनमें 21.68 लाख रूपये की पूंजी निवेशित है । तहसील के लगभग 151 व्यक्ति धातु तथा एल्युमिनियम की सामग्री एवं बर्तन बनाने में लगे हुए है ।कृषियन्त्र बनाने की इकाइयाँ चुनार, रैपुरिया, नरायनपुर, अदलहाट, परसोधा आदि स्थानों पर अवस्थित हैं । एल्यूमिनियम बर्तन का केन्द्र बरजीवनपुर एवं नरायनपुर में संचालित है । ग्रिल, गेट एवं चैनल बनाने की इकाइयाँ जमुई, नरायनपुर, चुनार एवं अहरौरा में अवस्थित है । कड़ाही - तावा भाईपुर कला, भुइली खास, तथा कल्टीवेटर एवं हैरो अदलहाट में निर्मित होते हैं । इनके अतिरिक्त अन्य इकाइयों में ग्रील, गेट, फावड़ा, कुदाल, दरवाजा, शटर, आदि बनाने का मिश्रित कार्य होता हे । यह उद्योग सामान्यतः क्षेत्रीय माँग पर आधारित है ।

(10) **इंजीनियरिंग उद्योग** - तहसील में इस उद्योग की कुल 21 इकाइयाँ संचालित हैं इनमें कुल 7.79 लाख रूपये की पूँजी निवेशित है तथा 63 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है । इस उद्योग के अन्तर्गत साधारणतः वेल्डिंग, रिपेयरिंग एवं मरम्मत का कार्य लघु पैमाने पर होता है । वेल्डिंग जाब-वर्क मधपुर, स्टेशन रोड चुनार; इंजीनियरिंग जाब-वर्क जमालपुर, अदलहाट; मोटर रिपेयरिंग नरायनपुर, मोटर साइकिल रिपेयरिंग जमालपुर, और डीजल इंजन

(सिंचाई) रिपेयरिंग का कार्य अहरौरा में होता है । इसके अतिरिक्त पंखा, ट्रान्जिस्टर, रेडियो, टी0 वी0, टेपरिकार्डर एवं घड़ी आदि के मरम्मत का कार्य चुनार, नरायनपुर, अदलहाट एवं अहरौरा में होता है ।

(11) **रसायन एवं रसायन उत्पाद उद्योग** - प्रदेश में रसायन उद्योग से सम्बन्धित 11 इकाइयाँ कार्यरत हैं । इनमें 4.78 लाख रूपये की पूँजी निवेशित है तथा कुल 35 व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है । तहसील में आयुर्वेदिक दवा - नरायनपुर; फिनायल - टेकउर-चुनार; मोमबत्ती - चुनार, मीरापुर; अगरबत्ती - ओड़ी, वाशिंग सोप - गरोड़ी, अहरौरा, अदलपुरा एवं रूदौली में निर्मित होता है ।

(12) . **मुद्रण एवं प्रकाशन** - मार्च 1990 के आँकड़ों के अनुसार तहसील में इनकी कुल 7 इकाइयाँ संचालित हैं । इन इकाइयों में कुल 4.99 लाख रूपये की पूँजी लगी हुई है तथा 32 लोगों को रोजगार प्राप्त है । प्रदेश में इक्सरसाइज बुक बनाने की 3 इकाइयाँ हैं और ये सभी चुनार में स्थित हैं । प्रिंटिंग प्रेस - पथरोरा, ऐबकपुर मोहाना, नरायनपुर एवं अहरौरा अवस्थित हैं ।

(13) **चमड़ा उद्योग** - तहसील में इसकी कुल 4 इकाइयाँ हैं जिसमें 3 अहरौरा तथा 1 मधुपुर में अवस्थित हैं । इस उद्योग के अन्तर्गत कुल 1.36 लाख रूपये की पूँजी निवेशित है तथा 18 लोगों को रोजगार मिला है ।

तहसील में विभिन्न उद्योगों की वर्तमान अवस्थिति चित्र 5.1 में प्रदर्शित है।

5.4 औद्योगिक सम्भाव्यता

तहसील के वर्तमान औद्योगिक प्रतिरूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि यहाँ औद्योगिक विकास अभी शैशवावस्था में है प्रदेश में एक सीमेंट कारखाने के अतिरिक्त अन्य समस्त औद्योगिक इकाइयाँ गृह उद्योग के रूप में ही संचालित हैं किन्तु इससे यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत नहीं होता कि तहसील में संसाधन एवं बाजार अथवा औद्योगिक पूँजी, भूमि, श्रम तथा परिवहन साधनों का पर्याप्त अभाव है । क्योंकि संसाधन होते नहीं, बनते हैं।[4] मानव में

धरती को बदलने की क्षमता अब इतनी बढ़ गयी है कि किसी भी प्राकृतिक सम्पदा का आसानी से उपयोग किया जा सकता है ।[5] फिर उत्तरी गंगा मैदान की कृषि अनेक उद्योगों के लिए संसाधन प्रस्तुत करती है । तहसील से 10-15 किमी दूर स्थित वाराणसी महानगर के अतिरिक्त मिर्जापुर की स्थिति तथा प्रादेशिक जनसंख्या को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस प्रदेश में उद्योगों के लिए विस्तृत बाजार उपलब्ध है । दक्षिणी पठारी प्रदेश में उद्योगों की अवस्थापना हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध हे । प्रदेश में बड़े भूमिपतियों तथा ईंट-भट्ठा मालिकों के पास पर्याप्त पूँजी है, फिर इसके लिए आजकल सरकारी ऋण सुविधाएँ भी सुलभ हैं । औद्योगिक श्रम में सभी तकनीशियन ही नहीं होते, उनमें अधिकांश सामान्य श्रमिक भी होते हैं जो कुछ समय पश्चात अभ्यास से अनुभव प्राप्त कर लेते हैं । उदाहरण स्वरूप चुनार सीमेन्ट कारखाने की अवस्थापना के पूर्व समीपवर्ती क्षेत्र (बकियाबाद, सोनउरगंज) की जनता सामान्य श्रमिक ही थी, किन्तु आज वे कुशल श्रमिक हो चुके हैं । परिवहन मार्ग के साधनों के रूप में देश के प्रमुख रेल मार्ग (दिल्ली-हावड़ा मार्ग) चुनार जंक्शन की स्थिति तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 । की सुलभता को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता कि यहाँ परिवहन मार्गों अथवा परिवहन साधनों का अभाव है, क्योंकि उपर्युक्त मार्गो से औद्योगिक इकाइयों तक सम्पर्क मार्गो का निर्माण आसानी से किया जा सकता है । इस प्रकार उद्योगों के स्थानीकरण के लगभग प्रत्येक तत्व तहसील में एक सामान्य स्तर तक सुलभ है । अतः प्रदेश में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनायें हैं ।

5.5 औद्योगिक समस्याएँ

उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि तहसील में औद्योगिक विकास की पर्याप्त संभावनाएँ हैं किन्तु फिर भी इस दिशा में अनेक कठिनाइयाँ हैं जो इसे साकार रूप देने में बाधा स्वरूप हैं । इन्हें हम निम्नलिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं -

(1) तहसील में शिक्षित व्यक्तियों का प्रतिशत अत्यल्प है जो सांस्कृतिक पिछड़ेपन का एक प्रधान लक्षण है । इस दृष्टि से ये लोग अपने पारम्परिक व्यवसाय - कृषि कर्म को अपना कर्तव्य समझते हैं और इससे मोह भंग नहीं कर पाते । औद्योगिक क्षेत्र में होने वाले लाभ-हानि की अनिश्चितता के कारण वे अपनी आधारभूत् आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले उक्त व्यवसाय को ही उपयुक्त मानते हैं ।

(2) प्रदेश में तकनीकी अथवा औद्योगिक शिक्षा का नितान्त अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप यहाँ के लोग औद्योगिक महत्व को नहीं समझ पाते । औद्योगिक दक्षता का अभाव होने के कारण लोग इस क्षेत्र में पूँजी लगाने से डरते हैं और यदि कुछ लोग साहस भी करते हैं तो उन्हें उचित लाभांश नहीं मिल पाता । इन सब कारणों से लोग निरूत्साहित हो जाते हैं । सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि नरायनपुर में माचिस की एक फैक्ट्री लगायी गयी जो कुछ दिन चलने के बाद इसमें घाटे को देखते हुए इसे बन्द कर दिया गया और फिर आज तक इसके पुर्नस्थापन का प्रयास नहीं हुआ ।

(3) तहसील के उत्तरी भाग में अधिक कृषक छोटे काश्तकार हैं जिनके पास औद्योगिक पूँजी का अभाव है । दक्षिणी भाग में अपेक्षाकृत बड़े काश्तकारों के होते हुए भी भूमि की निम्न उर्वरता के कारण ये बड़ी पूँजी निवेश में असमर्थ है । उत्तरी क्षेत्र में कुछ ईंट-भट्ठा मालिकों तथा दक्षिणी क्षेत्र में प्रस्तर-खदान स्वामियों के पास पर्याप्त पूँजी है किन्तु उनमें से अधिकांश अशिक्षित होने के कारण उद्योग लगाने के बजाय मोटर-गाड़ी खरीदने में अधिक दिलचस्पी रखते हैं । सरकारी ऋण की जटिल प्रक्रिया एवं ऊँचे ब्याज दर के कारण लोग इससे अपने को मुक्त रखना चाहते हैं ।

(4) वर्तमान समाज में शिक्षित वर्ग अन्य किसी कार्य के बजाय सरकारी सेवाओं में जाना अधिक पसन्द करने लगा हैं । अतः तहसील में शिक्षित लोग भरसक सरकारी सेवाओं के लिए प्रयास करते हैं । निराश होने पर अन्ततः वे अपने वंशानुगत व्यवसाय को ग्रहण कर लेते हैं ।

(5) तहसील के उत्तरी भाग में उद्योगों की अवस्थापना हेतु भूमि का अभाव है ।

(6) प्रदेश में कृषि संसाधन के अतिरिक्त अन्य संसाधन गौण रूप में ही सुलभ हैं ।

का वितरण केवल उत्तरी मैदानों तक ही सीमित है। दक्षिणी पठार के अनेक घरों में रोशनी के लिए भी विद्युत की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

(8) तहसील के दक्षिणी पठारी भागों में यातायात के साधनों का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस भाग में धरातल की दुर्गमता के कारण सड़कें बनाना टेढ़ी खीर है।

5.6 प्रस्तावित उद्योग तथा उनकी स्थितियां

उपर्युक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि सामान्यतः तहसील में संसाधन एवं मांग की कमी नहीं है। अतः इन दोनों कारकों से सम्बन्धित औद्योगिक विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। इस आधार पर प्रदेश में 16 संसाधन आधारित एवं 13 मांग आधारित उद्योगों का नियोजन प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत कुल 77 नये औद्योगिक इकाइयों की अवस्थापना की आवश्यकता है। इन्हें 10 वर्ष के अन्दर स्थापित किया जाना अपेक्षित है। इनमें 31 संसाधन आधारित तथा 46 मांग आधारित इकाइयां होंगी (तालिका 5.2)। इन उद्योगों और उनसे सम्बन्धित इकाइयों की सामान्य जानकारी निम्नलिखित अवतरणों में प्रस्तुत है।

5.6.1 संसाधन आधारित उद्योग

इसके अन्तर्गत कृषि, पशु एवं खनिज आदि संसाधनों पर आधारित उद्योगों को सम्मिलित किया गया है।

(अ) **कृषि संसाधन सम्बन्धित उद्योग** - तहसील एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। उत्तरी गंगा के मैदान में विविध प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि-विकास नियोजन के परिणाम स्वरूप आगामी 10 वर्षों के अन्दर इसके विकास की पर्याप्त सम्भावनायें हैं। अतः इस पर आधारित विभिन्न उद्योग प्रदेश में स्थापित हो सकते हैं।

(1) **चावल/आटा उद्योग** - तहसील का पूर्वोत्तर भाग धान प्रधान क्षेत्र है। अतः अदलहाट में एक चावल मिल की स्थापना करके धान से चावल निकालने का कार्य किया जा सकता है। गेहूं से आटा बनाने का कार्य मधुपुर, रामपुर-शक्तेशगढ़, अहरौरा, चुनार एवं हांसीपुर के 5 इकाइयों द्वारा किया जाना चाहिए। इन केन्द्रों से निकटवर्ती क्षेत्रों में आटे की पूर्ति की

तालिका 5.2

चुनार तहसील में प्रस्तावित उद्योग एवं उनके अन्तर्गत इकाइयों की संख्या

उद्योग		औद्योगिक इकाईयों की संख्या
1.	चावल मिल	1
2.	आटा मिल	5
3.	दाल मिल	1
4.	तेल मिल	3
5.	चीनी एवं अलकोहल मिल	1
6.	आलू संरक्षण (शीत गृह) उद्योग	1
7.	आलू उत्पाद उद्योग	2
8.	वनस्पति घी एवं तेल मिल	1
9.	फल एवं सब्जी संरक्षण उद्योग	3
10.	कागज उद्योग	1
11.	चमड़ा उद्योग	6
12.	डेयरी उद्योग	4
13.	कृषि औजार	5
14.	साइकिल पार्ट्स	2
15.	रिपेयरिंग वर्क्स (मोटर गाड़ी)	9
16.	विद्युत उपकरण	5
17.	रिपेयरिंग वर्क्स (टी0वी0, टेप, आदि)	7
18.	धातु एवं अल्यूमिनियम का बर्तन उद्योग	4
19.	प्लास्टिक बोरी उद्योग	1
20.	प्लास्टिक बर्तन उद्योग	2
21.	दवा/कीटनाशक	5
22.	साबुन निर्माण उद्योग	6
23.	नाद एवं गमला निर्माण उद्योग	2

जा सकती है।

(2) **दाल एवं तेल उद्योग** - दाल की एक मिल भेड़ी के आस-पास स्थापित की जा सकती है क्योंकि नियोजित विकास द्वारा निकट भविष्य में इस क्षेत्र में दलहन फसलों के उत्पादन में वृद्धि की सम्भावना है। तिलहन फसलों से तेल निकालने का कार्य तिलहन क्षेत्र के रामपुर-शक्तेशगढ़, हांसीपुर एवं कैलहट में किया जाना चाहिए।

(3) **चीनी एवं अलकोहल उद्योग** - तहसील के पूर्वोत्तर भाग में गन्ने की कृषि के विकास हेतु नियोजन प्रस्तुत किया गया है जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में गन्ने के उत्पादन में वृद्धि होने की सम्भावना है। अतः अदलहाट में एक चीनी मील की स्थापना की जाय। इसमें गौड़ रूप से अलकोहल भी उत्पादित किया जा सकता है।

(4) **आलू संरक्षण एवं आलू उत्पादन उद्योग** - तहसील के पश्मिोत्तरी भाग (विकास-खण्ड सीखड़) में बड़े पैमाने पर आलू का उत्पादन होता है। किन्तु यहां इसके संरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः मंगरहा अथवा हांसीपुर में एक शीत-गृह स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हांसीपुर एवं जमुई में आलू से चिप्स, नमकीन आदि खाद्य पदार्थों का निर्माण कर चुनार, मीरजापुर, वाराणसी नगरों में इनका विक्रय किया जा सकता है।

(5) **वनस्पति घी एवं तेल उद्योग** - चुनार तहसील के विकास-खण्ड सीखड़ एवं नरायनपुर के पश्चिमी भाग में मूंगफली की खेती बहुलता से होती है। अतः चुनार में इससे घी अथवा तेल बनाने की एक इकाई स्थापित की जा सकती है।

(6) **फल एवं सब्जी संरक्षण उद्योग** - तहसील के पश्चिमोत्तरी भाग में सब्जी की खेती की बहुलता है और साथ ही यहां अमरूद के अनेक बाग हैं। अतः सीखड़, बगही, एवं जमुई में इसके पैकेटिंग हेतु एक-एक इकाई लगायी जानी चाहिए, जिससे इन्हें वाराणसी, मीरजापुर एवं चुनार आदि स्थानों में भेजकर अपेक्षाकृत अधिक लाभ लिया जा सके।

TAHSIL CHUNAR
SOME PROPOSED INDUSTRIES
N
GANGA RIVER
GANGA RIVER
Narainpur
Hansipur
Jamalpur
Sikhar
Chunar
Adalhat
Jamuie
Jalalpur
Bheri
Ahraura
Rampur
Suketesgars
Madhupur
3 0 3 6
Km
TYPES OF INDUSTRIES
RICE MILL
FLOUR MILL
DALL MILL
OIL MILL
POTATO WAFERS UNITS
SUGAR & ALCHOHAL
FRUIT/VEGETABLE PRESERVATION UNITS
PAPER
DAIRY
AGRICULTURAL INSTRUMENTS UNITS
BICYCLE PARTS
LEATHER
MOTAR MOTARCYCLE
ELECTRIC INSTRUMENTS
T.V. RADIO REPAIR
METALLIC UTENSIL
BAGS
PLASTIC
PESTICIDES MEDICINES
SOAP

Fig. 5·2

(7) **कागज उद्योग** - विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के प्रसार, उद्योग-धन्धों की विविधता आदि के कारण क्षेत्र में कागज की मांग बढ़ती जा रही है। इनका प्रयोग पढ़ाई-लिखाई से लेकर पैकेजिंग आदि तक में होता है। अतः प्रदेश में सामान्य कागज बनाने वाली एक लघु स्तरीय इकाई चुनार में स्थापित की जा सकती है। इसके लिए कच्चे माल के रूप में पश्चिमी क्षेत्र से गन्ने की छोई एवं बांस, पूर्वी क्षेत्र से धान का पुवाल तथा दक्षिणी पठार से यूकेलिप्टस एवं जगली घास आदि आसानी से उपलब्ध हो सकेगी ।

(ब) **पशुपालन आधारित उद्योग**

प्रदश में घरेलू स्तर पर पशुपालन का कार्य सामान्यतः सभी जगह होता है। अतः चमड़ा, जूता-चप्पल एवं लघु स्तर पर ऊनी वस्त्र बनाने का कार्य किया जा सकता है। तहसील के दक्षिणी भाग में भेड़ एवं बकरी पालन का प्रस्ताव पूर्व नियोजित है।

(1) **चमड़ा उद्योग** - तहसील में चमड़ा पकाने का कार्य मधुपुर, रामपुर-शक्तेशगढ़, अदलहाट एवं जमुई के 4 इकाईयों में किया जाना चाहिए। इससे पशुओं के मरने के बाद सड़-गल कर नष्ट होने वाले चमड़े को पकाकर जूता चप्पल बनाये जाने का कार्य किया जा सकेगा। जूता चप्पल बनाने की एक-एक इकाई चुनार एवं अदलहाट में भी स्थापित की जानी चाहिए।

(2) **डेयरी उद्योग** - तहसील के दक्षिणी भाग में डेयरी उद्योग के विकास पर अधिक बल दिया जाना चाहिए। प्रदेश में 4 इकाइयां मधुपुर, भेड़ी, सरांय टेकउर (चुनार के पास) और अदलहाट में संचालित हो सकती है। यहां पशुओं से प्राप्त दूध से मलाई, मक्खन, पनीर, घी आदि बनाकर मीरजापुर, चुनार एवं वाराणसी नगर को भेजा जा सकता है।

प्रस्तावित उद्योगों की अवस्थिति चित्र 5.2 में प्रदर्शित है।

(स) **खनिज संसाधन आधारित उद्योग** -

तहसील में खनिज संसाधन के रूप में प्रस्तर चट्टाने ही उपलब्ध हैं। अतः प्रदेश में रामपुर-शक्तेशगढ़ एवं अहरौरा में दो नाद एवं गमला बनाने की इकाई स्थापित किया जाना

चाहिए। इसके अतिरिक्त इन स्थानों पर पत्थरों के टूट-फूट से बजरी बनाने का भी कार्य वृहद स्तर पर विकसित किया जा सकता है जिसका प्रयोग मकान/सड़क निर्माण में हो सकेगा।

5.6.2 मांग आधारित उद्योग

तहसील में अनेक घरेलू वस्तुओं की मांग बनी रहती है जिनकी आपूर्ति सामान्यतः मीरजापुर एवं वाराणसी नगर से की जाती है। इनमें से अधिकांश की पूर्ति प्रदेश में ही लघु स्तर पर सम्बन्धित ओद्योगिक इकाईयां लगाकर की जा सकती है। इसी प्रकार अनेक दैनिक उपयोग की वस्तुओं की रिपेयरिंग एवं मरम्मत की आवश्यकता पड़ती रहती है। अतः प्रदेश में इससे सम्बन्धित केन्द्र खोले जा सकते हैं।

(अ) **लघु इंजीनियरिंग उद्योग**

इसमें निम्नलिखित उद्योग सम्मिलित हैं -

(1) **कृषि,औजार सम्बन्धित उद्योग** - तहसील एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। अतः यहां विभिन्न प्रकार के औजारों की खरीद एवं मरम्मत आदि की आवश्यकता पड़ती रहती है। इस दृष्टि से नरायनपुर, जमुई, हांसीपुर, रामपुर-शक्तेशगढ़ एवं मधुपुर में कृषि औजार बनाने वाली तथा उसके मरम्मत से सम्बन्धित एक-एक इकाई स्थापित की जानी चाहिए।

(2) **साइकिल पार्ट्स-** साइकिल प्रदेश की जनता के आवा-गमन का सबसे सुगम एवं सस्ता साधन है। अतः साइकिल के विभिन्न पार्ट्स - टायर, ट्यूब, रिम, मडगार्ड, शीट आदि निर्मित करने वाली दो लघु स्तरीय इकाइयों को अहरौरा एवं चुनार में स्थापित किया जाना चाहिए। इनके लिए आवश्यक कच्चा माल वाराणसी एवं मिर्जापुर से उपलब्ध हो सकेगा।

(3) **मोटर, मोटर-साइकिल एवं पम्पिंग सेट रिपेयरिंग वर्क्स** - वर्तमान में मोटर साइकिल एवं स्कूटर जैसे साधनों में निरन्तर वृद्धि हो रही है जिसके रिपेयरिंग की आवश्यकता पड़ती रहती है। इसी प्रकार सिंचाई में प्रयुक्त पम्पिंग सेटों के खराब होने पर उन्हें तुरन्त ठीक करने की आवश्यकता होती है। मोटर एवं ट्रक व्यक्तियों एवं वस्तुओं के आवागमन के प्रमुख साधन हैं। इनके बीच में खराब होने पर यात्रियों को परेशानी होती है तथा सामग्री अपने अपेक्षित

अतः लोकहित में इनसे सम्बन्धित रिपेयरिंग केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए। तहसील में मोटर साइकिल रिपेयरिंग की 3 इकाई (जमुई, मधुपुर एवं रामपुर - शक्तेशगढ़) पम्पिंग सेट रिपेयरिंग की 4 इकाई (कैलहट, हांसीपुर, जमुई एवं भेड़ी) एवं मोटर रिपेयरिंग की 2 इकाई (चुनार एवं अहरौरा) वर्तमान शताब्दी के अन्त तक (वर्ष 2001 तक) आवश्यक रूप से स्थापित की जानी चाहिए ।

(4) **विद्युत उपकरण सम्बन्धित उद्योग-** प्रदेश में विद्युत से सम्बन्धित वस्तुओं - विद्युत तार, बल्ब, ट्यूब एवं स्विच आदि की आवश्यकता निरन्तर पड़ती रहती है। अतः तहसील के उत्तरी मैदान में जहां विद्युत आपूर्ति की सुविधा एक सामान्य स्तर तक सुलभ है, यह उद्योग विकसित किया जा सकता है। अतः तहसील में 2 विद्युत तार एवं केबिल बनाने वाली इकाई चुनार एवं अहरौरा तथा 3 बल्ब एवं ट्यूब बनाने की इकाई अहरौरा, चुनार एवं जमालपुर में स्थापित की जानी चाहिए ।

(5) **टेप, टेपरिकार्डर, घड़ी एवं दूरदर्शन सेटों की मरम्मत से सम्बन्धित उद्योग -** ये प्रादेशिक जनता की दैनिक उपभोग से सम्बन्धित वस्तुएं हैं जिनके मरम्मत की आवश्यकता निरन्तर पड़ती रहती हैं। अतः तहसील में इनके मरम्मत से सन्दर्भित केन्द्रों का विकास आपेक्षित है। प्रदेश में इनकी 7 इकाई नरायनपुर, अहरौरा, जमालपुर, जमुई, मधुपुर, अदलहाट एव हांसीपुर में स्थापित किया जाना चाहिए, जिनमें सम्मिलित रूप से उपर्युक्त सभी का सुधार कार्य संभव हो सके ।

(6) **धातु एवं अल्युमिनियम का बर्तन उद्योग -** तहसील में स्थानीय जनता की मांग को देखते हुए दो धातु एवं दो अल्यूमिनियम के बर्तन बनानी वाली इकाइयां स्थापित की जानी चाहिए। ये इकाइयां चुनार एवं अहरौरा में सरलता से संचालित हो संकती हैं।

(ब) **रसायन से सम्बन्धित उद्योग**

तहसील में निम्नलिखित रसायन आधारित उद्योग नियोजित हैं -

(1) **प्लास्टिक बोरी -** चुनार के निकट प्लास्टिक की बोरी तैयार करने वाली एक औद्योगिक

इकाई स्थापित की जा सकती है क्योंकि चुनार सीमेन्ट कारखाने में सीमेन्ट भरने के लिए इसकी पर्याप्त मांग रहती है।

(2) **प्लास्टिक के बर्तन** - प्लास्टिक के बर्तन सस्ते हल्के एवं उपयोगी होते हैं जो प्रदेश की सामान्य जनता की क्रय-शक्ति के अनुरूप हैं। अतः इनकी न्यूनतम दो इकाई चुनार एवं अहरौरा में स्थापित किया जाना चाहिए जिनमें डोलची, डलिया, साबुनदानी, डिब्बा एवं बाल्टी आदि के बनाने का कार्य संभव हो सके ।

(3) **दवाएं एवं कीटनाशक** - तहसील में विभिन्न प्रकार की दवा बनाने वाली इकाई अहरौरा, चुनार एवं जमालपुर तथा कीटनाशक रसायन की दो इकाई जमुई एवं अदलहाट में स्थापित होना चाहिए। कृषि क्षेत्र होने के कारण यहां कीटनाशक दवाओं की सर्वथा मांग रहती है।

(4) **साबुन उद्योग** - यह दैनिक उपभोग की वस्तु है, अतः इसकी मांग हमेशा रहती है। इसके अतिरिक्त निकट भविष्य में जनसंख्या वृद्धि और अधिक विकास के साथ-साथ इनमें और वृद्धि की संभावना है। अतः चुनार, अहरौरा एवं जमालपुर में एक-एक वाशिंग सोप तथा एक-एक बाथ सोप निर्मित करने वाली इकाइयों की संस्थापना किया जाना चाहिए ।

4.6.3 अन्य उद्योग -

उपर्युक्त उद्योगों के अतिरिक्त तहसील में माचिस, बीड़ी, मोमबत्ती एवं अगरबत्ती बनाने की लघु इकाइयां स्थापित हो सकती हैं। माचिस एवं बीड़ी उद्योग हेतु तीली की लकड़ी एवं तेन्दुपत्ती दक्षिणी पठार से प्राप्त हो सकेगा। मोमबत्ती एवं अगरबत्ती हेतु कच्चा माल मिर्जापुर एवं वाराणसी नगर से प्राप्त किया जा सकता है। इन उद्योगों से उत्पादित माल क्षेत्रीय मांग को तृप्त करने में सहायक हो सकेगा ।

इस प्रकार औद्योगिक नियोजन में सुझाये गये विभिन्न उद्योगों को यदि कार्य रूप दिया जा सके तथा प्रादेशिक जनता के मस्तिष्क को औद्योगीकरण की ओर उन्मुख किया जा सके तो प्रदेश में एक सामान्य स्तर तक औद्योगिक प्रगति संभव है किन्तु उपर्युक्त सभी कार्य

एक निश्चित समय के अन्दर सुव्यस्थित रूप में क्रियान्वित होने चाहिए। तहसील स्तर पर मुख्यत: मध्यम एवं लघु उद्योगों का नियोजन विशेष स्थान रखता हे जिसमें विकास का उत्तर दायित्व राज्य सरकारों का होता है।[6] अत: राज्य सरकार को अपने कर्तव्यों के प्रति सचेष्ट होना चाहिए ।

सन्दर्भ

1. **वर्मा, राम विलास**: भारत का भोगोलिक विवेचन, किताब घर, आचार्य नगर कानपुर - 3, जनवरी 19, 1977, पृ0 471.

2. लघु स्तरीय इकाइयों तथा वृहद एवं मध्यम उद्योग की निर्देशिका, 1990, जिला उद्योग केन्द्र, मिर्जापुर ।

3. जिला औद्योगिक पुनरावलोकन, मिर्जापुर जनपद, 1992.

4. **सिंह, काशी नाथ एवं जगदीश** : आर्थिक भूगोल के मूल तत्व, वसुन्धरा प्रकाशन, पंचम संशोधित संस्करण, 1984, पृ0 23.

5. **जोशी, कृष्ण लाल**: भारत का भूगोल-संसाधन तथा प्रादेशिक विकास, एन0सी0ई0आर0टी0, प्रथम संस्करण, जुलाई 1978, पृ0 116.

6. *Pathak, R.K.: Environmental Planning Resources and Development, Chugh, Publications, Allahabad, 1990, p.123.*

****

अध्याय छः

परिवहन एवं संचार-नियोजन

6.1 प्रस्तावना

किसी देश/प्रदेश की वर्तमान विनिमय पर आधारित आर्थिक व्यवस्था में परिवहन एवं संचार के साधनों का सर्वाधिक महत्व है । मनुष्य, उसकी विभिन्न प्रकार की सामग्री और विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुँचाने वाली इस परिवहन एवं संचार व्यवस्था का विकास देश के प्रकृतिक भू-दृश्य, संसाधन, स्वरूप और मानव जनसंख्या की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति, अवस्था, राजनैतिक दशाओं और तज्जनित प्रादेशिक विविधता द्वारा हुआ है ।[1]

परिसंचरण के अन्तर्गत परिवहन तथा संचार दोनों समाहित हैं । वस्तुओं या व्यक्तियों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन को परिवहन (ट्रान्सपोर्ट) कहते हैं जब कि संदेश (मैसेज) विचार आदि के प्रादेशिक आदान-प्रदान को संचार (कम्यूनिकेशन) कहा जाता है । परिवहन एवं संचार-तंत्र प्रादेशिक विकास के सोपान हैं जो उत्पादन एवं उपभोग को जोड़ने का कार्य करते हैं । वस्तुतः ये किसी देश/ प्रदेश की धमनी एवं शिराएं हैं जिनसे होकर प्रत्येक सुधार प्रवाहित होता है[2] । इस प्रकार किसी प्रदेश की सम्वृद्धि एवं विकास में परिवहन एवं संचार अत्यन्त महत्वपूर्ण अधःसंरचना (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) होती है । अतः इस अध्याय में चुनार तहसील की परिवहन एवं संचार व्यवस्था के वर्तमान स्वरूप को दृष्टगत करते हुए उनके समुचित भावी विकास के लिए नियोजन प्रस्तुत किया गया है ।

6.2 परिवहन-तन्त्र की वर्तमान स्थिति

विश्व स्तर पर सामान्यतः परिवहन-व्यवस्था के साधनों के अन्तर्गत सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन एवं वायु परिवहन समाहित है, किन्तु स्थानीय यातायात के लिए इन माध्यमों में रेलमार्गों एवं सड़कों का विशेष महत्व है जिनके द्वारा क्षेत्र विशेष में सामाजिक सेवाओं के पहुँचाने का कार्य सर्वाधिक किया जाता है[3] । कभी-कभी क्षेत्रीय

नदियां भी किसी प्रदेश की स्थानीय परिवहन में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। चुनार तहसील में परिवहन तन्त्र की वर्तमान स्थिति निम्नवत है -

6.2.1 जल-परिवहन - जल परिवहन, परिवहन का 'एक सस्ता माध्यम है जो भारी सामान ढोने के लिए अधिक उपयुक्त है। तहसील में जल परिवहन की दृष्टि से चुनार घाट का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रायः वर्षा काल (मध्यस जून से मध्य अक्टूबर) में यहां चलने वाले नाव एवं स्टीमर ही विकास-खण्ड - सीखड़ को तहसीलमुख्यालय से जोड़ने के एक मात्र साधन हैं। किन्तु ग्रीष्म तथा शीतकाल में यहां पीपे का पुल बन जाने के कारण प्रायः छोटी नावें ही फेरी का कार्य करती हैं। गंगा नदी में चुनार से वाराणसी तक लगभग 35 किमी0 की जल-यात्रा सामान्यतः पालदार नावों द्वारा होती है। यह जल-यात्रा अबाध रूप से न होकर विभिन्न चरणों (चुनार-अदलपुरा, अदलपुरा-गांगपुर, गांगपुर-शेरपुर, शेरपुर-वाराणसी) में पूर्ण होती है। लघु पैमाने पर फेरी का कार्य गांगपुर एवं शेरपुर में भी होता है। यहां से हरी सब्जी एवं दूध की आपूर्ति वाराणसी महानगर को की जाती है। स्मरणीय है कि वर्तमान युग में द्रुतगामी वाहनों का पर्याप्त विकास हो जाने के कारण मन्दगति से चलने वाली नौकाएं फेरी के कार्यों तक सीमित हो गयी हैं।

6.2.2 रेल परिवहन - चुनार तहसील में सामान्यतः रेल परिवहन का अभाव है, जो सुविधाएं प्राप्त हैं उसका भी प्रदेश में समुचित वितरण नहीं हो पाया है। विकास-खण्ड - सीखड़ रेल परिवहन की सुविधाओं से लगभग मुक्त है। यदि गम्यता क्षेत्र का आधार मात्र दूरी को मान लिया जाय तो उक्त विकास-खण्ड की कुछ बस्तियां गम्यता क्षेत्र के अन्तर्गत समाहित हो सकती हैं किन्तु बीच में गंगा नदी की बाधा के कारण यह क्षेत्र रेल-सुविधाओं से लगभग वंचित हो जाता है। यहां के लोगों को रेलवे-स्टेशन तक पहुंचने के लिए सामान्यतः 3 किमी0 से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसी प्रकार विकास-खण्ड - जमालपुर के मात्र बरईपुर न्याय पंचायत तथा राजगढ़ के खनजादीपुर, शक्तेशगढ़ तथा तेन्दुआ कला न्याय पंचायतों में ही रेल सुविधाएं सुलभ हैं। विकास-खण्ड - नरायनपुर में कुछ सीमा तक रेल सुविधाओं की स्थिति सन्तोषजनक है। यहां सराय-टेकौर, जलालपुर मैदान, पचेवरा, नियामतपुर कला, शेरपुर तथा

TAHSIL CHUNAR
TRANSPORT NETWORK
1992
N
To Varanasi
To Mughal Sarai
GANGA RIVER
Baraipur
Narainpur
Rudauli
Gangpur
Sultanpur
Baghi
N.H.1
Bidapur
Hansipur
Jalalpur Maphi
Rupaundha
Kalhat
Madanpura
Jamalpur
Dohari
Khanpur
Meriya
Ramgarh Kalan
Sikhar
Ori
Rampur
Adalhat
GANGA RIVER
Chunar
From Mirzapur
N.H.1
Sonour
Pouni
Lathia Sahjani
Sherwa
Ghatampur
Imalia Chutti
Sariya
Beihar
Takia Jurai
Nunouti
Rampur Suktesgarh
Sukruta
Lohara
Mobarak Pur
Madhupur
RAILWAY LINE (SINGLE)
RAILWAY LINE (DOUBLE)
METALLED ROAD
KHARANJA ROAD
3 0 3 6 9
Km

Fig. 6·1

टेडुआ न्याय पंचायतों को यह सुविधा प्राप्त है। यदि प्रदेश में रेल परिवहन की गम्यता क्षेत्र दोहरी लाइन (डबल लाइन) के सन्दर्भ में 5 किमी0 तथा एकल लाइन (सिंगल लाइन) के सन्दर्भ में 3 किमी0 की दूरी तक मानी जाय तो तहसील के कुल 79 आबाद ग्रामों को यह सुविधा प्राप्त है। चुनार तहसील में रेल-लाइनों की कुल लम्बाई लगभग 53.1 किमी0 है। किन्तु यह प्रदेश दिल्ली-हावड़ा मार्ग पर स्थित होने के कारण यहां उच्च स्तरीय रेल-सुविधा प्राप्त होती है (चित्र 6.1) ।

6.2.3 सड़क-परिवहन - सड़कें परिवहन की प्राचीनतम साधन हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अपेक्षाकृत कम दूरी के परिवहन में सड़क परिवहन का अत्यधिक महत्व है। इसमें सवारी तथा माल (वस्तुओं) को अपेक्षित स्थान पर उतारने-चढ़ाने की पर्याप्त सुविधा रहती है। इसीलिए एम0एच0कुरैशी ने लोच, विश्वसनीयता एवं गति को सड़क परिवहन की मुख्य विशेषताएं बताया है।[5]

यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग नं0 1 चुनार तहसील से होकर गुजरता है तथापि यहां इसकी सुविधा केवल 19 किमी0 है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य सड़क मार्ग जनपद एवं ग्रामीण स्तर के हैं। तहसील*में सड़कों की कुल लम्बाई 322.40 किमी0 है जिसमें 220.92 किमी0 पक्की तथा 101.48 किमी0 खड़ंजा मार्ग है। स्मरणीय है कि कच्ची सड़कों के वर्ष के अधिकांश महीनों में प्रयुक्त न होने तथा विशेषतया पैदल मार्ग होने के कारण इन्हें तहसील के परिवहन नियोजन में महत्व नहीं दिया गया है। अतः प्रदेश में सड़कों की उपर्युक्त कुल लम्बाई में कच्ची सड़कें शामिल नहीं हैं।

तहसील में सड़कों का वितरण सन्तुलित नहीं है। उत्तरी भाग के समतल मैदान होने के कारण यहां सड़क निर्माण अपेक्षतया सस्ता तथा आसान है। परिणामस्वरूप यहां सड़कों का विकास कुछ सीमा तक सन्तोषजनक है। किन्तु दक्षिणी भाग पठारी तथा ऊबड़-खाबड़ होने के कारण यहां सड़क निर्माण महंगा तथा दुष्कर है अतः इस भाग में सड़कों का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। यहां के लोगों को सड़क मार्ग तक पहुंचने के लिए पैदल अथवा साइकिल द्वारा एक लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। (तालिका 6.1 तथा चित्र 6.1) ।

तालिका 6.1 (अ)

चुनार तहसील में पक्की सड़कों की वर्तमान स्थिति

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	तहसील में मार्ग की लम्बाई (किमी0)
(1)	(2)	(3)
1.	वाराणसी- कन्याकुमारी मार्ग (रा0रा0मा0नं01)	19.00
2.	नरायनपुर-अहरौरा-राबर्टसगंज मार्ग	50.00
3.	अदलहाट-भुइली-शेरवाँ मार्ग	12.60
4.	नरायनपुर-अहरौरा-राबर्टसगंज मार्ग	4.62
5.	चुनार-बड़ा पहाड़ मार्ग	1.63
6.	जिवनाथपुर-कंचनपुर मार्ग	18.80
7.	कछवां-चुनार मार्ग	13.25
8.	चुनार-अदलपुरा-रूदौली मार्ग	10.00
9.	चुनार - राजगढ़ मार्ग	21.43
10.	कैलहट-जलालपुर माफी मार्ग	7.75
11.	मधुपुर-जौगढ़ मार्ग	1.84
12.	जलालपुर-सिकन्दरपुर मार्ग	4.40
13.	चुनार-अहरौरा मार्ग	17.00
14.	अदलहाट-इमिलिया मार्ग	10.00
15.	बेलहर-भाईपुर -जमालपुर मार्ग	7.10
16.	रानी बग्गा-जयपट्टी-जमालपुर मार्ग	6.00
17.	नरायनपुर-भभुआर-रूपौंधा मार्ग	4.00
18.	जमुई-चुनार मार्ग	3.00
19.	जयपट्टीकला-जमालपुर मार्ग	3.50
20.	मंगरहा-सीखड़ मार्ग	3.00
21.	सेमरा-हांसीपुर मार्ग	1.00

22.	मगरहा लिंक मार्ग	1.00
	योग	220.92

नोट : क्रम संख्या 4, क्रमसंख्या 2 का उपमार्ग है, जो मोड़ के रूप में छूटा हुआ है तथा इसका उपयोग स्थानीय कार्यों हेतु होता है। इसकी लम्बाई क्रमसंख्या 2 में नहीं जोड़ा गया है।

स्रोतः प्रा0सा0लो0नि0वि0 मिर्जापुर जनपद
स्टेट्स रिपोर्ट 1.4.92 द्वारा संगणित ।

तालिका 6.1 (ब)

चुनार तहसील में खड़ंजा मार्गों की वर्तमान स्थिति

क्रमसंख्या	मार्ग का नाम	तहसील में मार्ग की लम्बाई (किमी0)
(1)	(2)	(3)
1.	शक्तेशगढ़-नुनौटी मार्ग	5.18
2.	खंभवा-इमिलिया मार्ग	8.00
3.	सझौली-रैपुरिया-सरैया मार्ग	6.00
4.	सीखड़-मंगरहा-प्रेमापुर मार्ग	8.70
5.	जमालपुर-डौफ मार्ग	8.60
6.	अहरौरा- तकिया आफ जुड़ई मार्ग	3.00
7.	बगही-गांगपुर मार्ग	2.80
8.	डौफ-पसही-सहजनी कला मार्ग	4.00
9.	कोलना-रामपुर मार्ग	2.30
10.	निआन-ओड़ी मार्ग	3.00

11.	बड़ा डीह - मदनपुरा मार्ग	1.60
12.	जलालपुर-चुनार मार्ग	6.00
13.	इमिलिया-नरायनपुरमार्ग	11.00
14.	बरगो-श्रुतिहार मार्ग	1.60
15.	जमुई-मीरपुर मार्ग	0.50
16.	पिरल्लीपुर-नुआंव मार्ग	1.80
17.	पथरौरा-घुरूहु पट्टी मार्ग	2.00
18.	जरगो-कोलना-सिरसी मार्ग	3.00
19.	महुली-सरिया मार्ग	3.20
20.	एन0एच01- धरहरा मार्ग	0.80
21.	परसबंधा-बघेड़ी मार्ग	2.00
22.	जमुई-मीरपुर-कदवा-रेहिया मार्ग	5.00
23.	अहरौरा-नरायनपुर-बट मार्ग	1.50
24.	मधुपुर-खोराडीह-धन सीरिया मार्ग	4.90
25.	अहरौरा-बैरमपुर मार्ग	2.00
26.	नकहरा-भगगल की मड़ई मार्ग	3.00
	योग	101.48

स्रोतः प्रा0सा0लो0नि0वि0 मिर्जापुर जनपद,
स्टेट्स 1.4.92 द्वारा संगणित ।

6.3 परिवहन मार्गों का घनत्व

चुनार तहसील में वायु-परिवहन शून्य है तथा जल-परिवहन की स्थिति भी लगभग नगण्य है। अतः यहां रेल एवं सड़क मार्गों की घनत्व का ही विवेचन किया जा रहा है ।

6.3.1 रेलमार्गो का घनत्व - चुनार तहसील में क्षेत्रफल की दृष्टि से रेल लाइनों का घनत्व 4.73 किमी/100किमी^{2} तथा जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में 1.01 किमी/10,000 व्यक्ति हैं ।

तालिका 6.2

चुनार तहसील में रेल मार्गो का घनत्व

	न्याय पंचायत	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जनसंख्या 1991	रेलमार्ग की लम्बाई(किमी)	रेलमार्ग का घनत्व	
					किमी/100किमी^{2}	किमी/10,000 व्यक्ति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सराय टेकोर	23.62	5,917	6.30	26.67	10.65
2.	जलालपुर मैदान	23.45	14,197	4.20	20.04	3.31
3.	पचेवरा	20.60	12,932	4.80	23.30	3.71
4.	नियामतपुर कला	12.32	8,147	3.50	28.41	4.30
5.	शेरपुर	13.51	15,291	3.30	24.43	2.16
6.	बरईपुर	18.21	14,699	5.50	30.30	3.74
7.	खनजादीपुर	32.41	15,638	6.50	20.06	4.16
8.	रामपुर-शक्तेशगढ़	116.45	15,612	10.20	8.76	6.50
9.	तेन्दुआकला	94.86	16,981	6.30	6.64	3.71
	चुनार ग्रामीण	1110.56	4,81,707	50.60	4.56	1.05
	चुनार नगरीय	12.48	46,741	2.50	20.03	0.54
	तहसील चुनार	1123.04	5,28,448	53.10	4.73	1.01

स्रोत : व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित ।

तहसील में न्याय पंचायत स्तर पर रेलमार्गों का घनत्व तालिका 6.2 से स्पष्ट है।। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि क्षेत्र के केवल 9 न्याय पंचायतों को तथा नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत मात्र चुनार नगर को रेल परिवहन की सुविधा प्राप्त है। तहसील में क्षेत्रफल की दृष्टि रेल लाइनो का सर्वाधिक घनत्व बरईपुर में 30.2 किमी/100 किमी^{2} है। तत्पश्चात् नियामतपुर कला (28.41) एवं सराय टेकोर (26.67) का स्थान है। रेल लाइनों का न्यूनतम घनत्व न्याय पंचायत तेदुंआ कला में 6.64 किमी/100किमी^{2} प्राप्त होता है। जनसंख्या की दृष्टि से चुनार तहसील में रेल परिवहन का सर्वाधिक घनत्व सराय टेकोर में 10.65 किमी/10,000 व्यक्ति तथा न्यूनतम घनत्व न्यायपंचायत शेरपुर में 2.16 किमी/10,000 व्यक्ति है। प्रदेश में नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत रेल लाइनों का घनत्व क्रमशः 0.20 एवं 4.56 किमी/100 किमी^{2} है। स्मरणीय है कि न्याय पंचायत खनजादीपुर, रामपुर-शक्तेशगढ़ एवं तेन्दुआ कला में रेल परिवहन की सुविधा अपेक्षाकृत निम्नस्तरीय है। यहां एकल (सिंगल) रेलवे लाइन ही विद्यमान है तथा इस पर अभी तक विद्युतीकरण की व्यवस्था नहीं हो पायी है। इनके अतिरिक्त अन्य न्याय पंचायतों में उच्च स्तरीय रेल सुविधा प्राप्त है, क्योंकि ये न्याय पंचायतें दिल्ली-हाबड़ा रेलमार्ग पर अवस्थित हैं।

6.3.2 सड़क-घनत्व - सड़क-घनत्व से तात्पर्य किसी क्षेत्रीय इकाई के अन्तर्गत उसकी सघनता से है। प्रस्तुत अध्ययन में सड़क-घनत्व का निर्धारण दो रूपों में हुआ है। प्रथम विधि में प्रति 100 वर्ग किमी पर सड़क के लम्बाई का आकलन किया गया है और दूसरे में प्रति दस हजार आबादी पर सड़कों की लम्बाई की गणना की गयी है। तहसील में न्याय पंचायत स्तर पर दोनों प्रकार के घनत्वों का विवरण तालिका 6.3 तथा चित्र 6.2 एवं चित्र 6.3 के माध्यम से प्रस्तुत है।

तालिका 6.3

चुनार तहसील में सड़क-धनत्व

	न्याय पंचायत	क्षेत्रफल (वर्ग किमी0)	जनसंख्या (1991)	सड़क की लम्बाई (किमी0)	सड़क घनत्व किमी/100 किमी^{2}	किमी/10,000 व्यक्ति
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	तेन्दुआ कला	94.86	16,981	5.18	5.46	3.05
2.	रामपुर शक्तेशगढ़	116.45	15,612	25.00	21.47	16.01
3.	खनजादीपुर	32.41	15,638	8.80	27.15	5.63
4.	पटिहटा	116.48	11,382	5.00	4.29	4.39
5.	चकसरिया	41.89	13,000	2.70	6.45	2.08
6.	वट-वन्तरा	98.87	28,472	29.34	29.68	10.31
7.	धनैता	30.63	9,908	5.00	16.32	5.05
8.	बगहा	21.26	11,411	9.75	45.86	8.54
9.	सीखड़	19.84	15,240	8.25	41.58	5.41
10.	आ0ला0सुल्तानपुर	14.97	14,135	6.00	40.08	4.25
11.	मेड़िया	21.73	11,735	9.00	41.42	7.67
12.	हांसीपुर	7.37	7,594	2.70	34.64	3.56
13.	सराय टैकोर	23.62	5,917	6.43	27.22	10.87
14.	जलालपुर मैदान	23.45	14,197	20.50	87.42	14.44
15.	बगही	17.16	8,918	9.05	52.74	10.15
16.	पचेवरा	20.60	12,932	10.50	50.97	8.12
17.	चन्दापुर	8.02	5,933	1.00	12.47	1.69
18.	नियामतपुर कला	12.32	8,147	4.00	32.47	4.91
19.	शेरपुर	13.51	15,291	7.50	55.51	4.91

क्रमशः

21. गरौड़ी	16.46	14,228	8.40	51.03	5.90
22. देवरिया	21.23	15,181	7.00	32.97	4.61
23. कोलना	25.28	11,957	11.60	45.89	9.70
24. अधवार	18.59	10,069	5.80	31.20	5.70
25. घाटमपुर	13.66	9,213	5.00	36.60	5.43
26. बरईपुर	18.21	14,699	7.00	38.44	4.76
27. रेरूपुर	15.53	13,511	5.50	35.42	4.07
28. जयपट्टी कला	23.50	15,702	12.1	51.49	7.71
29. जमालपुर	17.27	14,186	9.00	52.11	6.34
30. बहुआर	20.84	12,060	2.80	13.44	2.32
31. डोहरी	21.77	14,887	9.60	90.03	13.17
32. ओड़ी	15.85	12,922	5.50	34.70	4.26
33. हाजीपुर	11.15	11,973	6.00	53.81	5.01
34. लठिया सहजसी	21.50	12,729	5.60	26.05	4.40
35. देलवासपुर ककराही	6.93	6,098	1.00	14.43	1.64
36. भुइली खास	16.95	14,794	6.00	35.40	4.06
37. मदापुर डकही	27.46	12,082	4.50	16.39	3.73
38. रोशनहर	47.66	7,928	16.50	34.62	20.81
ग्रामीण क्षेत्र	1110.56	4,81,707	322.40	29.03	6.69
नगरीय क्षेत्र	12.48	46,741	34.75	278.45	7.44
चुनार तहसील	1123.04	5,28,448	357.15	31.80	6.76
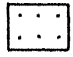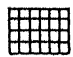
स्रोतः मानचित्र 6.1 के आधार पर परिकलित ।

TAHSIL CHUNAR
ROAD DENSITY
1991
N
ROAD DENSITY IN Kms/100² Km
<10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50
> 50
3 0 3 6 9
Km

Fig. 6·2

TAHSIL CHUNAR
ROAD DENSITY
1991
N
ROAD DENSITY IN Km
PER 10,000 PERSONS
< 5
5 — 10
10 — 15
> 15
3 0 3 6 9
Km

Fig. 6.3

क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से चुनार तहसील में सड़कों का औसत घनत्व 31.8 किमी/100 किमी^{2} है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का औसत घनत्व 29.03 तथा नगरीय क्षेत्र का 278.45 किमी/100 किमी^{2} है। प्रदेश में सड़क परिवहन का अधिकतम घनत्व न्याय पंचायत डोहरी में 90.03/100 किमी^{2} है। तत्पश्चात जलालपुर मैदान (87.42) एवं शेरपुर (55.51) का स्थान है। तहसील में न्यूनतम सड़क घनत्व न्यायपंचायत पटिहटा में 4.29 किमी/100 किमी^{2} उपलब्ध है। चुनार तहसील के कुल 24 न्याय पंचायतों में सड़क घनत्व तहसील के औसत सड़क घनत्व (31.18 किमी) से अधिक है।

जनसंख्या की दृष्टि से तहसील में सड़कों का औसत घनत्व 6.76 किमी/1000 है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र का औसत घनत्व 6.69 तथा नगरीय क्षेत्र का 7.44 किमी/10,000 व्यक्ति है। यहां सड़क मार्गों का अधिकतम घनत्व न्याय पंचायत रोशनहर में 20.81 तथा न्यूनतम सड़क घनत्व न्याय पंचायत ढेलवासपुर ककराही में 1.64 किमी/10,000 व्यक्ति है। चुनार तहसील के कुल 12 न्याय पंचायतों में जनसंख्या की दृष्टि से सड़क-घनत्व तहसील के औसत सड़क-घनत्व (6.76 किमी/10,000 व्यक्ति) से अधिक है ।

6.4 सड़क अभिगम्यता

सड़क अभिगम्यता से तात्पर्य यथा संभव कम समय तथा शक्ति व्यय कर निर्बाध गति से सुगमता पूर्वक किसी सड़क या सेवा केन्द पर पहुंचने से है। सड़कों की अभिगम्यता से सड़कों की सघनता तथा गमनागमन की सुविधा का ज्ञान होता है। साथ ही, इसकी तीव्रता किसी क्षेत्र के विकास के स्तर एवं सड़क जाल की प्रभावोत्पादकता का मापन होता है।[6] संधारणतः किसी सड़क के दोनों ओर का वह क्षेत्र अभिगम्य कहलाता है जिस दूरी तक के लोग स्वाभाविक रूप से परिवहन-हेतु उस सड़क का प्रयोग करते हैं। यद्यपि प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक बाधाओं आदि को कारण इस दूरी में स्थान विशेष के सन्दर्भ में भिन्नता आ सकती है तथापि इनके औसत के आधार पर एक सामान्य दूरी की परिकल्पना (आकलन) कर लिया जाता है। भारत में सड़कों की अभिगम्यता के मांपन के सन्दर्भ में नागपुर योजना तथा बम्बई योजना तालिका 6.4 के माध्यम से प्रस्तुत है ।

TAHSIL CHUNAR
ROAD NETWORK AND ROAD ACCESSIBILITY
N
To Varanasi
Baraipur
Narainpur
Bidapur
Hansipur
Merlya
Ramgarh Kolah
Sikhar
Baghi
Jalalpur Maphi
Rupaundha
Kalhat
Jamalpur
Dohari
Rampur
Adalhat
From Mirzapur
Chunar
Pouni
Ghatampur
Lathia Sahjani
Sherwa
Imalla Chutti
Sariya
Nunouti
Rampur Sukeres Garh
Sukruta
Madhupur
ACCESSIBLE AREA
INACCESSIBLE AREA
3 0 3 6 9
Km

Fig. 6.4

तालिका 6.4

नागपुर तथा बम्बई योजनाओं द्वारा निर्धारित सड़क अभिगम्यता मानदण्ड

क्रम-संख्या	क्षेत्र वितरण	किसी भी गांव की अधिकतम दूरी (किमी0)	
		किसी सड़क से	मुख्य सड़क से
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नागपुर योजना		
	(अ) कृषि क्षेत्र	3.22	8.05
	(ब) कृषिइतर क्षेत्र	8.05	32.25
2.	बम्बई योजना		
	(अ) विकसित कृषि क्षेत्र	2.41	6.44
	(ब) अर्द्ध विकसित कृषि क्षेत्र	4.83	12.87
	(स) अविकसित कृषि क्षेत्र	8.05	19.31

तालिका से स्पष्ट है कि यह मापदण्ड आर्थिक विकास के स्तर पर आधारित है किन्तु लघु स्तरीय (माइक्रो लेवल) क्षेत्रों में आर्थिक विकास के स्तर के अतिरिक्त भौतिक एवं सांस्कृतिक स्तर पर भी पर्याप्त भिन्नता पायी जाती है। दूसरे यह मापदण्ड काफी पहले निर्धारित किया गया था। आज भौगोलिक परिवेश बदल चुका है। चुनार तहसील जैसे एक नितान्त कृषि प्रदेश एवं लघु क्षेत्र के सन्दर्भ में यह मापदण्ड तर्क संगत नहीं है। अतः चुनार तहसील में सड़क परिवहन की व्यावहारिक अभिगम्यता-निर्धारण में निम्नलिखित मापदण्ड अपनाया गया है -

(1) वह बस्ती ही अभिगम्य कहलायेगी जो खड़ंजा मार्ग से एक किमी दूरी तक स्थित है, तथा

(2) मुख्य पक्की सड़कों से 3 किमी दूरी तक स्थित बस्तियां, तथा

(3) अन्य पक्की सड़कों से 2 किमी दूरी तक स्थित बस्तियां ।

इन मापदण्डों के आधार पर चुनार तहसील में सड़क-परिवहन की गम्यता क्षेत्र को तालिका 6.5 एवं चित्र 6.4 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 6.5

चुनार तहसील में सड़क अभिगम्यता (प्रतिशत)

क्रम-संख्या	न्याय पंचायत	क्षेत्रफल (किमी)	गम्य क्षेत्र	अगम्य क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	तुन्दुआकला	94.86	21.50	79.50
2.	शक्तेशगढ़	116.45	45.50	54.50
3.	खनजादीपुर	32.41	52.00	48.00
4.	पटिहटा	116.48	11.80	88.20
5.	चकसरिया	41.89	51.70	48.30
6.	वट-वन्तरा	98.87	79.50	21.50
7.	धनैता	30.63	59.40	40.60
8.	बगहा	21.26	93.50	6.50
9.	सीखड़	19.84	85.20	14.80
10.	आ0ला0सुल्तानपुर	14.97	96.10	3.90
11.	मेड़िया	21.73	97.50	2.50
12.	हांसीपुर	7.37	98.70	1.30
13.	सराय टेकैर	23.62	92.00	8.00
14.	जलालपुर मैदान	23.45	91.50	8.50
15.	बगही	17.16	61.70	38.30
16.	पचेवरा	20.60	98.50	1.50

क्रमशः

17.	चन्दापुर	8.02	51.60	48.40
18.	नियामतपुर	12.32	100.00	-
19.	शेरपुर	13.51	100.00	-
20.	टेड़ुआ	16.62	100.00	-
21.	गरौड़ी	16.46	97.50	2.50
22.	देवरिया	21.23	70.50	29.50
23.	कोलना	25.28	95.80	4.20
24.	अधवार	18.59	88.20	11.80
25.	घाटमपुर	13.66	100.00	-
26.	बरईपुर	18.21	100.00	-
27.	रेरूपुर	15.53	99.01	0.99
28.	जयपट्टी कला	23.50	100.00	-
29.	बहुआर	20.84	41.80	58.20
30.	डोहरी	21.77	95.50	4.50
31.	ओड़ी	15.85	85.10	14.90
32.	हाजीपुर	11.15	100.00	-
33.	लठिया सहजनी	21.50	69.10	30.90
34.	ढेंलवासपुर ककराही	6.93	32.50	67.50
35.	भुइली खास	16.95	91.50	8.50
36.	जमालपुर	17.27	100.00	-
37.	मदापुर डकही	27.46	87.50	12.50
38.	रोशनहर	47.66	90.80	9.2
ग्रामीण क्षेत्र		1110.56	N.A.	N.A.
नगर क्षेत्र		12.48	N.A.	N.A.
चुनार तहसील		1123.04	79.80	20.20

स्रोतः चित्र 6.1 के आधार पर परिगणित ।

N.A.- अनुपलब्ध ।

मानचित्र से स्पष्ट है कि तहसील का उत्तरी एवं उत्तरी-पूर्वी भाग अपेक्षाकृत अधिक गम्य है, दक्षिणी भाग में गम्यता का प्रतिशत घटता जाता है। तहसील के सम्पूर्ण क्षेत्रफल का लगभग 79.8 प्रतिशत भाग सड़क परिवहन की दृष्टि से गम्य है जबकि शेष 20.2 प्रतिशत भाग अगम्य है। कुल 25 न्याय पंचायतों में गम्य क्षेत्र का प्रतिशत तहसील के गम्यता प्रतिशत से अधिक है तथा 8 न्याय पंचायतों में शत-प्रतिशत क्षेत्र गम्य है। शत प्रतिशत गम्यता क्षेत्र वाली न्याय पंचायतें नियामतपुर, शेरपुर, टेडुआ, घाटमपुर, बरईपुर, जयपट्टी कला, जमालपुर एवं हाजीपुर हैं। तहसील में न्यूनतम गम्यता न्याय पंचायत पटिहटा में 11.8 प्रतिशत है। तत्पश्चात् तेन्दुआ कला (21.5 प्रतिशत) तथा ढेलवासपुर - ककराही (32.5 प्रतिशत) का स्थान है। ज्ञातव्य है कि न्यूनतम गम्यता क्षेत्र की उपर्युक्त दोनों न्याय पंचायतें विकास-खण्ड - राजगढ़ के अन्तर्गत सम्मिलित हैं जबकि ढेलवासपुर ककराही विकास-खण्ड - जमालपुर के पूर्वी पठारी भाग में अवस्थित है।

6.5 सड़क सम्बद्धता

सड़क सम्बद्धता सड़क परिवहन के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इससे मार्ग-जाल के विकास-स्तर, सघनता एवं गम्यता की सूचना मिलती है। साधारणतः विकसित प्रदेशों में, पिछड़े प्रदेशों की अपेक्षा, सड़क-जाल अधिक सुसम्बद्ध होता है। चुनार तहसील के सड़क सम्बद्धता का अध्ययन दो प्रकार से किया गया है। प्रथमतः प्रमुख सेवा केन्द्रों के सन्दर्भ में, और दूसरे सड़क-जाल संरचना के परिप्रेक्ष्य में ।

6.5.1 सेवा केन्द्रों की सम्बद्धता - प्रस्तुत अध्ययन में प्रमुख सेवा केन्द्रों की सड़क मार्ग द्वारा परस्पर सम्बद्धता का आकलन किया गया है। यह सम्बद्धता केवल पक्की सड़कों की ही ज्ञात की गयी है। इस सन्दर्भ में तहसील के कुल 42 में से 16 उच्चस्तरीय सेवा केन्द्रों का केन्द्रियता सूचकांक के आधार पर तथा 2 सेवा केन्द्रों का स्थानीय महत्व के आधार पर चयन किया गया है ।

तालिका 6.6

सम्बद्धता परिकलन हेतु निर्धारित सेवा केन्द्र

	सेवा केन्द्र	केन्द्रियता सूचकांक
1.	चुनार	157.37
2.	अहरौरा	60.58
3.	जमालपुर	44.50
4.	नरायनपुर	35.38
5.	मधुपुर	30.52
6.	कैलहट	26.42
7.	बकियाबाद	25.65
8.	पथरौरा	24.45
9.	सीखड़	20.71
10.	रामपुर शक्तेशगढ़	17.55
11.	हांसीपुर	15.65
12.	इमिलिया कला	13.55
13.	कोलना	13.41
14.	घाटमपुर	11.65
15.	शेरवां	10.72
16.	भुइली खास	10.70
17.	बहुआर	8.54
18.	मेड़िया	5.88

चयनित विकास केन्द्रों की परस्पर सड़कों द्वारा सम्बद्धता ज्ञात करने के लिए कनेक्टिविटी मैट्रिक्स (कनेक्टिविटी मैट्रिक्स) का निर्माण किया गया है (तालिका 6.7)। तालिका के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि सेवा केन्द्रों के स्तर एवं उनकी सड़क सम्बद्धता में कोई

तालिका 6.7

चुनार तहसील में पक्की सड़कों का कनेक्टिविटी मैट्रिक्स

SC	CR	AH	JP	NP	MP	KA	BB	PA	SI	SG	HP	IM	KO	GP	SE	BH	BA	ME	T
CR	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	3
AH	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	3
JP	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	4
NP	0	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MP	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KA	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
BB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PA	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	4
SI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
SG	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
HP	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
IM	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
KO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GP	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
SE	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
BH	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
BA	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ME	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
T	3	3	4	3	1	3	0	4	2	1	2	4	0	2	2	3	1	2	40

SC - Service Centre
CR - Chunar
AH - Ahraura
JP - Jamal Pur
NP - Narayan Pur
MP - Madhu pur
KA - Kalhat
BB - Bakiyabad
PA - Pathroura
SI - Sikhar
SG - Sakuteshgarh
HR - Hansi Pur
IM - Imiliya
KO - Kolana
GP - Ghatam Pur
SE - Serwan
BH - Bhuieli
BA - Bahuar
ME - Meriya
T - Total

सम्बन्ध नहीं है। तहसील में जमालपुर, पथरौरा एवं इमिलिया कला की सड़क सम्बद्धता सर्वाधिक है। उक्त तीनों केन्द्र चयनित सेवा केन्द्रों के चार-चार सेवा केन्द्रों से सम्बद्ध हैं। सड़क-की सम्बद्धता की दृष्टि से चुनार, अहरौरा, नरायनपुर, कैलहट एवं भुइली का द्वितीय स्थान है। ये सेवाकेन्द्र तीन-तीन सेवा केन्द्रों से जुड़े हुए हैं। घाटमपुर, सीखड़, हांसीपुर, शेरवाँ एवं मेड़ियां दो-दो सेवाकेन्द्रों से सम्बद्ध है और तहसील में इनका तृतीय स्थान है। मधुपुर, रामपुर, शक्तेशगढ़ एवं बहुआर केवल एक-एक सेवा केन्द्रों से सम्बद्ध हैं तथा बकियाबाद वं कोलना सड़क मार्ग से पूर्णतया असम्बद्ध है ।

6.5.2 सड़क-जाल सम्बद्धता - सड़क-जाल सम्बद्धता का विश्लेषण बिन्दु (*Vertices*) तथा बाहु (*edges*) दो प्रमुख्य तथ्यों पर आधारित है। किसी भी सड़क जाल में जितने उद्गम, संगम तथा अन्तिम एवं प्रमुख सेवाकेन्द्र होते हैं उन्हें बिन्दु तथा इनको सीधे सम्बद्ध करने वाली सड़कों को बाहु के रूप में माना जाता है।[7] यहां विशेष ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि इसमें बाहुओं की लम्बाई पर ध्यान न देकर केवल उसकी मात्रा पर ध्यान दिया जाता है। चुनार तहसील की पक्की सड़कों के जाल के सन्दर्भ में बिन्दुओं की संख्या 29 तथा बाहुओं की संख्या 28 है ।

अल्फा निर्देशांक (α) मार्ग जाल के सम्बद्धता स्तर का सूचक है। यह उन्हीं सड़क जालों के लिए उपयुक्त है जिनमें कई असम्बद्ध ग्राफ हों। साधारणतः इसका मान 0 से 1 के मध्य होता है। पूर्णतः सुसम्बद्ध मार्ग जाल का निर्देशांक 1.0 तथा पूर्णतः असम्बद्ध मार्ग जाल का मान 0 आता है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है[8] -

$$\alpha = \frac{e - v + G}{2v - 5}$$

जहां

α = अल्फा निर्देशांक

e = बाहुओं की संख्या

v = बिन्दुओं की संख्या

G = असम्बद्ध ग्राफों की संख्या

चुनार तहसील के सन्दर्भ में अल्फा निर्देशांक का मान 0.06 है, जो यह व्यक्त करता है कि उक्त प्रदेश का सड़क जाल न तो पूर्णतया सम्बद्ध है और न ही पूर्णतः असम्बद्ध। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि तहसील का सड़क मार्ग जाल 6 प्रतिशत सम्बद्ध है।

बीटा निर्देशांक (β) मार्ग जाल के बाहुओं और बिन्दुओं के अनुपात को बताता है। असम्बद्ध मार्ग जालों का निर्देशांक 1.0 से कम, एक ही चक्र में विभिन्न केन्द्र बिन्दुओं को मिलाने वाले मार्ग जाल का निर्देशांक 1.0 तथा केन्द्र बिन्दुओं के मध्य कई विकल्प वाले मार्ग जाल का निर्देशांक 1.0 से अधिक आता है। इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र द्वारा की जाती है[9] -

$$\beta = e/v$$

जहां

β = बीटा निर्देशांक

e = बाहुओं की संख्या

v = बिन्दुओं की संख्या

तहसील के सड़क-जाल के सन्दर्भ में इस निर्देशांक का मान 1.05 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि सड़क जाल बहुत कम सम्बद्ध है।

गामा (γ) निर्देशांक भी मार्ग जाल के बाहुओं एवं बिन्दुओं के अनुपात को ही व्यक्त करता है किन्तु यह निर्देशांक विद्यमान बाहुओं का अधिकतम बाहुओं के गुणांक का द्योतक है। इस निर्देशांक का मान 0 से 1.0 के मध्य आता है। पूर्णतः सम्बद्ध मार्ग जालों का निर्देशांक 1.0 तथा अपूर्ण सम्बद्धता वाले मार्ग जालों का निर्देशांक 1.0 से कम आता है। इसकी गणना अधोलिखित सूत्र द्वारा की जाती है[10] -

$$\gamma = \frac{e}{3(v-2)}$$

जहां

γ गामा निर्देशांक

e बाहुओं की संख्या

v बिन्दुओं की संख्या

चुनार तहसील के सड़क जाल का गामा निर्देशांक 0.37 है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त प्रदेश में सड़क जाल सम्बद्धता 37 प्रतिशत है।

6.6 यातायात-प्रवाह

यातायात प्रवाह से तात्पर्य किसी परिवहन मार्ग पर किसी निश्चित समय में वस्तुओं एवं व्यक्तियों के आवागमन की मात्रा एवं घनत्व से है। इसके अन्तर्गत वस्तुओं एवं व्यक्तियों के उद्गम तथा गन्तव्यों, परिवहन मार्गों पर उनका भार अथवा प्रवाह की मात्रा और प्रवाह की कुल मात्रा में वस्तुओं एवं व्यक्तियों के अनुपात का अध्ययन होता है। इसमें प्रथम तथ्य, वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग केन्द्रों के साथ ही साथ जनसंख्या के सकेन्द्रण से सम्बद्ध है। दूसरा, प्रदेश में व्यक्तियों की सक्रियता एवं विकास स्तर का सूचक है। और अन्तिम तथ्य क्षेत्र के आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वरूप को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यातायात प्रवाह से किसी परिवहन तन्त्र के कार्यात्मक विशेषताओं के साथ प्रादेशिक आर्थिक एवं सामाजिक क्रिया कलापों तथा आर्थिक, सामाजिक अन्तर्सम्बन्ध प्रतिरूपों और आर्थिक सामाजिक स्तरों को जाना जा सकता है।

चुनार तहसील एक कृषि प्रधान क्षेत्र है अतः यहां परिवहन की कुल मात्रा में कृषि आधारित वस्तुओं एवं व्यक्तियों के प्रवाह की प्रधानता है। इस दृष्टि से बीज एवं उर्वरकों को कृषि फार्मों तक ले जाने एवं अनाजों को खलिहानों तक पहुंचाने तथा कृषि-श्रमिकों को ढोने में ट्रैक्टर एवं बैलगाड़ियों का विशेषतया प्रयोग होता है। कृषि के साथ ही साथ प्रदेश में घरेलू उद्योगों की अवस्थिति होने के कारण ईंट-भट्ठा मालिकों एवं प्रस्तर-खदान स्वामियों के निजी ट्रक एवं ट्रैक्टर भी पर्याप्त मात्रा में चलते हैं। चुनार के पास कजरहट स्थित सिमेंट कारखाने के पास ट्रकों का एक वृहद जमाव रहता है जो मुख्यतया मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग

से गुजरते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से कृषि आधारित वस्तुओं एवं खाद्यान्नों को बाजार तक ले जाने में ट्रकों, ट्रैक्टरों एवं ठेलों का प्रयोग होता है जब कि कृषक वर्ग बाजार से अपने उपभोग की सामग्री लाने में स्कूटर एवं साइकिलों का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार, व्यवसाय स्वास्थ्य तथा प्रशासनिक एव शैक्षणिक कार्यों के लिए भी जनसंख्या का प्रवाह होता रहता है। इस दृष्टि से बस, जीप एवं स्कूटर विशेषतया प्रयुक्त होते हैं।

उपर्युक्त परिवहन साधनों के प्रवाह के आंकड़े संग्रहित कर पाना बड़ा दुष्कर कार्य है। अतः व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त बस एवं ट्रकों के प्रवाह की मात्रा ही यातायात प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त है।

तहसील के जमुई सेवा केन्द्र पर किये गये व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर यह सूचित होता है कि मिर्जापुर-वाराणसी मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग नं01) पर मिर्जापुर से जमुई तक प्रतिदिन 131 बसे गुजरती हैं जब कि जमुई के आगे नरायनपुर तक 109 बस प्रतिदिन गुजरती हैं। नरायनपुर में किये गये व्यक्तिगत सर्वेक्षण के आधार पर पता चलता है कि नरायनपुर से आगे जाने वाली बसों की संख्या 139 प्रतिदिन हो जाती है। जमुई से आगे बसों की संख्या में गिरावट का कारण यह है कि यहां से 22 बसे जमुई अहरौरा मार्ग पर चलती हैं। नरायनपुर से आगे (वाराणसी की ओर) बसों की संख्या में वृद्धि का कारण राबर्टसगंज-नरायनपुर मार्ग से 30 बसों का सम्मिलन है। जमुई - अहरौरा मार्ग पर चलने वाली 22 बसों में 10 बसे इमिलिया से अदलहाट होते हुए अदलहाट - शेरवां मार्ग तक जाती हैं। चुनार-राजगढ़ मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 10 बसें और चुनार-कछवां मार्ग पर प्रतिदिन लगभग 8 बसें गुजरती हैं। स्मरणीय है कि नरायनपुर राबर्टसगंज मार्ग के अतिरिक्त अन्य सभी मार्गों पर व्यक्तिगत बसें ही चलती हैं।

चुनार तहसील में ट्रकें मुख्यतया वाराणसी-मिर्जापुर एवं नरायनपुर-अहरौरा मार्ग पर ही चलती हैं। मिर्जापुर से चुनार स्टेशन तक प्रतिदिन लगभग 129 ट्रक गुजरती हैं। चुनार स्टेशन से आगे बढ़ने पर ट्रकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि होती जाती है। चुनार सीमेन्ट

TAHSIL CHUNAR
FREQUENCY OF BUSES
N
To Varanasi
GANGA RIVER
GANGA RIVER
Rudculi
Araji line Sultahpur
Bidapur
Baghi
Narainpur
Tendua
Bahura
Dohari
Jamalpur
Kalhat
Merya
Sikhar
Jalalpur Madan
Adalhat
Bhulli Khas
Lathia Sahjani
From Mirziapur
CHUNAR
Khanjadipur
Ghatampur
Imilla Chutti
Ahraura
Rampur Suketes Garh
Sukruta
Madhupur
FREQUENCY OF BUSES
10
20
30
130
3 0 3 6 9
Km

Fig·6·5

कारखाने से प्रतिदिन लगभग 800 ट्रक मिर्जापुर - वाराणसी मार्ग से गुजरते हैं इसमें 49 ट्रक चुनार से वाराणसी की ओर जाते हैं। इस प्रकार चुनार से आगे (वाराणसी की ओर) जाने वाली ट्रकों की संख्या 178 हो जाती है, और आगे बढ़ने पर ईंट-भट्ठों का क्षेत्र पड़ने के कारण नरायनपुर के कुछ पहले ट्रकों की संख्या लगभग 226 हो जाती है। नरायनपुर-राबर्टसगंज मार्ग पर चलने वाली ट्रकों की संख्या 148 है। अतः नरायनपुर से आगे वाराणसी की ओर प्रतिदिन कुल 374 ट्रक गुजरती हैं। इसके अतिरिक्त चुनार-राजगढ़ मार्ग पर 15, जमुई-अहरौरा मार्ग पर 38 एवं अदलहाट-शेरवां मार्ग पर प्रतिदिन 21 ट्रक गुजरती हैं। स्मरणीय है कि चुनार - कछवां मार्ग पर ट्रकों का सर्वथा अभाव है यदा-कदा 2-4 ट्रक व्यक्तिगत कार्यों हेतु आती-जाती हैं (चित्र 6.5) ।

6.7 परिवहन नियोजन

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि चुनार तहसील में परिवहन व्यवस्था का समुचित प्रबन्ध नहीं है। वायु परिवहन तथा जल परिवहन नगण्य है। रेल परिवहन तहसील के एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित है। सड़क परिवहन का भी प्रदेश में समुचित एवं सन्तुलित विकास नहीं हो पाया है। तहसील में सड़कों की स्थिति दयनीय है। वाराणसी-राबर्टसगंज मार्ग के अतिरिक्त यहां व्यक्तिगत बस सेवा ही उपलब्ध है जो यात्रियों के कीमती समय एवं परेशानियों का ध्यान न रखते हुए स्थान-स्थान पर रोककर बस की क्षमता से अधिक सवारी लेकर चलते हैं। परिणामस्वरूप दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सड़कों की चौड़ाई कम होने तथा बीच-बीच में गड्ढे एवं नलिकाएं होने के कारण बसों को सतर्कता पूर्वक मन्दगति से चलना पड़ता है जिससे यात्रियों एवं वस्तुओं को अपेक्षित समय पर गन्तव्य तक पहुंचना असंभव हो जाता है। तहसील में अनेक सेवाकेन्द्र ऐसे हैं जिनका किसी पक्की सड़क अथवा अच्छे खड़ंजों से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रदेश के अनेक बस्तियों में प्रायः सम्पर्क मार्गों का भी अभाव है। फलस्वरूप यहां के लोगों का पगडन्डियों का ही सहारा लेना पड़ता है।

अतः तहसील की परिवहन-व्यवस्था में सुधार एवं विकास आवश्यक प्रतीत होता है। किन्तु यह विकास नियोजन के माध्यम से ही संभव है। इस उद्देश्य से चुनार तहसील का 10 वर्षीय परिवहन-नियोजन प्रस्तुत है। यह नियोजन निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में

रखकर तैयार किया गया है -

1. तहसील के अगम्य क्षेत्रों को गम्य बनाने का अधिकतम प्रयास किया गया है।
2. तहसील के सभी सेवा-केन्द्रों को पक्की सड़कों अथवा उच्च स्तरीय खड़ंजा मार्गों से जोड़ने का प्रयत्न किया गया है,
3. प्रदेश के सभी बस्तियों को सम्पर्क मार्गों, खड़ंजा मार्गों अथवा पक्की सड़कों से सम्बद्ध करने की कोशिश की गयी है, तथा
4. रेल परिवहन के नियोजन में प्रदेश के निकटवर्ती रेल-लाइनों को ध्यान में रखा गया है ।

6.7.1 **प्रस्तावित रेलमार्ग** - तहसील के पूर्वी भाग में रेल-परिवहन की रिक्तता को देखते हुए मुगल सरांय-चुर्क रेलवे मार्ग का निर्माण किया जाना चाहिए। यह रेलवे मार्ग मुगल सरांय जंक्शन से प्रारम्भ होकर चुनार तहसील रेरूपुर, जमालपुर, अदलहाट (पथरौरा), घाटमपुर, अहरौरा सुकुरूत एवं मधुपुर होते हुए सोनभद्र जनपद के चुर्क नामक स्थान पर चुनार-चोपन रेल मार्ग में मिलेगा। इस रेलवे लाइन की कुल लम्बाई लगभग 125 किमी होगी जिसमें लगभग 65 किमी चुनार तहसील के अन्तर्गत शामिल है ।

6.7.2 सड़क मार्ग

सड़क मार्ग के अन्तर्गत पक्की सड़क, खड़ंजा मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग समाहित हैं।

(अ) **वर्तमान मार्गों में सुधार** - तहसील में सड़कों की वर्तमान दयनीय स्थिति को देखते हुए उनमें सुधार अपेक्षित है। वाराणसी-मिर्जापुर तथा नरायनपुर-राबर्टसगंज मार्ग पर यातायात के साधनों में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए इनकी चौड़ाई बढ़ा दी जानी चाहिए। साथ ही साथ, वाराणसी-मिर्जापुर मार्ग को दोहरे यातायात के लिए तैयार कराना चाहिए। अहरौरा-जमुई मार्ग को गंगा नदी पर पुल बनाकर चुनार-कछवां मार्ग से जोड़ दिया जाना चाहिए जिससे अहरौरा से कछवां के लिए बस चलायी जा सकें।

(ब) **प्रस्तावित पक्की सड़कें, खड़ंजा मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग** - सड़क मार्गों की न्यूनतम एवं

TAHSIL CHUNAR
PROPOSED TRANSPORT NETWORK
N
GANGA RIVER
GANGA RIVER
Bidapur
Dhanaila
Chandapur
Narainpur
Bagahi
Rupaundha
Meriya
Chunar
Sikhar
Jamalpur
Dohari
Rampur
Adalhat
Bakiyabad
Sonaurgang
Khanjadipur
Ghatampur
Lalhia Sahjani
Imilia
Bheri
Sarlya
Ahraura
Ban Imilia
Tendua Kalan
Rampur
Suketeshgarh
RAILWAY LINE
METALLED ROAD
KHARANJA ROAD
BRIDGES
Mubarkpur
Madhupur
Nagnar Harala
3 0 3 6 9
Km

Fig. 6·6

असन्तुलित वितरण को देखते हुए तहसील के कुछ 151.20 किमी पक्की सड़क, 46.5 किमी खड़ंजा मार्ग एवं 35 किमी सम्पर्क मार्ग प्रस्तावित है (तालिका 6.8 अ, ब एवं मानचित्र 6.6)। इनमें मेड़ियां-विदापुर, मधुपुर-शक्तेशगढ़ एवं पिरल्लीपुर-इमिलिया पक्की सड़क मार्ग तथा इमिलिया-भेड़ी और घाटमपुर-पौनी खड़ंजा मार्ग अधिक आवश्यक हैं ।

प्रस्तावित सम्पर्क मार्गों के अतिरिक्त सन् 2001 तक तहसील के लगभग सभी ग्रामों को इन मार्गों से प्रमुख खड़ंजा मार्ग अथवा पक्की सड़क से जोड़ने की आवश्यकता है। जिससे कि सेवा केन्द्रों से प्रस्फुटित होने वाली विकास-किरणें यहां तक पहुंच सकें।

तालिका 6.8(अ)

चुनार तहसील में प्रस्तावित पक्की सड़कें

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी)
(1)	(2)	(3)
1.	मेड़िया-विदापुर मार्ग	17.20
	मेड़िया-सीखड़	6.00
	सीखड़-रामगढ़	3.50
	रामगढ़-धनैता	4.20
	धनैता-विदापुर	3.50
2.	नरायनपुर-चुनारमार्ग	21.30 (18.80)
	नरायनपुर-शेरपुर	2.00
	शेरपुर-बघेड़ी	2.00
	बघेड़ी-चन्दापुर	2.50
	चन्दापुर-गांगपुर	3.50
	गांगपुर-बगही	2.80
	बगही-जलालपुर *	2.50
	जलालपुर-चुनार	6.00
3.	नरायनपुर-खनजादीपुर मार्ग	15.20 (11.20)
	नरायनपुर-रूपौधा *	4.50

क्रमशः

	रूपोधा-देवरिया	5.50
	देवरिया-रामपुर	2.70
	रामपुर-रेहिया	3.00
	रेहिया-खनजादीपुर	2.50
4.	पिरल्लीपुर-इमिलिया मार्ग	8.00
	पिरल्लीपुर-बकियाबाद	1.00
	बकियाबाद-नुआंव	2.50
	नुआंव-चोकिया	1.00
	चौकिया-इमिलिया	3.50
5.	डोहरी-लठिया सहजनी मार्ग (ढेलवासपुर होकर)	13.50
6.	मधुपुर-शक्तेशगढ़ मार्ग	42.00
	मधुपुर-मोबारकपुर	5.00
	मोबारकपुर-जंगल महाल	25.50
	जंगल महाल-खंभवा	7.00
	खंभवा-शक्तेशगढ़	4.50
7.	भेड़ी-शक्तेशगढ़ मार्ग	16.00
	भेड़ी-बरगवां	7.50
	बरगवां-तेन्दुआकला	1.50
	तेन्दुआ कला-गोल्हनपुर	1.50
	गोल्हनपुर-नुनौटी	2.00
	नुनौटी-जोगढ़	2.50
	जौगढ़-शक्तेशगढ़	1.00
8.	अहरौरा-शक्तेशगढ़ मार्ग	24.5
	अहरौरा-सरिया	4.5
	सरिया-रामपुर ढबही	1.5
	रामपुर-ढबहीं-वनइमिलिया	6.00
	वनइमिलिया-विजाहुर	6.00
	विजाहुर-शक्तेशगढ़	6.5
	कुल योग	151.20

* तारांकित सड़कों का कुछ भाग पूर्व निर्मित है जिनकी लम्बाई इसमें शामिल नहीं है।

नोट: पूर्व निर्मित पक्की सड़क प्रस्तावित लम्बाई में शामिल नहीं है ।

तालिका 6.8 (ब)

चुनार तहसील में प्रस्तावित खड़ंजा मार्ग

क्रम-संख्या	मार्ग का नाम	लम्बाई (किमी)
(1)	(2)	(3)
1.	पथरौरा-रामपुर मार्ग	10.50
	पथरौरा-घुरूहुपुर	2.50
	घुरूहुपुर-रामपुर	8.00
2.	इमिलिया-पटिहटा-धौहा-भेड़ी मार्ग	15.50
3.	घाटमपुर-अधवार-पोनी मार्ग	7.00
4.	अहरौरा-मदापुर-डकही	6.50
5.	मधुपुर-नागनार-हरैया	4.50
6.	भदावल-जमालपुर	2.50
	सम्पर्क मार्ग	35.50
	चुनार तहसील (कुल योग)	81.50

6.7.3 **प्रस्तावित पुल** - तहसील में सड़क-मार्ग जाल की असम्बद्धता को देखते हुए सड़कों को परस्पर जोड़ने हेतु चुनार में गंगा नदी पर एवं बगही में जरगो नदी पर पुल बनाने की आवश्यकता है। इसमें चुनार-पुल के अभाव में तहसील का एक भाग अलग-थलग पड़ जाता है ।

6.8 संचार-व्यवस्था

समाचारों एवं सूचनाओं के आदान-प्रदान को सम्प्रेषण तथा संचार कहते हैं। डाक-घर, तार-घर, दूरभाष केन्द्र, आकाशवाणी एवं दूर दर्शन आदि संचार व्यवस्था के प्रमुख घटक हैं। वस्तुतः इस वर्ग के साधनों का विकास आधुनिक विकास का वास्तविक सूचक है।

अतः आज के औद्योगिक युग में पिछड़े प्रदेशों के समुचित विकास हेतु संचार व्यवस्था के विकास की महती आवश्यकता महसूस की जा रही है। संचार माध्यमों में व्यक्तिगत संचार एवं जन-संचार दोनों को ही समाहित किया जाता है। व्यक्तिगत संचार माध्यम में डाकघर तारघर, दूरभाष आता है जबकि रेडियो, सिनेमा, दूरदर्शन, समाचार पत्र आदि जन संचार के माध्यम हैं।

तालिका 6.9

चुनार तहसील के गांवों में उपलब्ध संचार सेवाएं, 1990

विकासखण्ड	सुविधाएं	उपलब्ध सेवाओं वाले गांवों का विवरण (प्रतिशत)				
		गांव में उपलब्ध	1 किमी से कम दूरी पर	1-3 किमी की दूरी पर	3-5 किमी की दूरी पर	5 किमी से अधिक दूरी पर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सीखड़	डाकघर	17.19	25	37.5	17.19	3.12
	तारघर	7.56	-	14.06	21.88	62.50
	सार्वजनिक दूरसंचार केन्द्र	1.56	-	18.75	37.50	42.19
नरायनपुर	डाकघर	11.29	6.45	50.00	25.61	6.45
	तारघर	1.08	-	7.53	19.36	72.03
	सार्वजनिक दूरसंचार केन्द्र	0.54	3.76	16.13	20.43	59.14
जमालपुर	डाकघर	7.54	4.52	11.56	35.18	41.20
	तारघर	0.50	0.50	5.03	22.11	71.86
	सार्वजनिक दूरसंचार केन्द्र	0.50	2.01	2.51	2.01	92.91
राजगढ़	डाकघर	12.05	3.62	20.48	25.30	38.55
	तारघर	-	-	3.62	4.82	91.56
	सार्वजनिक दूर संचार केन्द्र	1.20	2.40	4.83	7.23	84.34
चुनार तहसील	डाकघर	10.71	7.52		28.20	24.06
	तारघर	0.75	0.19		18.42	73.87
	सार्वजनिक दूर संचार केन्द्र	0.75	2.45		13.53	73.68

6.8.1 व्यक्तिगत संचार - चुनार तहसील में वर्तमान में 63 डाकघर, 4 तारघर एवं 4 सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं। सर्वाधिक डाकघर (24) विकास-खण्ड - नरायनपुर में उपलब्ध है। तत्पश्चात जमालपुर (18) का स्थान है। सीखड़ तथा राजगढ़ में क्रमश 11 एवं 10 डाकघर अवस्थित हैं। तार घरों की संख्या की दृष्टि से विकास-खण्ड - नरायनपुर तहसील में अग्रणी है। सीखड़ एवं जमालपुर में एक-एक तारघर कार्यरत हैं किन्तु विकास-खण्ड-राजगढ़ में कोई तारघर नहीं है। तहसील के चारों विकास-खण्डों में एक-एक सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं।

(अ) **डाकघर** - वर्तमान में चुनार तहसील में कुल 63 डाकघर विद्यमान है जिसमें अधिकांश ब्रांच या उप डाकघर ही हैं। तहसील की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को देखते हुए प्रदेश में इनकी संख्या अंत्यधिक न्यून है। तहसील में डाकघरों का वितरण प्रतिरूप अत्यन्त विरल होने के कारण यहां के लोगों को डाकघर जैसे साधारण कार्य के लिए भी 3 किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तालिका से ज्ञात होता है कि तहसील के मात्र 10.71 प्रतिशत ग्रामों में ही डाकघर विद्यमान है अतः यहां 52.26 प्रतिशत ग्राम के लोगों को डाक सेवा हेतु 3 किमी से अधिक चलना पड़ता है। प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति विकास-खण्ड - जमालपुर की है, जहां मात्र 7.54 प्रतिशत ग्रामों में डाकघर है, परिणामस्वरूप 76.38 प्रतिशत ग्राम के लोगों को 3 किमी से अधिक दूरी पर डाक सेवा प्राप्त हो पाती है। विकास-खण्ड - सीखड़ इस दृष्टि से अपेक्षतया सन्तोषजनक स्थिति में है। यहां 17.19 प्रतिशत ग्रामों में डाकघर है और मात्र 20.31 प्रतिशत ग्राम के लोगों को डाक सेवा हेतु 3 किमी से अधिक चलना पड़ता है। नरायनपुर एवं राजगढ़ में क्रमशः 11.29 एवं 12.05 ग्रामों में डाकघरों की सुविधा है किन्तु नरायनपुर में जहां 32.26 प्रतिशत ग्राम के लोगों को 3 किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहीं राजगढ़ में 63.85 प्रतिशत ग्राम के लोगों को यह दूरी तय करनी पड़ती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि विकास-खण्ड - राजगढ़ में एक भाग में ही अधिकांश डाकघर अवस्थित हैं।

(ब) **तारघर** - तहसील के कुल 0.75 प्रतिशत आबाद बस्तियों में तारघर कार्यरत हैं। अतः तहसील के 73.87 प्रतिशत ग्राम के लोगों को इस सुविधा हेतु 5 किमी से अधिक दूरी तय

करनी पड़ती है। विकास-खण्ड - सीखड़ में सर्वाधिक 1.56 प्रतिशत ग्रामों में तारघर उपलब्ध है। यहां 84.38 प्रतिशत ग्राम के लोगों को इसके लिए 3 किमी से अधिक तथा 62.5 प्रतिशत ग्राम के लोगों को 5 किमी से भी अधिक चलना पड़ता है। इस दृष्टि से विकास-खण्ड - राजगढ़ की स्थिति सबसे दयनीय है। यहां किसी भी बस्ती में तारघर की सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः इस विकास-खण्ड के 91.56 प्रतिशत ग्राम के लोगों इस कार्य हेतु 5 किमी से अधिक दूर जाना पड़ता है। विकास खण्ड नरायनपुर एवं जमालपुर में क्रमशः 1.08 तथा 0.5 प्रतिशत ग्रामों में ही तार घरों की सुविधा प्राप्त है। अत दोनों विकास-खण्डों के लगभग 75 प्रतिशत ग्राम के लोगों को 5 किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है।

(स) **सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र** - तहसील के 0.75 प्रतिशत ग्रामों में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र विद्यमान है। इसमें विकास खण्ड सीखड़ के 1.56, राजगढ़ के 1.2 और नरायनपुर तथा जमालपुर के 0.5 प्रतिशत ग्राम में सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र अवस्थित हैं। दूरभाष की सुविधा हेतु जहां सीखड़ के 42.19 प्रतिशत के ग्राम के लोगों को 5 किमी से अधिक दूरी तय करनी पड़ती है वहीं जमालपुर के 92.92 प्रतिशत ग्रामों को यह दूरी तय करनी पड़ती है। नरायनपुर एवं सीखड़ में क्रमशः 59.14 एवं 84.34 प्रतिशत ग्रामों को 5 किमी से अधिक दूरी पर यह सुविधा उपलब्ध हो पाती है।

6.8.2 जन-संचार - जन संचार माध्यमों में रेडियो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह विभिन्न समाचार बुलेटिनों, विज्ञापनों, प्रायोजित कार्यक्रमों आदि द्वारा सूचनाओं एवं घटनाओं का संचार करता है। इसकी कीमत सामान्य होने के कारण ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति भी इसे खरीदने में सक्षम होता है। चुनार जैसे पिछड़े प्रदेशों के सन्दर्भ में यह सर्वाधिक उपयुक्त संचार माध्यम है। प्रायः तहसील के प्रत्येक छोटे-बड़े घरों में यह प्राप्त होती है।

रेडियो के पश्चात् मुद्रण (समाचार पत्र एवं सामसामयिक पत्रिकाएं) दूसरा महत्वपूर्ण संचार का माध्यम है किन्तु चुनार जैसे पिछड़े प्रदेश के सन्दर्भ में अभी तक यह महत्वहीन है। इसका कारण एक तो यह है कि दूरस्थ एकांकी ग्रामों में समुचित परिवहन व्यवस्था के अभाव में यह उपलब्ध नहीं हो पाता। दूसरे, तहसील की जनसंख्या का एक वृहद भाग अशिक्षित

होने के कारण इससे बंचित हो जाता है। अतः तहसील में मुद्रण का महत्व उत्तरी मैदानी भागों (जहां साक्षरता एवं परिवहन साधनों का प्रतिशत अधिक है) एवं विभिन्न सेवा केन्द्रों तक ही सीमित है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ एवं इलाहाबाद आदि से प्रकाशित होने वाले दैनिक जागरण, अमृत प्रभात, आज आदि समाचार पत्र एवं मनोरमा कादम्बिनी, सत्यकथा जैसी पत्रिकाएं तहसील की मुख्य बस्तियों के दुकानों एवं शिक्षण संस्थानों में दृष्टगत होते हैं।

वर्तमान में दूरदर्शन सबसे प्रभावशाली जनसंचार माध्यम है। यह सूचनाओं एवं घटनाओं को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत कर लोगों को भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है। यद्यपि तहसील के लगभग सभी भागों में दूरदर्शन प्रसारण देखा जा सकता है किन्तु प्रदेश के सभी ग्रामों में विद्युतीकरण न हो पाने के कारण तहसील के केवल उत्तरी भाग में इसका प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन सेट अत्यन्त मंहगा होने के कारण यह चुनार जैसे पिछड़े प्रदेश की जनता की क्रयशक्ति के बाहर की वस्तु है ।

दूरदर्शन एवं विडियो के विकास के पूर्व सिनेमा ही घटनाओं को चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का एक मात्र साधन था। किन्तु वर्तमान में इसका महत्व कुछ कम हुआ है। सिनेमा के माध्यम से देश/विदेश के अनेक प्राकृतिक भू-दृश्यों का अवलोकन सहज ही किया जा सकता है और साथ ही विभिन्न मानवीय संस्कृतियों का तुलनात्मक प्रतिरूप प्रदर्शित हो जाता है। तहसील में कुल 3 सिनेमा घर उपलब्ध है जो चुनार, अहरौरा एवं जमालपुर में अवस्थित हैं। तहसील के दक्षिणी भाग में सिनेमाघरों के अभाव के कारण यहां की जनता इस सुविधा से अभी तक बंचित है और यही कारण है कि यहां के लोग अपनी रूढ़िवादी मान्यताओं को तोड़ न पाने के कारण सांस्कृतिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं।

6.9 संचार-नियोजन

तहसील में संचार साधनों की न्यूनता एवं असन्तुलित वितरण को देखते हुए उनकी संख्या में वृद्धि एवं विकास हेतु 10 वर्षीय संचार नियोजन प्रस्तुत है -

(1) तहसील की 1000 से ऊपर आबादी वाले प्रत्येक ग्राम-सभाओं में 1 डाकघर की

व्यवस्था अनिवार्यतः होनी चाहिए। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी भी बस्ती को डाक सेवा हेतु 3 किमी से अधिक दूरी न तय करना पड़े।

2. प्रत्येक न्याय पंचायत केन्द्र एवं सेवा केन्द्र पर कम से कम । तारघर एवं एक दूरसंचार केन्द्र हों और वे आपस में सम्बद्ध हों।

3. तहसील के प्रत्येक न्याय पंचायत में एक पुस्तकालय एवं प्रत्येक ग्राम सभा में एक वाचनालय हो जहां पुस्तकों के अतिरिक्त समाचार-पत्र एवं पत्र-पत्रिकाएं उपलब्ध हो सकें।

4. प्रत्येक ग्राम सभाओं में दो दूरदर्शन सेटों की व्यवस्था सरकारी तौर पर की जानी चाहिए। इसमें एक ग्राम प्रधान के माध्यम से उपलब्ध कराया जा सकता है जिसका प्रयोग ग्राम के प्रौढ़ लोग कृषि, उद्योग, व्यापार-वाणिज्य सम्बन्धित जानकारी प्राप्त करने हेतु कर सकते हैं और दूसरा प्राथमिक शिक्षण संस्थानों के माध्यम से - जिसमें ग्राम के शिशु शिक्षक के माध्यम से शिक्षा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

5. चुनार में एक उच्च स्तरीय एवं मधुपुर में एक सामान्य स्तरीय सिनेमाघर का निर्माण कराना चाहिए। मधुपुर का सिनेमाघर सरकारी क्षेत्र में होना चाहिए जो मनोरंजन कर मुक्त हो, जिससे तहसील के दक्षिणी भाग की सामान्य जनता इसका उपयोग कर सके।

सन्दर्भ

1. **वर्मा, राम विलास :** 'भारत का भौगोलिक विवेचन', जनवरी 1977 किताब घर, आचार्य नगर, कानपुर-3, पृष्ठ 539.

2. **मौर्य, रमा शंकर:** 'पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास नियोजन टांडा तहसील (उ0प्र0) का विशेष अध्ययन' अप्रकाशित डी0फिल0 थीसिस, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, 1992, पृ0 161.

3. *Thomas, **R.L.**: 'Transportation and Development of Malaya A.A.A.G. Vol. 65, No.2, June 1975, p.279.*

4. ***Qureshi,** M.H.: 'India: Resources and Regional Development N.C.E.R.T., New Delhi, 1990, p.60.*

5. *Ibid.*

6. **Singh, J.:** *Parivahan and Vyapar Boogal, Uttar Pradesh Hindi Sansthan, Lucknow, 1977, p.48.*

7. *Op.cit. fn 2 p. 176.*

8. **Babu,R.:** *Micro-Level Planning - A case study of Chhibramau Tahsil, Unpublished Ph.D. Thesis, Geog. Deptt., Allahabad Univesity, 1981, p.244.*

9. *Ibid, p. 245.*

10. *Ibid.*

****

अध्याय सात

शिक्षा एवं स्वास्थ्य नियोजन

7.1 प्रस्तावना

मानव जीवन के विकास में शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्राथमिक चरण हैं क्योंकि उनकी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजैनैतिक गतिविधियाँ इसी के अनुरूप प्रस्फुटित होती हैं । जिस प्रकार मानव अस्तित्व के लिए भोजन, वस्त्र एवं मकान आवश्यक है उसी प्रकार एक स्वस्थ्य समाज के लिए शिक्षा एवं स्वास्थ्य भी आवश्यक है ।

प्रत्येक देश में औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक उत्थान में वहाँ की जनसंख्या में शिक्षा का विसरण एवं साक्षरता अनिवार्य कारक रहे हैं । आधुनिक समाज में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समृद्ध एवं सुसंस्कृत जीवन हेतु शिक्षा मूलभूत आवश्यकता है । वर्तमान जटिल वैज्ञानिक युग में जीवन की मूलभूत् आवश्यकताओं - भोजन, वस्त्र एवं आवास - की व्यवस्था-हेतु भी शिक्षा एवं साक्षरता दोनों अपरिहार्य हैं । इसके लिए पठन एवं लेखन का केवल प्राथमिक ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है अपितु उच्च शैक्षणिक स्तर का होना भी नितान्त आवश्यक है ।[1] शिक्षा से मनुष्य में ज्ञान प्राप्त होता है । ज्ञान अथवा विद्या से मुक्ति प्राप्त होती है तथा मनुष्य अपने जीवन में निपुणता प्राप्त करता है ।[2] प्राचीन मनीषियों ने ज्ञान को तृतीय नेत्र माना है ।[3] भारत में प्राचीन समय से ही ज्ञान का उत्कृष्ट विकास होते हुए भी यहाँ की अधिकांश जनसंख्या निरक्षर एवं सीमित ज्ञानयुक्त रही है ।[4] चुनार तहसील जो उत्तर - प्रदेश के मिर्जापुर जनपद का एक छोटा भू-भाग है, इस दृष्टिकोण से बहुत पिछड़ा हुआ है। स्वतन्त्रता के 45 वर्ष बाद भी यहां शैक्षणिक विकास की किरणें बहुत मन्द हैं । अतः शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए इसके विकास के लिए प्रयास करना न्यायोचित है ।

शिक्षा की ही भाँति स्वास्थ्य का भी अपना महत्व है । स्वास्थ्य मनुष्य के मूलभूत् अधिकारों में से एक है । इस सिद्धान्त का समर्थन संयुक्त राष्ट्र-संघ और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी किया है ।[5] वस्तुतः स्वास्थ्य, रोग अथवा शिथिलता की अनुपस्थिति मात्र नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक सभी दृष्टियों से पूरी तरह ठीक रहने को ही स्वास्थ्य कहते हैं । इस दृष्टिकोण से किसी भी प्रदेश में विभिन्न

स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है, इनमें - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृशिशु कल्याण केन्द्र परिवार नियोजन केन्द्र, अस्पताल आदि प्रासंगिक हैं । तहसील में निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत वर्तमान जनसंख्या के सन्दर्भ में इन केन्द्रों की न्यूनता परिलक्षित होती है । अतः प्रदेश में इनकी पर्याप्त संख्या तथा उनके सन्तुलित वितरण की अत्यधिक आवश्यकता है ।

तहसील में शिक्षा एवं स्वास्थ्य का सही विकास नियोजन के माध्यम से ही संभव है । अतः इस अध्याय में शिक्षा एवं स्वास्थ्य-नियोजन की एक सम्यक् रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ।

शिक्षा

7.2 साक्षरता

साक्षरता का गरीबी उन्मूलन, मानसिक पृथक्कता-समाप्तीकरण, शान्तिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के निर्माण और जनसांख्यिकी प्रक्रिया की स्वतन्त्र-क्रियाशीलता में भारी महत्व है ।[6] संयुक्त राष्ट्रसंघ के शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन ने साक्षरता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि किसी एक भाषा में सामान्य सन्देश पढ़-लिख सकने वाला व्यक्ति साक्षर है । भारत में भी सामान्यतः पढ़-लिख सकने वाले व्यक्ति को ही साक्षर कहते हैं ।

जनगणना 1991 के प्रारम्भिक आंकड़ों के अनुसार चुनार तहसील में 35.78 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित हैं । यह उत्तर प्रदेश (41.70) एवं भारत (52.11) के साक्षरता प्रतिशत से बहुत कम है । तहसील में पुरूषों के साक्षरता का अनुपात 47.51 तथा महिलाओं का 22.61 प्रतिशत है । इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं अभी तक अपने रूढ़िवादी परम्पराओं से बाहर नहीं निकल पायी हैं और साथ ही यहाँ महिला शिक्षण संस्थानों का सर्वथा अभाव है । चुनार तहसील के नगरीय क्षेत्रों में जहाँ 44.77 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षित है वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 35.78 प्रतिशत लोग ही शिक्षित हैं । इस तथ्य से यह सूचना मिलती है कि यहां ग्रामीण क्षेत्रों के साथ ही साथ नगरीय क्षेत्रों में भी साक्षरता का प्रतिशत न्यून है । इसका सामान्य कारण यह है कि नगर में रहने वाले लोग अपने पारम्परिक निम्नस्तरीय व्यवसायों

में संलग्न हैं जो अर्थ (*Money*) को शिक्षा से अधिक महत्व देने के कारण अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराने के प्रति बहुत सचेष्ट नहीं हैं ।

तालिका 7.1

चुनार तहसील में साक्षरता प्रतिशत, 1991

न्याय पंचायत	कुल साक्षरता	पुरूष साक्षरता	स्त्री साक्षरता
(1)	(2)	(3)	(4)
1. चकसरिया	33.78	44.92	21.34
2. पटिहटा	26.59	37.60	13.91
3. खनजादीपुर	50.72	61.38	38.04
4. तेन्दुआ कला	21.65	31.22	11.05
5. रामपुर-शक्तेशगढ़	21.68	32.63	9.06
6. वट-वन्तरा	27.95	39.77	14.69
7. बगहा	46.30	58.93	32.52
8. सीखड़	43.95	55.85	30.57
9. मेड़ियॉ	52.09	64.84	38.38
10. धनैता	37.47	51.29	22.06
11. हांसीपुर	48.22	61.66	33.94
12. आ0ला0 सुल्तानपुर	32.16	46.35	16.76
13. सरॉय टेकौर	23.61	36.89	12.65
14. जलालपुर मैदान	37.56	48.46	25.15
15. पचेवरा	48.93	60.83	35.38
16. नियामतपुर कला	44.73	56.91	31.05
17. चन्दापुर	46.89	60.01	32.70
18. शेरपुर	40.62	53.47	26.02
19. बगहीं	63.16	87.64	36.07

•क्रमश:

21. देवरिया	36.60	46.90	25.03
22. कोलना	43.18	54.05	31.23
23. ग रौडी	38.54	48.65	27.34
24. घाटमपुर	34.34	46.50	20.41
25. लालपुर अधवार	40.06	50.97	28.13
26. बरईपुर	31.73	43.52	17.76
27. रेरूपुर	33.52	46.70	18.64
28. जयपट्टी कला	33.13	46.49	18.02
29. जमालपुर	27.32	36.96	16.45
30. ओढ़ी	27.23	36.41	17.21
31. बहुआर	26.09	33.93	16.96
32. हाजीपुर	38.10	54.06	20.70
33. डोहरी	29.90	39.33	18.83
34. रोशनहर	20.23	29.27	9.88
35. भुइली खास	27.23	41.01	11.98
36. ढेलवासपुर-ककराही	33.75	43.04	23.41
37. लठिया सहजनी	26.94	35.62	17.50
38. मदापुर-डकही	26.81	39.25	12.60
कुल ग्रामीण क्षेत्र	34.90	46.65	21.75
नगरीय क्षेत्र	44.78	56.19	31.69
चुनार तहसील	35.78	47.51	22.61

स्रोत : तहसील प्रारम्भिक जनगणना हस्तलिखित पुस्तिका, 1991

TAHSIL CHUNAR
LITERACY DISTRIBUTION
1991
N
LITERACY IN PER CENT
< 30
30 - 40
40 - 50
50 - 60
> 60
3 0 3 6 9
Km

Fig·7·1

तालिका 7.1 से ज्ञात होता है कि चुनार तहसील में सर्वाधिक साक्षरता न्याय पंचायत बगहीं में 63.16 प्रतिशत है । यहाँ 87.64 प्रतिशत पुरूष तथा 36.07 प्रतिशत महिलाएँ शिक्षित हैं । तत्पश्चात् मेडियां, खनजादीपुर, पचेवरा एवं हांसीपुर का स्थान है जहां साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 52.09, 50.72, 48.93 तथा 48.22 है । तहसील के कुल 16 न्याय पंचायतों में साक्षरता का प्रतिशत तहसील के साक्षरता प्रतिशत (35.78) से अधिक है । तहसील में न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत न्याय पंचायत रोशनहर में 20.23 है तत्पश्चात् तेन्दुआ कला एवं रामपुर-शक्तेशगढ़ में क्रमशः 21.65 एवं 21.68 है ।

तहसील में सबसे अधिक शिक्षित पुरूषों का अनुपात न्याय पंचायत बगहीं में 87.64 है, तत्पश्चात मेड़ियां (64.84) एवं हांसीपुर (61.66) का स्थान है । न्याय पंचायत रोशनहर में साक्षर पुरूषों का प्रतिशत सर्वाधिक न्यून (29.27) है । महिलाओं के साक्षरता प्रतिशत के दृष्टिकोंण से खनजादीपुर प्रथम, मेड़िया द्वितीय एवं बगहीं तृतीय स्थान पर है । इन न्याय पंचायतों में महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत क्रमशः 38.42, 38.38 एवं 36.07 है । तहसील के कुल 16 न्याय पंचायतों में महिलाओं का साक्षरता प्रतिशत तहसील के साक्षरता प्रतिशत से अधिक है । तहसील में सबसे कम महिला साक्षरता न्याय पंचायत रामपुर-शक्तेशगढ़ में 9.09 प्रतिशत है, तत्पश्चात तेन्दुआ कला (11.05) तथा रोशनहर (11.98) का स्थान है । तहसील के कुल 22 न्याय पंचायतों में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत तहसील के साक्षरता प्रतिशत से कम है । स्मरणीय है कि स्त्री-पुरूष दोनों का साक्षरता प्रतिशत 16 न्याय पंचायतों में तहसील के साक्षरता प्रतिशत से अधिक एवं 22 न्याय पंचायतों में कम है किन्तु न्याय पंचायतों का स्थान परिवर्तित हो गया है । इससे यह भी ज्ञात होता है कि तहसील में शैक्षणिक दृष्टिकोंण से क्षेत्रीय विषमता व्याप्त है (चित्र 7.1) ।

7.3 वर्तमान शिक्षा का प्रतिरूप

वर्तमान में शिक्षा प्राप्त करने के दो तरीके व्यवहृत हैं - औपचारिक शिक्षा एवं अनौपचारिक शिक्षा । औपचारिक शिक्षा से आशय स्कूली शिक्षा से है जब कि अनौपचारिक शिक्षा स्कूल से बाहर किसी विशेष वर्ग के लोगों को एक समय में विशेष प्रयोजन हेतु दी जाती है ।

TAHSIL CHUNAR
EDUCATIONAL FACILITIES
N
Kalhat
Chunar
Adalhat
Ahraura
EDUCATIONAL FACILITIES
EXISTING
PROPOSED
MIDDLE SCHOOL
HIGHER SECONDARY SCHOOL
DEGREE COLLEGE
TECHNICAL INSTITUTION
3 0 3 6 9
Km

Fig.7·2

7.3.1 औपचारिक शिक्षा

तहसील में औपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय, जूनियर बेसिक विद्यालय एवं हायर सेकण्डरी विद्यालयों को समाहित किया गया है ।

(अ) **जूनियर बेसिक विद्यालय** - सन् 1990 के आंकड़ों के अनुसार चुनार तहसील में कुल 337 जूनियर बेसिक विद्यालय हैं और इनका घनत्व 0.7 प्रति हजार है । इन विद्यालयों में 48,841 विद्यार्थी पढ़ते हैं जिनमें 37.81 प्रतिशत छात्राएँ तथा 17.19 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राएँ हैं । यहाँ कुल 1118 शिक्षक हैं जिसमें 28.53 प्रतिशत शिक्षिकाएं हैं । तहसील में शिक्षक एवं छात्रों का अनुपात 1:44 तथा विद्यालय - छात्र अनुपात 1:145 है ।

तालिका 7.2 से स्पष्ट है कि तहसील में सर्वाधिक प्राथमिक विद्यालय (115) विकास-खण्ड जमालपुर में है जहाँ 16052 छात्र अध्ययनरत हैं जब कि सर्वाधिक विद्यार्थी (17,300) विकास-खण्ड नरायनपुर में हैं जो 113 विद्यालयों में अध्ययनरत हैं । विकासखण्ड सीखड़ एवं राजगढ़ में क्रमशः 48 एवं 61 मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं । इन विकास-खण्डों में विद्यालयों की संख्या कम होने का कारण यह है कि सीखड़ एक छोटा भू-भाग है और राजगढ़ का एक भाग मड़िहान तहसील में समाहित होने के साथ ही यहाँ पठारी भू-भाग होने के कारण आबादी भी कम है । यही कारण है कि विकास-खण्ड सीखड़ के जहाँ 48 विद्यालयों में 8270 विद्यार्थी हैं वहीं राजगढ़ के 61 विद्यालयों में मात्र 7219 विद्यार्थी हैं । तहसील में छात्राओं , अनुसूचित जाति/जनजातियों एवं शिक्षिकाओं की दृष्टि से सीखड़ की स्थिति अन्य विकास-खण्डों की अपेक्षा बेहतर है । तालिका 7.2 के आधार पर शिक्षक छात्र अनुपात एवं विद्यालय-छात्र अनुपात की स्थिति विकासखण्ड राजगढ़ में अच्छी कही जा सकती है किन्तु वास्तविक रूप से देखा जाय तो यह जन-घनत्व की विरलता एवं पढ़ने वाले छात्रों की कमी का अप्रत्यक्ष परिणाम है ।

(ब) **सीनियर बेसिक विद्यालय** - तहसील में कुल सीनियर विद्यालयों की संख्या 71 है, जिनमें 23 बालिका विद्यालय हैं । तहसील में विद्यालय-घनत्व 0.14 प्रति हजार व्यक्ति

तालिका 7.2 (अ)

चुनार तहसील में प्राथमिक विद्यालयों का वर्तमान प्रतिरूप, 1990

विकासखण्ड	मान्यता प्राप्त स्कूल			छात्र			शिक्षक		शिक्षक-छात्र अनुपात	विद्यालय छात्र अनुपात
	कुल स्कूल	बालिका स्कूल	स्कूल घनत्व (प्रति हजार-व्यक्ति)	कुल छात्र	छात्राओं का प्रतिशत	अनुसूचित जाति - जनजाति छात्र-छात्राओं का प्रतिशत	कुल शिक्षक	स्त्री शिक्षकों का प्रतिशत		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सीखड़	48	-	0.69	8,270	40.51	26.29	181	53.59	1:44	1:172
नरायनपुर	113	-	0.77	17,300	39.65	13.17	361	36.57	1:48	1:153
जमालपुर	115	-	0.70	16,052	36.60	11.69	375	17.87	1:43	1:140
राजगढ़	61	-	0.60	7,219	32.97	19.12	201	11.44	1:36	1:118
चुनार तहसील	337	-	0.70	48,841	37.81	17.19	1118	28.53	1:44	1:145

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, जनपद मिर्जापुर 1990 द्वारा संगणित ।

है । इन विद्यालयों में 12919 छात्र अध्ययनरत हैं जिनमें 33.58 प्रतिशत छात्राएँ एवं 11.46 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की छात्र-छात्राएं हैं । तहसील में कुल शिक्षकों की संख्या 342 है जिनमें 38.3 प्रतिशत शिक्षिकाएँ हैं । यहाँ शिक्षक-छात्र एवं विद्यालय छात्र अनुपात क्रमशः 1:38 तथा 1:201 है ।

चुनार तहसील में सर्वाधिक विद्यालय विकास-खण्ड नरायनपुर (26) में है । यहाँ विद्यालय - घनत्व 0.18 प्रति हजार व्यक्ति है । तहसील में सबसे कम घनत्व विकास-खण्ड राजगढ़ में 0.50 है । चुनार ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में विद्यालय घनत्व क्रमशः 0.14 एवं 0.11 प्रति हजार है । कुल छात्रों की संख्या एवं छात्राओं के प्रतिशत की दृष्टि से नरायनपुर तहसील प्रथम स्थान पर है, तत्पश्चात् इन दोनों ही दृष्टिकोण से जमालपुर का स्थान है । तहसील में शिक्षित अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र छात्राओं का सर्वाधिक प्रतिशत विकास-खण्ड राजगढ़ (24.69) में और सबसे कम (8.47) विकास-खण्ड नरायनपुर में है । तहसील के जमालपुर विकास-खण्ड में कुल 115 शिक्षकों में 40 प्रतिशत शिक्षिकाएँ हैं । शिक्षिकाओं के प्रतिशत की दृष्टि से सीखड़ का द्वितीय स्थान है । यहाँ कुल 71 शिक्षकों में 39.44 प्रतिशत शिक्षिकाएं हैं । तहसील में शिक्षिकाओं का सबसे कम प्रतिशत राजगढ़ (39.44) में है तत्पश्चात नरायनपुर (37.8) का स्थान है । तहसील में शिक्षक-छात्र एवं विद्यालय - छात्र अनुपात - दोनों ही दृष्टियों से जमालपुर की स्थिति सन्तोषजनक कही जा सकती है । यहाँ इनका अनुपात क्रमशः 1:26 तथा 1:118 है । इस दृष्टि से नरायनपुर की स्थिति सबसे दयनीय है । यहाँ इनका अनुपात 1:55 और 1:268 है । चुनार के ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में शिक्षक-छात्र अनुपात लगभग बराबर है किन्तु नगरीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की भीड़ अधिक (1:277) है ।

(स) हायर सेकेण्डरी स्कूल - चुनार तहसील में कुल 32 हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं जिसमें 6 स्कूल नगरीय क्षेत्र में हैं । यहाँ बालिका विद्यालयों की कुल संख्या 7 है । तहसील में हायर सेकेण्डरी स्कूलों का घनत्व 0.05 प्रति हजार व्यक्ति है । इन 32 विद्यालयों में कुल 11766 छात्र अध्ययनरत हैं जिसमें 31.5 प्रतिशत छात्राएँ तथा 12.18 प्रतिशत अनूसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राएँ हैं । तहसील के इन विद्यालयों में कुल 607 शिक्षक है जिनमें 20.59 प्रतिशत शिक्षिकाएँ हैं । प्रदेश में शिक्षक-छात्र एवं विद्यालय-छात्र अनुपात क्रमशः

तालिका 7.2 (ब)

चुनार तहसील में सीनियर बेसिक विद्यालयों की वर्तमान स्थिति, 1990

विकासखण्ड	मान्यता प्राप्त स्कूल			छात्र			शिक्षक		शिक्षक-छात्र अनुपात	विद्यालय-छा अनुपात
	कुल स्कूल	बालिका स्कूल	स्कूल घनत्व (प्रति हजार-व्यक्ति)	कुल छात्र	छात्राओं का प्रतिशत	अनुसूचित जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं का प्रतिशत	कुल शिक्षक	स्त्री शिक्षकों का प्रतिशत		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सीखड़	10	4	0.14	1,885	29.71	15.12	71	29.44	1:27	1:189
नरायनपुर	26	9	0.18	6,970	36.84	8.47	127	37.80	1:55	1:268
जमालपुर	25	9	0.15	2,950	31.53	11.19	115	40.00	1:26	1:118
राजगढ़	5	1	0.50	1,114	25.14	24.69	29	31.03	1:38	1:223
चुनार (ग्रामीण)	66	23	0.14	12,919	33.58	11.46	342	38.30	1:38	1:196
(नगरीय)*	5	1	0.11	1,385	41.50	9.10	37	40.50	1:37	1:277
चुनार तहसील	71	24	0.39	1,4,304	34.39	11.22	379	38.52	1:38	1:201

* नगरीय आंकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित हैं ।

स्रोत: सांख्यिकी पत्रिका, मिर्जापुर जनपद, 1990 द्वारा संगणित है।

तहसील में विकास-खण्ड नरायनपुर के सर्वाधिक 14 विद्यालयों में कुल 6458 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं । यहाॅ विद्यालयों का घनत्व 0.10 प्रति हजार व्यक्ति है । तत्पश्चात सीखड़ के जहाॅ 4 विद्यालयों में 2376 विद्यार्थी अध्ययनरत है वहीं जमालपुर के 5 विद्यालयों में 1672 एंव राजगढ़ के तीन विद्यालयों में 1260 विद्यार्थी अध्ययन करते हैं । इससे यह स्पष्ट होता है कि सीखड़ में प्रति विद्यालय छात्रों की संख्या अधिक है किन्तु विद्यालयों के घनत्व से पता चलता है कि यह आधिक्य विद्यालयों की कमी के कारण नहीं है वरन् यहाॅ पढ़ने वालों का प्रतिशत अधिक है । इन तीनों विकास-खण्डों में विद्यालय घनत्व क्रमशः 0.06, 0.03 एवं 0.03 प्रति हजार है । विकासखण्ड सीखड़ में अध्ययनरत छात्रों की संख्या तहसील में सर्वाधिक 44.61 प्रतिशत है जबकि राजगढ़ में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं का प्रतिशत अधिकतम 19.92 है । तहसील में महिला शिक्षकों का सर्वाधिक अनुपात जमालपुर में 25.86 प्रतिशत है, तत्पश्चात सीखड़ (24.59 प्रतिशत) का स्थान है । प्रदेश में शिक्षक-छात्र अनुपात सर्वाधिक नरायनपुर में 1:17 तथा विद्यालय-छात्र अनुपात जमालपुर में 1:334 है । तहसील के नगरीय क्षेत्र में विद्यालय घनत्व (0.13) ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है किन्तु इनमें अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्र-छात्राओं का प्रतिशत अपेक्षाकृत न्यून है । इससे यह सूचित होता है कि इस वर्ग के सामान्य छात्र शहर में शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं । ग्रामीण प्रदेशों में शिक्षा की सुविधा न होने पर इस वर्ग के छात्र शिक्षा ग्रहण करने से वंचित हो जाते हैं ।

मानचित्र 7.2 से स्पष्ट है कि विकासखण्ड सीखड़ एवं नरायनपुर में विद्यालयों का वितरण लगभग समान है किन्तु राजगढ़ के दक्षिणी पठारी भागों (न्याय पंचायत रामपुर-शक्तेशगढ़, वट-वन्तरा, तेन्दुआ कला एवं दक्षिणी पटिहटा) एवं दक्षिणी जमालपुर (रोशनहर, मदापुर डकही) में इनका घनत्व विरल है । इसका प्रमुख कारण जन-घनत्व की न्यूनता एवं सांस्कृतिक पिछड़ापन है ।

तालिका 7.2 (स)

चुनार तहसील में हायर सेकेण्डरी स्कूलों की वर्तमान स्थिति, 1990

विकासखण्ड	मान्यता प्राप्त स्कूल			छात्र			शिक्षक		शिक्षक-छात्र अनुपात	विद्यालय-छात्र अनुपात
	कुल स्कूल	बालिका विद्यालय	स्कूल घनत्व (प्रति हजार-व्यक्ति)	कुल छात्र	छात्राओं का प्रतिशत	अनु0जाति/जनजाति छात्र-छात्राओं का प्रतिशत	कुल शिक्षक	स्त्री शिक्षकों का प्रतिशत		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
सीखड़	4	2	0.06	2,376	44.61	14.56	122	24.59	1:20	1:594
नरायनपुर	14	3	0.10	6,458	35.09	10.10	376	21.28	1:18	1:461
जमालपुर	5	1	0.03	1,672	6.64	13.46	58	25.86	1:29	1:334
राजगढ़	3	-	0.03	1,260	19.92	16.67	51	-	N.A.	1:420
चुनार(ग्रामीण)	26	6	0.05	11,766	31.35	12.18	607	20.59	1:19	1:453
(नगरीय *)	6	1	0.13	2,995	39.50	9.50	126	23.70	1:24	1:499
चुनार तहसील	32	7	0.06	14,761	34.98	10.63	733	21.14	1:20	1:461

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, मिर्जापुर जनपद 1990 द्वारा संगणित ।

N.A. उपलब्ध नहीं ।

* नगरीय क्षेत्र के आंकड़े व्यक्तिगत सर्वेक्षण पर आधारित है ।

7.3.2 अनोपचारिक शिक्षा

अनोपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रौढ़ शिक्षा, महिला शिक्षा एवं प्राविधिकी शिक्षा को समाहित किया गया है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के पीछे सरकार का उद्देश्य यह है कि देश के सभी नागरिक राष्ट्रीय विकास में समान रूप से सहभागी बन सकें। नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का 'राष्ट्रीय साक्षरता मिशन' नामक एक विशद कार्यक्रम तैयार किया है जिसका लक्ष्य 15-35 वर्ष की आयु वर्ग के निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर बनाता है।[8] चुनार तहसील में कुल 536 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र हैं जिनमें सर्वाधिक 199 विकास खण्ड जमालपुर में है, तत्पश्चात नरायनपुर में इनकी संख्या 186, राजगढ़ में 87 एवं सीखड़ में 64 है। तहसील के सभी प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र 5 किमी से अधिक दूरी पर अवस्थित हैं। तहसील में एक उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र और एक सेन्य प्रशिक्षण (पी0एस0सी0) केन्द्र है। उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र शिवशंकरी धाम (केलहट) एवं रघु ट्रेनिंग सेन्टर (आर0टी0सी0) चुनार दुर्ग में अवस्थित हैं। चुनार तहसील में महिला शिक्षा केन्द्रों का सर्वथा अभाव है(चित्र 7.2)।

7.4 वर्तमान शिक्षा की समस्याएँ

तहसील में शिक्षा सम्बन्धित अनेक समस्याएं हैं जिनको स्पष्ट किये बिना इसके विकास-हेतु नियोजन प्रस्तुत करना समीचीन नहीं जान पड़ता है। अतः शिक्षा से सन्दर्भित वर्तमान समस्याओं पर संक्षिप्त टिप्पणी कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। तहसील में शिक्षा सम्बन्धित वर्तमान समस्याएं अधोलिखित हैं -

1. प्राथमिक स्तर पर, अभिभावक गण अशिक्षित एवं भौतिक वादी मनोवृत्ति के होने के कारण अपने बच्चों की शिक्षा के प्रति प्रायः तटस्थ होते हैं। परिणामस्वरूप शिक्षक भी अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार करने लगता है समय से विद्यालय न आना, समय से पहले विद्यालय बन्द कर देना, विद्यालय में अनुपस्थित रहना या विद्यालय में उपस्थित रहकर भी शिक्षण-कार्य को अपना कर्तव्य न समझना, इत्यादि विकार उसमें उत्पन्न हो जाता है। इसका एक अन्य कारण ग्रामीण जागरूकता का अभाव एवं ऊपर के अधिकारियों की शिथिलता भी है। उपर्युक्त सभी समस्याएं तहसील में सामान्य बात हैं। इनके अतिरिक्त सरकारी तौर पर विद्यालयों में शिक्षा के उचित प्रबंध का अभाव है। बहुत से विद्यालय केवल कागजों पर स्थापित हैं तो कुछ वृक्षों

के नीचे। परिणामस्वरूप मोसम प्रतिकूल होने पर अध्यापक छुट्टियां दे देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण संस्थानों में एक बड़ा दोष यह भी है कि प्रतिवर्ष बच्चों के ज्ञान का उचित आकलन किये बिना ही अगली कक्षा-हेतु उत्तीर्ण कर दिया जाता है। इससे बच्चों का शेक्षणिक आधार कमजोर हो जाता है तथा आगामी अपेक्षाकृत विस्तृत पाठ्यक्रम के दबाव को वे सहन नहीं कर पाते और शिक्षा लेने से कतराने लगते हैं। प्रदेश के जागरूक अभिभावक अपने बच्चों को बेसिक विद्यालयों के शेक्षणिक स्तर को देखते हुए नर्सरी एवं मान्टेसरी स्कूलों में भेजना अधिक पसन्द करते हैं। इससे दोहरी शिक्षा प्रणाली का जन्म होता है जो शिक्षा के सामान्य उद्देश्य - 'राष्ट्रीय विकास में सभी की समान सहभागिता' के सिद्धान्त के विरूद्ध है।

2. तालिका 7.2 के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के बाद लगभग 65 प्रतिशत छात्र पठन-पाठन छोड़कर घरेलू कार्यों में लग जाते हैं। जो विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा के बाद शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनमें अधिकतर सीनियर बेसिक विद्यालयों की अपेक्षा कालेजों में पढ़ना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि मिडिल स्कूल के शिक्षक छात्रों के साथ कालेजों के अपेक्षा कुछ कठोर व्यवहार करते हैं जबकि कालेजों में इस स्तर के विद्यार्थियों के प्रति शिक्षक बहुत सचेष्ट नहीं रहते । दूसरे, कालेजों में इन विद्यालयों की अपेक्षा छुट्टियां अधिक होने के कारण विद्यार्थी पढ़ने-लिखने से राहत पा जाते हैं।

3. उच्च माध्यमिक स्तर पर, सबसे बड़ी समस्या योग्य शिक्षकों का अभाव है। इसका प्रमुख कारण उनका दोषपूर्ण चयन प्रक्रिया है। साधारणतः प्रधानाचार्य, प्रबंध कमेटी अपने सगे-सम्बन्धियों को अथवा उस व्यक्ति को जो जातिगत एवं क्षेत्रगत समीकरण में सही बैठता हो और साथ ही चयन कमेटी द्वारा मांगी गयी धनराशि प्रदान कर सके, अस्थायी नियुक्ति प्रदान करता है जो बाद में स्थायी शिक्षक के रूप में स्थापित हो जाता है। दूसरे, कालेज स्तर पर छात्र किशोरावस्था में पदार्पण कर चुके होते हैं तथा इस स्थल पर अधिकतर कालेजों में छात्र-छात्राओं को साथ-साथ शिक्षा दी जाती है, परिणामस्वरूप दोनों में परस्पर आकर्षण बढ़ता है और छात्र इसे शिक्षा से अधिक महत्व देने लगते हैं जिससे उनके पठन-पाठन का स्तर गिरता जाता है। इस स्तर पर छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक आदि सभी कर्म (अध्ययन-अध्यापन) से

अधिक फल की इच्छा करते हैं, परिणामस्वरूप नकल करने एवं कराने की परम्परा का श्री गणेश होता है जो उनको आगामी उच्च शिक्षा अथवा प्रतियोगी परीक्षाओं तक पहुंचने से पहले विराम लगा देता है ।

4. चुनार तहसील में एक भी उच्च शिक्षा केन्द्र नहीं है; परिणामस्वरूप उच्च शिक्षा के इच्छुक अभ्यर्थियों को 35-40 किमी दूर वाराणसी अथवा मिर्जापुर की शरण लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में छात्राओं एवं सामान्य घर के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा ग्रहण करना प्राकृतिक रूप से प्रतिबंधित हो जाता है। तहसील में उच्च शिक्षा केन्द्रों के अभाव होने का मुख्य कारण क्षेत्रीय विधायकों की अयोग्यता एवं निष्क्रियता के साथ ही साथ क्षेत्रीय जनता में जागरूकता का अभाव है। लगातार विपक्षी दल का विधायक होने के कारण चुनार का विकास अवरूद्ध सा हो गया है। पांच लाख की आबादी वाले चुनार जेसे ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक प्रदेश में एक भी उच्च शिक्षा केन्द्र का न होना हमारे राजनेताओं के संकीर्ण मानसिकता का द्योतक है।

5. प्रदेश में एक उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र एवं एक सैन्य प्रशिक्षण (पी0एस0सी0) केन्द्र के अतिरिक्त कोई प्राविधिक अथवा तकनीकी शिक्षण केन्द्र नहीं है। पूरे तहसील में महिला शिक्षा केन्द्रों का अभाव है ।

6. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र केवल कागजों पर चल रहे हैं। इसका कोई प्रभाव तहसील में दृष्टिगत नहीं होता। तहसील का शायद ही कोई व्यक्ति इस सुविधा से अपने को साक्षर बना पाया हो ।

7.5 शैक्षणिक मानदण्ड

प्रतिशिक्षक छात्रों की संख्या क्या हो ? कोई विशिष्ट मान्य स्तर अब तक तय नहीं किया जा सका है। किन्तु शिक्षाविदों द्वारा भारत के सन्दर्भ में प्राथमिक विद्यालयों में प्रतिशिक्षक छात्रों की संख्या कम से कम 25 तथा अधिकतम 50 उचित बताया गया है। इसी प्रकार सेकेण्डरी विद्यालयों में प्रतिशिक्षक छात्रों की संख्या कम से कम 20 तथा अधिकतम 30, उचित बताया गया है।[9] इसी तरह राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय किसी

भी बस्ती से 1.5 किमी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए । मिडिल और हाईस्कूल क्रमशः 5 से 8 किमी से दूर नहीं होने चाहिए[10] ।

किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय मानदण्ड चुनार जैसे छोटे एवं पिछड़े प्रदेश के लिए अनुकूल हो । फिर भी राष्ट्रीय मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए तहसील की वर्तमान शैक्षणिक सुविधाओं के सन्दर्भ में तालिका 7.3 में शैक्षणिक मानदण्ड निर्धारित किया गया है ।

तालिका 7.3

चुनार तहसील के लिए शैक्षणिक मानदण्ड

	विद्यालयों का स्तर	शिक्षक-छात्र अनुपात	स्कूल-छात्र अनुपात
1.	जूनियर बेसिक विद्यालय	1:50	1:150
2.	सीनियर बेसिक विद्यालय	1:40	1:110
3.	हायर सेकेण्डरी विद्यालय	1:30	1:325

उक्त शैक्षणिक इकाइयों की अवस्थिति के सन्दर्भ में भी एक उचित मानदण्ड होना चाहिए । चुनार तहसील में यह अवस्थिति मानदण्ड बस्तियों की जनसंख्या, परिवहन साधन, साधनों की प्राकृति एवं किस्म शैक्षणिक इकाइयों की कार्यात्मक रिक्तता तथा उनके विशिष्ट जनसंख्याधार के सन्दर्भ में निर्धारित किया गया है । इस प्रकार कोई भी प्राथमिक विद्यालय 1.5 किमी से अधिक दूरी पर नहीं होना चाहिए । सीनियर बेसिक विद्यालयों की दूरी किसी भी बस्ती से 2 से 5 किमी के बीच होनी चाहिए । हायर सेकेण्डरी के सन्दर्भ में यह दूरी 5 से 8 किमी के बीच होनी चाहिए ।

7.6 जनसंख्या प्रक्षेपण एवं छात्रों की भावी संख्या

कोई भी भावी नियोजन किसी क्षेत्र के विकास में तभी प्रभावी हो सकता है जब उसके निर्माण में क्षेत्र की भावी जनसंख्या वृद्धि को भी ध्यान में रखा जाय। तहसील के जनसंख्या प्रक्षेपण में इस बात का ध्यान रखा गया है कि समय के साथ लोग परिवार नियोजन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करेंगे, किन्तु जनसंख्या वृद्धि वर्तमान दर से होती रहेगी। साथ ही जनसंख्या - वृद्धि चक्रवृद्धि दर से बढ़ेगी।

सर्वप्रथम जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर की गणना की गयी है। 1971 की जनसंख्या को आधार वर्ष तथा 1991 की जनसंख्या को अन्तिम वर्ष की जनसंख्या के रूप में प्रयोग किया गया है। यह गणना ग्रीब्स के निम्नलिखित सूत्र पर आधारित है[11]

$$v = \frac{(P_2 - P_1)/t}{(P_2 + P_1)/2} \times 100$$

जहां

r = ओसत वार्षिक वृद्धि दर

P_1 = प्रारम्भिक जनसंख्या आकार

P_2 = अन्तिम जनसंख्या आकार

t = समयावधि

उक्त सूत्र द्वारा गणना करने पर तहसील की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.27 प्रतिशत तथा चारों विकास खण्डों - सीखड़, नरायनपुर, जमालपुर एवं राजगढ़ की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्रमशः 1.96, 1.88, 2.1 और 2.76 है। नगर क्षेत्र में यह औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.66 प्रतिशत है। तत्पश्चात् इन दरों के आधार पर भावी जनसंख्या का अनुमान अधोलिखित सूत्र द्वारा संगणित किया गया है[12] -

$$A = P\left(1 + \frac{r}{100}\right)t$$

A = प्रक्षेपित जनसंख्या

P = वर्तमान जनसंख्या

t = वर्तमान तथा प्रेक्षित जनसंख्या के बीच की समयावधि

r = औसत वार्षिक वृद्धि दर

तालिका 7.4

चुनार तहसील तथा उनके विकास खण्डों का सन् 2001 के लिए प्रक्षेपित जनसंख्या

विकासखण्ड	जनसंख्या(1991)	औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)	जनसंख्या (2001)
सीखड़	70,023	1.96	83,389
नरायनपुर	1,47,028	1.88	1,77,129
जमालपुर	1,63,571	2.10	2,01,355
राजगढ़	1,01,085	2.76	1,32,717
ग्रामीण	4,81,707	2.10	5,94,590
नगरीय	46,741	3.66	66,841
चुनार तहसील	**5,28,448**	**2.27**	**6,61,431**

स्रोत: तहसील प्रारम्भिक जनगणना, हस्तलिखित पुस्तिका, 1991 के आधार पर संगणित ।

छात्रों की वार्षिक वृद्धि दर की गणना वर्ष 1971 से 1990 के मध्य 19 वर्षों के जनसंख्या - छात्र अनुपात का औसत निकालकर की गयी है। तत्पश्चात इस दर के आधार पर वर्ष 2001 हेतु प्रक्षेपित जनसंख्या के संदर्भ में जनसंख्या-छात्र अनुपात की संगणना की गयी है।

वर्ष 2001 में भावी छात्रों का अनुमान यह मानकर लगाया गया है कि तालिका 7.4 में प्रदर्शित औसत वार्षिक वृद्धि दर बिना किसी व्यवधान के निरन्तर जारी रहेगी।

तालिका 7.5

चुनार तहसील में कुल जनसंख्या में छात्रों का प्रतिशत

विद्यालय का स्तर	वर्ष 1971	1990	औसत वार्षिक वृद्धि %	(2001 अनुमानित) अनुमानित
जूनियर बेसिक विद्यालय	4.50	9.24	0.25	11.99
सीनियर बेसिक विद्यालय	1.25	2.71	0.08	3.59
हायर सेकेण्डरी विद्यालय	1.80	2.79	0 05	3.34

वर्ष 2001 में भावी छात्रों का अनुमान यह मानकर लगाया गया है कि तालिका 7.4 में प्रदर्शित ओसत वार्षिक वृद्धि दर बिना किसी व्यवधान के निरन्तर जारी रहेगी ।

7.7 शैक्षणिक नियोजन

तहसील में शिक्षा की वर्तमानस्थिति का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्र शैक्षणिक एवं सामाजिक दोनों ही रूपों में पिछड़ा हुआ है। सामाजिक विकास का सम्बन्ध प्रत्यक्षतः शिक्षा से होता है। अतः इस रूप में मानव जीवन के सर्वांगीण विकास में शिक्षा का स्थान और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आशय से तहसील का 10 वर्षीय शिक्षा-नियोजन प्रस्तुत है, जिसमें आगामी जनसंख्या दबाव को यथासंभव ध्यान में रखा गया है।

विभिन्न विद्यालयीय स्तर पर भावी छात्रों की संख्या, आवश्यक स्कूलों की संख्या, नये स्कूलों की संख्या तथा आवश्यक शिक्षकों की संख्या तालिका 7.6 में प्रदर्शित है। आवश्यक स्कूलों तथा आवश्यक शिक्षकों की गणना तालिका 7.3 में प्रदर्शित शैक्षणिक मानदण्डों के तहत की गयी है।

तालिका 7.6

चुनार तहसील में आवश्यक शैक्षणिक सुविधाएँ, 2001 ई0

विद्यालय का स्तर	छात्र संख्या			विद्यालय			शिक्षक		
	1990	2001	अतिरिक्त वृद्धि	1990	2001	अतिरिक्त वृद्धि	1990	2001	अतिरिक्त वृद्धि
जूनियर बेसिक विद्यालय	48,841	79,305	30,464	337	528	191	1118	2643	1525
सीनियर बेसिक विद्यालय	14,304	23,745	9,441	71	189	118	379	949	570
हायर सेकेण्डरी स्कूल	14,761	22,092	7,331	32	68	36	733	1005	272

स्रोत : तालिका 7.3 एवं 7.4 में दिये गये मानकों के सन्दर्भ में प्रक्षेपित जनसंख्या से संगणित ।

7.7.1 जूनियर बेसिक विद्यालय - सन् 2001 तक 30,464 विद्यार्थियों के बढ़ने की संभावना है। अत: प्राथमिक शिक्षा के उचित विकास के लिए 191 अतिरिक्त विद्यालय खोले जाने चाहिए जिसमें 49 स्कूल नगरीय क्षेत्र में और 142 स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वर्ष 2001 तक शैक्षणिक मानदण्डों के तहत शिक्षकों के सन्तुलित वितरण हेतु 1525 नये शिक्षकों की भर्ती करनी होगी ।

7.7.2 सीनियर बेसिक विद्यालय - विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या के तहत 9,441 नवागन्तुक विद्यार्थियों की व्यवस्था हेतु तथा पूर्व शिक्षण संस्थानों की संख्या में कमी को शैक्षणिक मानदण्डों के तहत पूर्ण करने के लिए 2001 तक 118 अतिरिक्त सीनियर बेसिक विद्यालय खोलने होंगे। इसमें 19 विद्यालय नगरीय क्षेत्र में एवं 99 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के 99 विद्यालयों में 18 विकास खण्ड राजगढ़ में, 32 जमालपुर में, 15 सीखड़ में, तथा शेष 34 नरायनपुर में होने चाहिए। इसमें हायर सेकेण्डरी से संलग्न सीनियर विद्यालय सम्मिलित नहीं हैं। तहसील में इस स्तर के सभी विद्यालयों में शिक्षकों की समुचित आपूर्ति हेतु सन् 2001 तक 570 अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति करनी होगी।

7.7.3 हायर सेकेण्डी विद्यालय - इस स्तर के विद्यालयों में सन् 2001 तक 7331 नये विद्यार्थियों के आने की संभावना प्रतीत होती है। अत: इस संख्या को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मानदण्डों के तहत शैक्षणिक सुधार हेतु 36 विद्यालय एवं 272 शिक्षकों की सन् 2001 तक व्यवस्था करनी होगी। इन 36 नये विद्यालयों में 2 नगरीय क्षेत्र में होना चाहिए शेष 34 में सीखड़ एवं राजगढ़ में 5-5, जमालपुर में 13 एवं नरायनपुर में 11 विद्यालय खोले जाने चाहिए।

7.7.4 उच्च शिक्षा केन्द्र - तहसील में एक भी उच्च शिक्षा केन्द्र नहीं है जिससे यहां उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अत: इस बात को ध्यान में रखकर कम से कम दो डीग्री कालेज चुनार एवं अहरौरा में सन् 2001 तक अवश्य खुल जाना चाहिए । चुनार डिग्री कालेज 1995 तक खुलना अति आवश्यक है बाद में इसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कालेज के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है।

7.7.5 तकनीकी शिक्षण संस्थान - सम्पूर्ण तहसील में तकनीकी प्रशिक्षण हेतु संस्थानों का

लगभग अभाव सा है। अतः तहसील में ओद्योगीकरण तथा कृषि के विकास हेतु सन् 2001 तक चुनार और अहरौरा में एक-एक लघु स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की अवस्थापना की जाय।

7.7.6 **अनौपचारिक शिक्षा** - तहसील में साक्षरता की न्यूनता को देखते हुए अनौपचारिक शिक्षा महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र के माध्यम से प्रौढ़ पुरूषों को व्यवसाय परक एवं आंगनवाणी के माध्यम से प्रौढ़ महिलाओं को स्वास्थ्य परक शिक्षा दिया जाना चाहिए। वास्तव में 'आंगनवाणी' संस्था को शैक्षणिक संस्था का स्वरूप भी दिया जाना चाहिए जिसमें प्रौढ़ महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। इसके अतिरिक्त इन दोनों संस्थानों में वैतनिक सुधार कर सक्रियता लाने की विशेष आवश्यकता है। साथ ही साथ उद्देश्य की सफलता का समय-समय पर मूल्यांकन होते रहना चाहिए। इन संस्थानों में विशेष रूप से शिक्षित बेरोजगारों को अवसर दिया जाना चाहिए ।

7.8 स्वास्थ्य सुविधाओं का वितरण

स्वास्थ्य सुविधा का वर्तमान प्रतिरूप उसके विकास के भावी नियोजन में सहायक हो सकता है। अतः इनका ज्ञान प्रासंगिक है। तहसील में विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धित सुविधाएं सुलभ हैं, किन्तु इनकी संख्या में कमी के साथ-साथ प्रदेश में इनका वितरण असमान है। स्वास्थ्य सुविधाओं के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र/परिवार नियोजन केन्द्र एवं अस्पताल तथा डिस्पेंसरी सम्मिलित हैं।

7.8.1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

चुनार तहसील में वर्तमान में कुल 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, इसमें सर्वाधिक जमालपुर में 3, नरायनपुर एवं सीखड़ में 2-2 तथा राजगढ़ में 1 केन्द्र कार्यरत हैं। तहसील के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत केवल एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित है। इस प्रकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का वितरण तहसील में लगभग समान है किन्तु इसका घनत्व अत्यन्त विरल है। यहां प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 52,844 व्यक्तियों को सेवा प्रदान करता है ।

TAHSIL CHUNAR
MEDICAL FACILITIES
N
Narainpur
Jamalpur
Sikhar
Chunar
Adalhat
Ahraura
Rampur Suketesh Garh
Madhupur
MEDICAL FACILITIES
EXISTING
PROPOSED
PRIMARY HEALTH CENTRE
HOSPITAL/DISPENSARY
COMMUNITY HEALTH CENTRE
MAIN WELFARE CENTRE
SUB-WELFARE CENTRE
3 0 3 6 9
Km

Fig·7·3

7.8.2 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/परिवार नियोजन केन्द्र

तहसील में 3 मुख्य मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/परिवार नियोजन केन्द्र एव 89 उपकेन्द्र कार्यरत हैं। यद्यपि तहसील के सभी विकास-खण्डों में एक-एक मुख्य केन्द्र हैं किन्तु राजगढ़ का यह केन्द्र तहसील मड़िहान के अन्तर्गत अवस्थित है। उपकेन्द्रों की संख्या जमालपुर में सर्वाधिक 37 तथा नरायनपुर, सीखड़ एवं राजगढ़ में क्रमशः 27, 12 और 11 है। तहसील में दो उपकेन्द्र नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। मुख्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के योग के आधार पर इनका प्रादेशिक घनत्व 5744 व्यक्ति प्रति मा0शि0क0के0/प0नि0के0 है।

7.8.3 चिकित्सालय/औषधालय

चुनार तहसील में कुल 18 चिकित्सालय तथा ओषधालय है इसमें 5 एलोपैथिक, 10 आयुर्वेदिक, 1 यूनानी तथा 2 होम्योपैथिक चिकित्सालय हैं। तहसील में कुल डाक्टरों की संख्या 39 तथा शैय्याओं की संख्या 81 है। ग्रामीण-नगरीय एवं विकास खण्ड स्तर पर इन सुविधाओं का विवरण तालिका 7.7 में दिया गया है। तालिका से यह भी स्पष्ट है कि तहसील में एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा का ही प्रभाव है। यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्सा को महत्व नहीं प्राप्त हो सकता है। प्रदेश में 20,358 व्यक्ति पर 1 अस्पताल अथवा औषधालय की सुविधा प्राप्त है । चित्र 7.3 में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति प्रदर्शित है।

7.9 स्वास्थ्य-सुविधा सम्बन्धित मानदण्ड

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं का प्रसार तथा उनके शुद्धीकरण हेतु रूपरेखा - 'सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य' की राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक 5000 आबादी के पीछे 1 उपकेन्द्र तथा 1 मातृ शिशु कल्याण केन्द्र, 30,000 के पीछे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 1,00,000 के पीछे एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना है।[13] इस मापदण्ड के सन्दर्भ में तहसील की वर्तमान स्थिति चिन्ताजनक है। मातृ-शिशु कल्याण केन्द्रों की स्थिति कुछ सीमा तक सन्तोषजनक कही जा

तालिका 7.7

चुनार तहसील में चिकित्सा सुविधाओं का विवरण, 1990

विकासखण्ड	एलोपैथिक चि0			आयुर्वेदिक चि0			यूनानी चि0			होम्योपैथिक चि0		
	संख्या	डाक्टर	शैय्याएँ	संख्या	डाक्टर	शैय्याएँ	संख्या	डाक्टर	शैय्याएँ	संख्या	डाक्टर	शैय्याएँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सीखड़	1	4	4	2	2	8	-	-	-	1	1	-
नरायनपुर	2	2	-	2	2	8	1	1	-	1	1	-
जमालपुर	-	5	-	5	7	28	-	-	-	-	-	-
राजगढ़	1	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रामीण	4	17	12	9	11	44	1	1	-	2	2	-
नगरीय	1	5	15	1	3	10	-	-	-	-	-	-
चुनार तहसील	5	22	27	10	14	54	1	1	-	2	2	-

स्रोत : सांख्यिकी पत्रिका, मिर्जापुर - जनपद, 1990 द्वारा संगणित ।

सकती हे किन्तु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थिति तहसील की जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त विरल है। 5 लाख आबादी वाले इस तहसील में अभी तक एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना न हो पाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जा सकता है।

7.10 स्वास्थ्य सुविधाओं की समस्याएं

तहसील में जनसंख्यानुसार सुविधाओं का अपेक्षित विकास नहीं हो पाया है। यहां जो सुविधाएं सुलभ हैं उसमें भी उचित प्रबंध का अभाव है। तहसील में व्याप्त विभिन्न प्रकार की असुविधाओं को संक्षेप में निम्नलिखित बिन्दुओं में रखा जा सकता है -

1. तहसील में अपेक्षित स्वास्थ्य केन्द्रों का अभाव है। जिस गति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य केन्द्रों का घनत्व विरल होने के कारण लोगों को इस हेतु लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। परिणामस्वरूप सामान्य लोग इन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाते और उनके लिए ये सुविधाएं महत्वहीन हो जाती हैं। तहसील में राजगढ़ विकास-खण्ड इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित है। यहां रामपुर-शक्तेशगढ़ के निकटवर्ती लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हेतु लगभग 18 किमी दूर चुनार जाना पड़ता है।

2. तहसील में जो सुविधाएं उपलब्ध है - उनमें उचित व्यवस्था की कमी है। अनेक सर्वेक्षण केन्द्रों पर देखा गया है कि वहां स्वास्थ्य केन्द्र हैं किन्तु डाक्टर नहीं; डाक्टर है किन्तु इलाज नहीं। लगभग सभी स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त औषधियों एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित तकनीकी उपकरणों का भी अभाव है। कर्मचारी सरकारी वेतन पर भारित होने के कारण अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन नहीं करते। कभी-कभी अतिरिक्त धन कमाने के लोभ में सरकारी औषधियों का विक्रय किया जाता है। वास्तव में ये सभी सुविधाएं जनता की जागरूकता एवं प्रशासन की शिथिलता के दुष्परिणाम हैं।

3. तहसील के पिछड़े प्रदेश का प्रतिरूप है। अतः यहां के अधिकांश लोगों की मानसिकता निम्नस्तरीय तथा रूढ़िवादी है जिससे अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेष्ट नहीं रह पाते। सामान्य

वर्ग सुख-दु:ख को दैवीय चक्र मानने में विश्वास करता है। यही कारण है परिवार नियोजन संभ्रान्त एवं सम्पन्न व्यक्तियों तक ही महत्वपूर्ण बन पाया है। परिणामस्वरूप अमीर, अमीर बनता जा रहा है और गरीब, गरीब। स्वास्थ्य के महत्व को न समझ पाने के कारण लोग उपयुक्त समय पर चेचक, पोलियो, हैजा एवं बी0सी0जी0 आदि का टिका लगवाना आवश्यक नहीं समझते। अधिकांश औरतें प्रसव काल में घर रहना ही उपयुक्त समझती हैं, जहां उनका इलाज घरेलू औरतों एवं घरेलू दवाओं द्वारा किया जाता है। इससे बच्चे ओर माता दोनों के जीवन का खतरा बना रहता है।

4. मनुष्य प्रकृति का अभिन्न अंग है। अत: यदि कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह जिस वातावरण में रहता है उसका उस पर गहरा प्रभाव पड़ता है।[14] तहसील में ईंट भट्ठों का बाहुल्य है। इसके चिमनियों से निकलने वाले धुएं तथा चुनार सीमेन्ट कारखाने से निकलने वाला धूलिकण एक वृहद क्षेत्र में पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। इसके अतिरिक्त तहसील में जल निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण बस्तियों के अगल-बगल अनुपयुक्त गड्ढ़ों, नालियों एवं नाबदानों आदि में जल के एकत्र होने तथा सड़ने से विविध प्रकार के मच्छर एवं कीटाणु जन्म लेते हैं जिनके काटने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तहसील में नलकूप एवं शौचालयों का भी अभाव है। लोग आज भी कुएं के पानी को अधिक स्वच्छ समझते हैं किन्तु कुओं की सफाई पर ध्यान नहीं देते। वास्तव में इसमें गिरे वृक्षों के पत्ते एवं खर-पतवार सड़कर कुएं के जल को प्रदूषित कर देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। शौचालयों के अभाव में तहसील की अधिकांश आबादी खुले मैदान में शौच-क्रिया करती है जो प्रदूषण का एक अन्य प्रमुख कारण है। तहसील में प्रदूषण की आधुनिक समस्या खाद्यान्नों के उत्पादन में रासायनिक उर्वरकों का अधिकाधिक प्रयोग है। यह उर्वरक अपने रसायनों के माध्यम से हमारे खाद्यान्नों को प्रभावित करता है और ये खाद्यान्न हमारे स्वास्थ्य को।

5. स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि ही अस्वस्थता का निवारण नहीं है वरन् जनसंख्या नियन्त्रण भी आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि से लोगों को सन्तुलित आहार नहीं मिल पाता जिससे कि वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तहसील में सर्वेक्षण के दौरान देखा गया कि

सीमित परिवार वाले लोग अपेक्षाकृत अधिक स्वस्थ, शिक्षित एवं खुशहाल हैं।

6. सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि तहसील में स्त्रियां, पुरूषों की अपेक्षा अधिक अस्वस्थ हैं। इसका एक कारण तो यह है कि यहां का समाज आज भी अपने रूढ़िवादी परम्पराओं से ग्रसित है। गांवों में स्त्रियां सामान्यतः पुरूषों एवं बच्चों के भोजनोपरान्त ही भोजन करती हैं परिणामस्वरूप उन्हें शेष भोजन से ही अपने को सन्तुष्ट करना पड़ता है। भोजन अधिक हो जाने पर वह उसे दूसरे वक्त ग्रहण करती हैं। इस प्रकार उनका आहार निम्न स्तरीय होता है और सन्तुलित आहार नहीं मिल पाता। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण शहर के औरतों से लिया जा सकता है जहां पुरूष स्त्रियां साथ-साथ भोजन करते हैं और स्वस्थचित्त हैं। तहसील में महिलाओं की अस्वस्थता का दूसरा बड़ा कारण यह है कि वह छोटी उम्र में विवाहित होकर अधिक शिशुओं को जन्म देती हैं।

7.11 स्वास्थ्य-नियोजन

तहसील में स्वास्थ्य सुविधाओं की आपेक्षिक अनुपलब्धता को देखते हुए इनके विकास की अत्यधिक आवश्यकता है। अतः इस आशय से तहसील का 10 वर्षीय स्वास्थ्य-नियोजन प्रस्तुत है -

स्वास्थ्य-सुविधाएं सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं - एक, वह जो मनुष्य को अस्वस्थ होने से रोकती हैं। इन्हें संरक्षात्मक स्वास्थ्य-सुविधा भी कहा जा सकता है। दूसरे, वह जो अस्वस्थता रोकने के साथ ही अस्वस्थ व्यक्तियों को स्वस्थ होने का उपचार भी प्रदान करती हैं। इसमें प्रथम का समाधान जनसंख्या-नियन्त्रण एवं प्रदूषण निरोध है और दूसरे का विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय एवं अस्पताल ।

7.11.1 स्वास्थ्य-उपचार सम्बन्धित सुविधाओं का नियोजन

इसके अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र/परिवार नियोजन केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं अस्पताल/औषधालय नियोजन समाहित हैं।

(अ) **प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र** - तहसील में प्राथमिक स्वास्थ्य, केन्द्रों की संख्या अत्यधिक न्यून है। अतः बढ़ती आबादी एवं स्वास्थ्य सुविधा सम्बन्धित राष्ट्रीय लक्ष्य प्राप्ति - दोनों ही दृष्टिकोण से इनकी संख्या में वृद्धि अपेक्षित ही नहीं आवश्यक है। इस हेतु विकास-खण्ड जमालपुर में 2, नरायनपुर - 3, राजगढ़ - 2, और सीखड़ -। । अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार तहसील में 8 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नियोजित हैं, जिन्हें लेकर सन् 2000 ई0 तक कुल 18 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो जायेंगे इससे प्रदेश की जनता स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने में अधिक सक्षम हो सकेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या में वृद्धि के साथ ही साथ इसमें उचित रख-रखाव एवं पर्याप्त मात्रा में चिकित्सा सामग्री, डाक्टरों, नर्स एवं शैय्याओं की व्यवस्था भी अपेक्षित है।

(ब) **मातृ-शिशु कल्याण केन्द्र/परिवार नियोजन केन्द्र** - सन् 2000 ई0 तक तहसील में एक मुख्य मातृ शिशु कल्याण केन्द्र/परिवार नियोजन केन्द्र एवं 33 उपकेन्द्रों का नियोजन प्रस्तुत है। इसमें मुख्य केन्द्र विकास-खण्ड राजगढ़ के मधुपुर ग्राम में अथवा रामपुर-शक्तेशगढ़ में स्थापित किया जा सकता है। इन केन्द्रों की स्थिति 7.3 से स्पष्ट है। इन नये केन्द्रों की सथापना के साथ ही सभी केन्द्रों पर उचित रख रखाव का भी प्रबंध किया जाना चाहिए।

(स) **अस्पताल/औषधालय** - तहसील में अस्पतालों एवं ओषधालयों की संख्या तो पर्याप्त है, किन्तु उसमें क्षेत्रीय असन्तुलन के साथ ही साथ उचित प्रबंध की कमी है। आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की संख्या तहसील में अधिक है। लेकिन यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सालयों की संख्या नगण्य है। अतः प्रदेश की गरीब जनता के लिए उपयुक्त होम्योपैथिक चिकित्सा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु विकास-खण्ड राजगढ़ में 2 (मधुपुर व रामपुर-शक्तेशगढ़), जमालपुर में । (जमालपुर) तथा नरायनपुर एवं सीखड़ में ।-। अतिरिक्त होम्योपैथिक चिकित्सालय खोला जाना चाहिए। एलोपैथिक चिकित्सा हेतु चुनार में एक उच्च स्तरीय चिकित्सा केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए जिसमें कम से कम 10 डाक्टर 20 नर्स एवं 10 शैय्याओं के साथ ही साथ अत्याधुनिक चिकित्सीय उपकरणों की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त जमालपुर एवं अहरौरा में भी ।-। एलोपैथिक चिकित्सालय सन् 2000 तक खोला जाना चाहिए । इन सभी चिकित्सालयों की सार्थकता तभी है जबकि सभी केन्द्रों पर

स्वास्थ्य सुविधाओं का समुचित प्रबंध हो।

(द) तहसील में अभी तक एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना न हो पाना हमारे सरकार की 'कथनी एवं करनी में अन्तर' को व्यक्त करता है। तहसील की जनसंख्या एवं क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए सन् 2000 तक कम से 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्थापित किया जाना चाहिए। ये केन्द्र सीखड़, नरायनपुर, जमालपुर, चुनार, अहरौरा एवं रामपुर-शक्तेशगढ़ अथवा मधुपुर में स्थापित किये जा सकते हैं (चित्र 7.3)।

7.11.2 स्वास्थ्य-संरक्षक सुविधाओं का नियोजन

इसके अन्तर्गत पर्यावरण-प्रदूषण निरोध एवं जनसंख्या नियन्त्रण समाहित हैं।

(अ) **पर्यावरण-प्रदूषण निरोध-** पर्यावरण को साधारणतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है - आन्तरिक एवं वाह्य पर्यावरण। आन्तरिक पर्यावरण मानव शरीर के अन्दर वाला वातावरण है, इसमें शरीर की सामान्य संरचनाएं और कार्य तथा रोग के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तन सम्मिलित हैं।[15] इसके निदान हेतु स्वास्थ्य उपचार सम्बन्धित नियोजन प्रस्तुत किया जा चुका है। यहां बाह्य पर्यावरण पर ही ध्यान केन्द्रित किया जायेगा। इसमें वह सब सम्मिलित है जो मानव शरीर के बाहर है और स्वास्थ्य तथा रोग के दृष्टिकोण से इसका भी उतना ही महत्व है जितना कि भीतरी वातावरण का। बाह्य वातावरण को भौतिक, जैविक तथा सामाजिक तीन उपविभागों में विभक्त किया जाता है। भौतिक पर्यावरण और कुछ नहीं बस हवा, पानी, भोजन सरीखे सभी निर्जीव पदार्थ है जिसके सम्पर्क में मानव भौतिक रूप से आता है। जैविक वातावरण में मानव के चारों ओर का सम्पूर्ण जैव जगत आ जाता है, जैसे - रोगाणु आदि। सामाजिक वातावरण में सामाजिक जीवन के सभी कारक आ जाते हैं जैसे कि रीति रिवाज, परम्पराएं, शिक्षा संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था आदि ।

भौतिक वातावरण के महत्वपूर्ण कारक हैं - हवा, पानी और भोजन। पूर्व अध्ययनों से यह स्पष्ट है कि तहसील में सीमेन्ट कारखानें, ईंटभट्ठों एवं प्रस्तर खदानों

के साथ ही साथ मोटर गाड़ियों से विसर्जित धुंए एवं धूलिकण उसके पश्चिमोत्तर भागों में वायुमण्डल को प्रदूषित कर रहे हैं । अतः इस पर नियन्त्रण करने हेतु सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए । प्रशासन को उन्हीं व्यक्तियो को ईंटभट्ठा लगाने अथवा प्रस्तर खदान खोलने की स्वीकृति देनी चाहिए जो प्रदूषण को नियन्त्रित करने के लिए तत्पर हों । इस हेतु कारखाने एवं चिमनियों द्वारा निकलने वाले धुएं को फिल्टरिंग करके वायुमण्डल में छोड़ा जाना चाहिए तथा वृक्षारोपण पर अधिक बल देना चाहिए । साथ ही सरकार को तहसील में जनसंख्या के उपयुक्त अनुपात में सार्वजनिक शोचालयों की व्यवस्था करनी चाहिए । प्रत्येक आबाद ग्राम में कम से कम दो शौचालय अनिवार्यतः होना चाहिए । जल प्रदूषण को रोकने हेतु तहसील में पर्याप्त मात्रा में सार्वजनिक नलकूपों की व्यवस्था की जानी चाहिए और लोगों को पीने हेतु नलकूप के पानी को अधिक उपयुक्त बनाया जाना चाहिए । तहसील में लगभग 1000 व्यक्ति पर । नलकूप की व्यवस्था सन् 2000 तक हो जानी चाहिए । कुओं की निरन्तर सफाई करानी चाहिए तथा लगभग 15-20 दिन के अन्तर पर क्लोरीन आदि कीटनाशक दवाओं को छोड़ते रहना चाहिए । यह कार्य व्यक्तिगत रूप से कूप मालिकों को करना चाहिए । फसलों के उत्पादन में अन्धाधुन्ध रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने के कारण हमारा खाद्यान्न विषाक्त होता जा रहा है । इससे बचने के लिए हमें देशी उर्वरकों (कम्पोस्ट एवं हरी खाद) का अधिक प्रयोग करना चाहिए । यह मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने एवं उसके संरक्षण में भी काफी लाभकारी है ।

मानव के चारों ओर जीवधारियों का संसार ही उसका जैविक वातावरण है । स्वास्थ्य की दृष्टि से इस वातावरण के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण जीवाणु हैं । लगभग सभी संक्रामक रोग जीवाणुओं के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं । विकास-क्रमों के परिणामस्वरूप ये रोगाणु मानव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और अपने अस्तित्व के संघर्ष में परजीवी के रूप में वृद्धि करते हैं । रोगाणुओं का प्रवर्धन एवं प्रसार केवल एक मानव से दूसरे मानव में स्थानान्तरण द्वारा ही संभव है । अतः इन सूक्ष्म जीवों के निराकरण हेतु इस संचार को किसी न किसी उपलब्ध प्राविधि द्वारा रोका जाना चाहिए । आज रोग की बढ़ती प्रवृत्ति में सामाजिक वातावरण महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है । रहन-सहन, संस्कृति, शिक्षा एवं विकास को स्तर इन्हें काफी सीमा तक नियन्त्रित करता है । आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से मानसिक तनाव में रहने

वाला व्यक्ति सदेव सुविधा सम्पन्न स्वच्छन्द विचार वाले व्यक्ति की अपेक्षा अस्वस्थ रहता है । अतः इस प्रयोजन हेतु सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकेन्द्रीकरण आवश्यक प्रतीत होता है ।

(ब) जनसंख्या-नियन्त्रण - तहसील की जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ रही है । जनसंख्या-वृद्धि दर जहाँ 1971-81 की अवधि में 2.65 प्रतिशत थी वहीं 1981-91 में 2.54 प्रतिशत प्रति वर्ष हो गयी ओर 2001 तक इसे 2.01 प्रतिशत प्रतिवर्ष हो जाने की उम्मीद है । यह जनसंख्या नियन्त्रण हेतु किये गये प्रयासों का ही परिणाम है । किन्तु अब भी जनवृद्धि दर काफी उच्च है जिसे कम से कम करने की आवश्यकता है ।

जनसंख्या नियन्त्रण का सबसे प्रबल उपाय 'परिवार कल्याण नियोजन' तथा उसके प्रति जनता की जागरूकता है । इस दृष्टि से तहसील में परिवार नियोजन केन्द्रों की न्यूनता को देखते हुए मधुपुर में एक परिवार नियोजन केन्द्र की स्थापना नियोजित है । किन्तु केवल परिवार नियोजन केन्द्रों में वृद्धि ही जनसंख्या-नियन्त्रण हेतु पर्याप्त नहीं है वरन् इसमें समुचित प्रबंध के साथ ही साथ जनता को इसके महत्व को बताकर उन्हें इस ओर उन्मुख करना भी है । इस प्रयोजन हेतु विभिन्न संचार एवं प्रचार माध्यमों का भी सहारा लिया जा सकता है। रूढ़िवादी प्रवृत्ति के लोगों को परिवार नियोजन के प्रति आकर्षित करने हेतु उनके सरकारी सुविधाओं में कटौती की जा सकती है । सामाजिक दृष्टिकोंण से स्त्री एवं पुरूष में भेद समाप्त करके पुत्र की प्रतीक्षा में आने वाले सन्तानों को रोका जा सकता है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय जनता को स्वविवेक एवं आत्मसंयम से अपना परिवार सीमित रखकर प्रादेशिक विकास में योगदान देना चाहिए ।

सन्दर्भ

1. **जैन एवं वोहरा** : 'विश्व का सांस्कृतिक भूगोल', अकैडमिक पब्लिसर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण 1983, पृ0 185.

2. **प्रसाद, ईश्वरी एवं शर्मा शैलेन्द्र** : प्राचीन भारतीय संस्कृति, कला, राजनीति, धर्म तथा दर्शन, मीनू पब्लिकेशन, द्वितीय संस्करण, 1984, पृ0 342.

3. वही, पृ0 343.

4. **वर्मा, राम विलास** : 'भारत का भोगोलिक विवेचन, किताब घर, आचार्य नगर, कानपुर-3, जनवरी 1977.

5. **भावे बी0एन0, देवधर एन0एस0** एवं **भावे एस0वी0** : 'हम और हमार स्वास्थ्य', नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, नयी दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1985.

6. **चांदना आर0सी0** : 'जनसंख्या भूगोल' कल्यानी पब्लिसर्स नयी दिल्ली - लुधियाना, प्रथम संस्करण 1987, पृ0 7.

7. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 1 पृ0 186.

8. **मौर्या रमाशंकर** : पिछड़ी अर्थव्यवस्था का विकास-नियोजन - टांडा तहसील का विशेष अध्ययन, अप्रकाशित शोध प्रबंध, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, पृ0 200.

9. *Report of Education Commision, 1966, P. 234.*

10. *Pathak R.K. : "Environmental Planning Resources and Development, Chugh Publications, Allahabad 1990, P. 153.*

11. *Gibs J.P.(ed) : Urban Research Methods, 1966,P.107.*

12. *Ibids.*

13. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 8, पृ0 212.

14. पूर्वोक्त सन्दर्भ संख्या 5, पृ0 2.

15. वहीं, पृ0 57.

****

परिशिष्ट : एक

शब्दावली

नरदन	*Erosion*
अनुकूलन	*Adaptation*
अन्तरालन	*Spacing*
अवस्थिति	*Location*
अलगाव बिन्दु	*Breaking Point*
अतुलनीय	*Non- Comparatbel*
अध:संरचना	*Infra - Structure*
अन्त: सम्बन्ध	*Inter relation*
अनौपचारिक शिक्षा	*Non-Formal Education*
आदर्शात्मक	*Ideal*
आजीविका	*Living*
आपेक्षिक आर्द्रता	*Relative Humidity*
आधारभूत् कार्य	*Basic function*
उपोष्ण	*Sub-Tropical*
उपादेय	*Useful*
उदासीन	*Neutral*
उन्नतशील किस्म (बीज)	*High yielding variety*
ऊसर	*Un fertile/Wast land*
औद्योगिक संभाव्यता	*Industrial Probability*
कर्मोपलक्षीय	*Functional*
कार्यशील जनसंख्या	*Working Population*
कार्याधार जनसंख्या	*Threshold Population*
कार्यात्मक रिक्तता	*Functional Gap*
कुटीर उद्योग	*Cottage Industry*
कुपोषण	*Mal- nutrition*
केन्द्राभिमुखक	*Centripital*

केन्द्रापसारी	*Centrifugal*
केन्द्रीय/केन्द्र स्थल	*Central place*
केन्द्रीयता	*Centrality*
केन्द्रीकरण	*Centralization*
गहनता	*Intensity*
गम्यता	*Accessibility*
गुणवत्ता/गुणात्मक	*Quality / Qualitative*
गुणांक	*Multiplier*
गेर आबाद	*Uninhobited*
घटक	*Component*
जलोढ़	*Alluvial*
जमघट	*Agglomeration*
जनसंख्या-नियंत्रण	*Population Control*
ढाँचा	*Frame work*
तात्विक ज्ञान	*Metaphysical Knowledge*
द्वितीयक व्यवसाय	*Secondry Occupation*
दिवा प्रकाश	*Day light*
धूलि-कण	*Dust-Particles*
निक्षेपण	*Sedimentation*
निर्देशांक	*Index*
नीतिगत	*Policy related*
नूतन युग	*Neozoic Era*
परिष्करण	*Modification*
पदानुक्रम	*Hierarcy / Ranking*
परिप्रेक्ष्य नियोजन	*Perspective planning*
परिमाण/परिमाणात्मक	*Quantity / Quantitative*

परिकलन	*Calculation*
परिसंचरण	*Circulation*
पर्यावरण	*Envirnment*
प्रवेशी जनसंख्या	*Threshold Population*
प्रदूषण निरोध	*Pollution Control*
प्रक्षेपित जनसंख्या	*Projected Population*
प्रकीर्णन	*Decentralization*
प्रतिनिधि	*Reprsentative*
पारम्परिक	*Traditional*
प्रादेशिक माँग	*Regional Demand*
प्राविधिक शिक्षा	*Technical Education*
पिछड़ा प्रदेश	*Backward Region*
फसल संयोजन	*Crop Combination/Crop Association*
फसल कोटि	*Crop Rank*
भू-दृश्य	*Land - Scape*
भूगर्भिक	*Gealogical*
मुख्य कर्मी	*Main Worker*
मेरूदण्ड	*Base/Back bone*
यान्त्रिक शक्ति	*Machanical Power*
विकास स्तर	*Growth lavel*
रूढ़िवादी	*Traditional*
लघु स्तरीय	*Micro-lavel*
लिंगानुपात	*Sex-Ratio*
लोच	*Elasticity*
विकेन्द्रित केन्द्रीकरण	*Decentralized Concentration*
विनिमय	*Exchange*
विसरण	*Diffusion*

वैषम्य	*Diverse*
शुद्ध बोया गया	*Net Swon*
संस्थागत	*Institutional*
समाकलन	*Integration*
रामाकलित	*Integrated*
स्थानिक	*Spatial*
सम्पूरक	*Complementary*
रांगठनात्मक	*Organizational*
संकल्पना	*Concept*
संस्तर	*Bed*
समायोजन	*Adjustment*
संघटक	*Component*
सर्वगत	*Ubiquitous*
सकेन्द्रण	*Agglomeration*
संभाव्यता	*Possibility*
शस्य गहनता	*Crop-Intensity*
स्थानीकरण / स्थानीकृत	*Localization / Localized*
संसाधन	*Resources*
संसाधन आधारित	*Resource based*
संबद्धता	*Connectivity*
सन्तुलन	*Balance*
सहभागिता	*Co-operation*
संचयी	*Cumulative*
सांस्कृतिक प्रदेश	*Cultural Region*
सीमान्त कर्मी	*Marginal worker*
सीमांकन	*Delimitation*

सूचव,ांक	*Index*
सेवित जनसंख्या	*Several Population*
क्षेत्रीय विशिष्टता	*Spatial Characteristic*

****

परिशिष्ट दो

FURTHER READINGS

(A) BOOK

Alagh, Y. (1972) : Regional Aspect of Indian Industrialization, University of Bombay, Economic Series No. 21.

Aziz, A, (1988): Studies in Block Planning, Concept Publishing Company, New Delhi.

Bhat, L.S. (1965b) : Some Aspects of Regional Planning in India Ph.D. Thesis, Indian Statistical Institute, New Delhi.

*- and A. **Kundu**, et al. (1976) : Micro - lavel Planning -A Case study of Karnal Area, Haryana, India, K.B. Publication, New Delhi.*

- (1972) : Regional Planning in India, Statistical Publishing Society, Calcutta.

*Bhayya, **Labshmi** (1968): Transportation and Regional Planning in Madhya Pradesh, Unpublished Ph.D. Thesis, B.H.U., Varanasi.*

Blaikie, P.M. (1975) : Spatial Planning for Diffusion of Family Planning in India, Edward Arnold, London.

***Calcutta Metropalition Planning Organization, (1965) :** Regional Planning for West Bengal : A Statement of Needs, Propects and strategy, Govt. of West Bengal, Calcutta.*

***Chandra, R.** (1985) : Micro-Regional Diagnostic Planning for Social Facilities : A Case study of Bulandshahar*

District, U.P. Unpublished Ph.D. Thesis, Kanpur University, Kanpur.

Dahiya, S.B. (ed.), (1981) : Development Planning Models, Inter India Publication, New Delhi, Vol. I & II.

Dubey, B. and M. Singh (1985) : Integrated Rural Development, Jeevan Dhara Publication, Varanasi.

Friedman, J. (1964) : Regional Development Planning : A Reader Cambride, MIT Press, London.

- (1966) Regional Development and Policy : A Case Study of Venejuela, Cambridge, M.I.T. Press, London.

Gadgil, D.R. (1967) : District Development Planning, Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune.

Glasson, J. (1978) : An Introduction to Regional Planning Concept, Theory and Practice, Hutchinson Library, London.

Gokhman, V.M. and Karpor L.N. (1972) : Growth Poles and Growth centres in Regional Planning, Mount on the Hague.

Town and Country Planning Organisation (1974) : Goa Regional Planning, Government of India, New Delhi.

Indian Statistical Institute, (1962) : South Indian Micro- Regional Survey, New Delhi.

Khan, W. and Tripathi R.N. (1976) : Plan for Integrated Rural Development in Paurigarhwal, NICD, Hyderabad.

Kublinski, A.R. (ed.), (1972) : Growth Pole and Growth Centres in Regional Planning, Monton, Paris.

(ed.); (1975); Regional Development and Planning, International Perspective, The Netherland.

Kublinski, A. (1971) : Contribution to Regional Planning and Development, Mysore Development Studies No. 3 Institute of Development studies, University of Mysore.

- (ed.), (1977) : Social Issues in Regional Policy and Regional Planning, Mouton and Co., The Hague.

Lahri, T.B. (ed.), (1972) : Balanced Regional Development, Oxford, I.B.H. Publishing Co, Calcutta.

*Maithani, **B.P.** et al, **(1986)** : Planning for Integrated Rural Development, Yelburga Block, Karnataka State, National Insitute of Rural Development, Rajendra Nagar, Hyderabad.*

***Misra,** R.P. (1968) : Diffusion of Agriculture Innovation, University of Mysore.*

- (ed), (1969) : Planning Concepts, Techniques, Policies and case studies, Mysore Prasaranga.

- (1972) : District Planning Development Studies No.6, Institute of Development Studies, University of Mysore.

- (1976) : Regional Planning and National Development, Vikas Publishing House, New Delhi.

*- and **Sundaram K.V.** (1980) : Multi- level Planning and Development in India, Heritage Publishers, New Delhi.*

- (1984) : Local - level Planning and Development, Sterling Publishers, New Delhi.

- (1984) : Rural Development, Capitalist and Socialist Path (in 5 Volumes), Concept, New Delhi.

*Misra, **S.P.** (1985) : Integrated Rural Area Development and Planning, A Geogrophical study of Kerakat Tahsil, District Jaunpur, U.P. Ratan Publication, Varanasi.*

***Pal M.N.** (1969) : Regional Analysis for National Development Techniques and case studies, University of Delhi.*

***Rao, P. and Patil** B.R. (1977) :Manual for Block- level Planning, The Macmillan Company, New Delhi.*

- (1960) : Regional Planning in the Mysore State the need for Re-adjustment of District Baundries, Indian Statistical Institute, New Delhi.

(1963) : Regional Planning, Asia Publishing House, Bombay.

***Sen , L.K. and Wanmali** S., etal. (1971) : Planning of Rural Growth Centres for Integrated Area Development : A Study in Myryalguda. Taluka, NICD, Hyderabad.*

*- and G.K. **Mishra** (1974) : Regional Planning for Rural Electrification - A case study in Suryapet, Taluka, Nalgonda District, A.P., NICD, Hyderabad.*

- etal. (1975) : Growth Centres in Raichur, An Integrated Area Development Plan for a District in Karnataka, NICD, Hyderabad.

*- and **Thaha A.L. , (1976)** : Regional Planning for a Hill Area - A Case Study of Pauri Tahsil in Pauri Garhwal District, NICD, Hyderabad,*

***Shah, V.** (1974) : Planning for Talala Block, - A Study in Micro-level Planning, the Gugrat Institute of Area Planning, Ahmedabad.*

Sharma, P.N. and ***Shastri, C. (1984)*** *: Social Planning, Concepts and Techniques, Print House, Lucknow.*

Bhat, *L.S. (1973) : Mannual on Regional Planning UNECAFE, Bankak.*

UNIESCAP, ***(1978)*** *: Local-level Planning for Integrated Rural Development, A Report of An expert Meeting, Bankak (6-10 Nov., 1978).*

Wanmali, S. *(1968) : Hierachy of Towns in Vidarbha, India and Its Significance for Regional Planning, M. Phil (Eco.) Deptt. of Geography, Lundon, School of Economics (Vol.II).*

1970 : Regional Planning for social Facilities, An Examination of Central place Concept and their Applications - A Case study of Eastern Maharastra, NICD, Hyderabad.

B. ARTICLES

Banerjee, S. and Fisher H.B. (1974) : Spatial Analysis for Integrated Planning in India, Urban and Rural Planning Thought, XVII (1) pp., 1-45.

Basu, S.K. (1973) : Determinations of Regional Distribution Bank Credit and Regional Development, Indian Journal of Regional Science, Vol. V, No.2 pp. 176-84.

Bracey, H.E. (1953) : Towns As Rural Services Centres, An Index of Centrality with special Refgerence to somerset, Transactions of Papers, Institute of British Geographers, No, 19, pp. 85-105.

- (1955) : Rural Service Centres in South Western Wisconsin and Sauthern England, Geographical Reivew, Val. 45, pp. 559-569.

Chakravorty, A.K. (1973) : Green Revalution in India, A.A.A.G. Val. 63, pp 319-330.

Dutta, A.K. (1972) : Two Decades of Planning in India, An Anotomy of Approach, National Geographical Jaurnal of India, Val. XVIII (3-4), pp. 187 - 205.

- (1968) : Some Lessons for Regional Planning in India, National Geographical Jaurnal of India, Vol. 14, Nos. 2-3. pp. 150 - 164.

Friedman, J. (1961) : Cities in Social Transformation, Reprinted in J. Friedman, etal. (ed.) (1964), Regional Development Planning - A Reader, pp. 343-60.

Gupta, P.Sen and Sdasyuk, G. (1968) : Economic Regionalisation of India, Problems and Approaches, Census of India Monograph, Series 1, (9), pp. 101-138.

Hansen, N.M. (1969) : French Regional Planning Experience, Journal of the American Institute of Planners, Vol. 35, No.6, pp. 362-368.

Harris, B. (1978) : An Unfashionable View of Growth Centres, In Regional Planning and National Development by R.P. Mishra etal. (eds) Vikas, New Delhi, pp. 237 - 244.

Hussain, Majid (1960) : Pattern of Crop Concentration in Uttar Pradesh, Geographical Review of India, Vol. XXXII, No.3, pp. 169 - 185.

Kayastha, S.L. and J. Prasad (1978) : Approach to Area Planning and Development Strategy, A Case Study of Phulpur Block, Allahabad District, National Geographical Journal of India, Vol. 24, pp. 16 - 28.

Kuklinski, A.R. (1978) : Some Basic Issues in Regional Planning, in R.P. Mishra (eds) Regional Planning and National Development, Vikas, New Delhi, pp. 3 - 21.

Kumar, P. (1976) : Regional Evaluation of Resources in Madhya Pradesh as a Bassis for Planning in V.C. Mishra etal. (eds) Essay in Applies Geography, University of Sagar, pp. 209 - 228.

Mathur, P.N. (1963) : National Policy for Backward Area Development - A structural Analysis, Indian Journal of Regional Science, Vol.6, No.1, pp. 73 - 90.

Minocha, A.C. (1974) : Planning for Social Service in Backward Region : A Case study of M.P., Indian Journal of Regional Science Vol.(2), pp. 181 - 198.

Narayan, B.K. and Rao, D.V. (1974) : Regional Planning Growth Centre Techniques, Indian Journal of Regional Science, Vol. 6(1), pp. 46 - 55.

Pal, M.N. (1963 A) : A Method of Regional Analysis of Economic Development with Special Reference to South India, Indian Journal of Regional Science, Vol. 5, pp. 41 - 58.

- (1973) : Regional Studies and Research for Consistent and optimal Plan Formulation. The Need for a Right Kind of Orientation, Indian Journal of Regional Science, Vol. 5(1), pp. 1 - 20.

Pathak C.R. (1973) : Integrated Area Development, Geographical review of India, Vol. 35, No. 3, pp. 221 - 231.

Ruttan, V.W. (1975): Integrated Rural Development Programmes - A Skeptical Perspective, International Development Review, Vol. 17, No.4, pp. 9 - 16.

Saha, M. (1975) : Planning Approach Rural Development, Indian Geographical Studies, Vol.5, pp. 43 - 49.

Sarkar, B.B. (1973) : 'Problems of Rural Development in Backward District of Bankura and Purulia in West Bengal, Indian Journal of Regional Science, Vol.6(1), pp. 49 - 59.

Singh, K.N. (1966) : Spatial Pattern of Central Places in the Middle Ganga Valley, India, National Geographical Journal of India, Vol. 12(4), pp. 218-226.

- (1969) : A case Study for Small Twons in Regional Planning in India, in R.L. Singh (ed.) Applied Geography, pp. 207 - 222.

Singh, R.N. and Pathak, R.K. (1980) : 'Intigrated Area Development Planning ; Concept and Background' National Geographer, Vol.XV, No.2, pp. 157 - 171.

- (1982) : 'Micro- Regional Planning for Transport Management in Faizabad District (India)' - Trans. Inst. of Indian Geographers, Val.4, No.1, pp. 79 - 90.

Singh, R.N. and **Kumar,** A. (1982) : 'Classical Teories of spatial organization- Scope and Limitations' National Geographer, Vol. XVII, No.2 pp. 89-105.

- (1983) : 'Spatial Reorganization : Concept and Aproaches' -National Geographer, Vol. XVIII, No.2, pp. 215 - 226.

Srivastava. V.K. (1977) : Periodic Markets and Rural Development, Bahraich District - A Case Study, National Geographer, Vol. 12, No.1, pp. 47 - 55.